
विषय सूची/CONTENTS

	पृष्ठ संख्या / Page No.
☐ नोटिस / Notice	5-21
🔲 निदेशक रिपोर्ट / Directors' Report	22-39
🔲 बेसल—II के अन्तर्गत प्रकटीकरण / Disclosure under Basel II	40-54
🗖 निगमित शासन की रिपोर्ट / Corporate Governance	55-86
🗖 वित्तीय विवरण / Financial Statements	87-133
♦ ਰੂलन पत्र / Balance Sheet	88
♦ लाभ–हानि खाता / Profit & Loss Account	89
♦ अनुसूचियां ∕ Schedules	90-130
♦ नकदी प्रवाह विवरण—पत्र / Cash Flow Statements	131-133
♦ लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन / Auditors' Reports	134-136
☐ नामांकन फॉर्म ∕ Nomination Form	137
🗖 घोषणापत्रप्रारूप / FormateofDeclaration	139
🗖 ई सी एस अधिदेश / बैंक खाते के ब्यौरे का फार्म / ECS Mandate Form/Bank Acc	count Details141
🔲 उपस्थिति पर्ची / Attendance Slip	143
☐ प्रॉक्सी फॉर्म ∕ Proxy Form	145
🗖 निदेशक द्वारा घोषणा पत्र एवं वचन / Declaration and Undertaking by the Dire	ector149



प्र. का. राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली / H.O. Rajendra Place, New Delhi

उल्लेखनीय तथ्य / HIGHLIGHTS

रुपए (लाखों में)/Rs. (in lacs)


c. ((then 1)/1101 (m 1400)
यथा/as on 31-03-2011 52617
5972319
4283262
1324874
1870128
0.90
0.56
11.94
12.94

24 जून , 1908 से राष्ट्र की सेवा में समर्पित Serving the Nation since 24th June, 1908

प्रधान कार्यालय: "बैंक हाउस", 21 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008

Head Office : 'Bank House', 21, Rajendra Place, New Delhi-110008

Visit us at : www.psbindia.com



निदेशक मंडल / Board of Directors

कार्यकारी निदेशक Executive Director

श्री पी. के. आनन्द Sh. P. K. Anand

निदेशक Directors

श्री ए. भट्टाचार्य Sh. A. Bhattacharya श्री बी.पी. कानून्गो Sh. B.P. Kanungo श्री ए. के. सुराना Sh. A. K. Surana

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत Sh. Krishan Murari Gangawat स. करनपाल सिंह सेखों Sh. Karanpal Singh Sekhon

महाप्रबंधक General Managers

श्री. पी. एस. घावरी मुख्य महाप्रवंधक Sh. P. S. Ghawri Chief General Manager	श्री. जे. एस. कोचर Sh. J. S. Kochar	श्री. जी. एस. बिन्द्रा Sh. G. S. Bindra
श्री. के. एस. सचदेवा	श्री. एच. पी. सिंह	श्री. मनजीत सिंह
Sh. K. S. Suchdeva	Sh. H. P. Singh	Sh. Manjit Singh
श्री विजय श्रीवास्तव	श्री आर. के. खुराना	श्री. जी. एस. अरोड़ा
Sh. Vijay Srivastva	Sh. R. K. Khurana	Sh. G. S. Arora
श्री. जी. एस. सचदेवा	श्री रविंदर गोसाईं	श्री. गुरचरण सिंह
Sh. G. S. Sachdeva	Sh. Ravinder Gossain	Sh. Gurcharan Singh
श्री. अमरजीत कोचर Sh. Amarjit Kochar	श्री. जी. एस. सेठी Sh. G. S. Sethi	श्री दिनेश कुमार गुप्ता (मुख्य सतर्कता अधिकारी) Sh. D. K. Gupta (Chief Vigilance Officer)

लेखा परीक्षक Auditors

बंसल सिन्हा एण्ड कं. Bansal Sinha & Co. अलका एण्ड सुनील Alka & Sunil बलराम चन्द्रा एण्ड एसोसिएट्स Balram Chandra & Associates जी. एस. गोयल एण्ड कं. G. S. Goel & Co. भाटिया एण्ड भाटिया Bhatia & Bhatia एस. बी. जी. एण्ड कं. S. B. G. & Co.

नोटिस/NOTICE

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारकों की प्रथम वार्षिक सामान्य बैठक एयर फोर्स ऑडिटोरियम, सुब्रौतो पार्क, नई दिल्ली—110010 में वृहस्पतिवार, 16 जून, 2011 को प्रातः 11.00 बजे आयोजित होगी। इसमें निम्नलिखित कारोबार संचालित होंगे।

- बैंक का 31 मार्च, 2011 के तुलन—पत्र, 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लाभ—हानि लेखा, लेखों में समाहित अविध के कार्यनिष्पादन तथा कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन—पत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार—विमर्श, अनुमोदन व अंगीकरण।
- वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए लाभांश का अनुमोदन एवं घोषणा।
- 3. केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त, शेयरधारकों के मध्य से दो निदेशकों का चुनाव जिनके संबंध में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 (इसके बाद ''अधिनियम'' के रूप में संदर्भित) की धारा (9) (3)(i), बैंककारी नियामक अधिनियम, 1949 एवं राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधानों) योजना, 1980 (जोकि ''योजना'' के नाम से जानी जाएगी) तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयरों एवं बैठकों) अधिनियम, 2008 (जोकि 'अधिनियमों' के रूप में जाने जाएंगे) नियम की धारा 19 एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिनांक 01.11.2007 सं. डीबीओडी. नं.बीसीनं.46/29.39.001/2007—08 की अधिसूचना (जोकि 'आरबीआई अधिसूचना' के नाम से जानी जाएगी) के तहत वैध नामांकन प्राप्त किए गए और निम्न प्रस्ताव पास किया गया:

"निर्णय लिया गया कि केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त, शेयरधारकों के मध्य से दो निदेशकों का चुनाव जिनके संबंध में अधिनियम की धारा (9) (3) (i), योजना के रूप में पढ़ा गया एवं उसके अंतर्गत् बनाए गए नियमों, के तहत बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाते हैं, बैठक की तिथि से अगली तिथि और इस तिथि से तीन वर्ष की अवधि हेतु कार्यभार ग्रहण करेंगे"।

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 10 मई, 2011

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

पी.के.आनंद कार्यकारी निदेशक Notice is hereby given that the First Annual General Meeting of the Shareholders of Punjab & Sind Bank will be held on Thursday, the 16th June, 2011 at 11.00 A.M., at Air Force Auditorium, Subroto Park, New Delhi – 110 010 to transact the following business:

- To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2011, Profit & Loss account for the year on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
- 2. To approve and declare dividend for the financial year 2010-11.
- To elect two Directors from amongst the 3. shareholders, other than Central Government, in respect of whom valid nominations are received in terms of Section 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (hereinafter referred to as the "Act") read with The Banking Regulations Act, 1949 and Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (hereinafter referred to as the "Scheme") and Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008 (hereinafter referred to as the "Regulations") made pursuant to Section 19 of the Act and Notification No.DBOD. No.BCNo.46/29.39.001/2007-08dated01.11.2007 issued by Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "RBI Notification") and to pass the following resolution:-

"RESOLVED THAT two Directors elected from amongst shareholders other than Central Government, in respect of whom valid nominations were received, pursuant to Section 9(3)(i) of the Act read with Scheme and Regulations made thereunder, be and are hereby appointed as the Directors of the Bank to assume office from the date following the date of this meeting and to hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption."

Place: New Delhi Date: 10th May 2011

By Order of the Board of Directors

P K ANAND EXECUTIVE DIRECTOR

टिप्पणियां

1. व्याख्यात्मक वक्तव्य

निदेशकों के चुनाव संबंधित नोटिस की मद संख्या 3 के वास्तविक तथ्यों का व्याख्यात्मक विवरण निम्न दिया गया है।

मद संख्या 3 से संबंधित वास्तविक तथ्यों का दिया गया व्याख्यात्मक विवरण

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980, अन्य बातों के साथ—साथ उपलब्ध कराता है कि अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2बी) की शर्त (सी) के अंतर्गत् जारी पूंजी (केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त) 16% से अधिक है लेकिन प्रदत्त पूंजी के 32% से अधिक नहीं है, शेयरधारकों को अपने मध्य से दो निदेशकों का चुनाव करने का अधिकार है।

दिनांक 31.03.2010 को बैंक की प्रदत्त ईक्वटी शेयर पूंजी रू. 183.06 करोड़ थी और भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में था। वर्ष 2010—11 के दौरान, बैंक ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से रू. 40 करोड़ की ईक्वटी शेयर पूंजी जुटाई जिससे भारत सरकार की धारिता में 17.93: की कमी हुई। इस लिए, बैंक के शेयरधारक (केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त) दो निदेशकों का चुनाव करने के पात्र हैं।

निदेशक मंडल ने दिनांक 25.03.2011 की अपनी बैठक में शेयरधारकों के मध्य से दो निदेशकों, केंद्र सरकार के अतिरिक्त, बैंक की वार्षिक सामान्य बैठक में चुनावी प्रक्रिया के तहत नियुक्त करने का निर्णय लिया है।

निदेशक जो चुना जाएगा, चुने जाने की दिनांक से कार्यालय का कार्यभार ग्रहण करेगा, से तीन वर्ष की अवधि तक उस पद पर बना रहेगा।

2. प्रॉक्सी की नियुक्तिः

बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए पात्र शेयरधारक अपने स्थान पर बैठक में सहभगिता करने एवं मत देने के लिए प्रॉक्सी की नियुक्त करने हेतु पात्र होगा / होगी तथा प्रॉक्सी को बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है।

यद्यपि, इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में अपने विचार रखने का कोई अधिकार नहीं होगा।

किसी भी व्यक्ति जो पंजाब एण्ड सिंध बैंक का अधिकारी या कर्मचारी है, को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। विनियमों के विनियम 70 (vi) के अनुसार, प्रॉक्सी को दिए जाने वाले लिखित से व्यक्तिगत रूप से बैठक में मत देने का अधिकार नहीं होगा जिससे लिखित संबंधित है।

प्रॉक्सी प्रारूप तभी प्रभावी होगा यदि वह बैंक के प्र.का. लेखा एवं लेखा परीक्षा के अंतर्गत् शेयर कक्ष, प्रथम तल, 21, राजेंद्र

NOTES

1. EXPLANATORY STATEMENT:

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of Item No. 3 of the Notice regarding Election of Directors is annexed below.

Explanatory statements setting out the material facts in respect of agenda item No. 3

The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980, inter alia, provides that where the capital issued under Clause (C) of sub section (2 B) of Section 3 of the Act (other than to the Central Government), is more than 16% but not more than 32% of the total paid up capital, the Shareholders would be entitled to elect two directors from amongst themselves.

The paid up equity share capital of the Bank as on 31.03.2010 was Rs. 183.06 crores, and was wholly owned by the Government of India. During the year 2010-11, the Bank raised equity share capital of Rs. 40 crores by way of Initial Public Offering resulting in dilution of the Central Government holding to the extent of 17.93%. The shareholders of the Bank (other than the Central Government) are therefore entitled to elect two Directors.

The Board of Directors in their meeting dated 25.03.2011 have decided to appoint two directors from amongst shareholders other than the Central Government, through the process of election at the Annual General Meeting of the Bank.

A Director, so elected, shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he/she is elected or deemed to have been elected and will hold office for a period of three years.

2. APPOINTMENT OF PROXY:

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

However the proxy so appointed will not have any right to speak at the meeting.

No person shall be appointed as a proxy who is an officer or employee of the Punjab & Sind Bank.

As per the regulation 70 (vi) of Regulations, the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

The Proxy Form in order to be effective must be received at Shares Cell, Head Office Accounts & Audit Department,

प्लेस, नई दिल्ली — 110008 में वार्षिक सामान्य बैठक से 4 दिन पहले तक अर्थात् दिनांक 11.06.2011 को सांय 5 बजे यानि कि दिन की समाप्ति या उससे पूर्व जब तक कि उस प्रकार का मुख्तारनामा अथवा कोई अन्य प्राधिकार पत्र पहले बैंक में न जमा और न ही पंजीकृत कराया गया हो, के साथ प्राप्त हो जाना चाहिए।

3. अधिकृत प्रतिनिधी की नियुक्तिः

कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी या कॉर्पोरेट निकाय के विधिवत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भग लेने अथवा वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे एक यथाविधि प्राधिकृत प्रतिनिधी के रूप में नियुक्त करने संबंधी संकल्प की एक प्रति जिसको उस बैठक के अध्यक्ष जिसमें यह पारित किया गया था, द्वारा एक सत्य प्रतिलिपी के रूप में अभिप्रमाणित किया गया हो, बैठक की तारीख से 4 दिन पूर्व अर्थात् 11.06.2011 को सायं 5 बजे या इससे पहले प्र.का. लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के अंतर्गत् शेयर कक्ष, प्रथम तल, 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली —110008 प्राप्त हो जाना चाहिए।

कृपया नोट करें कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयरों एवं बैठकों) अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार, बैंक का कोई अधिकारी या कर्मचारी प्राधिकृत प्रतिनिधी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता।

4. पंजीकरण एवं उपस्थिति पर्चीः

शेयरधारकों को बैठक में भाग लेने की सुविधा प्रदान करने हेतु, दिनांक 16.06.2011 को प्रातः 9 बजे पंजीकरण प्रक्रिया, बैठक स्थल पर आरंभ होगी। शेयरधारकों को पंजीकरण औपचारिकताओं को पूर्ण करने हेतु बैठक में समय से पहले उपस्थित होने का अनुरोध है।

शेयरधारकों की सुविधा हेतु इस नोटिस के साथ उपस्थित पर्ची संलग्न है। शेयरधारकों / प्रॉक्सी धारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से उपस्थित पर्ची भ्रकर, उसमें दर्शाए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर करके, इसको बैठक स्थल पर सौंप दें। शेयरधारक के प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थिति पर्ची पर यथीस्थिति प्रॉक्सी या 'प्राधिकृत प्रतिनिधि' जैसी भी स्थिति हो, अंकित करना चाहिए। शेयरधारकों / प्रॉक्सी धारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों को सूचित किया जाता है कि बैठक में प्रवेश का अधिकार सत्यापन / जांच, जैसा भी आवश्यक समझा जाएगा, संबंधित होगा और उनको वैध पहचान जैसे मतदाता पहचान पत्र / नियोक्ता पहचान पत्र / पैन कार्ड / पॉसपोर्ट / ड्राईविंग लाईसेंस आदि को साथ में लाने की सलाह दी जाती है।

5. शेयर अंतरण एजेन्टों के साथ पत्र-व्यवहारः

शेयरधारक जिनके पास शेयर भौतिक स्थिति में है, से पंजीकृत पते में हुए परिवर्तनों की बैंक के शेयर अंतरण एजेन्टों को निम्न

1st floor, 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008, at least Four days before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on 11.06.2011 together with the Power of Attorney or other authority, if any, under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such Power of Attorney or other authority has been previously deposited and registered with the Bank.

3. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at Shares Cell, Head Office Accounts & Audit Department, 1st floor, 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008 at least four days before the date of the Annual General Meeting, i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on 11.06.2011.

Please note that any employee or officer of the Bank can not be appointed as authorized representative as per provisions of Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008.

4. REGISTRATION AND ATTENDENCE SLIP:

In order to facilitate the shareholders attending the meeting, Registration process will commence from 9.00 a.m. on 16.06.2011, at the venue. Shareholders are requested to be present for the meeting well in advance, to complete the Registration formalities.

For the convenience of the shareholders, attendance slip is annexed to this notice. Shareholders/Proxy Holders/Authorised Representative is requested to fill in, affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/ Authorised Representative of a shareholder should state on the attendance slip as 'Proxy' or 'Authorised Representative' as the case may be. Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives may note that the admission to the meeting will be subject to verification / checks, as may be deemed necessary and they are advised to carry valid proof of identity viz., Voters ID Card / Employer Identity Card / Pan Card / Passport / Driving license etc.

5. COMMUNICATION WITH THE SHARE TRANSFER AGENTS:

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their Registered

पते पर सूचना देने का अनुरोध हैंः लिंक इनटाईम इंडिया प्रा. लिमिटेड इकाईः पंजाब एण्ड सिंध बैंक, ए—40, दूसरा तल, नरायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेज—II, बत्ररा बैंकेट के पास, नई दिल्ली—110028 शेयरधारकों जिनके पास शेयर अभौतिक स्थिति में हैं, उक्त परिवर्तनों को अपने डिपॉजिटरी सहभागी को सूचित करें।

6. रजिस्टर का बंद होनाः

बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर एवं शेयर अंतरण रजिस्टर दिनांक 02.06.2011 से 16.06.2011 तक (दोनों दिनों सहित) (क) वार्षिक सामान्य बैठक एवं (ख) बैंक द्वारा घोषित लाभांश भुगतान करने हेत् बंद रहेंगे।

7. चुनाव में भाग लेने हेतु पात्र शेयरधारकों के लिए विशिष्ट तारीख को सुनिश्चित करनाः चुनाव में भाग लेने के लिए हकदार शेयरधारक

जिन शेयरधारकों का नाम कारोबारी घंटों अर्थात् 13.05.2011 (जो विशिष्ट "तिथि" के रूप में जानी जाएगी) को एनएसडीएल/ सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध कराए गए सदस्यों/लामर्थी के रजिस्टर पर हैं, सहभागिता करने हेतु पात्र होंगे अर्थात् नामित करने, चुनाव लड़ने और निदेशकों के चुनाव में वोट देने के लिए, शेयरधारकों के मध्य से, केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त, पात्र होंगे।

8. लाभाश का भुगतानः

बैंक के निदेशक मंडल ने 30.4.2011 को आयोजित अपनी बैंठक में वित्तीय वर्ष 2010—11 हेतु प्रत्येक रू. 10 / — के प्रति इक्विटी शेयर के लिए रू. 2 की दर से लाभांश संस्तुत किया गया है। निदेशक मंडल द्वारा संस्तुत तथा प्रथम सामान्य बैठक में अनुमोदित लाभांश का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा।

- क. दिनांक 01.06.2011 को कारोबार समय की समाप्ति पर नेशनल सिक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े के अनुसार इलेक्ट्रानिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में सभी लाभार्थी स्वामियों को।
- ख. दिनांक 01.06.2011 को कारोबार समय की समाप्ति को या इससे पूर्व बैंक / बैंक के रिजस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेन्ट अर्थात् मैसर्स लिंक इनटाईम इंडिया प्रा.लि. के पास दर्ज शेयर हस्तांतरण अनुरोध के संबंध में बैध हस्तांतरण प्रभावी करने के पश्चात भौतिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में सभी सदस्यों को।

Addresses, to the Share Transfer Agents of the Bank at the following address:

Link Intime India Pvt Ltd.

Unit: Punjab & Sind Bank

A-40, IInd floor, Naraina Indl. Area, Phase-II,

Near Batra Banquets, NEW DELHI-110 028.

Shareholders holding shares in dematerialised form are requested to intimate the aforesaid changes only to their depository participants.

6. CLOSURE OF BOOKS:

The Register of shareholders and the share transfer books of the Bank will remain closed from 02.06.2011 to 16.06.2011 (both days inclusive) in connection with (a) the Annual General Meeting; and (b) payment of the dividend, declared by the Bank.


7. SPECIFIED DATE FOR THE PURPOSE OF ASCERTAINMENT OF SHAREHOLDERS ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE ELECTION:

Those shareholder whose names appear on the Register of Members / Beneficial owners as furnished by NSDL/ CDSL as at the close of business hours on 13.05.2011 (hereinafter referred to as the "Specified Date") shall be entitled to participate i.e. nominate, contest and vote in election of directors from amongst Shareholders other than Central Government.

8. PAYMENT OF DIVIDEND

The Board of Directors of the Bank in its meeting held on 30.04.2011 has recommended a dividend of Rs. 2.00 (Rupees Two only) per equity share of Rs. 10/- each, for the financial year 2010-11. Dividend as recommended by the Board of Directors and approved at the 1st Annual General Meeting will be paid as under:

- a. To all beneficial owners in respect of shares held in electronic form as per the data as may be made available by the National Securities Depository Services Ltd. (NSDL) / Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) as of the close of business hours on 01.06.2011.
- b. To all the members in respect of shares held in physical form after giving effect to valid transfers in respect of transfer requests lodged with the Bank/ Bank's Registrar and Share Transfer Agent, i.e., M/s Link Intime India Pvt Ltd on or before the close of business hours on 01.06.2011.



 प्रथम वार्षिक बैठक की तिथि से 30 दिन के अन्दर पात्र शेयरधारकों को लाभांश वितरित किया जाएगा।

9. लाभाश अधिदेश / डाक पते में परिवर्तनः

- क. इलैक्ट्रोनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उनके संबंधित डिपाजिटरी खाते के पेटे पंजीकृत बैंक विवरणों को बैंक द्वारा लाभांश का भुगतान करने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। बैंक अथवा इसका रजिस्ट्रार एवं शेयर हस्तांतरण एजेन्ट, इलैक्ट्रोनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से सीधे ही प्राप्त ऐसे किसी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं करेगा जो बैंक विवरणों अथवा बैंक मेंडेट से संबंधित होंगे। ऐसे परिवर्तनों की सूचना केवल सदस्यों के डिपॉजिटरी सहभागी को ही दी जानी चाहिए।
- ख. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है
 कि यदि उनके पते में कोई परिवर्तन हो तो इसकी सूचना
 तत्काल बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेन्ट
 अर्थात् मैसर्स लिंक इनटाईम इंडिया प्रा.लि. को दें।
 इलैक्ट्रोनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को अपने पते
 में किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना अवश्य ही अपने
 संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी को देनी चाहिए। बैंक अथवा
 बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर हस्तांतरण एजेन्ट को सूचना
 देने की आवश्यकता नहीं है।
- ग. सदस्यों से अनुरोध है कि वो बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर हस्तांतरण एजेन्ट के साथ किसी भी प्रकार के पत्र व्यवहार में अपने संबंधित फोलियो नंबर (उनके लिए जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं) और अपना डीपी आईडी / ग्राहक आईडी नंबर (उनके लिए जिनके पास शेयर इलैक्ट्रोनिक रूप में हैं) का अवश्य ही उल्लेख करें।

10. दावा न किए गए लाभांश, यदि कोई हो:

शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 में संशोधन के फलस्वरूप बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) तथा वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 के महेनजर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि वो उक्त अधिनियम लागू होने के बाद घोषित लाभांश "अप्रदत लाभांश खाते" में अंतरित करें।

"अप्रदत लामांश खाते" में अंतरित राशि और अंतरण की तिथि से सात वर्ष की अविध हेतु बचे अदावाकृत / अप्रतद राशि को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 सी की उप धारा (1) के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाना अपेक्षित है। इस राशि का उपयोग को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 सी की उप धारा (1) के अंतर्गत उल्लिखित उद्देश्य तथा रूप में किया जाएगा और उसके पश्चात् इस संबंध में भुगतान के लिए कोई दावा बैंक को या फंड को प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

c. The dividends will be distributed to the eligible shareholders within thirty days from the date of 1st Annual General Meeting.

9. DIVIDEND MANDATE / CHANGE OF ADDRESS

- a) Members holding shares in electronic form are hereby informed that Bank particulars registered against their respective depository account will be used by the Bank for payment of dividend. The Bank or its Registrar and Share Transfer Agent can not act on any request received directly from the members holding shares in electronic form for any change of bank particulars or bank mandates. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Members.
- b) Members holding shares in physical form are requested to advise any change of address immediately to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, i.e. M/s Link Intime India Pvt. Ltd. Members holding shares in electronic form must send the advice about change in address to their respective Depository Participant only and not to the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.
- c) Members are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP ID / Client ID number (for those holding shares in electronic form) in any correspondence with the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.

10. UNPAID DIVIDEND, IF ANY

Shareholders are requested to carefully note that pursuant to amendment in Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 vide "The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) And Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, Public Sector Banks are required to transfer amount remaining unpaid/unclaimed in dividend accounts of earlier years on the commencement of the aforesaid Act, and also dividend declared after the commencement of the said Act, to "Unpaid Dividend Account".

The amount transferred to the said "Unpaid Dividend Accounts" and remaining unclaimed/unpaid for a period of seven years from the date of transfer, is required to be transferred to the Investors Education and Protection Fund established under sub-section (I) of section 205 C of the Companies Act, 1956, which shall be used for the purpose and in the manner specified in section 205 C of the Companies Act, 1956 and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof to the Bank or the Fund.

11. फोलियो का समेकन :

जिन शेयरधारकों के पास एक से अधिक खातों में अपने समरूप नाम से शेयर है, उनसे अनुरोध है कि वे रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट को शेयर प्रमाण—पत्रों के साथ ऐसे खातों हेतु लेजर फोलियो की सूचना दें तािक बैंक एक खाते में सभी धारित शेयरों का समेकन कर सकें। पृष्ठांकन संबंधी आवश्यक कार्रवाई करने के बाद, सदस्यों को शेयर प्रमाणपत्र यथासमय लौटा दिए जाएंगें।

12. सदस्यों से अनुरोधः

कृपया नोट करें कि वार्षिक सामान्य बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां वितरित नहीं की जाएगी। अतः शेयरधारकों / प्रॉक्सी धारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की प्रति साथ लेकर आएं।

13. शेयरधारकों के मताधिकारः

अधिनियम की धारा 3 (2ई) में दिए गए प्रावधानों की शर्तों के अनुसार, केन्द्र सरकार के अलाबा, बैंक का कोई भी शेयरधारक अपने द्वारा धारक शेयरों, बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार का 1 प्रतिशत से अधिक शेयर रखता है तो वह मताधिकार देने का पात्र नहीं होगा।

निदेशकों का चुनावः

14. बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने हेतु आवश्यक अहर्ताएं

अधिनियम की धारा 9 (3—ए) में दी गई शर्तों के अनुसार, आवेदक को बैंक का शेयरधारक होना चाहिए और जो अधिनियम की उपधारा (3) के खंड (i) के अनुसरण में निदेशक चुना जाना चाहता है, होना चाहिए:

- क) निम्न एक या अधिक मामलों में विशेष जानकारी या व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए जिनका नामः—
 - कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था
 - बैंकिंग
 - सहकारिता
 - अर्थशास्त्र
 - वित्त
 - कानून
 - लघु उद्योग
 - भारतीय रिज़र्व बैंक की दृष्टि में अन्य किसी मामले की विशेष जानकारी एवं व्यवहारिक अनुभव।
- ख) जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो, या
- ग) कृषकों, कामगरों एवं कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो।

अधिनियम की धारा 9 (3एए) की शर्तों के अनुसार आवेदक को बैंक का शेयरधारक होना चाहिए और बैंक का निदेशक बनने

11. CONSOLIDATION OF FOLIOS:

The shareholders who are holding shares in identical order of names in more than one account are requested to intimate Link Intime India Pvt. Ltd., the ledger folio of such accounts together with the share certificates to enable the Bank to consolidate all the holdings into one account. The share certificates will be returned to the Shareholders after making necessary endorsement in due course.

12. REQUEST TO MEMBERS:

Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives are requested to bring their copies of the Annual Report to the Annual General Meeting. No copy of the Annual report shall be provided at the venue of the Annual General Meeting.

13. VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS:

In terms of the provisions of Section 3 (2E) of the Act, no shareholder of the Bank, other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of one per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

ELECTIONOF DIRECTORS:


14. QUALIFICATION REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

In terms of Section 9(3-A) of the Act, a candidate being a Shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director under the clause (i) of Sub section 9(3) of the Act shall-

A) have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following matters namely:-

- agriculture and rural economy;
- banking;
- co-operation;
- economics;
- finance;
- law;
- small-scale industry;
- any other matter the special knowledge of and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank be useful for the Bank.
- B) represents the interest of depositors; or
- c) represent the interest of farmers, workers and artisans.

In terms of Section 9(3AA) of the Act a candidate being a shareholder of the Bank and would desire to be a



हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस संबंध में जारी 'फिट एव प्रोपर' दिशानिर्देशों के अनुसरण में होना चाहिए। आगे, चुने हुए निदेशक को कोवोनेंट का विलेख निष्पादित करना चाहिए और उसको भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में निर्धारित वार्षिक घोषणाओं को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

15. बैंक के निदेशक चुने जाने में अयोग्यताः

- क. राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विभिन्न प्रावधान) योजना,
 1980 की शर्त 10 के अनुसार, एक व्यक्ति को निदेशक के रूप में या नियुक्त होने से अयोग्य किया जा सकता है।
 - यदि उसको दिवालिया या भुगतान में चूक या अपने देनदारों से धोखाधड़ी की है; या
 - ii) यदि उसको पागल पया गया है और सक्षम अदालत द्वारा पागल करार दिया गया है; या
 - iii) यदि उसको क्रिमनल अदालत द्वारा किसी अपराध के लिए दंड दिया गया है जिसमें नैतिक पतन सम्मिलित है:
 - iv) यदि वह, किसी राष्ट्रीकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 के अंतर्गत गठित सहायक बैंक, पूर्ण—कालिक निदेशक के पद धारण के अलावा जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सम्मिलित है और अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड एवं (एफ) के अंतर्गत बैंक के कर्मचारियों में से नामित निदेशक के अतिरिक्त लाभ के पद पर आसीन है।

यदि वह भारतीय रिर्जव बैंक द्वारा दिनांक 01.11.2007 सं. डीबीओडी.न. बीसीनं. 46/29.39.001/2007-08 एवं सं. डीबीओडी.नं.बीसीनं. 47/29.39.001/2007-08 को जारी अधिसूचना के अनुसार, 'फिट एवं प्रोपर' नहीं पाया जाता है।

16. निदेशकों का कार्यकालः

योजना के खंड 9 (4) के अनुसार, एक चुना हुआ निदेशक तीन वर्ष हेतु पद पर बना रहेगा और पुनः चुनाव का पात्र होगा।

यद्यपि इस प्रकार का काई भी निदेशक छः वर्ष की अवधि से अधिक निदेशक के पद पर नहीं रह सकता।

शेयरधारकों के संज्ञान में लाया जाता है कि अधिनियम की धारा 9 (3बी) के अनुसार, उक्त अधिनियम की धारा 9 (3)(i) के अंतर्गत इस प्रकार चुने गए निदेशकों को हटाने का भारतीय रिजर्व बैंक के पास अधिकार है।

17. चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नमांकनः

 किसी भी उम्मीदवार का निदेशक हेतु नांमांकन तब तक वैद्य नहीं होगा यदि. Director of the Bank should posses 'Fit and Proper' status pursuant to guidelines issued by Reserve Bank of India in this regard. Further the elected Director should execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

15. DISQUALIFICATION FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK:

A. In terms of Clause 10 of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, a person shall be disqualified for being appointed as, and for being a Director:

- a) if he has at any time been adjudicated as insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
- b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent Court;or
- if he has been convicted by a criminal court of an offence which involves moral turpitude
- d) if he holds any office of profit under any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under Sub-Section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a whole-time director, including the Managing Director and directors nominated under Clause (e) and (f) of Sub-Section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank.

B. If he is not found to be 'Fit and proper' person in terms of Notification No. DBOD. No. BCNo. 46/29.39.001/2007-08 and .DBOD. No. BCNo. 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 issued by Reserve Bank of India

16. TENURE OF DIRECTORS:


Pursuant to Clause 9(4) of the Scheme, an elected director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election.

Provided that no such director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

Attention of Shareholders is invited to Section 9 (3B) of the Act, on the right of Reserve Bank of India to remove a director so elected under Section 9 (3) (i) of the said Act, who does not fulfill the requirements of Section 9 (3A) & (3AA) of the said Act.

17. NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION:

 No nomination of a candidate for election as a Director shall be valid unless.



- क) वह बैंक का शेयरधारक हो तथा दिनांक 13 मई 2011 जो कि निर्धारित तिथि है को उसके पास कम से कम 100 शेयर हो।
- ख) वह नामांकन की प्राप्ति की अंतिम तिथि अर्थात 1 जून, 2011 को बैकिंग कंपनीज (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 या राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधानों) योजना 1980 के अंतर्गत निदेशक के चयन हेतु अयोग्य घोषित न हुआ हो।
- ग) अधिनियम के अंतर्गत नामाकंन कम से कम ऐस 100 शेयरधारकों जो निदेशक का चयन करने के पात्र हों, द्वारा हस्ताक्षरित हो, वशर्ते कि किसी ऐसे शेयरधारक जो कि एक कंपनी के निदेशकों द्वारा एक मसौदा पास होने के बाद किया जाएगा और जहां वह इस प्रकार किया गया हो वहां वह संकल्प जिस सभा से पारित किया गया था, उस सभा के सभापति द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित उक्त संकल्प की एक प्रति बैंक के प्रधान कार्यालय के सहायक महा प्रबंधक, प्रधान कार्यालय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग (शेयर कक्ष) 21-राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली को प्रेषित की जाऐगी और ऐसी प्रति को इस प्रकार की कंपनी की ओर से किया गया नामाकंन माना जाऐगा।
- घ) उक्त नामांकन किसी न्यायधीश, मजिस्ट्रेट, बीमा पंजीयक या उप पंजीयक या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी राष्ट्रीकृत बैंक के किसी अधिकारी के समक्ष उक्त अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय के घोषणापत्र के साथ होगा कि वह नामाकंन स्वीकार करता है तथा चुनाव के लिए प्रत्याशी बनने का इच्छुक है तथा वह उक्त अधिनिमय या योजना या इन विनियमों के तहत किसी भी रूप में निदेशक बनने के लिए अयोग्य घोषित नहीं हुआ है।
- 2. कोई भी नांमांकन तब तक वैद्य नहीं होगा जब तक कि वह सभी सम्बद्घ प्रलेखों के साथ पूर्ण रूप से परिपूर्ण बैंक के प्रधान कार्यालय में सहायक महाप्रबंधक, प्रधान कार्यालय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग (शेयर कक्ष), 21 राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली—110008 को सभी कार्यदिवसों और नियम तिथि से कम से कम 14 दिन पहले अर्थात् 1 जून 2011 को सांय 5 बजे तक प्राप्त हो जाए।

18. नामांकन फार्मों को जमा करनाः

ऐसे शेयरधारक, केन्द्रीय सकार के अतिरिक्त जो बैंक के शेयरधारकों में से चुनाव में भाग लेना चाहते हों, उन्हें निम्न दस्तावेज जमा करने होंगे—


क) दिये गये प्रारूप में विधिवत् रूप से भरा हुआ (घोषणा पत्र) जो कि आचरण पत्र जैसे शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र, बायोडाटा, अनुभव प्रमाण पत्र व अन्य के साथ संलग्न हो:

- a) He/she is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares of the Bank as on, the 13th May, 2011 being the specified date for participating in the election :
- b) He/she is, as on 01st June 2011, being the last date for receipt of nomination not disqualified to be a Director under the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1980 or under Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980;
- c) the nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by a shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of Bank addressed to the Assistant General Manager, Head Office Shares Cell, Accounts & Audit Department, 21-Rajendra Place, New Delhi such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such company;
- d) the nomination is accompanied or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or any officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election and that he is not disqualified under the Act or the Scheme or these Regulations.
- 2. No nomination shall be valid unless it is received with all the connected documents complete in all respect, at the Head Office of the Bank addressed to the Assistant General Manager, Head Office Shares Cell, Accounts & Audit Department, 21, Rajendra Place, New Delhi 110 008 on working day not less than 14 days, before the date fixed for the meeting i.e., on or before the closing of business hours of the Bank on 01st June 2011 at 5.00 p.m.

18. SUBMISSION OF NOMINATION FORMS:

Shareholders desirous of contesting the election of Directors of the Bank from amongst the Shareholders other than the Central Government, should submit the following:

 a) duly filled in 'Declaration Form' as per format attached along with testimonials viz., biodata, certificates of educational qualification, experience;



- ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये संलग्न प्रारूप के अनुसार उम्मीदवार द्वारा घोषणा पत्र तथा अन्य आवश्यक संलग्नक और
- ग) बैंक के कम से कम 100 ऐसे शेयरधारक जिन्हें नामांकन करने का अधिकार हो, द्वारा प्रदत्त नामांकन पत्र, जिसका प्रारूप इस सूचना में दिया गया है एक मुहरबंद लिफाफे में जिसके ऊपर "शेयरधारकों के निदेशक हेतु नामांकन" लिखा हो को.

सहायक महाप्रबंधक, पंजाब एंड सिंध बैंक, प्रधान कार्यालय लेखा एंव लेखा परीक्षा विभाग (शेयर कक्ष) 21—राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली—110008.

को सभा के लिए नियत तिथि से कम से कम 14 दिन पहले अर्थात् 1 जून 2011 को सांय 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त हो जाना चाहिए अन्यथा नामांकन रद्द कर दिया जाएगा।

19. शेयरधारकों की सूची की उपलब्धताः

शेयरधारकों द्वारा चुनाव में भाग लेने के लिए, पंजाब एण्ड सिंध बैक (शेयर एवं सभा) विनियमन 2008 के अनुसार शेयरधारकों की सूची की प्रति 20 मई, 2011 से प्रधान कार्यालय में उपलब्ध होगी। जिसे शेयरधारकों द्वारा रू. 50,000 मूल्य के मांग पत्र द्वारा जो कि (पंजाब एण्ड सिंध बैंक) के पक्ष में तथा नई दिल्ली पर देय हो, द्वारा खरीदा जा सकता है।

20. नामांकनों की जांच:

- क) नामांकन प्राप्त होने की नियत तिथि के बाद पहले कार्य दिवस अर्थात् 2 जून 2011 को नामांकनों की जांच की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैद्य नहीं पाया गया तो उसको कारण बताते हुए रद्द कर दिया
- ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1–11–2007 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार नामांकनों की जांच, बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा भी की जायेगी।
- ग) यदि चयन द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए केवल दो वैद्य नामांकन हो तो ऐसे नामित उम्मीदवार को चुना हुआ मान लिया जाऐगा और उनका नाम और पता चुने गये निदेशक के रूप में प्रकाशित किया जाऐगा। ऐसी स्थिति में चुनाव के लिए आयोजित मीटिंग में चुनाव नहीं किया जाऐगा और यदि चुनाव के लिए पहले से ही मीटिंग बुला ली गई हो तो उसे रद्द माना जाऐगा।
- घ) यदि चुनाव कराया जाता है तथा वैद्य नामांकन निदेशकों
 की संख्या से अधिक हो तो जिस उम्मीदवार को सबसे

- b) "Declaration and Undertaking by Candidate" as per format attached pursuant to Fit & Proper Guidelines issued by Reserve Bank of India and required attachments thereat; and
- c) minimum of 100 Nomination Forms obtained from shareholders of the Bank who are entitled to nominate, in the format(s) annexed to this Notice, in a sealed envelope and super scribed "Nomination for Shareholder Director", to

The Assistant General Manager Punjab & Sind Bank Head Office, Shares Cell Accounts & Audit Department, 21 Rajendra Place, NewDelhi-110008


on any working day not less than fourteen days before the date fixed for the Annual General Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank on 01st June 2011 at 5.00 P.M. failing which, the nominations are liable to be rejected.

19. AVAILABILITY OF LIST OF SHAREHOLDERS:

To enable the Shareholders to contest the election, a copy of the list of shareholders as mentioned in Regulation 64 of Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations 2008 will be made available at the Head office of the Bank, from 20th May 2011 onwards for purchase by Shareholders on payment of Rs. 50,000/- [Rupees fifty thousand only] by demand draft in favour of Punjab & Sind Bank, payable at New Delhi.

20. SCRUTINY OF NOMINATIONS:

- a) Nominations shall be scrutinized on Thursday, the 02nd June 2011, the first working day following the date fixed for receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons therefore.
- b) Nominations shall also be subjected to Scrutiny by Nomination Committee of The Board in terms of the fit and proper Guidelines dated 1.11.2007 issued by the RBI.
- c) If there are only two valid nominations for the vacancies to be filled by election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his/her name and address shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting convened for the purpose and if the meeting had been called solely for the purpose of the aforesaid election, it shall stand cancelled
- In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of directors



ज्यादा वोट मिलेंगे उसे विजेता घोषित किया जाएगा।

- ड़) किसी विद्यमान रिक्ति को भरने के लिए चुने गये निदेशक के बारे में यह मान लिया जाएगा कि उसने उस तिथि से पदभार संभाला है जो उस दिन के बाद हो जिस दिन वह चुना गया था या चुना हुआ माना गया था।
- च) यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर एवं सभा) विनियमन 2008 के अनुसार निपटाया जाएगा।

21. नामांकन वापस लेनाः

यदि कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहता / चाहती है तो वह ऐसा 15 जून 2011 को सायं 5 बजे से पहले तक कर सकता / सकती है।

शेयर कक्ष

शेयरधारकों को तीव्र एवं प्रभावी सेवा प्रदान करने के लिए बैंक ने प्रधान कार्यालय में शेयर कक्ष की स्थापना की है। शेयरधारक एवं निवेशकर्ता निम्न पते पर किसी भी प्रकार की सहायता के लिए संपर्क कर सकते हैं—

कंपनी सचिव

पंजाब एंड सिंध बैंक.

प्रधान कार्यालय लेखा एंव लेखा परीक्षा विभाग (शेयर कक्ष)

21–राजेन्द्र प्लेस,

नई दिल्ली-110008.

टेलीफोन-011-25782926

अन्य जानकारी

शेयरधारक कृपया जान लें कि सभा में किसी भी प्रकार का उपहार/उपहार कूपन नहीं दिया जाएगा।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

स्थान नई दिल्ली पी के आनंद दिनांक 10 मई 2011 कार्यकारी निदेशक

निदेशकों का चुनाव—संबधित अधिनियमों, योजनाओं तथा विनियमनों आदि का सार

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 (3)(i) की शर्तों के अनुसार शेयरधारक निदेशकों की नियुक्ति धारा 3 की उप धारा 2 (बी) के खण्ड (सी) के अंतर्गत जारी पूंजी की सीमा पर निर्मर करती है। इस संबंध में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की संबंधित धारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980, राष्ट्रीकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना 1980

- to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to have been elected.
- A director elected to fill an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he/she is, or is deemed to be elected.
- f) If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008.

21. WITHDRAWAL OF NOMINATIONS:

If any candidate desires to withdraw his/her nomination, he/ she would be entitled to do so at any time prior to closing hours of the Bank on 15th June, 2011 at 5.00 P.M.

SHARES Cell

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, the Bank has set up a Shares cell at its Head Office, New Delhi, Shareholders and investor may contact this Cell at the under mentioned address for any assistance:

The Company Secretary, Punjab & Sind Bank, Head Office, Shares Cell, Accounts & Audit Department, 21 Rajendra Place, 1st floor, New Delhi-110008

Telephone: 011-25782926

OTHER INFORMATION


Shareholders may kindly note that no gift/gift coupons will be distributed at the meeting.

By Order of the Board of Directors

Place : New Delhi P.K.Anand
Date: 10th May 2011 Executive Director

ELECTION OF DIRECTORS - EXTRACTS OF RELEVANT ACTS, SCHEME AND REGULATIONS ETC.

In terms of Section 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, Shareholder Directors shall have to be appointed depending upon the extent of capital issued under Clause (c) of Sub-Section 2 (B) of Section 3. The relevant Sections of The Banking Regulation Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1980, Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions)



तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन 2008 के संबंधित विनियमनों को शेयरधारकों की जानकारी के लिए निम्नानुसार पुनःप्रस्तुत किया जा रहा है—

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949

सामान्य निदेशकों विषयक प्रतिबंध

16(1) भारत में निगमित किसी बैंकिंग कंपनी के निदेशक मण्डल में कोई व्यक्ति निदेशक नहीं होगा जो दूसरी बैंककारी कंपनी का निदेश है।

ऋण एवं अग्रिमों पर रोक धारा 20

- कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 77 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी कोई भी बैंककारी कंपनी—
- क) अपने ही शेयरों की प्रतिभूति पर ऋण एवं अग्रिम प्रदान नहीं कर सकती।
- ख) निम्नलिखित को उनकी ओर से ऋण एवं अग्रिम प्रदान करने के लिए वचनबद्ध नहीं कर सकती
- i) उसका कोई निदेशक
- ंं) कोई ऐसी फर्म जिसमें उसकी किसी निदेशक, भागीदारी/ प्रबंधक / कर्मचारी के रूप में अथवा गारंटीकर्ता के रूप में हितबद्ध है या
- iii) कोई ऐसी कंपनी (जो बैंकिंग कंपनी की सहायक या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत है या सरकारी कंपनी या सहायक या निंयत्रक कंपनी या बैंकिंग कंपनी का कोई निदेश उसका निदेशक, प्रबंधकीय ऐजेंट, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटीकर्ता है कि जिसमें उसका पर्याप्त हित है या
- iv) कोई व्यक्ति जिसके लिए उसका कोई निदेशक साझीदार या गारंटीकर्ता है।
- उहां कोई ऋण या अग्रिम बैंकिंग कंपनी द्वारा दिया जाना हो तो इसके लिए कोई वायदा नहीं किया जा सकता यदि उपधारा (1) के खण्ड (6) उस तिथि को लागू हो जिस तिथि को ऋण या अग्रिम दिया गया हो या बैंकिंग कंपनी द्वारा बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम 1968 (1968 का 58) की धारा 5 के लागू होने के बाद स्वीकृत किया गया हो, लेकिन इस प्रकार लागू होने से पूर्व किए गए वायदे को निभाने के लिए बैंकिंग कंपनी को देय ब्याज सहित ऋण एवं अंग्रिम राशि की वसूली के लिए उपाय करने चाहिएं, यदि ऋण या अग्रिम प्रदान करते समय विनिर्दिष्ट समय के अंतर्गत देय या जहां धारा (5) के लागू होने से एक वर्ष की समाप्ति से पूर्व ऐसा कोई समय विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

बशर्ते रिजर्व बैंक किसी भी स्थिति में बैंकिंग कंपनी द्वारा इस आधार पर किए गए किसी लिखित आवेदन पर ऋण एवं अंग्रिम Scheme, 1980 and relevant regulations of the Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008 respectively in this regard, are reproduced below for the information of the shareholders.

THE BANKING REGULATION ACT, 1949


Prohibition of Common Directors:

16 (1) No banking company incorporated in India shall have as a Director in its Board of Directors, any person who is a Director of any other Banking Company.

Restrictions on loans and advances: Section 20:

- Notwithstanding anything to the contrary contained in Section 77 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), no banking company shall –
- a) grant any loans or advances on the security of its own shares, or
- b) enter into any commitment for granting any loan or advance to or on behalf of
- i) any of its directors
- ii) any firm in which any of its directors is interested as partner, manager, employee or guarantor, or
- iii) any company not being a subsidiary of the banking company or a company registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or a Government Company of which or the subsidiary or the holding company of which any of the directors of the banking company is a director, managing agent, manager, employee or guarantor or in which he holds substantial interest, or
- iv) any individual in respect of whom any of its directors is a partner or guarantor.
- Where any loan or advance granted by a banking company is such that a commitment for granting it could not have been made if Clause (b) of Sub-Section (1) had been in force on the date on which the loan or advance was made, or is granted by a Banking Company after the commencement of Section 5 of the Banking Laws (Amendment) Act, 1968 (58 of 1968), but in pursuance of a commitment entered into before such commencement, steps shall be taken to recover the amounts due to the banking company on account of the loan or advance together with interest, if any, due thereon within the period stipulated at the time of the grant of loan or advance, or where no such period has been stipulated, before the expiry of one year from the commencement of the said Section 5.

Provided that the Reserve Bank may, in any case on any application in writing made to it by the Banking



की वसूली की अवधि इस तारीख तक बढ़ा सकता है लेकिन उल्लिखित धारा 5 के लागू होने से तीन वर्ष की अवधि से अधिक की तारीख नहीं होनी चाहिए तथा ऐसी शर्तें पर जो रिजर्व बैंक उचित समझता हो।

यदि जब सबंधित निदेशक मृत्यु, सेवानिवृति, त्यागपत्र या अन्य कारणों से बैंकिंग कंपनी के निदेशक कार्यालय को त्याग देता है तो उपरोक्त के अतिरिक्त यह उप धारा लागू नहीं होगी।

- उप धारा (2) के संदर्भ में कोई ऋण या अग्रिम या उसका कोई हिस्सा रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमित के बिना अदा नहीं किया जाएगा। ऐसी अनुमित के बिना कोई भी छूट अवैध होगी तथा इसका कोई प्रभाव नहीं होगा।
- 4. जहां उप धारा (1) को संदर्भित कोई ऋण या अग्रिम किसी व्यक्ति द्वारा देय है, जिसकी चुकौती बैंकिंग कंपनी को उप धारा में विनिर्दिष्ट अविध में नहीं की गई है तब ऐसे व्यक्ति को यदि वह ऐसी अविध की समाप्ति की तिथि को ऐसी बैंकिंग कंपनी का निदेशक है को ऐसी तिथि को यह माना जाए कि उसने कार्यालय छोड़ दिया है।

स्पष्टीकरण-इस धारा में

- क) ऋण एवं अग्रिम में ऐसा कोई लेन—देन शामिल नहीं होगा जोकि रिज़र्व बैंक लेन—देन की प्रकृति, अविध परिस्थितियां जिसके अंतर्गत देय राशि वसूली योग्य है, जमाकर्ता का हित तथा अन्य संबंधित प्रतिफल, सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट इस धारा के उद्देश्य हेतु ऋण एवं अग्रिम नहीं है।
- ख) निदेशक से अभिप्राय प्रबंधन, प्रबंधन के समस्त या उसके किसी कार्य में सलाहकार, हेतु बैंकिंग कंपनी द्वारा गठित किसी भारतीय समिति या मंडल के सदस्य से हैं।
- इस खण्ड के उद्देश्य हेतु क्या कोई लेनदेन ऋण है या अग्रिम है इस पर रिज़र्व बैंक का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980

निदेशक मंडल की संरचना

धारा 9 (3) (i) जहां धारा 3 की उपधारा 2(बी) के खण्ड (ग) के अंतर्गत पुंजी जारी की जाती है:—

- एक निदेशक को कुल प्रदत पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक नहीं
- ii) दो निदेशकों को कुल प्रदत्त पूंजी का 16 प्रतिशत से ज्यादा परंतु 32 प्रतिशत से ज्यादा नहीं दिया जाएगा।

Company in this behalf, extend the period for the recovery of the loan or advance until such date, not being a date beyond the period of three years from the commencement of the said Section 5 and subject to such terms and conditions as the Reserve Bank may deem fit.

Provided further that this Sub-Section shall not apply if and when the director concerned vacates the office of the director of the banking company, whether by death, retirement, resignation or otherwise.

- No loan or advance, referred to in Sub-Section (2), or any part thereof shall be remitted without the previous approval of the Reserve Bank, and any remission without such approval shall be void and of no effect.
- 4. Where any loan or advance referred to in Sub-Section (2), payable by any person, has not been repaid to the banking company within the period specified in that Sub-Section, then such person shall, if he is a director of such banking company on the date of the expiry of the said period, be deemed to have vacated his office as such on the said date.

Explanation - In this Section


- a) "Loan or advance" shall not include any transaction which the Reserve Bank may, having regard to the nature of the transaction, the period within which, and the manner and circumstances in which, any amount due on account of the transaction is likely to be realized, the interest of depositors and other relevant considerations, specify by general or special order as not being a loan or advance for the purpose of this section.
- b) "Director" includes a member of any board or committee in India constituted by a banking company for the purpose of managing, or for the purpose of advising it in regard to the management of, all or any of its affairs.
- If any question arises whether any transaction is a loan or advance for the purpose of this section, it shall be referred to the Reserve Bank, whose decision thereon shall be final.

THE BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ACT, 1980

Composition of the Board of Directors:

Section 9 (3) (i): Where the capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 is: -

- (I) Not more than sixteen per cent of the total paid-up capital, one Director.
- (II) More than sixteen per cent but not more than thirtytwo percent of the total paid-up capital, two Directors.



iii) तीन निदेशकों को कुल प्रदत्त पूंजी का 32 प्रतिशत से ज्यादा नहीं दिया जाऐगा।

केन्द्रीय सरकार के अलावा अपने शेयरधारकों के मध्य शेयरधारकों को चुना जाएगा।

इस खण्ड के अंतर्गत ऐसे किसी भी निदेशक के चयन के उपरांत प्रभार लेने के बाद खंड (ज) के अंतर्गत उतने निदेशक योजना में विनिर्दिष्ट नियमों के अंतर्गत सेवानिवृत हो जाएंगे।

विश्वस्नीयता और गोपनीयता का दायित्वः

खंड 13(2) प्रत्येक निदेशक—स्थानीय बोर्ड के सदस्य या कमेटी या आडिटर, सलाहकार, अधिकारी या अनुरूपी नये बैंक के अन्य कर्मचारी, अपने कर्तव्यों को संभालने से पहले तीसरी अनुसूची के अनुसार विश्वरनीयता की शपथ लेंगे।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1980

खंड 11: कार्यालय के निदेशकों की छुटिटयां आदि

- यदि कोई निदेशक खंड 10 के अंतर्गत अयोग्य होता है
 या वह लगातार बोर्ड की तीन सभा में बिना छुट्टी के
 अनुपस्थित रहता है तो उसका कार्य पद खाली माना
 जाएगा और उसके बाद उसका कार्य पद खाली हो
 जाएगा।
- ii) नियम के खंड 9 के उप खंड (3) के खंड (बी) या खंड (सी) क अंतर्गत संदर्भित अध्यक्ष या कार्यकारी निदेशक सहित पूर्ण कालिक निदेशक या एक निदेशक केन्द्रीय सरकार का लिखित में नोटिस देकर त्यागपत्र दे सकता है और उनका त्यागपत्र उसी सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो उनके द्वारा कार्यालय खाली करना माना जाएगा और अन्य निदेशक उसके उपरांत केन्द्रीय सरकार को लिखित में अपना त्यागपत्र देता है और इस त्यागपत्र को केन्द्रीय सरकार द्वारा त्यागपत्र स्वीकार करने के बाद मान्य माना जाएगा।
- iii) पूर्वगामी उप खंडों के प्रावधानों की पूर्वधारणा के बिना निदेशक का कार्यालय नियम के खंड 9 के उप खंड (3) के खंड (आई) या खंड (ई) के अंतर्गत तभी खाली हो जाएगा जब कोई कर्मकार निदेशक या किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक का कर्मचारी जो कि निदेशक है की मृत्य हो जाती है।
- iv) चयनित निदेशक के अतिरिक्त यदि किसी निदेशक के कार्यालय में कोई रिक्ति होती है, तो उसे अधिनियम के खंड 9 के उप खंड (3) के अंतर्गत भरा जाएगा।

खंड 11कः चयनित निदेशक को कार्यालय से हटानाः

केन्द्रीय सरकार के अलावा अन्य शेयरधारक जिनके पास अधिकतम शेयर हों जो कि सभी शेयरधारकों की शेयर पूंजी के (III) More than thirtytwo percent of the total paid-up capital, three Directors.

to be elected by the shareholders, other than the Central Government, from amongst themselves:

Provided that on the assumption of charge after election of any such Directors under this clause, equal number of Directors nominated under clause (h) shall retire in such manner as may be specified in the scheme.

Obligation as to Fidelity and Secrecy:

Section 13 (2): Every Director, member of a local board or a committee, or auditor, advisor, officer or other employee of a corresponding new bank shall, before entering upon his duties, make a declaration of fidelity and secrecy in the form set out in the Third Schedule.


NATIONALISED BANKS (MANAGEMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) SCHEME, 1980

Clause 11: Vacation of Office of Director, etc.

- i) If a Director becomes subject to any of the disqualification as specified in Clause 10, or is absent without leave of the Board for more than three consecutive meetings thereof, he shall be deemed to have vacated his office as such and thereupon his office shall become vacant.
- ii) The Chairman or a whole-time Director including the Managing Director or a Director referred to in Clause (b) or Clause (c) of Sub-Section (3) of Section 9 of the Act may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and on such resignation being accepted by that Government shall be deemed to have vacated his office; and any other Director may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and such resignation shall take effect on the receipt of the communication of the resignation by the Central Government.
- iii) Without prejudice to the provision of the foregoing Sub-Clauses, the office of the Director referred to in Clause (e) or Clause (f) of Sub-Section (3) of Section 9 of the Act shall become vacant as soon as the Director ceases to be a workman or an employee, other than a workman of the Nationalized Bank of which he is a Director.
- iv) Where any vacancy occurs in the office of a Director, other than an elected director, it shall be filled in accordance with Sub-Section (3) of Section 9 of the Act.

Clause 11A: Removal from Office of an Elected Director:

The Shareholders, other than the Central Government, may, by a resolution passed by the majority of votes



आधे से कम न हो तो वे एक मसौदा पास करके खंड 9 के उप खंड (3) के अंतर्गत खंड (आई) के अंतर्गत चयनित निदेशकों को कार्यालय से हटा सकते हैं और रिक्ति को भरने के लिए किसी अन्य व्यक्ति का चयन कर सकते हैं।

खंड 11 बी: चयनित निदेशक के कार्यालय में रिक्त को भरना:

- यदि किसी चयनित निदेशक की कार्यालय अविध समाप्त होने से पहले कोई रिक्ति होती है तो उस रिक्ति को चयन प्रक्रिया के माध्यम से भरा जाएगा, बशर्ते यदि रिक्ति छह महीने से कम अविध की हो तो उसे शेष निदेशकों द्वारा भरा जाएगा।
- 2. उप धारा (1) के अंतर्गत चयनित या सहयोजित व्यक्ति जैसा भी मामला हो, अपने पूर्वपदाधिकारी की शेष अवधि के लिए कार्यभार संभालेगा।

निदेशकों द्वारा अपनी अभिरूचि प्रकट करनाः

खण्ड 12(8) कोई भी निदेशक जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीयकृत बैंक की तरफ से किसी संविदा, ऋण समझौते या किसी प्रस्ताव में सम्मिलित होता है, जैसे ही संबंधित परिस्थितियों उसको पता चलता हैं तो उसे अपनी अभिक्रची के कारणों को बोर्ड को स्पष्ट कर देना चाहिए और जब तक किसी संविदा, ऋण समझौते या किसी प्रस्ताव से या किसी प्रस्ताव में सम्मिलित होने के मद्देनजर अन्य निदेशकों द्वारा सूचनाओं को प्रकाश में लाने के लिए उसकी उपस्थित अपेक्षित न हो वह व्यक्ति बोर्ड की सभा में भी उपस्थिति नहीं होना चाहिए और न ही उस निदेशक को ऐसे किसी संविदा, ऋण समझौते या किसी प्रस्ताव के लिए वोट देना चाहिए।

बशर्तें कि इस उपखंड में दिया गया कुछ भी ऐसे निदेशकों पर निम्न कारणों से लागू होगाः

- i) शेयरधारक (निदेशक के अतिरिक्त), जो कंपनी अधिनियम 1956(1956 का 1) के अनुसार किसी भी सार्वजनिक कंपनी में 2 प्रतिशत से अधिक शेयर रखता हो अथवा कानून के अंतर्गत स्थापित कोई भी निकाय, अथवा सार्वजनिक समिति, जिससे राष्ट्रीयकृत बैंक ने कोई समझौता, ऋण हेतु संव्यवहार या प्रस्ताव पारित किया हो या
- ii) कोई भी अधिकारी या राष्ट्रीयकृत बैंक को कोई अन्य कर्मचारी, जो अधिनियम के खंड 9 के उप खंड (3) के खंड (ई) या खंड (एफ) के अंतर्गत यदि निदेशक संदर्भित हो।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर और मीटिंग) विनियमन 2008

विनियमन 10 संयुक्त शेयरधारकों के अधिकारों का प्रयोगः

यदि कोई शेयर दो या अन्य व्यक्तियों के नाम से हों तो जिस व्यक्ति का नाम पहले लिखा हो, वोट करने, लाभांश लेने, नोटिस

of such Shareholders holding in aggregate, not less than one-half of the share capital held by all such Shareholders, remove any Director elected under Clause (i) of Sub-Section (3) of Section 9 and elect instead of another person to fill the vacancy.

Clause 11 B: Filling of Vacancy in the Office of an Elected Director:

- Where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of a elected Director, the vacancy shall be filled in by election; Provided that where the duration of vacancy is likely to be less than six months, the vacancy may be filled in by the remaining directors.
- A person elected or co-opted as the case may be, under Sub-Clause (1) shall hold office for the unexpired portion of the term of his predecessor.

Disclosure of Interest by Directors:

Clause 12 (8): A Director who is directly or indirectly concerned or interested in any contract, loan, arrangement or proposal entered into or proposed to be entered into by or on behalf of the Nationalized Bank shall, as soon as possible after the relevant circumstances have come to his knowledge, disclose the nature of his interest to the Board and shall not be present at the meeting of the Board when any such contract, loan, arrangement or proposal is discussed unless his presence is required by the other Directors for the purpose of eliciting information and no Director so required to be present shall vote on any such contract, loan, arrangement or proposal.


Provided that nothing contained in this Sub-Clause shall apply to such Director by reason of his being:

- i) A shareholder (other than a Director) holding not more than two percent of the paid up capital in any public company as defined in the Companies Act , 1956 (1 of 1956), or any corporation established by or under any law for the time being in force in India or any Co-operative Society, with which or to which the nationalized Bank has entered into or made or proposes to enter into or make, a contract, loan, arrangement or proposal, or
- ii) An officer or other employee of the nationalized bank, if he is a Director referred to in Clause (e) or Clause (f) of Sub-Section (3) of Section 9 of the Act.

PUNJAB & SIND BANK (SHARES AND MEETINGS) REGULATIONS, 2008

Regulation 10. Exercise of Rights of Joint Holders:

If any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as



देने और सभी या अन्य कोई मामला जो भी हो के लिए पूर्ण अधिकार होगा सिवाय पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयर हस्तांतरण करने का हक नहीं होगा।

शेयरधारकों की बैठक

विनियम 61. सामान्य बैठक में मतदानः

- i) किसी भी सामान्य बैठक में जब तक मतदान की मांग न की जाए बैठक में मत का निर्णय हाथ उठाकर ही किया जाएगा।
- ii) जैसा कि अधिनियम में अन्यथा वर्णित हो, सामान्य बैठक में प्रस्तुत सभी मुद्दे बहुमत के आधार पर निर्णित किये जाएंगे।
- iii) उप विनियम (i) के अंतर्गत जब तक कि चुनाव की मांग न की गयी है, बैंठक के अध्यक्ष द्वारा एक घोषणापत्र कि प्रस्ताव हेतु हाथ उठाकर रजामंदी सर्वसम्मति से अथवा निश्चित बहुमत से मांगी गई अथवा नहीं और रिकार्ड में कार्यवाही से संबंधित प्रविष्टि को, प्रस्ताव के विरुद्व अथवा समर्थन में पड़े मतों के प्रमाण के बिना भी निर्णायक साक्ष्य माना जाएगा।
- iv) किसी प्रस्ताव पर हाथ उठाकर रजामंदी देने के परिणाम घोषित होने पर या उससे पहले, बैठक के अध्यक्ष द्वारा निजी प्रस्ताव द्वारा और किसी एक शेयरधारक या शेयरधारकों की मांग पर, जो उस बैठक में उपस्थित हों या किसी प्रतिनिधि द्वारा जो बैंक का शेयरधारक हो, जो मसौदे के संबंध में कुल वोटिंग अधिकार के पांचवां हिस्सा रखता हो कि मांग पर मतदान का आदेश दे सकता है।
- v) जो व्यक्ति या व्यक्तियों जिन के द्वारा चुनाव की मांग रखी गई हो, वे इस मांग को कभी भी वापस ले सकते है।
- vi) स्थगन के प्रश्न पर या मीटिंग के अध्यक्ष के चुनाव की मांग तत्काल स्वीकार किये जाएंगे।
- vii) मीटिंग के अध्यक्ष के आदेशानुसार किसी अन्य प्रश्न पर चुनाव की मांग के समय से 48 घंटों के भीतर पूरा किया जाएगा।
- viii) किसी व्यक्ति की वोट डालने की योग्यता तथा किसी चुनाव में किसी व्यक्ति द्वारा वोट डालने की संख्या के निर्धारण में बैठक के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

विनियमन 63 सामान्य सभा में चूने जाने वाले निदेशकः

 अधिनियम के खंड 9 के उपखंड (3) के खंड (i) के अनुसार किसी निदेशक का चयन केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त regards voting, receipt of dividends, service of notices and all or any other matters connected with Punjab & Sind Bank except the transfer of shares, be deemed to be sole holder thereof.

MEETING OF SHAREHOLDERS

Regulation 61. Voting at General Meeting.

- At any general meeting, a resolution put to the vote of the meeting shall, unless a poll is demanded, be decided on a show of hands.
- Save as otherwise provided in the Act, every matter submitted to the general meeting shall be decided by a majority of votes.
- iii) Unless a poll is demanded under sub-regulation (i), a declaration by the Chairman of the meeting that a resolution on show of hands has or has not been carried either unanimously or by a particular majority and an entry to that effect in the books containing the minutes of the proceedings, shall be conclusive evidence of the fact, without proof of the number or proportion of the votes cast in favour of, or against such resolution.
- iv) Before or on the declaration of the result of the voting on any resolution on a show of hands, a poll may be ordered to be taken by the Chairman of the meeting of his own motion, and shall be ordered to be taken by him on a demand made in that behalf by any shareholder or shareholders present in person or by proxy and holding shares in the Bank which confer a power to vote on the resolution not being less than one fifth of the total voting power in respect of the resolution.
- The demand for a poll may be withdrawn at any time by the person or persons who made the demand.
- vi) A poll demanded on a question of adjournment or election of Chairman of the meeting shall be taken forthwith.
- vii) A poll demanded on any other question shall be taken at such time not being later than forty-eight hours from the time when the demand was made, as the chairman of the meeting may direct.
- viii) The decision of the Chairman of the meeting as to the qualification of any person to vote, and also in case of a poll, as to the number of votes any person is competent to exercise shall be final.

Regulation 63. Directors to be elected at General Meeting:

 A Director under Clause (i) of Sub-Section (3) of Section 9 of the Act shall be elected by the Shareholders on the register, other than the पंजाब एण्ड सिंध बैंक की सामान्य मीटिंग में रजिस्टर्ड शेयरधारकों में से ही किया जाएगा।

ii) यदि किसी सामान्य बैठक में निदेशक का चयन होता है तो इससे संबंधित सूचना बैठक की सूचना के साथ ही दे दी जाएगी। ऐसे सभी नोटिस में चयनित निदेशकों की संख्या और रिक्तयों का विवरण जिसके संबंध में चुनाव किया जाता है का पूरा विवरण स्पष्ट होना चाहिए।

विनियमन 64 शेयरधारकों की सूचीः

- i) विनियमन 63 के उप विनियम (i) के अंतर्गत निदेशकों के चयन के उद्देश्य के संबंध में, उन शेयर धारकों की एक सूची बनाई जाएगी जिनके द्वारा निदेशक का चयन होना है।
- ii) इस सूची में शेयरधारकों के नाम, उनके रजिस्टर्ड पते, शेयरों की संख्या तथा निर्दिष्ट संख्या तथा दिनांक जब उन्हें शेयर रजिस्टर्ड किये गये थे तथा जिस मीटिंग में वोट हुए उस मीटिंग की दिनांक तय करने के लिए और वोटों की संख्या और सूची की प्रतियां प्रबंध कमेटी द्वारा प्रधान कार्यालय में मांग पर बिक्री हेतु निर्धारित कीमत पर मीटिंग की दिनांक से कम से कम तीन सप्ताह पहले उपलब्ध होनी चाहिए।

विनियमन 67- चुनाव विवाद

- (i) चुने हुए माने दए या घोषित व्यक्ति की योग्यता या अयोग्यता के संबंध में या किसी निदेशक के चुनाव की वैधता के संबंध में किसी प्रकार का संदेह या विवाद उठने की स्थिति में अभ्यर्थी या शेयरधारक के रूप में हितबद्ध कोई ऐसा व्यक्ति जोऐसे चुनाव में मतदान करने का पत्र हो, ऐसे चुनाव के परिणाम की घोषणा किए जाने के सात दिनों के भीतर बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को लिखित रूप में उसकी सूचना दे सकता है तथा उक्त सूचना में चुनाव की वैधता के संबंध में उठने वाले संदेहों और विवादों के आधारों के संपूर्ण विवरण उपलब्ध कराएगा।
- (ii) उप विनियम (1) के अधीन किसी सूचना की प्राप्त पर बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंद निदेशक या उनकी अनुपस्थित में कार्यपालक निदेशक ऐसे संदेह या विवाद को निर्णय हेतु तुरंत उप समिति को भेजेंगे, जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक और उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (3) के खण्ड (ख) एवं (ग) के अधीन नामित में से किन्हीं दो निदेशकों का समावेश होगा।
- (iii) उप विनियम (ii) में उल्लिखित उक्त समिति ऐसे जांच करेगी जो उसे आवश्यक लगे और यदि उसे यह पता चलता है कि उक्त चुनाव वैध चुनाव था तो वह घोषित चुनाव परिणाम की पुष्टि करेगी अथवा यदि उसे यह पता चलता है कि उक्त चुनाव वैध नहीं था तो वह जांच प्रारंभ


- Central Government, from amongst themselves in the General Meeting of Punjab & Sind Bank.
- ii) where an election of a Director is to be held at any General Meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of Directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

Regulation 64. List of Shareholders:

- For the purpose of election of a Director under Sub-Regulation (i) of Regulation 63 of these regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the Director is to be elected.
- ii) The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting numbers of shares held by them with the dates on which the shares were registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchases atleast three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee, on application at the Head Office.

Regulation 67. Election Disputes:

- i) If any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed or declared to be elected, or as to the validity of the election of a director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman and Managing Director/Executive Director of Punjab & Sind Bank and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he doubts or disputes the validity of the election.
- ii) On receipt of an intimation under Sub-Regulation (i), the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of Punjab & Sind Bank shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman & Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the Directors nominated under Clause (b) and (c) of Sub-Section (3) of Section 9 of the Act.
- iii) The committee referred to in Sub-Regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was a valid election, it shall confirm the declared result of the election or, if it finds that the election was not a valid election, it



होने के 30 दिनों के भीतर नया चुनाव कराए जाने सहित ऐसे आदेश जारी करेगी ओर ऐसे निदेश देगी जो उन परिस्थितियों में समिति को न्यायोचित लगे।

(iv) इस विनियमन के अनुसरण में ऐसी समिति द्वारा किया गया कोई भी आदेश एवं निर्देश निर्णायक होगा।

शेयरधारकों के मताधिकार

विनियमन 68 मताधिकार का निर्धारण

- (i) उक्त अधिनियम की धारा 3 (23) में समाविष्ट प्रावधानों के अधीन ऐसे प्रत्येक शेयरधारक जो जिसे सामान्य सभा के पूर्व रजिस्टर बंद होने की तिथि को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, ऐसी सभा में हाथ उठाकर एक मत देने का अधिकार होगा।
- (ii) उक्त अधिनियम की धारा 3 (23) में समाविष्ट प्रावधनों के अधीन ऐसे प्रत्येक शेयरधारक को, जो उपयुक्तानुसार मतदान करने का पात्र है, जो कंपनी की हैसियत से नहीं व्यक्तिगत रूप से अथवा मुख्तार के माध्यम से उपस्थित हो अथवा जो कंपनी की हैसियत से विहित रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से या मुख्तार के माध्यम से उपस्थित हो हाथ उठाकर एक मत देने का अधिकारी प्राप्त होगा तथा मतदान की स्थिति में इसमें इसके ऊपर उप विनियम (i) में यथावर्णित उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मद देने का अधिकारी होगा।

स्पष्टीकरणः इस अध्याय के लिए कंपनी से अभिप्रायः है कोई भी निगमित निकाय।

(iii) सामान्य सभा में उपस्थित रहने और मतदान करने के पात्र बैंक के शेयरधारक किसी अन्य व्यक्ति (चाहे वह शेयर धारक हो या नहीं) को अपने मुख्तार के रूप में अपने स्थान पर सभा में उपस्थित रहने ओर मतदान करने हेतु नियुक्ति करने के हकदार होगें, किन्तु इस प्रकार नियुक्त मुख्तार को उक्त सभा में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।

विनियम 69 विहित रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान

- i) केंद्रीय सरकार या किसी कंपनी के रूप में जैसी भी स्थिति हो, कोई शेयरधारक संकल्प के द्वारा शेयरधारकों की किसी भी सामान्य सभा में अपने प्रतिनिधि के रूप में अपने किसी भी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकता है और इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति (इन विनियमों करता है उस कंपनी की और से उन्हीं अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जैसे कि वह बैंक का एकल शेयरधारक हो। इस प्रकार दिया गया प्राधिकार वैकल्पिक रूप में दो व्यक्तियों के पक्ष में हो सकता है और ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्तियों में से कोई भी एक व्यक्ति केन्द्रीय सरकार विवत्यों के विहित रूप में प्राधिकृत प्रतिनिध के रूप में कार्य कर सकता है।
- ii) कोई भी व्यक्ति बैंक के शेयरधारकों की किसी सभा में किसी कंपनी के विहित रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में तब

- shall, within 30 days of the commencement of the enquiry, make such order and give such directions including the holding of a fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.
- iv) An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS

Regulation 68. Determination of Voting Rights:

- Subject to the provisions contained in Section 3
 (2E) of the Act, each shareholder who has been
 registered as a shareholder on the date of closure
 of the register prior to the date of a General
 Meeting shall, at such meeting, have one vote on
 show of hands and in case of a poll shall have one
 vote for each share held by him.
- ii) Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a company, is present in person or by proxy or who being a company is present by a duly authorized representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in Sub-Regulation (i).

Explanation – for this Chapter, "Company" means any body corporate.

iii) Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

Regulation 69. Voting by Duly Authorised Representative:

- i) A shareholder, being the Central Government or a company, may by a resolution, as the case may be, authorize any of its officials or any other person to act as its representative at any General Meeting of the shareholders and the person so authorized (referred to as a 'duly authorized representative' in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or company which he represents, as if he were an individual shareholder of Punjab & Sind Bank. The authorization so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as a duly authorized representative of the Central Government / Company.
- ii) No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of Punjab & Sind Bank as

तक उपस्थित रहेगा या मतदान नहीं करेगा जब तक की उसे विहित रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में न नियुक्त किए जाने विषयक संकल्प की ऐसी प्रति जो जिस सभा में वह पारित किया गया थां उस सभा के सभापित द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित हो, सभा के लिए नियत तिथि से कम से कम चार दिन पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा नहीं कर दी जाती। कंपनी के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई भी व्यक्ति पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारकों की किसी भी मीटिंग में न तो उपस्थित होगा न ही वोट करेगा जब तक कि एक मसौदा जिसमें उसे प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किया गया हो उसी मीटिंग के अध्यक्ष द्वारा मसौदे की सत्यापित प्रति पंजाब एण्ड सिंध बैंक के प्रधान कार्यालय को मीटिंग की तिथि से कम से कम चार दिन पहले प्राप्त न हो जाए।

विनियम 70 प्रतिनिधिः

- i) प्रतिनिधि का कोई भी प्रपत्र तब तक वैद्य नहीं होगा जब तक कि एकल शेयरधारक के मामले में वह उस द्वारा या उसके प्राधिकृत एटार्नी द्वारा लिखित में हस्ताक्षरित न हो या संयुक्त शेयरधारकों के मामले में रजिस्टर में प्रथम नाम के शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षीरत या उस कि एटार्नी द्वारा लिखित में हस्ताक्षरित न हो या निगमित निकाय के मामले में उसे अधिकारी या एक एटार्नी द्वारा लिखित में हस्ताक्षरित न हो।
 - बशर्ते कि प्रतिनिध का प्रपत्र किसी अन्य शेयरधारक द्वारा विहित ढंग से हस्ताक्षीरत हो, जो कि किसी कारण से अपना नाम लिखने में असमर्थ है, यदि उसका चिन्ह उस पर लगा हो और किसी न्यायधीश, मिजस्ट्रेट, बीमा कंपनी के रिजस्ट्रार या उप रिजस्ट्राट द्वारा सत्यापित हो या अन्य कोई सरकारी राजपत्रित अधिकारी या पंजाब एण्ड सिंध बैंक का कोई अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित हो।
- ii) कोई भी प्रतिनिधि तब तक वैद्य नहीं होगा जब तक विधिवत मोहर लगी न हो और उसकी एक सत्यापित प्रति पंजाब एण्ड सिंध बैंक के प्रधान कार्यालय को मीटिंग की तिथि से कम से कम चार दिन पहले प्राप्त न हो जाए साथ ही पावर आफ एटार्नी या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके अंतर्गत उसको हस्ताक्षरित किया गया हो या उस पावर आफ एटार्नी या अन्य प्राधिकार की एक प्रति जो कि नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट से सत्यापित हो को पहले से ही जमा करा दिया गया हो और पंजाब एण्ड सिंध बैंक के पास रजिस्टेंड हो।
- iii) प्रतिनिधि का कोई भी प्रपत्र तभी मान्य होगा जब वह फार्म "बी" में हो।
- iv) प्रतिनिधि का कोई भी प्रपत्र जो कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक में जमा हो वह अप्रतिसहरणीय होगा।
- प) यदि प्रतिनिधि का प्रपत्र दो विकल्पी व्यक्तियों के नाम पर हो तो भी एक ही फार्म निष्पादित किया जाएगा।
- vi) इस विनियम के अंतर्गत प्रतिनिधि के प्रपत्र का गारंटीकर्ता को उस मीटिंग में वोट करने का अधिकार नहीं होगा जिस मीटिंग में यह प्रपत्र रखा जाना है।
- vii) कोई भी व्यक्ति पूर्ण प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जाएगा जो कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक का कर्मचारी या अधिकारी हो।


the duly authorized representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Punjab & Sind Bank not less than four days before the date fixed for the meeting.

Regulation 70. Proxies:

 No instrument of proxy shall be valid unless, in the case of an individual shareholder, it is signed by him or by his attorney duly authorized in writing or in the case of joint holders, it is signed by the Shareholder first named in the register or his attorney duly authorized in writing or in the case of the body corporate signed by its officer or an attorney duly authorized in writing;

Provided that an instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his name, if his mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Punjab & Sind Bank.

- ii) No proxy shall be valid unless it is duly stamped and a copy thereof deposited at the Head Office of Punjab & Sind Bank not less than four days before the date fixed for the meeting, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that power of attorney or other authority, certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with Punjab & Sind Bank.
- No instrument of proxy shall be valid unless it is in Form 'B'.
- iv) An instrument of proxy deposited with Punjab & Sind Bank shall be irrevocable and final.
- In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- vi) The grantor of an instrument of proxy under this regulation shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
- vii) No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of Punjab & Sind Bank.



निदेशक मंडल की रिपोर्ट

निदेशक मंडल 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट, तुलन—पत्र और लाभ—हानि खाते को प्रस्तुत करते हुए हर्ष का अनुभव करता है।

आर्थिक परिदृश्य

वैश्विक जगत के अनिश्चितता तथा तेजी से हो रहे परिवर्तनों के बीच भारत वर्ष कतिपय अवसर और चुनौतयों का सामना करते हुए इस वर्ष वित्तीय एकीकरण के चुने हुए पथ पर सहज उपायों से आर्थिक प्रगति की ओर अग्रसर हुआ।

वर्ष 2010—11 में भारत की प्रगति तेज और व्यापक आधारित रही। इस बीच आर्थिक व्यवस्था ने संकटपूर्व स्थिति को प्राप्त किया। जहाँ कृषि ने पूर्व स्थिति को प्राप्त किया वहीं उद्योग ने अपनी पहले वाली गति को प्राप्त किया। सेवा क्षेत्र में राष्ट्र ने करीब दो गुनी प्रगति को ज़ारी रखा। वित्तीय स्थिति प्रभावशाली रूप से सुदृढ़ हुई। इस वर्ष महत्वपूर्ण संस्थागत सुधारों में कतिपय उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिली, जिसे निकट भविष्य में दोगुना विकास प्राप्त किया जा सकेगा।

वर्ष 2010—11 में वास्तविक तथ्यों में भारत सरकार की जी.डी.पी. ने अनुमानतः 8.6 प्रतिशत की वृद्धि को प्रदर्शित किया है। कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र में अनुमानतः क्रमशः 5.4 प्रतिशत, 7.8 प्रतिशत एवं 9.6 प्रतिशत की अभिवृद्धि दर्शाई है। अर्थव्यवस्था नें दोनों बाह्य एवं घरेलू प्रभावों को सहकर अदभुत रूप से वापसी की है।

चालू वर्ष के दौरान बाहरी क्षेत्र की विकासात्मक गतिविधियां उत्साह जनक रही हैं तथा व्यापार कार्य निष्पादन में सुधार आया। निर्यात में 29.4 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई, जो बढकर 184.6 बिलियन अमरीकी डालर हो गया जबिक अप्रैल से जनवरी 2010—11 के दौरान गत वर्ष की तुलना में इस अविध के आयात में 17.60 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए यह 273.6 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। चालू खाता घाटा 2009—10 के स्तर के आस—पास रहा और अपनी वित्तीय संघटना के फलस्वरूप यह कितपय चिन्ताजनक है।

वर्ष 2010—11 के दौरान मुद्रा आपूर्ति (एम—3) 15.9% (वर्ष दर वर्ष) थी जो धीमी जमा—वृद्धि तथा मुद्रा विकास में तेजी के कारण भारतीय रिज़र्व के प्रक्षेप्रवक सूचक के 17% से नीचे थी। उच्च मुद्रा मांग में धीमेपन से धन की बहुबिध मांग को धीमा कर दिया। इसके फलस्वरूप, आरक्षित धन में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद एम—3 वृद्धि धीमी हुई।

1 जुलाई 2010 से न्यूनतम मानदंड मूल ऋण दर प्रणाली को मूल दर प्रणाली में परिवर्तित किया गया और 67 बैंकों की मूल दरें जो कि 7.5–9.5 प्रतिशत की परिधि में थी, जिनका कुल बैंक ऋणों में 98 प्रतिशत का योगदान है।

वर्ष 2010—11 के दौरान, ऋण विकास जोकि विभिन्न क्षेत्रों तथा उद्योगों में व्यापक आधार लिए हुए था एवं मूलभूत ढ़ांचे से पूर्व अनुप्रमाणित स्थिति तथा मांग के दबावों को गति प्रदान की। सेवा क्षेत्र के अर्तगत, रिटेल, आवास तथा व्यक्तिगत ऋणों के साथ—साथ परिवहन संचालनों, पर्यटन, होटल एवं रेस्टोरेंट तथा व्यावसायिक रियल एस्टेट में ऋण के प्रवाह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

DIRECTORS' REPORT

The Board of Directors has pleasure in presenting Annual Report of the Bank alongwith with the Balance Sheet & Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2011.

ECONOMIC SCENARIO

In a globalized world with its share of uncertainties and rapid changes, this year brought some opportunities and challenges as India moved ahead with steady steps on the chosen path of fiscal consolidation and higher economic growth.

India's growth in 2010-11 has been swift and broad based. The economy is back to its pre-crisis growth trajectory. While agriculture has shown a rebound, industry regained its earlier momentum. Service sector continued its near double digit growth. Fiscal consolidation was impressive. The year also saw some significant progress in those critical institutional reforms that would set the pace for double digit growth in the near future.


The GDP of India is estimated to have shown growth at the rate of 8.6 per cent in the real terms in 2010-11. Agriculture/Industry/Service Sector is estimated to have grown at the rate of 5.4 per cent, 7.8 per cent and 9.6 per cent respectively. The economy has thus shown remarkable resilience to both external and domestic shocks.

The developments in the external sector during the current year have been encouraging & trade performance has improved. Exports have grown at the rate of 29.4 per cent to reach USD 184.6 billion while imports at USD 273.6 billion have recorded a growth of 17.60 per cent during April to January 2010-11 over the corresponding period last year. The current account deficit is around 2009-10 level and poses some concerns because of composition of its financing.

The money supply (M3) growth at 15.9 per cent (year-on-year) during 2010-11 was lower than the Reserve Bank's indicative trajectory of 17 per cent due to slow deposit growth and acceleration in currency growth. The higher currency demand slowed the money multiplier. Consequently, M3 growth slowed despite a significant increase in reserve money.

The Base Rate system replaced the Benchmark Prime Lending Rate system (BPLR) with effect from July 1, 2010. The Base Rates of 67 banks, with a share of 98 per cent in the total bank credit, were in the range of 7.5-9.5 per cent.

During the year 2010-11, credit growth which was earlier driven by infrastructure sector became increasingly broad based across sectors and industries evidencing growth momentum and demand pressures. Credit flow to services sector increased significantly for transport operators, tourism, hotel and restaurant and commercial real estate besides retail, housing and personal loans.



वर्तमान आर्थिक परिदृश्य के अंतर्गत, बैंक ने 21.50 प्रतिशत की जमा वृद्धि तथा 30.83 प्रतिशत की ऋण वृद्धि दर्ज की है। बैंक के कार्य निष्पादन का ब्यौरा यहाँ पर दिया जा रहा है:

बैंक कार्य-निष्पादन 2010-11

सकल व्यापार

दिनांक 31.03.2010 को बैंक के कुल सकल व्यापार रूपए 81,894 करोड़ की अपेक्षा वर्ष 31.03.2011 की समाप्ति के दौरान, बैंक के कुल व्यापार रूपए 1,02,556 करोड़ होने से बैंक व्यवसाय में 25.23% की वृद्धि दर्ज की गई।

लाभ

बैंक में सकल लाभ में 3.41% की वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2009—10 के रूपए 508.80 करोड़ के शुद्ध लाभ से रूपए 526.17 तक पहुँचा दिया। बैंक का परिचालन लाभ वर्ष 2009—10 में रूपए 877.57 करोड़ था, जिसमें 15.49% की वृद्धि दर्ज की और अब यह रूपए 1013.50 करोड़ है।

जमा राशियां

बैंक की कुल जमा राशि में 21.50% की वृद्धि दर्ज की गई। 31 मार्च 2010 को कुल जमा राशि 49,155 करोड़ थी जोकि 31 मार्च 2011 को बढ़कर रूपए 59,723 करोड़ हो गई, जो 10,568 रूपए शुद्ध अभिवृद्धि दर्शाती है। बैंक की जमा राशियों की औसत लागत पिछले वर्ष की 6.32% की तुलना में 6.19% रही।

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के परिणामों की प्रमुख बातें

(रूपए लाखो में)

	समाप्त वर्ष		प्रतिशत
	31.03.2011	31.03.2010	परिवर्तन
ब्याज आय	493251	393418	25.38
अन्य आय	43708	41181	6.14
कुल आय	536959	434599	23.55
कुल व्यय	435610	346842	25.59
परिचालन लाभ	101350	87757	15.49
शुद्ध लाभ	52617	50880	3.41
आस्तियों पर प्रतिफल	0.90%	1.05%	-
शुद्ध ब्याज मार्जिन (एन.आई.एम.)	2.66%	2.45%	-
सकल अनर्जक आस्तियां	0.99%	0.63%	-
शुद्ध अनर्जक आस्तियां	0.56%	0.36%	-
पूजी पर्याप्तता अनुपात (%)	11.94%	11.74%	-
पूजी पर्याप्तता अनुपात (%) (बेसल ॥)	12.94%	13.10%	-
ईपीएस	26.40	26.98	-

Under the present Economic Scenario, Bank registered the deposit growth of 21.50% & Credit Growth of 30.83%. The detail of the Bank's Performance is illustrated hereunder:

BANK'S PERFORMANCE - 2010-11 TOTAL BUSINESS

During the year ended 31.03.2011, total gross Business of the Bank recorded an increase of 25.23% at Rs.1,02,556 crore as compared to Rs.81,894 crore as on 31.03.2010.

PROFIT

The Bank has posted 3.41% growth in Net Profit to Rs. 526.17 crore from Rs.508.80 crore during 2009-10. Operating profit of the Bank increased by 15.49% at Rs.1013.50 crore in comparison to Rs. 877.57 crore in 2009-10.

DEPOSIT

The total deposit of the Bank registered a growth of 21.50% with Net accretion of Rs.10,568 crore to reach Rs 59,723 crore as on March 31, 2011 from Rs.49,155 crore as on March 31, 2010. The average cost of deposits of the bank stood at 6.19% compared to 6.32% in previous year.

Highlights of Results For The Year Ended 31st March 2011

(Rs in Lacs)

	Year I	%age	
	31.03.2011	31.03.2010	change
Interest Income	493251	393418	25.38
Other Income	43708	41181	6.14
Total Income	536959	434599	23.55
Total Expenditure	435610	346842	25.59
Operating profit	101350	87757	15.49
Net Profit	52617	50880	3.41
ROA	0.90%	1.05%	-
Net Interest Margin (NIM)	2.66%	2.45%	-
Gross NPA%	0.99%	0.63%	-
Net NPA(%)	0.56%	0.36%	-
Capital Adequacy Ratio (%)	11.94%	11.74%	-
Capital Adequacy Ratio(%) (Basel II)	12.94%	13.10%	-
EPS	26.40	26.98	-

पूंजी एवं आरक्षित निधि

बैंक ने वर्ष के दौरान बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से रूपए 10 प्रति शेयर की दर से 4,00,00,000 ईिक्वटी शेयर को रूपए 120 / — के मूल्य पर जारी किया। कटऑफ मूल्य रूपए 120 / — था जब कि फुटकर निवेशकों और कर्मचारी श्रेणी के अंतर्गत आवेदकों को 5% की छूट दी गई। बैंक ने रूपए 470.82 करोड़ (जिसमें रूपए 430.82 करोड़ का प्रीमियम सम्मिलित है) की पूंजी जुटाई जिसके कारण भारत सरकार के हिस्से में 17.93% से कमी हुई इस प्रकार बैंक की प्रदत्त पूंजी में वर्ष के दौरान रूपए 423.06 करोड़ से वृद्धि हुई जिसका विवरण निम्न है:

(रूपए करोड़ में)

विवरण	(31.03.2011)	(31.03.2010)
इक्विटी पूंजी	223.06	183.06
बेमियादी गैर संचयी अधिमान शेयर (पीएनसीपीएस)	200.00	200.00
कुल	423.06	383.06

दिनांक 31.03.2010 को बैंक की शुद्ध मालियत रूपए 2128.23 करोड़ थी जो कि दिनांक 31.03.2011 को बढ़कर रूपए 3048.83 करोड़ हो गयी।

बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल II) दिनांक 31.03.2011 को 12.94% था जबकि इसके लिए न्यूनतम निर्धारित आवश्यकता 9% के साथ कोर सी.आर.ए.आर 8.35% है।

अग्रिम

दिनांक 31.03.2010 के कुल रूपए 32,738.67 करोड़ के अग्रिम में 30.83% की वृद्धि दर्ज करते हुए दिनांक 31.03.2011 को बैंक के कुल अग्रिम रूपए 42,832,62 करोड़ हो गए। अग्रिमों पर औसत प्रतिफल पिछले वर्ष के 10.45% की तुलना में दिनांक 31.03.2011 को 10.31% हो गया।

साख पत्र तथा बैंक गारंटी कारोबार 31.03.2010 की स्थितिनुसार रूपए 2,340.01 करोड़ से बढ़कर रूपए 3,267.44 करोड़ रूपए हो गया हैं, जो वित्तीय वर्ष 2010—11 के दौरान 39.63% वृद्धि का द्योतक है।

बैंक ने ऋण के कारोबार का विविधिकरण किया है। बैंक का अग्रिम क्षेत्र विभाग विविध योजनाओं पर कार्यरत है। आवास, सूक्ष्म एवं लघु उपक्रम(एम.एस.ई.) शिक्षा संस्थान, आधारभूत ढ़ाचा तथा उद्योग जैसे वरीयता प्राप्त क्षेत्रों में बैंक के कारोबार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

बैंक ने अपने सुपरिभाषित ऋण वृद्धि एवं नियंत्रण प्रणाली के माध्यम से अपने ऋण कारोबार पर इसकी गुणवत्ता और कार्य—निष्पादन को बनाए रखने हेतु निगरानी को जारी रखा है। बैंक के मानक ऋण कारोबार लगातार कुल अग्रिमों को 99% से ऊपर रहे।

CAPITAL & RESERVE

During the year the Bank issued 4,00,00,000 equity shares of Rs.10 each for cash at a price of Rs.120/-by way of Book Building process. The cutoff price was Rs.120/-, while retail investors and applicants under employees' category were allowed discount of 5%. The Bank raised Rs.470.82 crore (including premium of Rs. 430.82 crore) which resulted in dilution of the Government of India share by 17.93% thus increasing the Paid-up Capital of the Bank during the year to Rs.423.06 crore as detailed below:

(Amount in Rs. crore)

Particulars	(31.03.2011)	(31.03.2010)
Equity Capital	223.06	183.06
Perpetual Non- cumulative Preference Shares (PNCPS)	200.00	200.00
Total	423.06	383.06

The Net Worth of the Bank has however improved from Rs.2128.23 crore as on 31.03.2010 to Rs. 3048.83 crore as on 31.03.2011.

The Capital Adequacy Ratio (Basel II) of the Bank is 12.94% as on 31.03.2011 against the minimum stipulated requirement of 9% with core CRAR at 8.35%.

ADVANCES

The Bank's Advances increased by 30.83% from Rs.32,738.67 crore as on 31.03.2010 to Rs. 42,832.62 crore as on 31.03.2011. The average yield on Advances stood at 10.31% as on 31.03.2011 compared to 10.45% during the last year.

Letter of Credit and Bank Guarantee business of the bank also increased to Rs.3267.44 crore as on 31.03.2011 from Rs.2340.01 crore as on 31.03.2010 thereby registering growth of 39.63% during FY 2010-11.

The Bank has diversified portfolio of Advances. There was notable credit growth in exposure to preferred sectors like Housing, Micro & Small Enterprises (MSE), Educational institutions, Infrastructure and Industry.

The Bank, through its well laid down Credit Growth & Monitoring System, continues to closely monitor its advances portfolio to maintain its quality and performance. The Standard Advances Portfolio continues to be above 99% of total Advances.

प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम

बैंक के प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम 31.03.2010 को 10753 करोड़ रूपए से बढ़कर 31.03.2011 को 13249 करोड़ रूपए हो गए जो कि समायोजित शुद्ध बैंक ऋणों का 40.4% है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010—11 में बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र के लक्ष्य प्राप्त कर लिए है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्राथमिकता क्षेत्र के लक्ष्य प्राप्ति के प्रमुख अंग रहे।

कृषि ऋण दिनांक 31.03.2010 के 5063 करोड़ रूपए से बढ़क्र 31.03.2011 को 5993 करोड़ रूपए हो गए जो कि समायोजित शुद्ध बैंक अग्रिम का 18.3% है। बैंक काश्तकारों और अलिखित पट्टेदार किसानों सहित लघु एवं सीमांत किसानों को 5% वार्षिक की सस्ती दर पर व्यापक रूप से ऋण उपलब्ध कराता रहा है।

विशेष कृषि ऋण योजना (एसएसीपी)

बैंक ने कृषि को ऋण प्रवाह बनाए रखने के साथ विगत कई वर्षों में निरंतर निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति 100% से अधिक की। इस वर्ष, बैंक ने विशेष कृषि ऋण योजना (एसएसीपी) के निर्धारित रूपए 4450 करोड़ रूपए के लक्ष्य के विरुद्ध 5213 करोड़ रूपए संवितरित किए है जो कि 117.15% है। विगत तीन वर्षों का कार्यनिष्पादन निम्न प्रकार है:

PRIORITY SECTOR ADVANCES

Priority Sector advances of the Bank increased from Rs. 10753 crore as on 31.3.2010 to Rs. 13249 crore as on 31.3.2011 constituting 40.4% of Adjusted Net Bank Credit. The Bank has thus achieved Priority Sector target for the year 2010-11. Thrust in poverty alleviation schemes has been the hallmark of the attainment of Priority Sector.

Agriculture credit increased from Rs.5063 crore as on 31.3.2010 to Rs. 5993 crore as on 31.3.2011 constituting 18.3% of Adjusted Net Bank Credit. Bank continued to provide credit to small & marginal farmers including tenant farmers and oral lessees at cheaper interest rate of 5% p.a.

SPECIAL AGRICULTURAL CREDIT PLAN (SACP)

The Bank maintained Credit Flow to Agriculture achieving more than 100% of the allocated target consistently over the past several years. This year, Bank disbursed Rs.5213 crore under Special Agriculture Credit Plan against the target of Rs.4450 crore, achieving 117.15%. The performance for the last three years is as under:

(रूपए-करोड़ों में) / (Amt. in crore)

	2008-09			2009-10			2010-11	
Yearly Target/ वार्षिक लक्ष्य	Achievement प्राप्त लक्ष्य	%age प्रतिशत	Yearly Target वार्षिक लक्ष्य	Achievement प्राप्त लक्ष्य	%age प्रतिशत	Yearly Target वार्षिक लक्ष्य	Achievement प्राप्त लक्ष्य	%age प्रतिशत
3015	3295	109.30%	3860	8355	216.46%	4450	5213	117.15%

वर्ष 2010—11 के दौरान, बैंक ने 506 स्वयं सहायता समूहों को 5.58 करोड़ रूपए संवितरित किए।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एम.एस.एम.ई.)

प्राथमिकता क्षेत्र, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, बैंक की ऋण नीति में महत्व वाले क्षेत्र रहे हैं। वर्ष 2010—11 के दौरान, एमएसएमई क्षेत्र के अग्रिमों में 17.8% की वृद्धि जो कि रूपए 6900 करोड़ रही। यह भारत सरकार द्वारा निर्धारित वर्ष दर वर्ष की 20% की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। आस्ति गुणवत्ता एवं प्राथमिकता क्षेत्र में विविधीकरण के साथ, एमएसएमई ऋण संवितरण में संवृद्धि हुई है।

अनुसूचित जाति/जनजाति के ऋणियों को अग्रिम


अनुसूचित जाति / जनजाति के ऋणियों को अग्रिम दिनांक 31.03.2010 के 287.66 करोड़ रूपए से बढ़ कर 31.03.2011 को 295 करोड़ रूपए था जो कि बैंक द्वारा उक्त पर विशेष ध्यान देने के कारण हुआ। During the year 2010-11 the Bank has disbursed Rs.5.58 crore to 506 Self Help Groups.

MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES (MSMEs)

Micro Small & Medium Enterprises sector is a thrust area of the Bank in its Credit Policy. Advances to MSME sector increased by 17.8% during the year 2010-11 to Rs. 6900 crore against GOI stipulation of 20% Y-O-Y growth. MSME credit dispensation has increased with special focus on the asset quality and diversified growth in Priority Sector.

ADVANCES TO SC/ST BORROWERS

Advances to SC/STs rose to Rs.295 crore during the year 2010-11 against Rs.287.66 crore as on 31.3.2010 as a consequence of special focus thrust given by the Bank.



अल्प संख्यक समुदाय/महिला उद्यमियों का कल्याण

31.03.2011 की स्थितिनुसार अल्प संख्यक समुदायों को 15% के राष्ट्रीय लक्ष्यों के सापेक्ष कुल अग्रिमों का 28.51% वित्तपोषण हुआ है और महिला उद्यमियों को 5% के राष्ट्रीय लक्ष्यों के सापेक्ष 4.91% ऋण दिए गए हैं।

शैक्षणिक ऋण

पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित शैक्षणिक ऋणों में बैंक ने लगातार उच्चतर स्थिति को प्राप्त किया है:

- छात्राओं को स्वीकृत नए शैक्षणिक ऋणों पर लागू कार्ड़ दर पर 0.50% की ब्याज रियायत।
- वैब आधारित ऑन लाईन शैक्षणिक ऋण आवेदन प्रणाली को लागू किया गया है।
- आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्ग के छात्रों द्वारा लिए गए, शैक्षणिक ऋण की मोहलत अवधि के लिए ब्याज उपदान की केन्द्रीय योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है।

(रूपए-करोडों में)

अवधि	ऋण प्रदान किए गए विद्यार्थियों की संख्या	बकाया राशि
2008—2009	6717	179.15
2009—2010	7209	204.22
2010-2011	7444	218.35

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर.एस.ई.टी.आई.एस.)

- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की पहल के अनुरूप हमारे बैंक नें पंजाब राज्य के लुधियाना, मोगा और फरीदकोट जिलों में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर.एस.ई.टी.आई.एस.) की स्थापना की है।
- बैंक नें प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण कालेज में परिवहन सुविधा की दृष्टि से इन सभी तीनों (आर.एस.ई.टी.आई.एस.) में बसें उपलब्ध कराई।
- बैंक के सभी तीन अग्रणी जिलों मोगा, फरीदकोट और लुधियाना में वित्तीय साक्षरता परामर्श केन्द्र (एफ.एल.सी.सी.) मौजूद हैं।

बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

हमारे बैंक द्वारा प्रायोजित आर.आर.बी. सतलुज ग्रामीण बैंक पंजाब के छः जिले यथा भठिण्डा, फरीदकोट, मंसा, मुक्तसर, मोगा तथा लुधियाना स्थापना काल से ही लाभ में चल रहे हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों नें निम्नानुसार विभिन्न पैरामीटरों में निरन्तर प्रगति की है:

WELFARE OF MINORITY COMMUNITY/ WOMEN ENTREPRENEURS:

Lending to Minority Communities was 28.51% of total advances as on 31.3.2011 against national target of 15% and advances to Women Entrepreneurs stood at 4.91% of total advances against national target of 5%.

EDUCATION LOANS

Bank's exposure for Education Loans has shown a consistent upward trend during last three years through:

- Interest concession of 0.50% on the applicable card rate on fresh Education loan sanctioned to Girl students
- Web Based online Education loan application system was put in place.
- Implementation of Central scheme to provide interest subsidy for the moratorium period of Education Loan availed by students from economically weaker sections.

(Rs. in crore)

Periods	No. of students financed	Amount Outstanding
2008-09	6717	179.15
2009-10	7209	204.22
2010-11	7444	218.35

RURAL SELF EMPLOYMENT TRAINING INSTITUTES (RSETIS)

- In accordance with the initiative of Ministry of Rural Development, GOI, our Bank has established Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs) at Ludhiana, Moga and Faridkot districts of Punjab State.
- The Bank has provided buses in all three RSETIs to facilitate transportation of the trainees to the training college from the hinterland.
- Bank has Financial Literacy Counseling Centers (FLCCs) in all the three lead districts of the Bank i.e. Moga, Faridkot and Ludhiana.

RRB SPONSORED BY THE BANK

Sutlej Gramin Bank, Bhatinda, the RRB sponsored by our Bank, covering six districts of Punjab namely, Bhatinda, Faridkot, Mansa, Muktsar, Moga and Ludhiana, is in profit since inception. The RRB made consistent progress in various parameters as under –

(रूपए-करोड़ों में)

	31.03.2011	31.03.2010
जमाएं	221.72	195.48
कुल अग्रिम	157.82	116.58
प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम	147.98	106.33
कृषि अग्रिम	128.35	90.27
शुद्ध लाभ	1.68	1.63
शुद्ध गैर निष्पादित आस्तियाँ	0.12%	0.40%

वित्तीय समावेशन

- बैंक ने 2000 से ऊपर की जनसंख्या वाले 387 गैर बैंकिंग गाँवों के लिए एक वित्तीय समावेशन योजना (एफ.आई.पी.) तैयार की है।
- सभी आबंटित गाँवों में निम्न विभाग वितरण माध्यमों के जरिए बैंकिंग सेवायें प्रदान करने की योजना तैयार की है :—
 - 1. 20 गावों में ब्रिक एण्ड़ मार्टार शाखायें खोलना।
 - 367 गावों में व्यावसायिक कोरस्पोन्डेंट लगाकर आई.सी.टी. आधारित स्मार्ट कार्ड माडल द्वारा जोडना।

वित्तीय समावेशन के विस्तार के साथ ही वर्ष 2010-11 में 200 गाँवों को बैंकिंग सेवायें उपलब्ध कराई गई हैं।

क्रम संख्या	बैंकिंग आउटलेट	सम्मलित किए गए गाँव
1.	ब्रिक एण्ड़ मार्टार	10
2.	व्यावसायिक कोरस्पोन्डेंट	190
3.	ज़ारी स्मार्ट कार्डों की संख्या	200

- वर्ष 2010–11 के दौरान एफ, आई, पी, के अन्तर्गत 2000 से अधिक जनसंख्या वाले गैर बैंकिंग आबंटित गाँवों में 67821 वित्तीय समावेशन खाते खोले गए हैं।
- आबंटित गाँवों सहित बैंक में 4.42 लाख वित्तीय समावेशन खाते खोले गए हैं।

यू. आई. डी. ए. आई. परियोजना

बैंक ने आधार के पंजीकरण के लिए यू.आई.डी.ए. आई के साथ एम. ओ.यू. पर हस्ताक्षर किये हैं। प्रधान कार्यालय में मार्गदर्शक परियोजना की शुरूआत की गई जिसमें 1200 कर्मचारियों तथा उनके परिवारों ने अपना नामांकन कराया।

नई पहल

 बैंक नें खाद्यान्नों के भण्ड़ारण के लिए गोदामों के निर्माण हेतु वित्तपोषण के लिए भारतीय खाद्य निगम के लिए योजना तैयार की है।

	31.03.2011	31.03.2010
Deposits	221.72	195.48
Total Advances	157.82	116.58
Priority Sector Advances	147.98	106.33
Agriculture Advances	128.35	90.27
Net Profit	1.68	1.63

(Rs. in crore)

0.40%

FINANCIAL INCLUSION

Net NPA

 Bank has prepared a Financial Inclusion Plan (FIP) for covering 387 unbanked villages with population above 2000 by March 2012.

0.12%

- It is planned to provide banking services in all the allocated villages through delivery channels viz.,
 - 1. Opening of brick and mortar branches in 20 villages.
 - Through ICT based Smart Card Model by engaging BCs in 367 villages.

While expanding coverage of Fls, 200 villages have been provided with banking services in 2010-11.

S.No	Banking Outlet	No of villages covered
1.	Brick and Mortar branches	10
2.	Business Correspondents	190
3.	No. of Smart cards issued	200


- 67821 Financial Inclusion accounts have been opened in the allotted unbanked villages with population above 2000 under FIP during the year 2010-11.
- 4.42 lacs Financial Inclusion accounts have been opened in the bank including allotted villages.

UIDAI PROJECT

The Bank has signed MOU with UIDAI for enrolment of AADHAAR. A pilot project was initiated in Head Office wherein 1200 members of staff and their families were enrolled.

NEW INITIATIVES

 Scheme formulated for financing of construction of godowns for FCI for storage of food grains



- राष्ट्रीय बल्क हैण्ड़िलंग कार्पोरेशन लिमिटेड़ द्वारा संचालित भण्ड़ार गृहों को भण्ड़ार गृह द्वारा ज़ारी रसीदों के बंधक के विरूद्ध वित्तपोषण की योजना तैयार की गई।
- डेयरी उद्यमी विकास योजना

आस्ति गुणवत्ता

बैंक ने वर्ष के दौरान गैर—निष्पादक आस्तियों की वसूली के लिए समन्वित प्रयासों को ज़ारी रखा है। वसूली के उत्तरोत्तर एवं केन्द्रीयकृत प्रयासों के फलस्वरूप 288.02 करोड़ रूपए से ऊपर की वसूली हुई जिसमें बट्टाकृत खातों में 115.66 करोड़ रूपए की वसूली शामिल है।

गत वर्ष की तुलना में 31.03.2011 की स्थितिनुसार निवल एवं शुद्ध गैर–निष्पादक आस्तियों की स्थिति इस प्रकार है:

(रूपए–करोडों में)

गैर—निष्पादित आस्तियाँ	दिनांक 31.03.2010 को		दिनांक 31.03.2011 के	
सकल	206.15	0.63%	424.28	0.99%
निवल	116.63	0.36%	237.94	0.56%

भा.रि.बै. की 70% प्रतिशत अपेक्षा के प्रति बैंक का प्रावधान आवृत्त अनुपात 81.82% के संतोषजनक स्तर पर रहा।

निवेश प्रबंधन एवं विदेशी विनिमय

बैंक का कुल निवेश बैंक की निगमित आवश्यकताओं, जोखिम अवधारणा तथा निवेश नीति के अनुरूप कारोबारी संरचना के साथ 3.97 प्रतिशत बढक्र चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 18701.28 करोड रूपए हो गया।

प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ गत वर्ष के 109.06 करोड़ रूपये की तुलना में इस वर्ष 75.16 करोड़ रूपये रहा जो अधिमानतः चालू वर्ष के दौरान सतत् वृद्धि के फलस्वरूप घटित हुआ है। साथ ही, बैंक तकनीकी दृष्टि से बट्टा खाते ड़ाले गए खातों में 35.34 करोड़ रूपए की निवल राशि की वसूली करने में समर्थ रहा है और इस राशि को लाभ में समायोजित किया गया है।

इस तथ्य के बावजूद कि वैश्विक वित्तीय संकट से प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों को अभी भी उबरना है, विदेशी विनिमय टर्न ओवर में 10.28% की वृद्धि हुई है। गत वर्ष की तुलना में विदेशी विनिमय लाभ में 36.31% की वृद्धि हुई है।

वर्ष के दौरान बैंक ने अपनी निश्चित शाखाओं के जिरए सोने के सिक्कों की बिक्री शुरू की है। 115.00 किलो ग्राम के सोने के 5, 8, 10 ग्राम वजन के सोने के सिक्कों का स्विजरलैंड़ से आयात किया गया, जिसमें से 31.03.2011 तक 108.00 किलो ग्राम वजन के सिक्कों की बिक्री की गई।

- Scheme formulated for financing against pledge of ware-house receipts issued by ware-houses managed by National Bulk Handling Corporation Ltd.
- Dairy Entrepreneurship Development Scheme.

ASSET QUALITY

The Bank continued to make concerted efforts for recovery of NPAs during the year. The aggressive and focused efforts in recovery could result in the total recovery of over Rs.288.02 crore including recovery of Rs.115.66 crore in Written Off Accounts.

The position of Gross and Net NPAs as on 31.03.2011 vis-à-vis previous year is as under:

(Amt in Rs. crore)

NPA	As on 31.03.2010		PA As on 31.03.2010 As on 31.03.		31.03.2011
Gross	206.15	0.63%	424.28	0.99%	
Net	116.63	0.36%	237.94	0.56%	

The Provisioning Coverage Ratio of the Bank stood at healthy level of 81.82% as against 70% required by RBI.

INVESTMENT MANAGEMENT & FOREIGN EXCHANGE

The Bank's gross total investment increased by 3.97% during current financial year to Rs.18701.28 crore, with a portfolio composition consistent with the corporate requirement, risk perception and Investment Policy of the Bank.

The profit on Sale of Securities for the year was Rs.75.16 crore as against Rs.109.06 crore for the previous year, primarily on account of rising yields during the course of the current year. Further, the Bank was able to effect recovery of an aggregate amount of Rs.35.34 crore in the technically written-off cases of the Investment Portfolio and the said amount has been appropriated towards the profits.

There has been an increase of Forex Merchant Turnover by 10.28% despite the fact that major international markets have still to come out of global financial crisis. There has been increase of 36.31% in the Exchange Profit as compared to previous year.

During the year, Bank launched sale of gold coins from designated branches of the Bank. Gold coins in denominations of 5, 8 & 10 grams aggregating to 115.00 Kg. were imported from Switzerland, out of which coins weighing 108.00 Kg were sold up to 31.03.2011.

जोखिम प्रबंधन

बैंक ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके जोखिम परिभाषित जोखिम क्षमता के भीतर हैं और उनकी पर्याप्त रूप से निगरानी की जाती है। एक सुदृढ़ एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली को कार्यरूप दिया है। बैंक में जोखिम क्षमता तथा प्रभावी जोखिम प्रबंधन कायम करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व बैंक के निदेशक मंडल एवं शीर्षस्थ बैंक प्रबंधन पर है। बैंक में एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन की निगरानी प्रधान कार्यालय जोखिम प्रबंधन विभाग (आर.एम.डी) द्वारा की जाती है, जिसके प्रमुख मुख्य महा प्रबंधक है।

निम्नलिखित शीर्षस्थ समितियों के माध्यम से ज़ोखिम प्रबंधन किया जाता है:

- जोख़िम प्रबंधन सिमिति (आर.एम.सी) एक बोर्ड स्तरीय उपसिमिति
- 2. ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सी.आर.एम.सी)
- 3. आस्ति एवं देयतायें प्रबंधन समिति (एलको)
- 4. संचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओ.आर.एम.सी)

ये समितियाँ जोखिम प्रबंधन समिति (आर.एम.सी) / निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सम्यक् मार्गदर्शी—निर्देशों तथा नीतियों की परिधि में अपना काम करती है।

नीति तंत्र

बंक के समक्ष विभिन्न जोखिमों को मापने, प्रबंधन एवं नियंत्रण करने के लिए बैंक ने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियाँ तथा कार्यविधियाँ बनाई हैं। बैंक के समस्त प्रकार के जोखिमों के विश्लेषण तथा बैंक के सभी जोखिमों को एकीकृत करने के उद्देश्य से एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की गई है। अन्य महत्वपूर्ण जोखिम नीतियों में आस्ति देयता प्रबंधन (ए.एम.एल.) नीति, निवेश नीति, ऋण नीति, जोखिम आधारित आंतरिक लेखा—परीक्षा (आर. बी.आई.ए.), ऋण लेखा—परीक्षा देशीय जोखिम प्रबंधन नीति, डैरिवेटिव नीति, परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति, व्यवसाय सतत् आयोजना (बी.सी.पी) तथा आपदा वसूली प्रबंधन (डी.आर.एम.) नीति, स्ट्रेस टैंस्टिंग नीति, ऋण जोखिम कम करने की नीति, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया नीति शामिल हैं। आर.एम.सी / निदेशक मंडल द्वारा वार्षिक आधार पर इन नीतियों की समीक्षा की जाती है।

बैंक का बेसल-II के साथ अनुपालन

भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियामक दिशा—निर्देशों के अनुसार बैंक ने 31.03.2009 को प्रभावी तिथि से नई पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क को अपनाया है। बेसल-II के आधार पर बैंक ने, पूंजी प्रभार की संगणना के लिए, ऋण जोखिम हेतु मानक दृष्टिकोण, बाजार जोखिम हेतु फ्पांतरित अवधि दृष्टिकोण तथा परिचालनगत जोखिम हेतु मूल संकेतक दृष्टिकोण को अपनाया है। बैंक बेसल-I तथा बेसल-II के दिशा—निर्देशों के अंतर्गत समानांतर आधार पर पूंजी की तुलना में

RISK MANAGEMENT

The Bank has put in place a robust and integrated Risk Management system to ensure that the risks assumed by it are within the defined risk appetites and are adequately monitored. The overall responsibility of setting the Bank's risk appetite and effective risk management rests with the Board and apex level management of the Bank. The implementation of Integrated Risk Management System in the Bank is monitored by HO Risk Management Department (RMD) headed by Chief General Manager.

Risk is managed through following Apex committees viz.


- Risk Management Committee (RMC)- a board level subcommittee
- 2. Credit Risk Management Committee (CRMC)
- 3. Asset and Liabilities Management Committee (ALCO) and
- 4. Operational Risk Management Committee (ORMC) These committees work within the overall guidelines and policies approved by the Risk Management Committee (RMC) / Board.

POLICY FRAMEWORK

The Bank has Board approved policies and procedures in place to measure, manage and control various risks that the Bank is exposed to. Integrated Risk Management Policy has been formulated with the objective of analyzing the overall risk profile of the bank and to integrate all the risks of the Bank. The other important risk policies comprise of Asset-Liability Management (ALM) Policy, Investment Policy, Loan Policy, Risk Based Internal Audit (RBIA), Credit Audit, Country Risk Management Policy, Derivatives Policy, Operational Risk Management Policy, Business Continuity Planning (BCP) & Disaster Recovery Management (DRM) Policy, Stress Testing Policy, Policy on Utilization of Credit Risk Mitigation and ICAAP Policy. The policies are reviewed annually by the RMC / Board.

BANK'S COMPLIANCE WITH BASEL-II

In terms of Regulatory Guidelines of Reserve Bank of India, the Bank has adopted the New Capital Adequacy Framework w.e.f. 31.03.2009. Based on Basel II norms, the Bank has adopted Standardised Approach for Credit Risk, Modified Duration Approach for Market Risk and Basic Indicator Approach for Operational Risk for computing the capital charge. The Bank is computing the Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) on parallel



जोखिम भारित आस्तियों के अनुपात (सी.आर.ए.आर) की संगणना करता है। बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सी.आर.ए.आर की तिमाही आधार पर पुनरीक्षा की जाती है। बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार बेसल-॥ के अंतर्गत उन्नत दृष्टिकोण की ओर बढ़ने की निर्धारित समय सीमा के अनुपालन की तैयारी की है।

आई.सी.ए.ए.पी. नीति

बेसल-II, पिलर-2 — "पर्यवेक्षणीय समीक्षा एवं मूल्यांकन प्रक्रिया (एस.आर.ई.पी)" विषयक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा—िनर्देशों के अनुपालन में यह सुनिश्चित करने के लिए कि पूंजी आवश्यकता का मूल्यांकन, बैंक के आकार, जटिलता का स्तर, जोखिम प्रोफाइल तथा संचालन की परिधि के अनुरूप है, आतंरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आई.सी.ए.ए.पी) नीति को तैयार किया है। विभिन्न अविशष्ट जोखिमों का निर्धारण किया जाता है तथा जहाँ अपेक्षित हो वहाँ अतिरिक्त पूंजी का प्रयोजन किया जाता है। वर्तमान तथा अनुमानित वित्तीय / पूंजीगत स्थिति के विश्लेषण तथा गुँजाइश के आधार पर बैंक की पूंजीगत पर्याप्तता का निर्धारण किया जाता है।

विभिन्न स्ट्रेस परिस्थितियों से होने वाले सम्भावित प्रभावों का बैंक की लाभप्रदता की क्षमता के संदर्भ में आघात सहन करने तथा बैंक की पूंजी पर इसके परवर्ती प्रभाव के मूल्यांकन के लिए स्ट्रेस टैस्ट अभ्यास भी किया जाता है।

प्रकटीकरण

बेसल-II पिलर—3 — "बाज़ार अनुशासन" विषयक भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शी—निर्देशों के अनुपालन में बैंक ने निदेशक—मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित प्रकटीकरण नीति लागू की है और इस नीति के अनुसार तिमाही/छः माही/वार्षिक आघार पर इन्हें बैंक की बैबसाईट/वार्षिक रिपोर्ट में प्रदर्शित किया जाता है।

ऋण जोखिम

ऋण जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं में इसकी पहचान, आकार, ऋण कारोबार पर निगरानी व नियंत्रण शामिल है। ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सी.आर.एम.सी) द्वारा ऋण जोखिम तथा नीति निर्माण का प्रबंधन किया जाता है। इस समिति द्वारा उद्योग, कार्पोरेट, रिटेल तथा व्यक्ति / समूह ऋणकर्त्ताओं की विवेकपूर्ण सीमाओं की निगरानी नियमित रूप से की जाती है।

एक व्यापक ऋण रेटिंग फ्रेमवर्क जिसमें ऋण रेंटिंग जोखिम माडलों को कारपोरेट तथा रिटेल ऋणों के लिए जोखिम निर्धारण से संबंधित ऋणों का मूल्यांकन तथा ऋण रेंटिंग के लिए, उद्योगों/पोर्टफोलियों का अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए और ऋण रेंटिंग के उत्प्रवासों के लिए प्रयोग किया जा रहा है।

पूंजी के संरक्षण तथा अनुकूलतम उपयोगिता को हासिल करने के उद्देश्य से बेसल-II के मानदण्ड़ों की संचालन स्तर पर जानकारी दी जा रही है तथा उसमें निरन्तर बढोतरी की जा रही है। basis under Basel-I and Basel-II guidelines. The CRAR position of the Bank is reviewed by the Board on a quarterly basis. Bank has geared up to maintain time schedule for moving towards advanced approaches under BASEL II, as suggested by RBI.

ICAAP POLICY

In compliance with the Reserve Bank of India guidelines on Basel II – Pillar 2- Supervisory Review and Evaluation Process (SREP), the Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Policy has been formulated to assess the capital requirement commensurate with the size, level of complexity, risk profile and scope of operations of the Bank. Various residual risks are assessed and additional capital is provided for wherever required. The capital adequacy of the Bank is assessed based on the analysis of current and projected financial/capital position as well as the headroom available.

Stress Testing exercises are also undertaken to assess the likely impact of various stress situations in relation to capacity of Bank's profitability to absorb the shock and consequent impact on Bank's capital.

DISCLOSURE

In compliance with the Reserve Bank of India guidelines on Basel II – Pillar 3 – Market Discipline, the Bank has put in place a Disclosure Policy, duly approved by the Board and the disclosures on Quarterly / Half yearly / Annual basis as per the policy are displayed in the Bank's Website / Annual Report.

CREDIT RISK

Credit Risk management processes involve identification, measurement, monitoring and control of credit exposures. Credit risk and its policy formulation is managed by Credit Risk Management Committee (CRMC). It regularly monitors prudential caps in different loan segments including industry, corporate, retail and individual/group borrowers.

Comprehensive credit rating framework comprising of Credit Risk Rating Models for Corporate and Retail Loans, pricing of loans linked to risk assessment and credit rating, study & analysis of industries/portfolio and migration of credit ratings is undertaken.

Awareness of Basel II norms at the Operating level is created and continuously enhanced to achieve the aim of conservation and optimum use of capital.

बाजार जोखिम

ब्याज दरों तथा मुद्रा दरों में परिवर्तन के फलस्वरूप बैंक का पोर्टफोलियो बाजार जोखिम उठाने के लिए तैयार है।

बैंक में आस्ति देयता समिति (एलको) बाज़ार जोखिम से संबंधित कामकाज की निगरानी करती है। बैंक ने विभिन्न बाजार जोखिम माप प्रणाली व साधनों को लागू किया है। विभिन्न परिसीमाओं का सख्ती से पालन तथा उल्लंघनों में वृद्धि, यदि कोई हो, का उचित अनुसरण किया जाता है।

तरलता प्रबंधन तंत्र सुस्थापित है, जोिक देय होने पर, बैंक के समस्त भुगतान दायित्वों को पूरा करने के सामर्थ्य को संरक्षित करता है। यह बैंक की तरलता जोिखम स्थिति को पहचानने, मापने तथा संचालन करने के लिए बनाया गया है।

बैंक विनियामक दिशा—निर्देशानुसार रूपांतरित अवधि पद्धित का उपयोग करके मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार बाज़ार जोखिम प्रभार की संगणना करता है। बैंक अपने विदेशी विनिमय पोर्टफोलियों पर भी जोखिम मूल्य (वी.ए.आर)की गणना करता है।

बैंक, कभी—कभी लेकिन सम्भाव्य घटनाओं से उत्पन्न तरलता और ब्याज दर जोखिमों से होने वाले सम्भावित जोखिमों को उजागर करने के लिए, समय—समय पर स्ट्रेस टैस्ट अभ्यास करता है। किसी भी एक जोखिम कारक से होने वाली बदत्तर स्थिति का अध्ययन किया जाता है और उसके प्रभाव को दूर करने के लिए संभावित हल निकाले जाते हैं।

परिचालनगत जोखिम

परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओ.आर.एम.सी.) परिचालनों से जुड़े जोखिमों से संबंधित मामलों पर निगरानी रखती है और आकस्मिक/अनिवार्य स्थितियों में व्यवसाय की सतत/पुनः स्थापना सुनिश्चित करती है। वर्तमान में परिचालनगत जोखिम संबंधी पूंजी प्रभार मूल संकेतक निधि के अनुसार संगणित किया जाता है। बैंक ने परिचालनगत जोखिम के अभिकलन हेतु उन्नत विधि को अपनाने के लिए जोखिम हानि के आंकड़ों के संग्रहण की प्रक्रिया भी प्रारम्भ कर दी है।

संगठन एवं सहायता सेवा

वर्ष के दौरान 47 नई शाखाओं तथा एक करेंसी चेस्ट के खुलने के फलस्वरूप 31.03.2011 की तिथि पर अखिल भारतीय उपस्थिति के अनुसार 965 शाखायें तथा 12 करेंसी चेस्ट मौजूद हैं।

प्रधान कार्यालय में स्थापित केन्द्रीय पेंशन संसाधन केन्द्र 01.12.2010 की प्रभावी तिथि से कार्यरत है तथा केन्द्र सरकार के पेंशनरों को पेंशन का संवितरण अब प्रारम्भ हो गया है।

मानव संसाधन प्रबंधन

प्रशिक्षण तथा मानव संसाधन विकास

प्रशिक्षण मानव संसाधन विकास का एक अभिन्न अंग है। बैंकिंग उद्योग में मौजूदा प्रतिस्पर्धा के माहौल में विशेष तौर से स्टाफ को

MARKET RISK

The Bank's portfolio is exposed to market risk on account of changes in interest rates and currency rates.

In the bank, the Asset Liability Committee (ALCO) is overseeing the functions relating to market risk. The Bank has put in place a variety of market risk measurement systems and tools. Strict adherence to various limits and proper escalation of breaches, if any, are followed.

The Liquidity Management Framework is well established, which safeguards the ability of the Bank to meet all payment obligations when they become due. It is designed to identify, measure and manage the liquidity risk position of the Bank.

The Bank is computing the market risk capital charge as per the standardized approach, by using Modified Duration Method, as per the regulator's guidelines. The Bank also calculates Value at Risk (VaR) on its foreign exchange portfolio.

The Bank periodically undertakes **stress test** exercise to highlight the potential risks, on account of liquidity & interest rate risk that may arise due to events that are rare but plausible. The impact of shock to one risk factor that may generate worst case scenario is studied and to counter the impact, possible solutions are derived.

OPERATIONAL RISK

The Operational Risk Management Committee (ORMC) oversees matters relating to risks associated with operations and ensures the continuity / restoration of business in the event of contingency / exigencies. Presently, capital charge on operational risk is calculated as per Basic Indicator Approach. The Bank has started the process of collecting Loss Data for migration to advanced approaches to Operational Risk.

ORGANISATION & SUPPORT SERVICE

With opening of 47 new branches and one currency chest during the year, the Bank has Pan India presence with 965 branches and 12 currency chests as on 31.03. 2011.

The Central Pension Processing Center, established at Head Office has been operationalized w.e.f. 01.12.2010 and disbursement of Pension to Central Civil Pensioners has since been started.

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

TRAINING & HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

Training is an integral part of human resource development. In the current competitive environment

कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए हाल ही में प्रौद्योगिकी प्रणाली में विकास तथा प्रक्रियाओं तथा कानूनी पहल्ओं पर जानकारी देना अधिक महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में, पी.एस.बी. बैंकिंग रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर, चण्डीगढ में सामान्य बैंकिंग एवं कम्प्यूटर विषय में 192 कार्यक्रम संचालित किए गए। पहली अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 तक निबसकाम, नौएड़ा में इससे संबंधित कार्यक्रमों को संचालित किया गया जिसमें विभिन्न, संवर्ग के 3668 कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके अलावा, प्रधान कार्यालय कार्मिक विभाग द्वारा ऐसोसिएट चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड बी.आई.आरडी, इन्डस्ट्रीज्, सीबीआई अकादमी, सी.ए.बी. सीआरआरआईडी, एफ.ई.ड़ी.ए.आई, एफआईयू–इंडिया आईबीए, आईबीए-डीबीओडी, आईबीए-फिक्की, आईआईएम, आईआईएफटी आईआईएमएल, आईडीबीआरटी, आईआईबीएफ, आईएसबी, एमडीआई, आरटीसी, सिडबी आदि के विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों में २०९ कर्मचारियों को नामांकित किया गया।

कर्मचारियों की संख्या :

बैंक के पास 31.03.2011 को कुल 8107 समर्पित कार्मिकों का समूह था।

श्रेणी	31मार्च 2011
अधिकारी	5512
लिपिक	1452
अधीनस्थ स्टाफ	1143
कुल	8107

कार्यरत महिला-स्टाफ

दिनांक 31.03.2011 पर कुल 8107 कर्मचारियों में से 911 महिला कर्मचारी हैं जो कुल संख्या का 11.24% है।

आरक्षित श्रेणी के कर्मचारी

भारत सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार, अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों के लिए बैंक ने महा प्रबंधक को मुख्य सम्पर्क अधिकारी के रूप में नामित किया है।

31.03.2011 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति / जनजाति कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 908 तथा 218 है। विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के अंर्तगत कर्मचारियों की संख्या निम्नान्सार है:—

श्रेणी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	भूतपूर्व सैनिक	शारीरिक विकलांग
अधिकारी	526	153	149	69	51
लिपिक	133	29	110	70	43
अधीनस्थ स्टाफ	249	36	42	376	18
कुल	908	218	301	515	112

मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को आर्थिक सहायता

बैंक ने वर्ष 2010—11 के दौरान, मृतक कर्मचारियों के आश्रितों तथा ऐसे कर्मचारी जिन्होंने चिकित्सीय आधार पर सेवानिवृत्ति in the banking industry, it is all the more important to keep the staff abreast of the latest developments in technology, system and procedures, legal aspects etc. With this in view, 192 programmes were conducted by PSB Centre for Banking Research & Training at Chandigarh in General Banking & Computer related programmes and at NIBSCOM, NOIDA in various fields from 1st April 2010 to 31st March 2011, in which training was imparted to 3664 employees of different cadres. Besides, 209 Officials were also nominated by Head Office, Personnel Department for specialized training programmes at Assocham, BIRD, CBI Academy, CAB, CRRID, FEDAI, FIU-India MOF, IBA, IBA-DBOD, IBA-FICCI, IDBRT, IIFT, IIM, IIML, IIBF, ISB, MDI, RTC, SIDBI etc

STAFF STRENGTH

The Bank has a dedicated workforce of 8107 employees as on 31.03.2011:

Category	Strength as on 31.03.2011
Officers	5512
Clerks	1452
Sub-staff	1143
Total	8107

WOMEN IN EMPLOYMENT

Out of the total staff strength of 8107 as on 31.03.2011, the women employees were 911, constituting 11.24% of the total strength.

EMPLOYMENT TO RESERVED CATEGORY EMPLOYEES

In terms of Govt. Reservation Policy, a General Manager has been designated as a Chief Liaison Officer for SC/ST employees.

The staff strength of SC/ST employees stood at 908 and 218 respectively on 31.03.2011. The staff strength under various reserved categories is as under: -

CATEGORY	sc	ST	ОВС	Ex-SM	PH
OFFICERS	526	153	149	69	51
CLERKS	133	29	110	70	43
SUB-STAFF	249	36	42	376	18
Total	908	218	301	515	112

FINANCIAL ASSISTANCE TO THE DEPENDENTS OF DECEASED EMPLOYEES

During the year 2010-11, Bank considered 58 cases received from dependants of deceased employees

ले ली है, को योजना के अंतर्गत अनुकम्पा के आधार पर नौकरी प्रदान करने के स्थान पर अनुग्रह राशि के भुगतान के 58 मामलों पर विचार किया गया। इन विचाराधीन 58 मामलों में से, 45 मामलों में अनुग्रह राशि के भुगतान का अनुमोदन किया गया तथा वर्ष के दौरान कुल रूपए 291 लाख की राशि का भुगतान किया गया।

पदोन्नतियाँ

वर्ष 2011 की समाप्ति के दौरान स्टाफ के प्रोत्साहन के स्तर को बनाए रखने के उद्देश्य से स्केल — VII, VI, V, IV, III, II, I तथा लिपिक वर्ग में क्रमश 8, 9, 6, 8, 220, 251, 166 तथा 42 पदोन्नतियाँ प्रदान की गई।

औद्यौगिक संबंध

बैंक में औद्यौगिक संबंध वर्ष पर्यन्त सौहार्दपूर्ण रहे हैं। कामगार और अधिकारी यूनियनों के प्रतिनिधियों नें विकास एवं अन्य मुद्दों पर विभिन्न स्तरों पर प्रबंधन तंत्र के साथ विचार—विमर्श में भाग लिया।

स्टाफ कल्याण

विकासात्मक गतिविधियों में प्रभावी सहभागिता के लिए स्टाफ को प्रोत्साहित व लाभान्वित करने के उद्देश्य से बैंक अपने स्टाफ के लिए विभिन्न कल्याण योजनाओं को जारी रखे हुए है। वित्त मंत्रालय के मार्गदर्शी निर्देशानुसार बैंक अपने लाभ का एक हिस्सा अंशदान के रूप में पी.एस.बी. कल्याण ट्रस्ट को प्रदान कर रहा है।

वर्ष 2011 के दौरान, बैंक ने कितपय जीवन रक्षक उपकरणों/ उपचार पद्धितयों की लागत/व्ययों की प्रतिपूर्ति की योजनाएं शुरू की हैं, जो द्विपक्षीय समझौत/अधिकारी सेवा विनियमन में नहीं आती। इसके अलावा, कर्मचारियों तथा उनके पित/ पत्नी के लिए गम्भीर रोगों का समय पर पता लगाने के लिए नई स्वास्थ्य जाँच योजना शुरू की है। साथ ही, अस्पतालीकरण व्ययों, विकलांग/मानिसक रोग से पीड़ित बच्चों के लालन—पालन हेतु सहायता के लिए वर्तमान योजनाओं में सुधार/ बहतरी की गई है। कर्मचारियों की मृत्यु हो जाने पर वित्तीय सहायता तथा शैक्षणिक प्रोत्साहन व छात्रवृति की योजनायें वर्ष के दौरान स्टाफ कल्याण के लिए शुरू की गई हैं।

प्रत्यक्ष भर्ती

विभाग ने भर्ती प्रक्रिया का अपना प्रथम चरण पूरा कर लिया है, जिसके अन्तर्गत विशेषज्ञता प्राप्त अधिकारियों समेत 454 अधिकारियों तथा 246 लिपिकों का चयन किया गया। बैंक ने विशेषज्ञता प्राप्त अधिकारियों समेत 920 अधिकारियों की तथा 450 लिपिकों की सीधी भर्ती के लिए भर्ती की प्रक्रिया का द्वितीय चरण भी प्रारम्भ कर दिया है, जिसके अंतर्गत 7 ईडीपी.स्केल-III विशेषज्ञता प्राप्त अधिकारी, 28 सनदी लेखाकार, 46 ई.डी.पी. स्केल-II विशेषज्ञ अधिकारी, रकेल I में 1 सुरक्षा अधिकारी, 1 विदेशी विनिमय अधिकारी का बैंक द्वारा पहले ही चयन कर लिया

and the employees who retired on medical grounds, under the scheme for payment of ex-gratia in lieu of appointment on compassionate grounds. Out of 58 cases considered, 45 cases were approved for payment of ex-gratia and a total sum of Rs.291 lac has been paid during the year.

PROMOTIONS

In order to keep up the motivational level of staff 8, 9, 6, 8, 220, 251, 166 & 42 promotions have been made in Scale –VII, VI, V, IV, III, II, I & Clerical cadre respectively during the year ended 2011.

INDUSTRIAL RELATIONS

The industrial relations in the Bank remained cordial through out the year. The representatives from Workers and Officers unions participated in various discussions on developmental and other issues with the management at various levels.


STAFF WELFARE

In order to motivate and encourage the staff for effective participation in developmental activities, the Bank is maintaining various welfare schemes for the staff. The bank is contributing a part of profit, as per Ministry of Finance guidelines, to PSB Welfare Trust.

During the year 2011, bank introduced schemes for reimbursement of cost/ expenses of certain life saving devices/ methods of treatment, which are not covered under Bipartite Settlement/ OSR. Further, a new health check-up scheme was introduced for employees and their spouses for timely detection of any serious ailments. Also, improvement/ betterment in the existing schemes of Hospitalization expenses, assistance for bringing up handicapped / spastic child, financial aid in case of the death of the employee, educational incentive & scholarship schemes have been made during the year for the welfare of staff.

DIRECT RECRUITMENT

The Department has completed its first phase of Recruitment Process under which 454 Officers including Specialist Officers and 246 Clerks were selected. The Bank also initiated its second phase of Recruitment process for the recruitment of 920 Officers, including Specialist Officers and 450 Clerks through direct recruitment, under which 7 EDP Scale –III Specialist Officers, 28 Chartered Accountants, 46 EDP –II Specialist Officers, 1 Security Officer and 1 Forex Officer in Scale –I have already been selected by the Bank. The remaining



गया है। परिवीक्षाधीन अधिकारियों, राजभाषा अधिकारियों, कृषि फील्ड अधिकारियों तथा लिपिकों की भर्ती की शेष प्रक्रिया जून 2011 माह में पूरा होने की सम्भावना है।

सूचना प्रौद्यौगिकी

समीक्षा अवधि के दौरान, बैंक नें अपनी सूचना प्रौद्योगिकी नीति के अनुरूप विभिन्न परियोजनाओं यथा सी.बी.एस. नेटवर्क विस्तार, ए.टी.एम स्थापना एवं सी.टी.एस. पर कार्य करना शुरु कर दिया है।

बैंक ने 500 शाखाओं में सी.बी.एस. कार्यान्वयन हेतु विप्रो लिमिटेड से अनुबंध किया है जिसके फलस्वरूप 52 शाखाएं सी.बी.एस. में उत्प्रवासित / खोली जा चुकी है।

आर.टी.जी.एस. तथा एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से 479 शाखाओं में इलेक्ट्रॉनिक निधि स्थानान्तरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

बैंक के 83 ऑनलाइन / आफलाइन ए.टी.एम. भारत के 17 प्रमुख शहरों में ग्राहकों को सुविधा प्रदान कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की सी.टी.एस. परियोजनाओं को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की शाखाओं में पूर्णतया कार्यान्वियत किया गया है। वर्तमान में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की शाखाओं का 100% समाशोधन कार्य सी.टी.एस. परियोजना के माध्यम से किया जा रहा है। सी.टी.एस. परियोजना चेन्नई क्षेत्र में कार्यान्वयन अधीन है।

ए.टी.एम.

बैंक ने वर्ष के दौरान ग्राहकों को किसी भी समय बैंकिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु दो ऑनलाईन ऑफसाईट ए.टी.एम. के अलावा 22 आन लॉइन आन साइट ए.टी.एम. की स्थापना चयनित शाखाओं में की गई। इसके साथ ही, बैंक की ए.टी.एम. संख्या 83 हो गई है तथा ए.टी.एम. रहित शाखा के ग्राहकों को भी ए.टी.एम. सुविधा की परिधि के अंतर्गत लाया गया है। हमारे बैंक के ए.टी.एम. कार्ड प्रयोग कर्ताओं के लिए एन.एफ.एस. से जुड़ जाना एक बड़ी सफलता है। बैंक नें 46000 व्यक्तिगत तथा गैर—व्यक्तिगत कार्ड जारी किए हैं।

आंतरिक नियंत्रण

बैंक में एक सुव्यवस्थित निरीक्षण विभाग, जो बैंक की प्रणाली, नीतियों तथा प्रक्रियाओं के पालन की जाँच करता है। सभी पात्र शाखाओं / कार्यालयों में योजना के अनुसार नियमित निरीक्षण, संगामी लेखा—परीक्षा, जोखिम आधारित आन्तरिक लेखा—परीक्षा, ऋण लेखा परीक्षा, राजस्व लेखा—परीक्षा, प्रबंधन लेखा परीक्षा, सूचना प्रणाली लेखा—परीक्षा सम्पन्न की गई है।

निदेशक मंडल की लेखा—परीक्षा समिति द्वारा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा महत्वपूर्ण पहलुओं/आंतरिक नियंत्रण कार्यों की आविधक समीक्षा की जाती है।

अनुपालन कार्य

अनुपालन कक्ष को पूर्ण स्तरीय विभाग के रूप में उन्नयन के अतिरिक्त अनुपालन मैन्युअलों एवं अनुपालन टेम्पलेटस भी तैयार किए गए ताकि समस्त आंचलिक कार्यालयों एवं प्रधान कार्यालय process for recruitment of Probationary Officers, Hindi Officers, Agriculture Field Officers & Clerks is likely to be completed in the month of June 2011.

INFORMATION TECHNOLOGY

During the review period, the Bank initiated various projects viz. CBS, Network expansion, ATM deployment & CTS in line with Bank's IT Policy.

The Bank has entered into a contract with M/s Wipro Ltd. for implementation of CBS in 500 branches and consequently 52 branches of the Bank have been migrated / opened in CBS environment.

Electronic fund transfer facility through RTGS & NEFT has been made available in 479 branches.

Bank has installed 83 onsite / offsite ATMs which are serving the bank's customers in 17 major cities spread all over India. The CTS Project of RBI is fully implemented and is running live in NCR Delhi branches of our Bank. At present 100% of the clearing volume of the Bank in NCR is received through CTS System. The CTS is under implementation in Chennai.

ATMs

During the year, Bank installed 22 online on-site ATMs at identified branches besides 2 online offsite ATMs to provide any-time banking facilities to customers. With this, ATM tally of the Bank has reached 83 & Non-ATM branch customers have also been brought under the ambit of ATM facility. The joining of NFS is a giant leap for ATM card users of our Bank. The Bank has issued 46,000 personalized and non-personalized cards.

INTERNAL CONTROL

The Bank has a well established Inspection Department that examines the adherence to system, policies and procedures of the Bank. The regular inspections, Concurrent Audit, Risk Based Internal Audit, Credit Audit, Revenue Audit, Management Audit, Information System Audit of all the eligible branches / offices were conducted as per plan.

The Audit Committee of the Board periodically reviewed the adequacy of the internal control system and other important aspects / functions of internal control.

COMPLIANCE FUNCTION

Subsequent to upgradation from a Compliance Cell to a full fledged Department, besides drafting of Compliance Manuals & Compliance Templates, के विभागों का, अनुपालन आडिट के द्वारा अनुपालन ज़ोखिम का आंकलन किया जा सके। साथ ही नियामक / सांविधिक एवं आंतरिक दिशा निर्देशों के प्रति जागरूकता लाने के प्रयत्नों में भा.रि.बैं. एवं बैंक द्वारा जारी निर्देशों के सार का संकलन किया गया एवं इसे बैंक की इन्टरानेट साइट पर मासिक आधार पर अपलोड किया गया। उक्त अनुपालन क्रियाकलापों की सराहना की गई क्योंकि यह क्षेत्र में कार्य करने वालों के लिए तत्काल संदर्भ का कार्य करती है एवं यह अनुपालन स्तर में बढ़ोतरी करने में सहायक सिद्ध होता है। मुख्य अनुपालन अधिकारी मासिक आधार पर अनुपालन रिपोर्ट सी.ई.ओ. को प्रस्तुत करते हैं जबिक स्थिति की समीक्षा बोर्ड / ए.सी.बी. द्वारा तिमाही आधार पर की जाती है।

जनसम्पर्क एवं प्रचार :

बैंक ने जन सामान्य लोगों के बीच तथा कार्पोरेट स्तरों पर अच्छी छिव बनाने के लिए एक सुनियोजित नीति अंगीकार की है। प्रैस कांफ्रेस तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साक्षात्कारों सहित प्रिंट एवं इलैक्ट्रानिक मीड़िया सहित प्रचार के विभिन्न माध्यमों को अपनाते हुए आई.पी.ओ. के पूर्व एवं पश्यवर्ती प्रकार से पर्याप्त लाम उठाया है।

बैंक का हमेशा यह प्रयास रहा है कि अपने प्रचार माध्यमों से राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित रहते हुए, प्रचार क्षेत्र में एक अमिट छाप छोड़े।

सतर्कता

निवारक सतर्कता के एक उपाय के रूप में बैंक की शाखाओं का सतर्कता अधिकारियों, जो कि आंचलिक कार्यालयों में तैनात है, द्वारा दौरा किया जा रहा है। 190 संवेदनशील शाखाओं की जोखिम धारणा के आधार पर पहचान की गयी है और इनकों दो श्रेणियों ए एवं बी में बांटा गया है जिनका क्रमशः तिमाही एवं अर्ध वार्षिक आधार पर दौरा किया जा रहा है। परिचालन जोखिम प्रबंधन निवारण पहचान एवं धोखाधडी की जांच पर 5 सी.बी.आर.टी. प्रशिक्षण कार्यक्रम बैंक द्वारा निबस्काम, नोएडा और पी.एस.बी.एस. चंडीगढ में वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित किये गये है। बैंक में संवेदनशील पदों की समीक्षा एक अतिरिक्त निवारक सतर्कता के उपाय के रूप में की गयी।

वित्तीय वर्ष 2010—11 के दौरान, अनुशासनात्मक मामलों की प्रगति एवं निपटान करने की समीक्षा, नियमित रूप से की गई। अनुशासनात्मक कार्यवाही की स्वतंत्र और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकारियों/जांच अधिकारियों/पेश अधिकारियों को काम करने पर जोर दिया गया। विभाग 2010—11 के दौरान 58 सतर्कता अनुशासनात्मक मामले निपटाने में सफल रहा।

वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान 96 शिकायतें, जिनमें से 17 शिकायतें केन्द्रीय सतर्कता आयोग के माध्यम से प्राप्त हुई थी। उतनी ही शिकायतों की जांच की गयी एवं बंद की गयी। all Zonal Offices and Head Office Departments were subjected to Compliance Audit to gauge the compliance risk. Further, in a bid to improve upon awareness of Regulatory, Statutory and Internal guidelines, the gists of guidelines by RBI & Bank were compiled & uploaded on the intranet site of the Bank on monthly basis. This compliance initiative was well received, as it served as a ready reference for the field functionaries & also enhanced the Compliance level. The Chief Compliance Officer places Monthly Report on Compliance before the CEO, while the position is reviewed by ACB/Board on quarterly basis.

PR & PUBLICITY

The Bank has adopted a well-planned strategy to build up its image amongst the public at large as also at corporate levels. The Bank gained immense publicity at pre and post IPO stage by adopting various modes of publicity including print & electronic media which covered Press Conferences & interviews of CEO.


Bank always endeavors to dedicate itself to the service of the nation in its publicity messages while earning a well deserved mileage in publicity.

VIGILANCE

As a measure of preventive vigilance, the Branches of the Bank are being visited by Vigilance Officers posted at Zonal Offices. 190 sensitive Branches have been identified on the basis of risk perceptions and the same have been bifurcated into two categories, namely A & B and are being visited on quarterly and half-yearly intervals respectively. 5 Training Programmes on Operational Risk Management, Prevention, Detection & Investigation of Frauds were conducted by the Bank during the Financial Year at NIBSCOM, NOIDA & PSB-CBRT, Chandigarh. Sensitive Posts in the Bank were also reviewed as another measure of preventive vigilance.

During the financial year 2010-11, the progress in disposal of disciplinary cases was reviewed regularly with thrust on disposal of disciplinary cases in a time-bound manner. Disciplinary Authorities, Inquiring Authorities as well as Presenting Officers were suitably guided & emphasis was laid on adherence to time schedule as stipulated by CVC while ensuring free & fair conduct of disciplinary proceedings. As a result, the Bank has been able to dispose of 58 Vigilance Disciplinary Cases during the year 2010-11.

96 complaints, including 17 through CVC, were received and an equal number of complaints were investigated / disposed of during the Financial Year.



भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई छूट के तहत वित्तीय वर्ष 2010—11 में 30.21 लाख रूपये के 12 धोखाधड़ी मामले बंद किये गये।

सुरक्षा व्यवस्था :

आंचिलक सुरक्षा अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से सुरक्षा निरीक्षण सम्पन्न किए गए, जिन पर प्रधान कार्यालय द्वारा गहन पुनरीक्षण किया गया। इस फलस्वरूप बैंक की सुरक्षा व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ। भा.िर.बैं. मानदंड़ों के अनुसार बैंक की सभी शाखाओं में एक सशस्त्र गार्ड़ तथा इलैक्ट्रानिक सुरक्षा उपकरण मृहैय्या कराये गए हैं।

राजभाषा कार्यान्वयन

गत् वर्षों की भांति वर्ष 2010—11 के दौरान भी बैंक में भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन एवं राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के प्रचार—प्रसार में आशातीत प्रगति की तथा विभिन्न सांविधिक अनिवार्यताओं का अनुपालन सुनिश्चित किया गया। वर्ष के दौरान कुल 53 कार्यशालाओं (49 हिंदी तथा 4 पंजाबी कार्यशाला) का आयोजन किया, जिनमें कुल 893 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया। इसके अतिरिक्त 610 शाखाओं में हिन्दी डेस्क प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा 2647 कार्मिकों को हिन्दी के प्रयोग का प्रशिक्षण दिया गया। बैंक में राजभाषा के प्रयोग की स्थिति की समीक्षा करने के उद्देश्य से कुल 610 शाखाओं में 14 आंचलिक कार्यालयों एवं 22 विभागों के राजभाषाई निरीक्षण किए गए।

इस वर्ष बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन सिमति, दिल्ली द्वारा बैंक के प्रधान कार्यालय को बैक में राजभाषा नीति के बेहतर कार्यान्वयन तथा सर्वोत्तम कार्य—निष्पादन के लिए तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इसी श्रेणी में आंचलिक कार्यालय लुधियाना एवं चैन्ने को भी नराकास लुधियाना एवं चैन्ने की ओर से सर्वश्रेष्ठ राजभाषा कार्यान्वयन हेतु प्रथम राजभाषा शील्ड प्राप्त हुई। बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बैंगलूर, थिरूवनंतपुरम एवं पुणे स्थित शाखाओं को उत्कृष्ट कार्य—निष्पादन के लिए प्रथम राजभाषा शील्ड से सम्मानित किया गया। बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति चण्डीगढ द्वारा आयोजित कुल 12 प्रतियोगिताओं में से बैंक 11 प्रतियोगिताओं के लिए पुरस्कृत किया गया।

बैंक में कार्यरत कार्मिकों को राजभाषा हिन्दी के प्रयोग हेतु जागरूक एवं प्रोत्साहित करने हेतु प्रधान कार्यालय एवं सभी आंचलिक कार्यालयों में हिन्दी दिवस एवं हिन्दी पखवाड़ा आयोजित किया गया। इस अवसर पर विभिन्न कार्मिकों को सम्मानित किया गया। हिन्दी पखवाड़े के दौरान लखनऊ में एक सफल कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हिन्दी और उर्दु के प्रख्यात कवियों ने भाग लिया।

राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन के प्रति जागरूक करने हेतु प्रधान कार्यालय के विभागों एवं आंचलिक कार्यालयों के लिए राजभाषा शील्ड योजना आरम्भ की गई, जिसमें आंचलिक कार्यालय दिल्ली(।)

—क क्षेत्र, आंचलिक कार्यालय लुधियाना—ख क्षेत्र, आंचलिक कार्यालय चेन्नई—ग क्षेत्र एवं प्रधान कार्यालय भविष्य निधि विभाग को राजभाषा शील्ड से सम्मानित किया गया।

During the year, 12 fraud cases for Rs.30.21 lacs were closed under the recent relaxations given by RBI.

SECURITY ARRANGEMENT

Regular Security Inspections were carried out by Zonal Security Officers, which were closely monitored by Head Office. Consequently, there was marked improvement in the security arrangement in the Bank. All the branches are provided with an armed guard and electronic security gadgets, as per RBI stipulations

IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE

During this year, 53 workshops were organized (49 Hindi and 4 Punjabi workshops) imparting training to 893 personnel.


Besides this, 2647 personnel were trained in 610 Hindi Desk Training Programmes, which were organized at various branches.

For the purpose of reviewing the progress of Official language, O.L. Inspections were conducted in 610 branches, 14 Zonal Offices and 22 Departments.

During this year, Bank's Head Office was honoured by Delhi TOLIC with third prize for best performance in the field of implementation of Official Language. Besides this, Zonal Offices Ludhiana and Chennai, BOs Bangaluru, Thiruvananthpuram and Pune were also honoured with first prize for best performance in the field of implementation of Official Language. LHO Chandigarh was honoured with 11 prizes out of 12 competitions held by Chandigarh TOLIC.

To motivate all employees in the bank towards the use of Hindi, Hindi Day / fortnight was organized at Head Office as well as in all the Zonal Offices. Various competitions were organized and the winners were honoured. During Hindi fortnight, a Kavi Sammelan was organized in Lucknow and renowned Poets of Hindi and Urdu participated in it.

Also to motivate all controlling offices of the Bank, Rajbhasha Shield Scheme was introduced amongst all Departments and Zonal Offices and ZO-Delhi(I) – Region-A ZO Ludhiana – Region-B, ZO Chennai – Region-C and HO P.F. Department were honoured with Rajbhasha Shields.



राजभाषा विभाग ने राजभाषा अधिनियम, 1963 के राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) में अधिसूचित शाखाओं का अखिल भारतीय स्तर पर कम्प्यूटरीकृत रिकार्ड तैयार किया गया तथा सभी आंचलिक कार्यालयों को इसे अद्यतन रखने हेतु उपलब्ध करवाया गया।

प्रधान कार्यालय राजभाषा विभाग द्वारा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन एवं यूनिकोड़ आधारित कम्प्यूटर की विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजभाषा विभाग द्वारा तैयार की गई हिन्दी कार्य सहायिका नामक पुस्तिका का विमोचन किया गया। समस्त आंचलिक कार्यालयों में भारत सरकार की राजभाषा नीति के सुचारू कार्यान्वयन एवं अखिल भारतीय स्तर पर समरूपता बनाए रखने के उद्देश्य से हिन्दी इण्डिक नामक साफ्टवेयर, बैंक का द्विभाषी मोनोग्राम, राजभाषा मानक फार्मों की पुस्तिका तथा कम्प्यूटरीकृत फार्म उपलब्ध करवाए गए।

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उपसमिति द्वारा आंचलिक कार्यालय दिल्ली—I का निरीक्षण किया गया। समिति ने बैंक में राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति पर संतोष व्यक्त करते हुए कुछ सुझाव भी दिए, जिनके पालन को सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके अलावा संसदीय राजभाषा साक्ष्य समिति ने बैंक की झांसी एवं हींग की मण्डी, आगरा स्थित शाखाओं के राजभाषा कार्यान्वयन के सम्बन्ध में भी बैंक अधिकारियों से विचार—विमर्श किया तथा समिति द्वारा दिए गए सुझावों को बैंक कार्यान्वित कर रहा है।

खेल-कूद

बैंक के पास स्पोर्ट्स अकादमी है जो राष्टीय स्तर पर बैंक की हॉकी टीम को तैयार करती है। इसके अतिरिक्त 15 से 18 वर्ष के आयु समूह के लिए हॉकी अकादमी तथा 12 से 15 वर्ष के आयु समूह के लिए सब—जुनियर हॉकी अकादमी है।

वर्ष के दौरान बैंक की हॉकी टीम ने निम्नलिखित तीन टूर्नामेंटों में जीत हासिल की।

- लिबरल हॉकी टूर्नामैंट, नाभा
- साहिबजादा अजीत सिंह हॉकी टूर्नामैंट, लुधियाना
- इंडिपेंडेंस हॉकी टूर्नामेंट, मण्डी(हि.प्र.)

बैंक हॉकी अकादमी ने अमृतसर में अन्तर कालेज हाकी प्रतियोगिता जीती तथा अन्य तीन टूर्नामेंट में द्वितीय स्थान पर रहे।

निदेशक मंडल की संरचना

बैंक एक अच्छे निगमित प्रशासन के लिए प्रतिबद्ध है एवं इसे और सुदृढ़ करने के लिए सभी स्तर पर निरन्तर पारदर्शिता और बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।

बैंक के निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग कम्पनी (अधिग्रहण एवं हस्तांतरण उपक्रम) अधिनियम, 1980 तथा संशोधित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980 के अनुसार किया गया है और जिसका प्रतिनिधित्व विभिन्न अनुभवी व्यवसायिकों द्वारा किया जाता है।

HO Official Language Department has computerized the All India record of Notified branches in Govt. gazette under section 10(4) of Official Language Rule, 1976 of Official Language Act, 1963 and the same was provided to all Zonal Offices for further updation.

Official Language Department of the Bank organized All India Rajbhasha Seminar and Unicode based special workshop. 37 officers actively participated for two days. On this occasion, a booklet HINDI KARYA SAHAIKA, prepared by the Department was released. To ensure the implementation of OL Policy of Govt. of India and to bring about uniformity in all Zonal Offices, Hindi Indic software, Bank's bilingual mono, booklet on Official Language standard forms were made available.

The Committee of Parliament on Official Language inspected ZO Delhi-I. The Committee has conveyed its satisfaction with regard to Bank's Official Language implementation, besides giving some suggestions, which are being implemented. The Committee also visited our Jhansi and Hing Ki Mandi, Agra branches and had discussion with the bank officials. Both the branches are implementing the suggestions conveyed by the Committee.

SPORTS

The Bank has a Sports Academy which nurtures Bank's Hockey Team at National level, besides Hockey Academy for age group of 15 to 18 years & Sub Junior Hockey Academy for age group of 12 to 15 years.

During the year, the Bank's Hockey Team won the following three tournaments:


- Liberal Hockey Tournament at Nabha
- Sahibzada Ajit Singh Hockey Tournament at Ludhiana
- Independence Hockey Tournament Mandi (H.P.)

Bank Hockey Academy won Inter-college Tournament at Amritsar and was runner up in three tournaments.

CONSTITUTION OF BOARD OF DIRECTORS

The Bank is committed to good Corporate Governance and is constantly striving to further strengthen the same to ensure greater transparency and better coordination at all levels in the Organization.

The Bank's Board represented by persons with diversified professional experience is constituted in accordance with the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1980 read with the Nationalized Bank (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1980, as amended and is represented by persons with diversified professional experince.



31.03.2011 की स्थितिनुसार बोर्ड में एक पूर्णकालिक निदेशक अर्थात कार्यकारी निदेशक के अतिरिक्त पाँच अन्य निदेशक थे, जिनमें भारत सरकार द्वारा नामांकित वित्त मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधि एवं एक गैर अधिकारी निदेशक (सनदी लेखाकार श्रेणी) तथा दो अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक शामिल थे।

निदेशक मंडल के अन्तर्गत बैंक के काम.काज पर निगरानी तथा निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न समितियां गठित की गई हैं:

- प्रबंधन समिति
- ऑडिट समिति
- जोखिम प्रबंधन समिति
- मृल्य की धोखाधिडयों की निगरानी हेतू समिति
- सतर्कता समिति
- ग्राहक—सेवा समिति
- पारिश्रमिक समिति
- अपील समिति
- शेयर धारक / निवेशक शिकायत समिति
- नामांकन समिति
- सूचना प्रौद्योगिकी समिति
- कार्यपालकों की पदोन्नित संबंधी निदेशकों की समिति वर्ष 2010.2011 के दौरान बैंक के निदेशक—मंडल के गठन में निम्न परिवर्तन हुए:

नियुक्तियाँ

- श्री करनपाल सिंह सेखों को दिनांक 05.07.2010 से बैंक के निदेशक—मंडल में गैर सरकारी निदेशक के रूप में मनोनीत किया गया।
- श्रीमनीष गुप्ता को दिनांक 12.07.2010 से बैंक के निदेशक मंडल में गैर – सरकारी निदेशक के रूप में मनोनीत किया गया।
- श्री बी.पी. कानूनगो को दिनांक 30.07.2010 से बैंक के निदेशक मंडल में भारतीय रिजर्व बैंक के नामित निदेशक के रूप में मनोनीत किया गया।

पद से मुक्ति

- श्री जी.एस. वेदी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक दिनांक 30.06.
 2010 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप बैंक सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए।
- श्री संदीप घोष ने दिनांक 27.07.2010 को बैंक के निदेशक मंडल में एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया।
- श्री आर. सदानंदम ने दिनांक 30.07.2010 को भारतीय रिजर्व बैंक के मनोनीत निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल परा किया।
- श्री हिरचंद बहादुर सिंह, गैर सरकारी निदेशक एवं श्री मनीष गुप्ता, गैर सरकारी निदेशक के बैंक के निदेशक मंडल के पद से दिए गए त्यागपत्र को क्रमशः दिनांक

As on 31st March, 2011, the Board comprised of a Whole Time Director i.e. Executive Director besides five other Directors including representatives of Ministry of Finance, Reserve Bank of India, Non Official Director (Chartered Accountant Category) and two Part Time Non Official Directors appointed by the Government of India.

Various Committees constituted under the Board as listed below, oversee the functioning and control the affairs of the Bank:


- Management Committee
- Audit Committee
- Risk Management Committee
- Committee for monitoring Large Value Frauds
- Vigilance Committee
- · Customer Service Committee
- Remuneration Committee
- · Appellate Committee
- Shareholders' / Investors' Grievance Committee
- Nomination Committee
- IT Committee
- Committee of Directors on Executives' Promotion The constitution of Bank's Board of Directors underwent the following changes during the year 2010-2011:

Appointments

- Shri Karanpal Singh Sekhon was nominated as Non Official Director on the Board of the Bank on 05.07.2010.
- Shri Manish Gupta was nominated as Non Official Director on the Board of the Bank on 12.07.2010.
- Shri B.P.Kanungo was nominated as RBI Nominee Director on the Board of the Bank on 30.07.2010.

Cessations

- Shri G.S. Vedi, Chairman & Managing Director attained the age of superannuation and thus retired from the service of the Bank on 30.06.2010.
- Shri Sandip Ghose completed his term as an Additional Director on the Board of the Bank on 27.07.2010.
- Shri R. Sadanandam, RBI Nominee Director completed his tenure on 30.07.2010.
- The resignations of Shri Harichand Bahadur Singh, Non Official Director & Shri Manish Gupta, Non Official Director, from the Board of the Bank were



08.12.2010 तथा 24.12.2010 को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

 श्री एम.वी. प्रसाद ने दिनांक 24.01.2011 को बैंक के निदेशक मंडल में गैर सरकारी निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल को पूरा किया।

वर्ष 2010—2011 के दौरान, बोर्ड की अन्य समितियों की बैठकों के अतिरिक्त निदेशक मंडल की बारह बैठकों, प्रबंधन समिति की पन्द्रह बैठकों और निदेशक—मंडल की लेखा परीक्षा समिति की नौं बैठकों आयोजित की गई।

सांविधिक लेखा-परीक्षा

बैंक ने मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए मैसर्स बलराम चंद्रा एण्ड एशोसिएटस, इलाहाबाद, मैसर्स बंसल सिन्हा एण्ड कंपनी, नई दिल्ली; मैसर्स भाटिया एण्ड भाटिया, नई दिल्ली; मैसर्स अलका एण्ड सुनील, नई दिल्ली; मैसर्स जी.एस.गोयल एण्ड कंपनी, दिल्ली और मैसर्स एस.बी.जी. एण्ड कंपनी, दिल्ली को केंद्रीय सांविधिक लेखाकारों के रूप में नियुक्त किया।

अभिस्वीकृतियां

निदेशक मंडल भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष भर के दौरान दी गई निरंतर सहायता, सक्रिय तथा समय पर समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिए उनका आभार व्यक्त करता है। निदेशक मंडल अपने बहुमूल्य ग्राहकों का भी आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने बैंक को निरंतर सरंक्षण प्रदान किया और बैंक में अपना विश्वास दर्शाया।

निदेशक मंडल बैंक के विकास / संवर्द्धन के लिए सभी संवर्गों के स्टाफ द्वारा दिए गए सहयोग की प्रशंसा तथा सराहना व्यक्त करता है और आशा है कि आने वाले वर्षों में बैंक को निगमित लक्ष्यों की प्राप्ति में इनका सतत् समर्थन एवं सहयोग प्राप्त होता रहेगा।

कृत्ते निदेशक मंडल की ओर से

ह०/— (पी.के. आनन्द) कार्यकारी निदेशक accepted by the Competent Authority on 08.12.2010 and 24.12.2010 respectively.

 Shri M.V. S. Prasad, Non Official Director completed his term of three years as Director of the Bank on 24.01.2011.

Twelve Meetings of the Board of Directors, Fifteen Meetings of the Management Committee and Nine Meetings of the Audit Committee of the Board were held during 2010-2011, besides other Committee Meetings of the Board.

STAUTORY AUDIT

The Bank appointed M/s Balram Chandra & Associates, Allahabad; M/s.Bansal Sinha & Co, New Delhi; M/s Bhatia & Bhatia, New Delhi; M/s Alka & Sunil, New Delhi; M/s G. S. Goel & Co., Delhi and M/s S.B.G. & Co., Delhi as Statutory Central Auditors for the accounting year ended March 2011.


ACKNOWLEDGEMENTS

The Board of Directors is grateful to the Government of India and Reserve Bank of India for their continued assistance, active & timely support and guidance rendered throughout the year. The Directors also express sincere thanks to the Bank's clientele for their continued patronage and confidence reposed in the Bank.

The Board appreciates and commends the contributions made by the staff of all cadres for their active involvement in the development/growth of the Bank and looks forward to their continued support and co-operation for realization of the corporate goals in the years ahead.

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-(P.K. Anand) Executive Director



बासल II के लिए प्रकटीकरण—31 मार्च को समाप्त वर्ष 2011

तालिका डी एफ.1-अनुप्रयोग का विषय क्षेत्र

गुणात्मक प्रकटीकरण	बैंक ऐसे
क) इस वर्ग के सर्वोत्तम बैंक का नाम जिस पर	किसी वर्ग
रूपरेखा लागू होती है।	में नहीं
	आता है।
ख) नियामक उद्देश्यों के आधार पर तथा लेखों	
के समेकन में भिन्नताओं का साराशं, तथा वर्ग के	लागू नहीं
अंतर्गत आने वाली प्रविष्टियों का संक्षिप्त ब्यौरा	C1
(i) जिनका पूर्ण रूप से समेकन किया गया है;	
(ii) जिनका समानुपातिक आधार पर समेकन किया	
गया है; (iii) जिन्हें छूट दी गई है; तथा (iv) जिन्हें	
न तो समेकित किया गया है और न ही छूट दी	
गई है। (जैसे कोई जोखिम भारित निवेश)	
मात्रात्मक प्रकटीकरण	
ग) सभी सहायक कंपनियों की पूंजी में कमियों की	लागू नहीं
कुल राशि जिसे समेकन में सम्मिलित नहीं किया	
गया अर्थात जिन्हें घटाया गया है तथा जिनके	
नाम ऐसी सहायक कंपनियों से हटाए गए हैं।	
घ) बैंक की कुल राशि (अर्थात चालू बही मूल्य)	
जो बीमा कंपनियों में लगी हैं, उनमें से जो	लागू नहीं
जोखिम भारित हैं, उनके नाम, उनके निगमन का	6
स्थान या आवास, स्वामित्व का अंश तथा यदि	
भिन्न है तो इन संस्थाओं में उनके मताधिकार	
शक्ति का अंश इसके अतिरिक्त नियामक	
पूंजी बनाम छूट के तरीके के प्रयोग से होने	
वाले मात्रात्मक प्रभाव भी सूचित करें।	
I	I

तालिका डी एफ 2 - पूंजी संरचना

गुणात्मक प्रकटीकरण

लोअर टीयर ॥ पूंजी हेतू नियम एवं शर्तें :

बैंक ने लोअर टीयर 2 के माध्यम से गौण ऋणों के रूप में वचन—पत्र के कूपन जारी किए हैं जिनका भुगतान वार्षिक / अर्द्धवार्षिक आधार पर किया जाना है। इन बॉण्डस को देशी दर—निर्धारण ऐजेन्सियों से विधिवत् श्रेणी निर्धारित करवाने के बाद जारी किया गया है। सभी बकाया बॉण्ड्स, सीरीज़ VI तथा VII के अंर्तगत जारी बाण्डस के इलावा, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, मुम्बई में सूचीबद्ध हैं इन बॉण्ड्स की अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं:

- बॉण्ड्स की अवधि इनके जारी करने की तिथि से 91 माह से 127 माह के बीच होती है।
- यह प्रपत्र पूर्णतः चुकता, प्रतिभूति रहित तथा अन्य लेनदारों के दावों से गौण हैं, प्रतिबंधी खंड से मुक्त हैं और धारक

BASEL II DISCLOSURES – YEAR ENDED 31ST MARCH 2011

Table DF 1 - SCOPE OF APPLICATION

Qualitative Disclosures (a) The name of the top bank in the group to which the Framework applies.	The Bank does not belong to any group
(b) An outline of differences in the basis of consolidation for accounting and regulatory purposes, with a brief description of the entities within the group (i) that are fully consolidated; (ii) that are pro-rata consolidated; (iii) that are given a deduction treatment; and (iv) that are neither consolidated nor deducted (e.g. where the investment is risk-weighted).	Not Applicable
Quantitative Disclosures (c) The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries not included in the consolidation i.e. that are deducted and the name(s) of such subsidiaries.	Not Applicable
(d) The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted as well as their name, their country of incorporation or residence, the proportion of ownership interest and, if different, the proportion of voting power in these entities. In addition, indicate the quantitative impact on regulatory capital of using this method versus using the deduction.	Not Applicable


Table DF 2 - CAPITAL STRUCTURE

Qualitative disclosures

Terms & Conditions of Lower Tier II Capital:

The Bank has issued Lower Tier II Bonds by way of Subordinated Debts in the form of Promissory Notes at Coupon payable annually / semi-annually. These bonds have been issued after getting them duly rated by the Domestic Rating Agencies. All the outstanding Bonds except issued under series VI & VII are listed at the National Stock Exchange Ltd. Mumbai. The other important features of these bonds are:

- The bonds have a tenor ranging from 91 months to 127 months from date of the issue.
- The instruments are fully paid up, unsecured and subordinated to the claims of other creditors,



के कहने पर या भारतीय रिज़र्व बैंक की सहमती के बिना भुनाए नहीं जा सकते हैं।

यह प्रपत्र अपनी अवधि के अन्तिम पाँच वर्षों के दौरान 20%
 प्रित वर्ष की दर से क्रिमक भुगतान के अधीन हैं। इस प्रकार
 किए गए भुगतान की राशि को पूंजी पर्याप्तता उद्देश्यों हेतु
 टीयर-II पूंजी में शामिल नहीं किया गया है।

इन प्रपत्रों के निवेशकों के दावों को टीयर-I पूंजी में शामिल करने के लिए पात्र प्रपत्रों के निवेशकों के दावों से वरीयता प्रदान की गई है तथा अन्य लेनदारों के दावों से गौण माना गया है। गौण ऋण प्रपत्र, बैंक की टीयर I पूंजी के 50% तक सीमित होगें तथा इन प्रपत्रों के साथ टीयर II पूंजी के अन्य संगठक टीयर I पूंजी के 100% से अधिक नहीं होंगे।

बैंक ने ऐसी कोई भी अपर टायर-II पूंजी तथा इनोवेटिव प्रपत्र जारी नहीं किए हैं जोकि टीयर-I पूंजी में समावेश के योग्य हैं .

मात्रात्मक प्रकटीकरण.

रू. करोडों में

	रू. कराडा म
क) टीयर 1 पूंजी की राशि, निम्न का अलग से प्रकटीकरण	राशि
– प्रदत अंश पूंजी;	423.06
– आरक्षितियाँ;	2626.36
– न्वोन्मेषी प्रपत्र;	160.00
– अन्य पूंजी प्रपत्र;	0.00
– उप योग	3209.42
 घटाएं : टीयर I पूंजी से कम की गई राशियाँ जिसमें साख और ख्याति शामिल हैं 	0.59
कुल टीयर । पूंजी	3208.83
ख) टीयर II पूंजी की कुल राशि (टीयर II पूंजी से घटाने के बाद बची कुल राशियाँ)	1765.02
ग) उच्च टीयर II पूंजी में सम्मिलित होने योग्य ऋण पूंजी प्रपत्र	शून्य
– कुल बकाया राशि	लागू नहीं
– इसमें से चालू वर्ष में उगाही गई राशि	लागू नहीं
 पूंजीगत निधियों के रूप में माने जाने हेतु पात्र राशि 	लागू नहीं
घ) न्यून टीयर II पूंजी में सम्मिलित होने योग्य गौण ऋण	
– कुल बकाया राशि	1110.00
– इसमें से चालू वर्ष में उगाही गई राशि	शून्य
 पूंजीगत निधियों के रूप में माने जाने हेतु पात्र राशि 	1049.00
ङ) पूंजी से अन्य कटौतिया, यदि कोई हैं तो	शून्य
च) कुल पात्र पूंजी	4973.85

free of restrictive clauses and not redeemable at the initiative of the holder or without the consent of the RBI.

 The instruments are subjected to progressive discounting @ 20% per year over the last five years of their tenor. Such discounted amounts are not included in Tier – II Capital for Capital Adequacy purposes.

The claims of the investors in these instruments shall rank superior to the claims of investors in instruments eligible for inclusion in Tier I Capital and subordinate to the claims of all other creditors.


Subordinated debt instruments shall be limited to 50% of Tier I capital of the Bank and these instruments, together with other components of Tier II Capital shall not exceed 100% of Tier I Capital.

The Bank has not issued any upper Tier II capital and innovative instruments that qualify for inclusion in Tier I capital.

Quantitative Disclosures

(₹ / Crores)

	` ,
(a) The amount of Tier 1 capital, with separate disclosure of	Amount
Paid-up share capital;	423.06
Reserves;	2626.36
Innovative instruments;	160.00
Other capital instruments;	0.00
SUB-TOTAL	3209.42
LESS: amounts deducted from Tier 1 capital, including goodwill & investments.	0.59
TOTAL TIER I CAPITAL	3208.83
(b) The total amount of Tier II capital (net of deductions from Tier II capital)	1765.02
(c) Debt capital instruments eligible for inclusion in Upper Tier II capital.	NIL
Total amount outstanding.	NA
Of which amount raised during the current year	NA
Amount eligible to be reckoned as capital funds	NA
(d) Subordinated debt eligible for inclusion in Lower Tier II capital	
Total amount outstanding	1110.00
Of which amount raised during the current year.	NIL
Amount eligible to be reckoned as capital funds	1049.00
(e) Other deductions from capital, if any.	NIL
(g) Total eligible capital.	4973.85



तालिका डीएफ 3 – पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने जोखिम प्रबंधन अनुबंध का क्रियान्वयन करते समय उच्च कोटि की वैष्विक कार्यप्रणाली को अपनाने की प्रक्रिया पहले से ही आरम्म कर दी है जो कि बासल ॥ की रूपरेखा के अनुरूप है। बासल ॥ से संबंधित विभिन्न मामलों पर ध्यान देने के लिए व्यापक जोखिम प्रबंधन का गठन किया गया है. जोखिम भारित आस्तियों, बाज़ार जोखिम तथा प्रचालन जोखिम में प्रत्याशित वृद्धि के मद्देनज़र बैंक की पूंजीगत आवश्यकताओं को आंकने के लिए तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

ऋण जोखिम हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं

	राशि—रू / करोड़
मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो	3076.91
प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र	शून्य

बाज़ार जोखिम हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं : मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण

सामान्य बाज़ार जोखिम पर पूंजी प्रभार	राशि—रू / करोड़
– ब्याज दर जोखिम	87.28
– विदेशी विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित)	शून्य
– इक्विटी जोंखिम	12.46

परिचालन जोखिम हेतु पूंजीगत आवश्यकताएं :

	राशि—रू / करोड़
मूल सूचक दृष्टिकोण	241.56

बैंक हेतु कुल तथा टीयर । पूंजी अनुपात :

बासल II के अनुसार कुल पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात	12.94%
बासल II के अनुसार टीयर I पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात	8.35%
बासल । के अनुसार कुल पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात	11.94%
बासल । के अनुसार टीयर । पूंजी और जोखिम भारित आस्ति अनुपात	7.70%

Table DF 3-CAPITAL ADEQUACY

Qualitative disclosures

Bank is already geared up to adopt global best practices while implementing risk management stipulations that are in conformity with the Basel II framework.

Comprehensive risk management architecture is in place to address various issues concerning Basel II. A quarterly review is carried out to assess the capital need of the Bank, keeping in view the anticipated growth in Risk Weighted Assets, Market Risk and Operational Risk.

Capital requirements for credit risk:

	Amt.–₹/ Crores
Portfolios subject to standardised approach @ 9%	3076.91
Securitisation exposures	Nil

Capital requirements for market risk : Standardised duration approach


Capital Charge on account of	Amt.–₹/ Crores
General Market Risk	
Interest rate risk	87.28
Foreign exchange risk (including gold)	NIL
Equity risk	12.46

Capital requirements for operational risk:

	Amt.–₹/ Crores
Basic indicator approach	241.56

Total and Tier 1 capital ratio for the Bank:

Total Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel II	12.94%
Tier I Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel II	8.35%
Total Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel I	11.94%
Tier I Capital to Risk Weighted Assets Ratio as per Basel I	7.70%



विवेक पूर्ण स्तर पर पूंजी की आवश्यकता

	राशि—रू / करोड़
संशोधित ढ़ांचे के अनुसार न्यूनतम पूंजी की	3460.48
आवश्यकता ९ प्रतिशत की दर से	
उधार एवं बाजार ज़ोखिमों के लिए बासल-I	2998.11
के ढ़ांचे के अनुसार न्यूनतम पूंजी की	
आवश्यकता का 80 प्रतिशत (3747.64करोड़	
का ८० प्रतिशत)	
विवेकपूर्ण स्तर. उपरोक्त स्तर से अधिक	3460.48

तालिका डी.एफ—4 ऋण जोखिम : सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

क. पिछला बकाया एवं अनर्जक खातों की परिभाषा

बैंक ने गैर–निष्पादित आस्तियों के वर्गीकरण पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ज़ारी मूल विवेक पूर्ण दिशा–निर्देशों का निम्नानुसार अनुपालन किया है :

- क. जहाँ मियादी ऋण के मामले में ब्याज तथा / अथवा मू. लधन की किश्त 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय हो।
- ख. स्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार के संबंध में खाता "अनियमित हो जाता है यदि खाता लगातार 90 दिनों से अधिक अनियमित बना रहता है, तथा/अथवा अधिविकर्ष/ नकद ऋण (ओ.डी/सी.सी) के संबंध में तुलन—पत्र की तिथि तक लगातार 90 दिनों तक कोई राशि जमा नहीं होती अथवा जमा की गई राशि उतनी पर्याप्त नहीं है कि इस अविध के दौरान नामें किए गए ब्याज को वसूल किया जा सके।
- ग. बैंक द्वारा खरीदे गए और भुनाये गये बिलों के मामले में जहाँ बिल 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहे हो।
- घ. अल्प अविध की फसलों के लिए मूलधन की किश्त अथवा उस पर ब्याज के लिए दो फसली मौसम तक अतिदेय रहा हो।
- ड. दीर्घ अविध की फसलों के लिए जहाँ मूलधन की किश्त अथवा उस पर ब्याज के लिए एक फसली मौसम तक अतिदेय रहा हो।
- च. प्रतिभूतिकरण के दिनांक 01. 02. 2006 के दिशा—निर्देशों की शर्तों के अनुसार प्रतिभूतिकरण लेन देन के संबंध में यदि नकदी सुविधा की राशि 90 दिनों से अधिक बकाया रहती है।
- छ. व्युत्पन्न सौदों के मामले में, अतिदेय प्राप्तियाँ जोकि व्युत्पन्न संविदा के सकारात्मक बाजार अंकित मूल्य को प्रदर्षित करती है, यदि यह चुकौती की विनिर्दिष्ट देय तिथि से 90 दिनों तक बकाया रहते हैं।

Prudential Floor on the Capital Required

	Amt.–₹/Crores
Minimum Capital required as per the Revised Framework @ 9%	3460.48
80% of Minimum Capital required as per Basel I Framework for Credit & Market Risk (80% of 3747.64 crore)	2998.11
Prudential Floor – Higher of the above	3460.48

Table DF 4-CREDIT RISK : GENERAL DISCLOSURES

Qualitative Disclosures

A. DEFINITIONS OF PAST DUE AND IMPAIRED:

The Bank follows the basic prudential guidelines issued by the RBI on classification of Non-Performing Asset (NPA) as under:

- a) Interest and / or instalment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan.
- b) The account remains 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of sanctioned limit / DP for more than 90 days and / or there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, in respect of Overdraft/Cash Credit (OD/CC).
- c) The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted.
- The instalment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops.
- The instalment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.
- f) The amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitisation transaction undertaken in terms of guidelines on securitisation dated February 1, 2006.
- g) In respect of derivative transactions, the overdue receivables representing positive mark-to-market value of a derivative contract, if these remain unpaid for a period of 90 days from the specified due date for repayment.

यहां अतिदेय राशि से अभिप्राय किसी भी ऋण सुविधा के अधीन कोई भी राशि देय है यदि बैंक को निर्धारित देय तिथि पर इसका भुगतान नहीं होता, जहां किसी तिमाही के दौरान लगाए गए ब्याज उस तिमाही समाप्ति के 90 दिनों के भीतर पूर्ण रूप से अदा नहीं हो जाता और बैंक के लिए अर्जित होने वाली आय रूक जाये तो ऐसे खाते को गैर निष्पादित आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त बैंक आस्तियों के वर्गीकरण के संबंध में भा.रि. बैं. द्वारा ज़ारी निम्न दिशा—निर्देशों का भी पालन कर रहा है। (क) पुनर्सरंचित खाते (ख) अधिक चले समय के अंतःग्रस्त कार्यान्वयन के अंतंगत परियोजना (ग) पोत लदानोत्तर आपूर्तिकर्ता ऋण (घ) निर्यात परियोजना वित्त (च) अधिग्रहण वित्त (छ) सरकारी गारंटीकृत अग्रिम (ज) बी.आई.एफ.आर /टी.एल.आई. द्वारा अनुमोदित पुनर्वास के अंतंगत अग्रिम (झ) ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना 2009 के अधीन लिया गया ऋण (ण) वित्तीय आस्तियों को प्रतिभूतिकरण कम्पनी / पुनर्निर्माण कम्पनी को बेचना (त) गैर निष्पादित वित्तीय आस्तियों का क्रय—विक्रय (थ) खातों के उन्नयन (द) तुलन—पत्र की तिथि के समीप नियमित किए गए खाते आदि।

(ख) ऋण जोखिम प्रबंधन तथा उद्देश्य :

बैंक के ऋण ज़ोखिम कारोबार की प्रभावी पहचान, मूल्यांकन, परिमापन तथा प्रबंधन के लिए, बैंक की ज़ोखिम क्षमता के संबंध में अपेक्षित सीमा तक इसे नियंत्रित करना तथा उपलब्ध पूंजी के अनुरूप लाना है। इस प्रक्रिया को करते हुए बैंक के ऋण ज़ोखिम दर्शन का लक्ष्य ज़ोखिम में कमी लाना तथा उसे उस स्तर के भीतर बनाए रखना है जोकि स्टॉकधारकों की इक्विटी सहित बैंक के वित्तीय संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ बैंक का सतत् एवं सुदृढ़ विकास भी सुनिश्चित करता है।

बैंक की योजनागत नीति – ऋण जोखिम

बैंक की विस्तृत एवं सुपरिभाषित ऋण नीति है, जिसमें नीतिगत आयोजना के विभिन्न आयाम शामिल हैं। ऋण कारोबार तथा सामान्य आर्थिक एवं बाजार परिदृष्य के अनुरूप अग्रिम निवेश सूची में परिवर्तनों की अपेक्षाओं पर निर्भर करते हुए बैंक समय—समय पर ऋण नीति की पुनरीक्षा करता है। बैंक की ऋण नीति वर्ष में कम से कम एक बार निदेशक मंडल द्वारा व्यापक समीक्षा के भी अध्याधीन है। बैंक की ऋण नीति में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित घटकों का ध्यान रखा जाता है:—

- विभिन्न उधोग घटकों तथा ऋणकर्त्ता श्रेणियों में तर्कसंगत सीमा का निर्धारण एवं नियंत्रण।
- ऋण रेटिंग तथा/अथवा रिटेल घटकों से संबंद्ध जोखिम रूपरेखा पर आधारित मूल्यांकन।
- ऋणों के मूल्यांकन, स्वीकृति तथा निगरानी एवं ऋण के संवितरण की प्रविधियों के लिए प्रक्रिया एवं प्रणाली से संबंधित मार्गदर्शी—निर्देश।
- ऋण रेटिंग फ्रेमवर्क .
- निरीक्षण—तंत्र तथा विनियामक एवं नीतिगत मार्गदर्शी—निर्देशों का अनुपालन।

Here, 'Overdue' means amount due to the Bank under any credit facility, if it is not paid on the due date fixed by the Bank. Where the interest charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter, the account is classified as Nonperforming asset and ceases to generate income for the bank.

Besides above, Bank also follows the guidelines issued by RBI in respect of classification of assets under a) Restructured accounts, b) Project under implementation involving time overrun, c) Post shipment Suppliers' Credit. d) Export Project Finance, e) Take over Finance, f) Govt. guaranteed Advance, g) Advance under Rehabilitation approved by BFIR / TLI, h) Advances under Debt Waiver & Debt Relief Scheme 2009, i) Sale of Financial Assets to Securitisation Company /Reconstruction Company, j) Purchase/ Sale of Non-Performing Financial Assets, k) Up-gradation of accounts, I) Accounts regularized near about the Balance Sheet date etc.


B. CREDIT RISK MANAGEMENT AND OBJECTIVES:

To effectively identify, assess, measure, and manage the credit risk exposure of the Bank, with a view to contain it within desired limits in relation to the risk appetite of the Bank and commensurate with the availability of Capital. In doing so, the Bank's Credit Risk philosophy aims at minimising risk and maintaining it within the levels which shall ensure safety of the Bank's financial resources, including stakeholders' equity and, at the same time, also ensure a steady and healthy financial growth.

STRATEGIC POLICY OF THE BANK-CREDIT RISK:

The Bank has a comprehensive and well defined Loan Policy which covers various aspects of strategic planning. The loan policy of the Bank is reviewed from time to time, depending on requirements of the changes in loan portfolio and general economic and market scenario. The loan policy is also subjected to a comprehensive review by the Board at least once a year. The loan policy of the Bank addresses, among other things:

- Exposure ceilings and prudential caps in different industry segments and borrower categories.
- Pricing based on risk profile linked to credit ratings and/or retail segments.
- Guidelines relating to procedures and systems for appraisal, sanction, and monitoring of loans and modes of dispensation of credit.
- · Credit Rating framework.
- Inspection mechanism and compliance of regulatory and policy guidelines.



ऋण जोखिम प्रबंधन संगठनात्मक ढाँचा :

- ऋण जोखिम प्रबंधन कार्यों के लिए बैंक के संगठनात्मक ढ़ाँचे के शीर्षस्थ स्तर पर निदेशक— मंडल है, जो जोखिम प्रबंधन कारोबार पर पूरी निगरानी रखता है।
- जोखिम प्रबंधन समिति (आर.एम.सी.)जो कि निदेशक मंडल की एक उप समिति है, ऋण जोखिम सहित समन्वित जोखिम प्रबंधन के लिए नीति एवं रणनीति तैयार करती है।
- परिचालन स्तर पर, ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सी.आर. एम.सी.) ऋण जोखिम का प्रबंधन करती है। इसके मुख्य कार्यों में निदेशक मंड़ल द्वारा अनुमोदित ऋण जोखिम प्रबंधन नीतियों का बैंक व्यापी आधार पर कार्यान्वयन तथा निदेशक मंडल को ऋण जोखिम प्रबंधन संबंधितए ऋण जोखिम की विवेकपूर्ण सीमाऐं, पोर्टफोलियों प्रबंधन, ऋण उत्पादों आदि से संबंधित सभी नीतियों के अनुमोदन हेतु संस्तुति शामिल है। बैंक में ऋण अनुमोदन की प्रक्रिया का ढ़ाँचा बना हुआ है और यह मानकीकृत है जिसमें ऋण आंकलन की व्यापक प्रक्रिया शामिल है। किसी भी वित्त पोषण प्रस्ताव के साथ जुड़े हुए ऋण जोखिम के आंकलन करने हेतु बैंक ऋणी तथा प्रासंगिक उद्योगों के विविध ऋण जोखिमों का आंकलन करता है।
- मुख्य महा प्रबंधक की अध्यक्षता में गठित जोखिम प्रबंधन विभाग (आर.एम.डी.) निदेशक. मंडल द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर बैंक व्यापी आधार पर ऋण जोखिम का परिमापन, नियंत्रण एवं प्रबंधन करता है और निदेशक मंडल / जोखिम प्रबंधन समिति / ऋण जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित जोखिम मापदंड़ों के अनुपालन को लागू करता है। इस दायित्व के निर्वाहन में जोखिम प्रबंधन विभाग के विभिन्न कक्ष यथा ऋण जोखिम प्रबंधन कक्ष, बाजार जोखिम प्रबंधन कक्ष (ए.एल.एम) तथा संचालनगत जोखिम प्रबंधन कक्ष इसकी मदद करते हैं।
- महाप्रबंधक के नियंत्रणाधीन प्रधान कार्यालय निरीक्षण विभाग ऋणों की गुणवत्ता पर निगरानी, समस्याओं की पहचान करना तथा किमयों को दूर करने के उपाय करता है। ऋणों का पुनरीक्षण / ऋणों की लेखा परीक्षा का कार्य ऋण लेखा—परीक्षा के रूप में किया जाता है।

ऋण ज़ोखिम प्रबंधन/अल्पीकरण के लिए प्रयुक्त साधन :


- ऋण अनुमोदन कर्त्ता प्राधिकारी—शक्तियों का प्रत्यायोजन।
 बैंक की बहुविध जोखिम आधारित अनुमोदन प्रणाली के
 भीतर शक्तियों के प्रत्यायोजन की एक सुपरिभाषित योजना
 विद्यमान है, जिसकी जब कभी आवश्यकता हो, व्यावसायिक
 आवश्यकताओं की बाध्यताओं को पूरा करने के लिए
 समय—समय पर पुनरीक्षा की जाती है।
- विभिन्न स्वरूप के ऋणकर्त्ताओं के लिए एकल / समूह ऋण सुविधाओं जैसे ऋण / निवेश के विभिन्न पहलुओं पर तर्कसंगत ऋण सीमाएं प्रचलन में हैं।

CREDIT RISK MANAGEMENT ARCHITECTURE:

- The organizational structure of the Bank for Credit Risk Management function has the Board of Directors at the Apex level that has the overall oversight of management of risks.
- The Risk Management Committee (RMC) which is the sub-committee of the Board devises the policy and strategy for integrated risk management including credit risk.
- At the operational level, the Credit Risk Management Committee (CRMC) manages the credit risk. The main function includes implementation of credit risk management policies approved by the Board, monitoring credit risk on a bank wide basis, recommending to the board for its approval all policies relating to credit risk management, prudential limits on credit exposures, portfolio management, loan products etc. There is a structured and standardized credit approval process including a comprehensive credit appraisal procedure. In order to assess the credit risk associated with any financing proposal, the Bank assesses a variety of risks relating to the borrower and the relevant industry.
- The Risk Management Department (RMD)
 headed by the Chief General Manger, measures,
 controls and manages credit risk on bank wide
 basis within the limits set by the Board and
 enforces compliance with risk parameters set by
 Board/RMC/CRMC. The RMD is duly supported
 by Credit Risk Management Cell, Market Risk
 Management Cell (ALM) and Operations Risk
 Management Cell.
- The Inspection Department headed by a General Manager, monitors the quality of loan portfolio, identifies problems and takes steps to correct deficiencies. Loan review / credit audit is undertaken by the Credit Audit function.

TOOLS USED FOR CREDIT RISK MANAGEMENT / MITIGATION

- Credit Approving Authority Delegation of Powers. The Bank has a well-defined scheme of delegation of powers with a multi-tier risk based approving system, which is reviewed periodically and revised as and when necessary to meet the compulsions of business environment.
- Prudential Limits on various aspects of credit / investment like Single / Group borrower limits for various types of borrowers are in place.



- जोखिम, रेटिंग / मूल्यांकन—बैंक ने विभिन्न घटकों के लिए रेटिंग माँडल लागू किए हुए हैं, जो प्रतिपक्ष के बहुविध जोखिम कारकों के एकल बिन्दु सूचक के रूप में कार्य करते हैं तथा ऋण एवं मूल्यांकन—निर्णयों में मददगार होते हैं।
- ऋण बही की गुणवत्ता के सतत् मूल्यांकन तथा ऋण प्रशासन में गुणात्मक सुधार के लिए ऋण लेखा परीक्षा / ऋण पुनरीक्षण पद्धति एक प्रभावी उपकरण है।
- संविभाग प्रबंधन शुरूआती दौर में बैंक नें एक साधारण सं.
 विभाग निगरानी फ्रेमवर्क लागू किया है। भविष्य में बैंक एक ज्यादा अत्याधुनिक संविभाग प्रबंधन माँडल को लागू करेगा।

जोखिम आंकलन :

वर्तमान में, व्यक्तिगत स्तर पर ज़ोखिम रेटिंग के माध्यम से ऋण ज़ोखिम का प्रबंधन तथा संविभाग स्तर पर परिसम्पत्तियों का ज़ोखिम मूल्यांकन जोखिम भार के ज़रिए निर्धारित किया जाता है और इस ज़ोखिम भार के आधार पर पूंजी का रख-रखाव किया जाता है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण कुल निवल ऋण जोखिम का प्रकटीकरण

	श्रेणी	राशि रु/करोड़
1.	निधि–आधारित ऋण राशि	42832.62
2.	गैर-निधि आधारित ऋण राशि	3267.44

ऋण जोखिम का भौगोलिक वितरण

	श्रेणी	राशि रु/करोड़
1	विदेशी	
	निधि आधारित ऋण जोखिम	शून्य
	गैर निधि आधारित ऋण जोखिम	शून्य
2	देशी	42832.62
	निधि आधारित ऋण जोखिम	
	गैर निधि आधारित ऋण जोखिम	3267.44

ऋण जोखिम का उद्योग वार वितरण

- Risk Rating/Pricing—The bank has introduced rating models for various segments, which serve as a single point indicator of diverse risk factors of a counter party and support credit and pricing decisions.
- Credit Audit/Loan review mechanism is an effective tool for constantly evaluating the quality of loan book and to bring about qualitative improvements in credit administration
- Portfolio Management—to start with, the bank has introduced a simple portfolio-monitoring framework.
 Going forward the bank will be graduating to a more sophisticated Portfolio Management model.

RISK MEASUREMENT

At present Credit Risk is assessed through Risk rating at the individual level and through Risk Weighting of the assets at the portfolio level and capital is maintained based on Risk Weights.

Qualitative Disclosure Total gross credit risk exposures

	Categ	jory	Amt.–₹/ Crores		
1	Fund Based Credit Exposures			42832.62	
2	Non Expos		Based	Credit	3267.44

Geographic distribution of exposures

	Categ	ory			Amt.–₹/Crores
1	Overs	eas	NIL		
	Fund I	Based C			
	Non	Fund	Based	Credit	NIL
	Expos	ures			
2	Dome	stic			42832.62
	Fund Based Credit Exposures				
	Non	Fund	Based	Credit	3267.44
	Expos	ures			

INDUSTRY TYPE DISTRIBUTION OF EXPOSURES

राशि रु / करोड / Amt.-₹/Crores

क्र.स.	उद्योग	निधि आधारित	गैर निधि आधारित	कुल
S. No.	INDUSTRY	FUND BASED	NON-FUND BASED	TOTAL
1.	पैट्रोलियम / Petroleum	586.70	0.03	586.73
2.	विद्युत / Electricity	5819.50	86.33	5905.83
3.	अन्य धातु तथा धातु उत्पाद / Other Metal & Metal Products	301.31	104.84	406.15
4.	रसायन रंजक एवं पेंट / Chemical, Dyes & Paints	310.86	53.46	364.32
5.	समस्त इंजीनियरिंग / All Engineering	434.26	193.06	627.32
6.	सीमेंट / Cement	587.79	0.54	588.33
7.	अन्य कपड़ा उद्योग / Other Textile	725.33	21.22	746.55


	कुल योग / Grand Total	29978.42	2899.00	32877.42
27.	अन्य उद्योग / Other Industries	4410.25	468.26	4878.51
26.	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर / Computer Software	27.43	6.20	33.63
25.	ट्रकों सहित आटोमोबाईलस / Automobiles	140.51	19.95	160.46
24.	निर्माण / Construction	677.44	398.32	1075.76
23	रतन और आभूषण / Gems & Jewellery	22.71	133.98	156.69
22	चमड़ा / Leather	88.17	2.27	90.44
21.	रबड़ तथा रबड़ उत्पाद / Rubber & Rubber Products	176.48	29.61	206.09
20.	कागज तथा कागज उत्पाद / Paper & Paper Products	89.32	10.32	99.64
19.	तम्बाकू / Tobacco	0.18	0.00	0.18
18.	वनस्पति तेल / Vegetable Oil	117.40	27.91	145.31
17.	खाद्य प्रसंस्करण / Food Processing	475.64	13.13	488.77
16.	चाय / Tea	2.37	0.00	2.37
15.	चीनी / Sugar	228.47	9.00	237.47
14.	जूट उद्योग / Jute Textile	2.14	0.00	2.14
13.	सूती कपड़ा उद्योग / Cotton Textile	583.81	15.53	599.34
12.	खाद्यान / Mining	618.84	31.83	650.67
11.	कोयला / Coal	46.64	0.97	47.61
10.	गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां / NBFC	8000.46	206.94	8207.40
9.	मूल भूत आवष्यक तत्व / Infrastructure	4301.71	981.60	5283.31
8.	लोहा एवं इस्पात / Iron & Steel	1202.70	83.71	1286.41

आस्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता विकार :

RESIDUAL CONTRACTUAL MATURITY BREAKDOWN OF ASSETS:

राशि रु/करोड़ / Amt.-₹/Crores

अवधि पूर्ण होने का स्वरूप (समयावधि)		निवेश	विदेशी		जमाराशियां	70777
. ,	ऋण एव			~		उधार
Maturity Pattern	अग्रिम	(बही मूल्य)	Foreign C	urrency	Deposits	Borrow-
(Time Buckets)	Loans &	Investments				ings
	Advances	(Book	देयताएं	आस्तियां		
		Value)	Liabilities	Assets		
1 दिन / 1 day	754.99	0.00	59.02	164.73	501.64	0.00
2-7 दिन / 2-7 days	1781.64	0.00	3.39	93.73	2127.03	1198.93
8-14 दिन / 8-14 days	2466.43	81.63	6.66	20.24	2185.59	0.00
15-28 दिन ∕ 15-28 days	4259.79	211.37	14.17	56.12	2627.79	0.00
29 दिनों से 3 माह / 29 days to 3 months	7803.90	1707.45	25.65	110.00	8041.09	45.00
3 माह से अधिक से 6 माह तक / Over 3						
months to 6 months	2676.83	73.36	107.99	290.24	8232.89	66.89
6 माह से अधिक से 1 वर्ष तक / Over 6 months						
to 1 year	2587.12	201.14	123.40	0.00	16886.58	0.00
1 वर्ष से अधिक से 3 वर्षों तक / Over 1 year to						
3 years	9810.40	986.50	64.06	0.00	9673.74	150.07
3 वर्षों से अधिक से 5 वर्षों तक / Over 3 years						
to 5 years	4630.83	2355.46	7.06	0.00	3191.81	40.00
5 वर्षों से अधिक / Over 5 years	5865.91	13026.75	0.00	0.00	6255.03	1385.00
कुल / Total	42637.84	18643.66	411.40	735.06	59723.19	2885.89



एन.पी.ए. की राशि (सकल)

	श्रेणी	राशि—रू. / करोड़
1	अवस्तरीय	256.47
2	संदिग्ध 1	129.90
3	संदिग्ध 2	33.16
4	संदिग्ध 3	2.17
5.	हानि	2.58

निवल एन.पी.ए

	राशि रु./करोड
निवल एन.पी.ए	237.94

एन.पी.ए. अनुपात

	श्रेणी	प्रतिशत
1	सकल अग्रिम का सकल एन.पी.ए	0.99%
2	निवल अग्रिम का निवल एन.पी.ए	0.56%

एन.पी.ए (सकल) में उतार-चढाव

	राशि—रू. / करोड़
अथशेष	206.15
जमा	383.45
कमी	165.32
इति षेश	424.28

एन.पी.ए हेतु प्रावधानों में उतार-चढाव

	राशि–रू. करोड़
अथशेष	86.20
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	179.54
बट्टे खाते डालना	}
अधिक प्रावधानों का पुनरांकन	} 83.00
इतिशेष	182.74

गैर निष्पादित निवेशों की राशि

	राशि—रू. / करोड़
गैर निष्पादित निवेशों की राशि	25.03

गैर निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधानों की राशि

	राशि—रू. / करोड़
गैर निष्पादित निवेशों के लिए प्रावधान	25.37

Amount of NPAs

(Gross)

	Category	Amt.–₹/ Crores
1	Substandard	256.47
2	Doubtful 1	129.90
3	Doubtful 2	33.16
4	Doubtful 3	2.17
5	Loss	2.58

Net NPAs

	Amt.–₹/ Crores
Net NPAs	237.94

NPA Ratios

	Category	Percent
1	Gross NPAs to Gross advances	0.99%
2	Net NPAs to Net advances	0.56%

Movement of NPAs (Gross)

	Amt.–₹/ Crores
Opening Balance	206.15
Additions	383.45
Reductions	165.32
Closing Balance	424.28

Movement of Provisions for NPAs


	Amt₹/Crores
Opening Balance	86.20
Provisions made during the period	179.54
Write-off	}
Write-back of excess provisions	} 83.00
Closing Balance	182.74

Amount of Non-Performing Investments

			Amt₹/Crores
Amount	of	Non-Performing	25.03
Investment	ts		

Amount of provisions held for non-performing investments

	Amt.–₹/	Crores
Provisions held for non-performing	25.37	
investments		



निवेशों पर मूल्यहास हेत् प्रावधानों में उतार चढाव

	राशि—रू. / करोड़
अथशेष	74.45
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	34.49
बट्टे खाते डालना	शून्य
अधिक प्रावधानों का पुनरांकन	76.69
इतिशेष	32.25

तालिका डी.एफ. 5 — ऋण जोखिमः मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत संविभाग का प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

- 1. बैंक ने सी.आर.ए.आर. परिकलन हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंर्तगत जोखिम भार निर्धारण करने के लिए निम्न श्रेणी निर्धारक एजेन्सियों की सामान्य रेटिंग का उपयोग करना अनुमोदित किया है। घरेलू दावों के लिए क्रिसिल, ईक्रा, फिच इंडिया तथा केयर तथा अनिवासी कारपोरेट, विदेशी बैंकों तथा विदेशी सरकार के दावों के लिए एस एंड पी, फिच तथा मूडीज़ को अनुमोदित किया है।
- शारतीय रिज़र्व बैंक की परिभाषा के अनुसार इन समस्त एजेन्सियों का श्रेणी निर्धारण समस्त प्रकार के ऋण जोखिमों के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। बासल—II के अंतर्गत सी.आर. ए.आर परिकलन हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भार के लिए श्रेणी का निर्धारण किया जा रहा है।
- 3. बैिकंग बिहयों में तुलनात्मक आस्तियों पर श्रेणी निर्धारण के आधार पर सार्वजिनक निर्गम के अंतरण के लिए प्रयोग में लाई गई प्रक्रिया भारतीय रिज़र्व बैंक की विनियामक अनिवार्यता के अनुरूप है। श्रेणी निर्धारक एजेन्सियों द्वारा प्रकाषित सार्वजिनक श्रेणी निर्धारण उनकी वेबसाईट पर भी उपलब्ध है जिसका इस उद्देश्य हेतु उपयोग किया गया है। संबंधित श्रेणी निर्धारक एजेन्सी के मासिक बुलेटिन के अनुसार लागू श्रेणी तथा जिसकी कम से कम गत 15 माह में एक बार समीक्षा की जा चुकी है का इस उद्देश्य हेतु प्रयोग किया गया है।
- 4. जहां प्रत्येक ऋण जोखिम का श्रेणी निर्धारण केवल एक अनुमोदित श्रेणी निर्धारण एजेन्सी द्वारा किया गया है के अपवाद को छोडकर प्रतिपक्ष विशेष पर समस्त ऋण जोखिमों के लिए बैंक ने केवल एक एजेन्सी के श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया है यद्यपि इन ऋण जोखिमों का एक से अधिक एजेन्सियों द्वारा श्रेणीकरण किया गया है।
- 5. जोखिम भार हेतु पात्रता के लिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि बाहरी ऋण मूल्यांकन तथा बैंक द्वारा उसे प्रदत्त समस्त भुगतान अर्थात् मूल राशि तथा ब्याज के संबंध में, ऋण जोखिम एक्सपोज़र की पूरी राशि शामिल करता है तथा प्रतिबिंबित करता है। जोखिम भार के लिए कारपोरेट ग्रुप में एक कंपनी के लिए बाहरी निर्धारण का प्रयोग उसी ग्रुप की अन्य कंपनियों के बाहरी निर्धारण के लिए प्रयोग नहीं किया गया है।


Movement of provisions for depreciation on investments

	Amt₹/Crores
Opening Balance	74.45
Provisions made during the period	34.49
Write-off	Nil
Write-back of excess provisions	76.69
Closing Balance	32.25

Table DF 5-CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDISED APPROACH

Qualitative Disclosures

- The Bank has approved using the general rating of the following credit rating agencies for risk weighting under the standardized approach for CRAR calculations CRISIL, ICRA, Fitch India, and CARE for domestic claims and S&P, FITCH and Moody's for claims on non-resident corporates, foreign banks and foreign sovereigns.
- The ratings of all these agencies are being used for all exposures subjected to rating for risk weighting purposes under the standardized approach for CRAR calculations under Basel-II as defined by RBI.
- 3. The process used to transfer public issue ratings on to comparable assets in the banking book is as per regulatory requirements of RBI. The public ratings published by the rating agencies on their website are used for this purpose. Only, ratings which are in force as per monthly bulletin of the concerned rating agency and which have been reviewed at least once during the previous 15 months are used.
- 4. For all the exposures on a particular counterparty, bank uses the rating of only one agency, even though these exposures are rated by more than one with exception being where each of the exposures is rated by only one of the approved rating agencies.
- 5. To be eligible for risk-weighting purposes, it is ensured that the external credit assessment takes into account and reflects the entire amount of credit risk exposure the bank has with regard to all payments owed to it i.e., both principal and interest. External assessments for one entity within a corporate group is not used to risk weight other entities within the same group.



- 6. आस्तियां जिनकी संविदागत परिपक्वता एक वर्ष या उससे कम है के लिए अल्पाविध श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है जबिक अन्य आस्तियों के लिए दीर्घाविध श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है। नकद उधार एक्सपोज़र के लिए दीर्घाविध श्रेणी निर्धारण का प्रयोग किया गया है।
- 7. जहाँ जा़री कर्त्ता का एक दीर्घाविध एक्सेपोज़र है जिस पर बाहरी दीर्घाविध श्रेणी निर्धारण के अनुसार 150% जोखिम भार अभिष्ट होता है, उसी प्रतिपक्ष के समस्त गैर श्रेणीगत दावे चाहे वे अल्पाविध हों या दीर्घाविध पर 150% जोखिम भार माना जाएगा, सिवाय ऐसे दावों मे जहाँ, जोखिम कम करने की तकनीक प्रयोग में लाई गई हो/अल्पाविध श्रेणी निर्धारण पर भी यही लागू है।
- 8. अनुमोदित श्रेणी निर्धारण एजेन्सियों द्वारा दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण को दीर्घावधि ऋण जोखिम भार के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भार मे प्रत्यक्ष रूप से शामिल किया जाता है। इसके विपरीत प्रतिपक्ष पर गैर निर्धारित अल्पावधि दावे, उस प्रतिपक्ष पर श्रेणीगत अल्पावधि दावे के लिए लागू जोखिम भार से कम से कम एक स्तर ऊपर का जोखिम भार लागू होगा।
 - बैंक के विरुद्ध दर निर्धारण सुविधा से उत्पन्न जोखिम भार दावों के आकलन हेतु विशिष्ट रूप से जारी कम अविध वाली प्रतिभूतियों का प्रयोग किया जाता है तथा कम अविध वाली कारपोरेट दर निर्धारित प्रतिभूतियों को गैर—निर्धारित दीर्घ अविध दावों हेतु जोखिम भार समर्थन के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता।
- 9. यदि पात्र ऋण श्रेणी निर्धारण एजेन्सियों द्वारा दो श्रेणी निर्धारण की गई हैं जिसमें दो अलग—अलग जोखिम भार अंकित किए गए हैं, वहां उच्चतर जोखिम भार लागू किया गया है। यदि पात्र ऋण श्रेणी निर्धारण एजेन्सियों द्वारा तीन या अधिक श्रेणी निर्धारित की गई हैं जिसमें विभिन्न जोखिम भार अंकित किए गए हैं, वहां दो न्यूनतम जोखिम भार में से दूसरा उच्चतर जोखिम भार लागू किया गया है।
- 10. जहां विशेष निर्धारित मामलें में दावा निवेश नही है, निवेश दावों पर जोखिम भार चयनित ऋण श्रेणी वर्गीकरण एजेन्सी द्वारा विशेष श्रेणी निर्धारण पर आधारित हैं
- i) ऋण विशेष के लिए लागू श्रेणी निर्धारण (जहां श्रेणी वर्गीकरण के जोखिम भारं गैर श्रेणीकृत मामलों पर लागू जोखिम भार से कम है) बैंक के केवल गैर निर्धारित दावों पर लागू है, जहां वृगीकृत मामला एक अल्पावधि अनिवार्यता है यदि यह दावा समरूप वर्गीकृत है या हर प्रकार से विशिष्ट वर्गीकृत ऋण से अधिक है तथा गैर-निर्धारित मामलों की परिपक्वता निर्धारित मामलों की परिपक्वता के बाद नहीं है, को छोड़कर बैंक के केवल गैर निर्धारित मामले पर लागू है।
- ii) यदि जारीकर्ता या एकल निर्गम के लिए गैर निर्धारित मामलों के लिए लागू जोखिम भार से अधिक या उसके बराबर जोखिम भार निर्धारित किया गया है तो उसी प्रतिपक्ष पर गैर निर्धारित मामलों के लिए वही जोखिम भार निर्धारित होगा जोिक निर्धारित ऋण जोिखम भार पर लागू होगा, यदि यह दावा उसके साथ—साथ या हर प्रकार से निर्धारित ऋम जोिखम भार से कम है।

- For assets that have contractual maturity less than or equal to one year, short term ratings are used while for other assets, long term ratings are used. For Cash Credit exposures long term ratings are taken.
- 7. Where an issuer has a long-term exposure with an external long term rating that warrants a risk weight of 150%, all unrated claims on the same counterparty, whether short-term or long-term, also receive a 150% risk weight, except incases where credit risk mitigation techniques are used for such claims. Similar is the case with short-term rating.
- 8. The long-term ratings assigned by the approved rating agencies are directly mapped to the risk weights under the Standardised Approach for long-term exposures. On the contrary, the unrated short-term claim on counter-party attracts a risk weight of at least one level higher than the risk weight applicable to the rated short-term claim on that counter-party. Issue-specific short-term ratings are used to derive risk weights for claims arising from the rated facility against banks and a corporate's short-term rating is not used to support a risk weight for an unrated long-term claim.
- 9. If there are two ratings accorded by eligible credit rating agencies, which map into different risk weights, the higher risk weight is applied. If there are three or more ratings accorded by eligible credit rating agencies with different risk weights, the ratings corresponding to the two lowest risk weights are referred to and the higher of those two risk weights are applied, i.e., the second lowest risk weight.
- 10. The RW of the investment claim is based on specific rating by a chosen credit rating agency, where the claim is not an investment in a specific assessed issue:
- i) the rating applicable to the specific debt (where the rating maps into a risk weight lower than that which applies to an unrated claim) is applied to the bank's un-assessed claim only if this claim ranks pari passu or senior to the specific rated debt in all respects and the maturity of the un-assessed claim is not later than the maturity of the rated claim, except where the rated claim is a short term obligation.
- ii) if either the issuer or single issue has been assigned a rating which maps into a risk weight equal to or higher than that which applies to unrated claims, an unrated claim on the same counterparty, is assigned the same risk weight as is applicable to the rated exposure, if this claim ranks pari passu or junior to the rated exposure in all respects.

मात्रात्मक प्रकटीकरण

मानकीकृत दृष्टिकोण रखते हुए जोखिम कम करने के बाद जोखिम भार राशि

Quantitative Disclosures

Exposure amounts after risk mitigation subject to the standardized approach

राशि–रू. / करोड़ / Amt.-₹/Crores

जोखिम भार श्रेणी	ऋण जोखिम कम करने के बाद जोखिम भार	गैर निर्धारित ऋण जोखिम	निर्धारित ऋण जोखिम
Risk Weight Category	Exposure After Credit Risk Mitigation		Rated Exposure
100% जोखिम भार से कम / Below 100 % risk weight	23675.82	13398.75	10277.07
100% जोखिम भार / 100 % risk weight	18621.55	15788.78	2832.77
100% जोखिम भार से अधिक / More than 100 % risk weight	1945.79	1002.34	943.45
कटौती / Deducted	0.00	0.00	0.00
कुल / TOTAL	44243.16	30189.87	14053.29

तालिका डी.एफ. 6. ऋण जोखिम कम करनाः मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

- 1. संस्था के अर्जन को घाटे से बचाने के लिए, ऋण जोखिम कम करके राजस्व वृद्धि करना प्रबंधन का प्रमुख उपकरण है। बैंक अपने दैनिक परिचालन के दौरान ऋण जोखिमों को कम करने के लिए अनेक तरीके और तकनीक अपनाते हैं। परिपक्वता असंतुलन, मुद्रा असंतुलन और मूल्य समायोजन के पश्चात, पूंजी प्रभार कम करने हेतु पर्यवेक्षक ने ऋण जोखिम कम करने के उपायों अनुमति दी है। नए पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बासल II) के अंतर्गत पहचाने गए ऋण जोखिम कम करने के विभिन्न कारक (सी.आर.एम.)
 - संपार्श्विक संचालन
 - ऑन.बैलेंस.शीट.नेटिंग
 - गारंटियां

2. पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ

मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत सभी संपार्श्विकों को ऋण जोखिम कम करने हेतु नही माना गया है। पहचानी गई वित्तीय संपार्श्विक निम्न है:

- i. नकदी और जमाएं जिसमें विदेशी मुद्रा सिम्मलित हैं।
- ii. 99.99% की श्द्धता प्रमाणित सोना।
- iii. केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभृतियां।
- iv. किसान विकास पत्र और राष्ट्रीय बचत पत्र।

Table DF 6-CREDIT RISK MITIGATION: DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACHES


Qualitative Disclosures

- Credit Risk Mitigation is a proactive management tool designed to enhance revenue growth, while protecting an entity's earnings from loss. Banks employ various methods and techniques to reduce the impact of the credit risks they are exposed to in their daily operations. Some of the credit risk mitigation techniques are permitted to be used by the supervisor for reducing the capital charge after adjustment for value, currency mismatch and maturity mismatch. Various Credit Risk Mitigants (CRM) recognized under the New Capital Adequacy Framework (Basel II) are as follows:
 - Collateralised transactions
 - On-balance-sheet-netting
 - Guarantees

2. Eligible financial collateral:

All collaterals are not recognised as credit risk mitigants under the Standardised Approach. The following are the financial collaterals recognized:

- Cash and Deposits including deposits in foreign currency.
- ii. Gold: benchmarked to 99.99% purity.
- iii. Securities issued by Central and State Governments
- iv. Kisan Vikas Patra and National Savings Certificates



- v. जीवन बीमा पॉलिसियां।
- vi ऋण प्रतिभूतियां. शर्तों के अनुसार वर्गीकृत
- vii. बैंक द्वारा शर्तों अनुसार जारी अवर्गीकृत ऋण प्रतिभूतियां।

viii. शर्तों अनुसार म्यूचुअल फंडों के यूनिट्स। संपार्श्विक संचालन में पूंजी राहत प्राप्त करने के लिए कुछ अतिरिक्त मानदंड है जिनका सीधे तौर पर संपार्श्विक प्रबंधन पर प्रभाव पड़ता है और संपार्श्विक प्रबंधन के दौरान इन पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है।

3. ऑन-बैलेंस-शीट-नेटिंग

ऑन.बैलेंस शीट नेटिंग केवल ऋण/अग्रिमों (ऋण जोखिम के रूप में मान्य) और जमाओं (संपार्श्विक के रूप में मान्य) तक ही सीमित है जहाँ बैंक के पास कानूनी रूप से लागू नेटिंग प्रबंध हैं जिसमें विशेष ग्रहणाधिकार प्रलेखों की जांच की जाती है और जिनका निवल आधार पर प्रबंधन किया जाता है।

4. गारंटियां

जहाँ गारंटियां सीधे तौर से, सुनिश्चित, अविकल्पी, और शर्तरहित हैं, बैंक पूंजी पर्याप्तता की संगणना करते समय ऐसे ऋण संरक्षण को ध्यान में रखता है।

पात्र गारंटरों / प्रति गारंटरों के वर्ग में सम्मिलित है:

- i. संप्रमु, संप्रभुता प्राप्त संस्थाएं (बी.आई.एस., आई.एम.एफ., यूरोपियन सेंट्रल बैंक और यूरोपियन समुदाय के साथ.साथ उल्लेखित एम.डी.बी., ई.सी.जी.सी. एवं सी.जी.टी.एस.एम.ई. सम्मिलित हैं), बैंक और प्राईमरी डीलर जो प्रति पक्ष से कम भारित जोखिमयुक्त हैं।
- ii. अन्य संस्थाएं जिनको एए या उससे बेहतर रेटिंग प्राप्त हैं। बैंक अभिमुखीकरण के प्रति सभी प्रकार की प्रतिभूतियां स्वीकार करता हैं। फिर भी बासल-II के नियमों के अनुसार, ऋण जोखिमों का समंजन करने से पूर्व, पात्र संपार्श्विकों पर विचार किया जाता हैं और उनका उचित उपचार किया जाता है। बैंक के पास ऋण जोखिम कम करने की एक विस्तृत पॉलिसी है और प्रतिभूतियों के मूल्यांकन करने के दिशानिर्देश उपलब्ध हैं। बैंक गारंटरों की रेटिंग करते समय प्रति.पार्टी से बेहतर गारंटीकर्ताओं की रेटिंग के मामलों में, पात्र गारंटियो का संज्ञान करता है। इसके अतिरिक्त, ऋण सुरक्षा के लिए, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारए ई.सी.जी. सी. और सी.जी.एफ.टी. कवर को भी उपयुक्त जोखिम भार लगाते समय ध्यान में रखा जाता हैं।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण जोखिम संविभाग का प्रकटीकरण, कवर किया गया कुल ऋण जोखिमः पात्र वित्तीय प्रतिभृतिय कटौती करने के उपरांत—रूपए 2353.50 करोड़

- v. Life insurance policies
- vi. Debt securities -Rated subject to conditions.
- vii. Debt securities not rated issued by banks subject to conditions
- viii. Units of mutual funds subject to conditions

There are certain additional standards for availing capital relief for collateralized transactions, which have direct bearing on the management of collaterals, and these aspects are taken into account during Collateral Management.

3. On-balance-sheet-netting

On-balance sheet netting is confined to loans/ advances (treated as exposure) and deposits (treated as collateral), where Bank has legally enforceable netting arrangements, involving specific lien with proof of documentation and which are managed on a net basis

4. Guarantees

Where guarantees are direct, explicit, irrevocable and unconditional, bank takes account of such credit protection in calculating capital requirements. The range of eligible guarantors / counter guarantors include:

- Sovereigns, sovereign entities (including BIS, IMF, European Central Bank and European Community as well as certain specified MDBs, ECGC and CGTSME), banks and primary dealers with a lower risk weight than the counterparty;
- ii. Other entities rated AA or better.

The Bank accepts all types of collaterals against exposures. However, for Basel-II norms, the eligible collaterals are considered and given appropriate treatment before they are set-off against exposures. The bank has a well laid-out Credit Risk Mitigation & Collateral management Policy and also guidelines for valuation of collaterals. The Bank also takes cognizance of eligible guarantees and substitution of rating of guarantor(s) in cases where these are better than that of the counter-party. Besides, for purposes of credit protection, Central Govt., State Govt., ECGC and CGFT coverages are also taken into account to apply appropriate risk weights.

Quantitative Disclosures

Disclosed credit risk portfolio under the standardised approach, the total exposure that is covered by: Eligible financial collateral; after the application of haircuts – ₹ 2353.50 crore

तालिका डी.एफ. 7. प्रतिभूतिकरण : मानकीकरण दृष्टिकोण का प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक की मानक आस्तियों के प्रतिभूतिकरण पर कोई अलग से नीति नही है। बैंक ने प्रतिभूतिकरण के अंतर्गत ऋण संविभाग को किसी अन्य संस्था (ओं) को नहीं बेचा है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

मानक समूह आस्तियो का समनुदेशन. रूपए 172.73 करोड़

तालिका डी.एफ. 8—ट्रेडिंग बुक में बाजार जोखिम गुणात्मक प्रकटीकरण

बाजार जोखिम परिभाषा के अनुसार, बाजार कीमतों में विपरीत हलचल के कारण, बैंक को संभाव्य हानि हो सकती हैं। बाजार जोखिम स्थितियां पूंजीगत प्रभार आवश्यकताओं के अनुसार निम्न है:

- ट्रेडिंग बुक में ब्याज दर संबंधी प्रलेखों पर ब्याज दर जोखिम।
- ट्रेडिंग बुक में शेयरों से संबंधित मूल्य जोखिम।

जोखिम को कम करने के लिए, बैंक ने अनेक सीमाए निर्धारित की हैं जैसे कि स्टाप लॉस लिमिट्स आदि। पूर्वनिर्धारित सीमाओ का उल्लंधन करने के मामले की जानकारी जोखिम प्रबंधन विभाग को दी जाती हैं जहाँ सक्षम अधिकारी द्वारा उन पर उचित कार्यवाई की जाती है।

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार जोखिम हेतु एक मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण नामक एक संविभाग बनाया है। इस प्रकार परिकलित पूंजी प्रभार को जोखिम भारित आस्तियों में परिवर्तित कर दिया जाता है। सी.आर.ए.आर. निकालने के लिए, ऋण जोखिम और बाजार जोखिम हेतु समुचित जोखिम भार आस्ति पर विचार किया जाता है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

पूंजी आवश्यकता	राशि-रू. / करोड़ में
ब्याज दर जोखिम	30.69
शेयर स्थिति जोखिम	11.59
विदेशी विनिमय जोखिम	शून्य

तालिका डी.एफ. 9. परिचालनगत जोखिम गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने 'परिचालनात्मक जो़खिम प्रबंधन' तथा 'व्यवसाय निरन्तरता आयोजन व आपदा वसूली प्रबंधन' पर नीतियाँ तैयार की हैं। बैंक का निदेशक—मंडल वार्षिक आधार पर इन नीतियों की समीक्षा

Table DF 7- SECURITISATION: DISCLOSURE FOR STANDARDISED APPROACH

Qualitative Disclosures

There is no separate policy of the Bank on securitization of Standard Assets. Bank has not sold out any standard credit portfolio under securitization to any other entities.

Assignment of Standard Pool Assets- ₹ 172.73 crores

Table DF 8-MARKET RISK IN TRADING BOOK

Qualitative disclosures

Market risk is defined as the risk of potential losses that the bank may incur due to adverse movements in market prices. The market risk positions subject to capital charge requirement are:

- Interest Rate Risk pertaining to Interest Rate related instruments in trading book.
- Price risk pertaining equities in trading book.

To manage the risk, the Bank has laid down various limits such as stop loss limits etc. Violations of predetermined limits are reported to Risk Management Department where actions to address them are determined by the appropriate authorities.

Bank has put in place a proper system for calculating capital charge on Market Risk on Trading portfolio as per RBI guidelines, viz., Standardised Duration Approach. The capital charge thus calculated is converted into Risk Weighted assets. The aggregated Risk weighted Assets for Credit Risk and Market Risk are taken into consideration for arriving at the CRAR.

Quantitative Disclosure

The capital requirements for:	Amt.–₹/Crores
Interest rate risk;	30.69
Equity position risk;	11.59
Foreign exchange risk;	Nil

Table DF 9-OPERATIONAL RISK

Qualitative disclosures

The Bank has formulated Policies on "Operational Risk Management' and the "Business Continuity Plan & Disaster Recovery Management". These



करता है–बैंक 'ज़ोखिम हानि आंकड़ों' के संग्रहण की प्रक्रिया में लगा है।

परिचालनात्मक जोखिम संबंधी नीति के अनुसार कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति (ओ.आर.एम.सी.) गठित की गई है। ओ.आर.एम.सी. की नियमित बैठकें प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाती है। शाखाओं की आँन साईट 'जोखिम आधारित आन्तरिक लेखा—परीक्षा (आर.बी.आई.ए.) बैंक का निरीक्षण विभाग सम्पन्न करता है। रूपए 3 करोड़ से ऊपर के सभी ऋण प्रस्तावों / सीमाओं की नियमित रूप से ऋण लेखा—परीक्षा भी की जाती है।

हाऊस कीपिंग, समाधान एवं धोखा—धड़ी आदि से संबंधित मामलों में क्रमशः निरीक्षण विभाग समाधान विभाग एवं सतर्कता विभाग इनकी रिपोर्टिंग समयसमय पर आड़िट कमेटी ऑफ बोड़ (ए.सी.बी.) को करते हैं। परिचालनात्मक जोखिम तथा व्यवसाय निरन्तरता आयोजन से संबंधित विनियामक रिपोर्टिंग को समयबद्ध एवं नियमित किया गया है।

परिचालनात्मक ज़ोखिम के लिए पूंजी प्रभार की संगणना हेतु वर्तमान में बैंक 'मूलभूत सूचकांक' पद्धित का अनुपालन कर रहा है। तथापिए परिचालनात्मक ज़ोखिम के लिए पूंजी प्रभार की संगणना की उन्नत पद्धितयाँ की ओर उन्मुख होने की तैयारी भी बैंक साथ साथ कर रहा है।

तालिका डी.एफ. 10. बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आई.आर.आर.बी.बी.)

गुणात्मक प्रकटीकरण

ब्याज दर जोखिम की गणना और निगरानी अनेक प्रकार की कसौटियों पर जाँच करने के बाद होती है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत ब्याज दर में बदलाव के प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है। स्थिर आय प्रतिभूतियो पर प्रभाव जानने के लिए प्रतिफल रेखा में 25 बी.पी.एस. से 100 बी.पी.एस. के समानांतर विस्थापन की परिकल्पना की जाती है।

31.03.2011 को कल्पित ब्याज शॉक का आय पर प्रभाव

एक साल अन्तराल	तक औसतन	100	रूपए	61.30	करोड़
आधार अंक परिवर्तन	का प्रभाव				

policies are being reviewed by the Board of the Bank on annual basis. Bank is in process of collecting "Loss Data'.

As per the policy on Operational Risk, the Operational Risk Management Committee (ORMC) has been set up which is headed by the Executive Director. Regular meetings of the ORMC are convened at least on quarterly basis. Inspection Deptt of the bank undertakes onsite "Risk Based Internal Audit" (RBIA) of the branches. Credit Proposals / Limits beyond ₹ 3 Crores are subjected to Regular Credit Audit also.

Inspection, Reconciliation and Vigilance Departments are reporting matters relating to Housekeeping, Reconciliation and Frauds etc. periodically to ACB. Regulatory reporting with regard to Operational Risk and Business Continuity Plan is made timely & regularly. Bank is presently following 'Basic Indicator Approach" for calculating Capital Charge on Operational Risk. However, the bank is preparing to move to advance approaches of calculating capital charge for Operational Risk.

Table DF 10 -INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)

Qualitative Disclosures

The interest rate risk is measured and monitored through by conducting various stress tests. The immediate impact of the changes in the interest rates is analysed under this approach. A parallel shift in yield curve from 25 bps to 100 bps is assumed for fixed income securities to arrive at the impact.

Impact of National Interest Rate Shock As on 31.03.2011

At 100 bps change for gaps upto	₹ 61.30 Crores
1 year on average basis	

कॉर्पोरेट प्रबंधन रिपोर्ट 2010-11 आचार संहिता

1. प्रबंधन संहिता के संबंध में बैंक-दर्शन

बैंक उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु संसाधनों के इष्टतम उपयोग के साथ अधिकतम प्रतिफल प्राप्त करने तथा सभी स्तरों पर कार्य निष्पादन को सुनिष्चित करते हुए, शेयर—धारकों के हितों की रक्षा करते हुए तथा उनके मूल्यों में अभिवृद्धि के लिए अपने सतत् प्रयास जारी रखेगा। बैंक न केवल सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा अपितु स्वेच्छापूर्वक कड़ी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पद्धतियों को निष्पादित करते हुए, उनका पालन भी करेगा। बैंक प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने हेतु नैतिक मूल्यों के उच्च मानकों, पारदर्शिता तथा अनुशासित दृष्टिकोण अपनाने में विश्वास रखता है। बैंक अपने सभी साझेदारों जिसमें शेयरधारक, ग्राहक, सरकार तथा व्यापक तौर पर आमजन भी शामिल हैं, को अधिकतम लाभ पहुचाने हेतु सतत् प्रयास करता रहेगा।

बेंक एक सूचीबद्ध निकाय है जो एक कंपनी नहीं है अपितु बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 अर्थात् बैंककारी कंपनी अर्जन अधिनियम के तहत निकाय कॉर्पोरेट है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित होता है, अतः स्टॉक एक्सचेंजो के साथ किए गए सूचीयन करार के संशोधित उपखंड 49 के प्रावधानों का उस सीमा तक पालन करेगा जहां तक बैंककारी कंपनी उपक्रमों का (अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के प्रावधानों और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं होता है।

2. निदेशक मंडल:

2.1 निदेशक मंडल का स्वरूप

निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 यथा संशोधित तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980 (यथा संशोधित) के प्रावधानों द्वारा शासित होता है।

Report on Corporate Governance (2010-11)

Code of Conduct

1. BANK'S PHILOSOPHY ON CODE OF GOVERNANCE:


The Bank shall continue its endeavor to enhance its shareholders' value by protecting their interest by ensuring performance at all levels, and maximizing returns with optimal use of resources in its pursuit of excellence. The Bank shall comply with not only the statutory requirements, but also voluntarily formulate and adhere to a set of strong Corporate Governance practices. The Bank believes in setting high standards of ethical values, transparency and a disciplined approach to achieve excellence in all its sphere of activities. The Bank is also committed to follow the best practices. The Bank shall strive hard to best serve the interests of its stakeholders comprising of shareholders, customers, Government and society at large.

The Bank is a listed entity, which is not a company but body corporate under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and is regulated by Reserve Bank of India. Therefore, the Bank shall comply with the provisions of Clause 49 of the Listing Agreement entered into with Stock Exchanges to the extent it does not violate the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and the Guidelines issued by Reserve Bank of India in this regard.

2. BOARD OF DIRECTORS


2.1 Composition of the Board:

The composition of Board of Directors of the Bank is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, as amended and the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, as amended.



	31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुरूप निदेशक मंडल का स्वरूप निम्नानुसार है:						
	The composition of Board of Directors of the Bank as on 31st March, 2011 is as under:						
क्रम सं. Sr. No	नाम Name	पदनाम Position Held	31.03.2011 को धारित बैंक के शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as	बैंक की उपसमितियों की सदस्यता की संख्या No. of member	में निदेशक के रूप में सेवाओं की संख्या No. of Directorship held in other	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों के बोर्ड की उप—समितियों में सदस्यता / अध्यक्षता की संख्या No of Membership/	अन्य कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप) Remarks (nature of
			on 31.03.2011	ship in Sub Committees of the Bank	Companies i.e. Other than the Bank.	Chairmanship held in Sub Committees of the Board in Other Companies	appointment in the Bank / other Companies)
1.	श्री पी.के. आनन्द Sh P.K. Anand	कार्यकारी निदेशक Executive Director	1057	9	शून्य Nil	शून्य Nil	*
2.	श्री ए. भट्टाचार्य Sh A. Bhat- tacharya	निदेशक—वित्त मंत्रालय द्वारा नामित Director – MOF Nominee Director	शून्य Nil	5	शून्य Nil	शून्य Nil	**
3.	श्री बी.पी. कानूनगो Sh B.P. Kanungo	निदेशक—भा. रि.बें. द्वारा नामित Director – RBI Nominee Director	श्रून्य Nil	6	श्रून्य Nil	श्रून्य Nil	@
4.	श्री ए.कं. सुराना Sh A.K. Surana	निदेशक—सनदी लेखाकार निदेशक गैर—अधिकारिक निदेशक Director — Chartered Accountant Director Non-Official Director	352	10	शून्य Nil	शून्य Nil	\$
5.	श्री कृष्ण मुरारी गंगावत Sh Krishan Murari Gangawat	गैर—अधिकारिक निदेशक Non-Official Director	1057	9	शून्य छपस	शून्य छपस	#
6.	श्री करनपाल सिंह सेखों Sh Karanpal Singh Sekhon	गैर—अधिकारिक निदेशक Non-Official Director	शून्य	5	शून्य छपस	शून्य छपस	++

- * वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 7 दिसम्बर, 2009 सं. एफ.नं.9 / 12 / 2009—बीओ—I की शर्तों के अनुरूप पूर्णकालिक निदेशक (पदनामित कार्यकारी निदेशक) अर्थात पदग्रहण करने (07.12.2009) और दिनांक 31.05.2013 तक यानि कि अपनी अधिवर्षिता की तिथि तक या आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो।
- ** वित्त—मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 27 जनवरी, 2009 सं. एफ.नं.9/7/2007—बीओ—I, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9(3)(बी) के तहत तुरंत प्रभाव से एवं अगले आदेश तक निदेशक नियुक्त।
- Appointed in terms of GOI MOF letter No F.No.9/12/2009-BO-I dated 7th December 2009 as a whole time Director (designated as Executive Director) w.e.f. the date of taking charge (07.12.2009) and upto 31.05.2013 i.e. the last date of the month in which he would attain the age of superannuation or until further whichever is earlier.
- Appointed as Director in terms of GOI MOF letter No F.No.9/7/2007-BO-I dated 27th January 2009 under clause (b) of sub section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 with immediate effect and until further orders.



- वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 30 जुलाई, 2010 सं. एफ.नं.9/2/2007—बीओ—I, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9(3)(बी) के तहत तुरंत प्रभाव से एवं अगले आदेश तक निदेशक नियुक्त।
- \$ वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 31 दिसम्बर, 2008 सं. एफ.नं.9/30/2004—बीओ—I, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा (3जी) के तहत अधिसूचना से 3 वर्ष तक एवं/या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, अंशकालिक गैर—अधिकारिक सांविधिक लेखाकार की श्रेणी के अंतर्गत निदेशक नियुक्त।
- # वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 10 जुलाई, 2008 सं. एफ.नं.9 / 4 / 2006—बीओ—I, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 / 1980 की धारा 9 की उपधारा (3एच) एवं (3—ए) के तहत अधिसूचना से 3 वर्ष तक एवं / या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, अंशकालिक गैर—अधिकारिक निदेशक नियुक्त।
- .++ वित्त—मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 5 जुलाई, 2010 सं. एफ.नं.9 / 54 / 2009—बीओ—I, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनयम, 1970 / 1980 की धारा 9 की उपधारा (उएच) एवं (3—ए) के तहत अधिसूचना से 3 वर्ष तक एवं / या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, अंशकालिक गैर—अधिकारिक निदेशक नियुक्त।

2.2 वर्ष के दौरान निदेशकों की नियुक्ति/कार्य-समाप्ति

वर्ष 2010—11 में बैंक के निदेशक मंडल के गठन में निम्न परिवर्तन हुए:

(क) नियुक्तियां -

दिनांक 05.07.2010 को श्री करनपाल सिंह सेखों को बैंक के निदेशक मंडल में गैर—अधिकारिक निदेशक के रूप में नामित किया गया।

दिनांक 12.07.2010 को श्री मनीष गुप्ता को बैंक के निदेशक मंडल में गैर-अधिकारिक निदेशक के रूप में नामित किया गया।

दिनांक 30.07.2010 को श्री बी.पी.कानूनगो को बैंक के निदेशक मंडल में भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक के रूप में नामित किया गया।

(ख) वर्ष के दौरान सेवानिवृत / त्यागपत्र देने वाले निदेशक

दिनांक 30.06.2010 को श्री जी.एस.वेदी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय ने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त की और बैंक की सेवाओं से सेवानिवृत हुए।

दिनांक 27.07.2010 को श्री संदीप घोष ने बैंक के निदेशक मंडल में अतिरिक्त निदेशक के रूप में अपना कार्य—काल पूर्ण किया।

- @ Appointed as Director in terms of GOI MOF letter No F.No.9/2/2007-BO-I dated 30th July 2010 under clause (c) of sub section 3 of Section 9 of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 with immediate effect and until further orders.
- \$ Appointed as part-time non-official Director under chartered accountant category in terms of GOI MOF letter No F.No.9/30/2004-BO-I dated 31th December 2008 under sub section (3g) of Section 9 of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for a period of three years from the date of notification and / or until further orders whichever is earlier.
- # Appointed as part-time non-official Director in terms of GOI MOF letter No F.No.9/4/2006-BO-I dated 10th July 2008 under sub section (3h) and (3-A) of Section 9 of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for a period of three years from the date of notification of his appointment or until further orders whichever is earlier.
- ++ Appointed as part-time non-official Director in terms of GOI MOF letter No F.No.9/54/2009-BO-I dated 5th July 2010 under sub-section (3h) and (3-A) of Section 9 of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 for a period of three years from the date of notification of his appointment or until further orders whichever is earlier.

2.2 Appointment / Cessation of Directors During The Year:

The constitution of Bank's Board of Directors underwent the following changes during the year 2010-2011:

[A] Appointment:

Shri Karanpal Singh Sekhon was nominated as Non Official Director on the Board of the Bank on 05.07.2010.


Shri Manish Gupta, was nominated as Non Official Director on the Board of the Bank on 12.07.2010.

Shri B.P.Kanungo, was nominated as RBI Nominee Director on the Board of the Bank on 30.07.2010.

[B] Directors out going / resigned during the year:

Shri G.S. Vedi, Chairman & Managing Director attained the age of superannuation and thus retired from the service of the Bank on 30.06.2010.

Shri Sandip Ghose completed his term as an Additional Director on the Board of the Bank on 27.07.2010.



दिनांक 30.07.2010 को श्री आर. सदानंदम, भारतीय रिज़र्व बैंक नामित निदेशक ने अपना कार्यकाल पूर्ण किया।

दिनांक 08.12.2010 को सक्षम प्राधिकारी द्वारा बैंक के निदेशक मंडल से श्री हिर चंद बहादुर सिंह, गैर—अधिकारिक निदेशक का त्यागपत्र स्वीकृत किया गया।

दिनांक 24.12.2010 को सक्षम प्राधिकारी द्वारा बैंक के निदेशक मंडल से श्री मनीष गुप्ता, गैर—अधिकारिक निदेशक का त्यागपत्र स्वीकृत किया गया।

दिनांक 24.01.2011 को श्री एम.वी.एस.प्रसाद, गैर—अधिकारिक निदशक के रूप में बैंक के निदेशक मंडल से तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर, सेवानिवृत हुए।

वर्ष 2010–11 के दौरान नियुक्त निदेशकों का परिचयः

(क) श्री करनपाल सिंह सेखों

क्र. सं.	ब्यौरा	विस्तृत विवरण
1.	पूरा नाम	करनपाल सिंह सेखों
2.	पिता का नाम	मेजर जे.एस.सेखों
3.	जन्म तिथि एवं आयु	18.03.1956, 54 वर्ष
4.	वर्तमान पता	मकान संख्या 26, सैक्टर 4, पंच. कुला (हरियाणा)
5.	ईमेल पता	karanpal56@gmail.com
6.	शैक्षिक योग्यता	एम.ए. अंग्रेजी (साहित्य)
7.	निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 05 जुलाई, 2010 सं. एफ.नं. 9 / 54 / 2009—बीओ—I, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 / 1980 की धारा 9 की उपधारा (3एच) एवं (3—ए) के तहत अधिसूचना से 3 वर्ष तक एवं / या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, अंशकालिक गैर—अधिकारिक निदशक नियुक्त।
8.	अनुभव	पारिवारिक कृषि व्यापार में अनुभव (उपजाना, कटाई एवं बिक्री), कॉरपोरेट परिवेश में कार्य किया।
9.	अन्य निदेशक पदों का विवरण, यदि कोई है	शून्य

Shri R. Sadanandam, RBI Nominee Director completed his tenure on 30.07.2010.

The resignation of Shri Hari Chand Bahadur Singh, Non Official Director, from the Board of the Bank was accepted by the competent authority on 08.12.2010.


The resignation of Shri Manish Gupta, Non Official Director, from the Board of the Bank was accepted by the competent authority on 24.12.2010.

Shri M.V. S. Prasad, Non Official Director retired from the Board of the Bank on 24.01.2011 after completing term of three years as Director of the Bank.

Profiles of directors appointed during 2010-11:

[A] Shri Karanpal Singh Sekhon

S NO.	PARTICULARS	JLARS DETAILS	
1.	Full Name	Karanpal Sngh Sekhon	
2.	Father's Name	Major J. S. Sekhon	
3.	Date Of Birth & Age	18.03.1956 ; 54 Years	
4.	Present Address	House No. 26 Sector 4, Panchkula (Haryana)	
5.	Email Address	karanpal56@gmail.com	
6.	Educational Qualification	M.A. English (Lit)	
7.	Nature Of Appointment As Director	Appointed As Part-Time Non-Official Director In Terms of GOI/MOF Letter No No F.No.9/54/2009-Bo-I Dated 5th July 2010 Under Sub Section (3h) And (3-A) of Section 9 Of BankiNg Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 For A Period of Three Years From The Date Of Notification of His Appointment or Until Further Orders Whichever Is Earlier.	
8.	Experience	Experience In Family Run Agri Business (Growing, Harvasting & Selling), Worked In Corporate Environment	
9.	PARTICULARS OF OTHER DIRECTORSHIP (IF ANY)	NIL	




(ख) श्री मनीष गुप्ता

क्र. सं.	ब्यौरा	विस्तृत विवरण
1.	पूरा नाम	मनीष गुप्ता
2.	पिता का नाम	स्वर्गीय श्री पी.सी.गुप्ता
3.	जन्म तिथि एवं आयु	11.11.1941, (69 वर्ष)
4.	वर्तमान पता	20, सुरेन टैगोर रोड, कोलकत्ता
5.	ईमेल पता	manishg1@vsnl.net
6.	शैक्षिक योग्यता	विज्ञान—स्नातक
7.		वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 12 जुलाई, 2010 सं. एफ.नं.9 /21/2008—बीओ—I, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा (उएच) एवं (3—ए) के तहत अधिसूचना से 3 वर्ष तक एवं/या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, अंशकालिक गैर—अधिकारिक निदेशक नियुक्त।
8.	व्यापार / बैंक अनुभव / व्यवसाय	कॉर्पस ऑफ इंजीनियरिंग, भारतीय सेनाः भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई. ए.एस.) में 4 वर्षः पश्चिम बंगाल सरकार में प्रमुख सचिव के रूप में 35 वर्ष का सेवाकाल (30.11.2001 को सेवानिवृत) सीईओ, नेशनल टैक्सटाईल कॉर्प., पूर्वी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, लघु एवं मध्यम उद्योगों का विकास, कॉमोडिटी मार्केट आदि की निगरानी। ग्लोबल कंसलटेंट (प्रोपराईटर) एमजी एण्ड एसोसिएट्स इंडिया
9.	-	टाटा मेटेलिक्स लि. टैक्समेको रेल एण्ड इंजी. लि. इंडिया कॉर्बन लि. केलकॉम सीमेंट इंडिया लि.

[B] Shri Manish Gupta

S. No.	PARTICULARS	DETAILS
1.	Full Name	Manish Gupta
2.	Father's Name	Late P.C. Gupta
3.	Date Of Birth & Age	11.11.1941, (69 Years)
4.	Present Address	20 Suren Tagore Road, Kolkata
5.	Email –Address	manishg1@vsnl.Net
6.	Educational Qualification	Bachelor Of Science
7.	Nature of Appointment As Director	Appointed As Part-Time Non-Official Director In Terms of GOI /MOF Letter No F.No.9/21/2008-Bo-I Dated 12th July 2010 Under Sub Section (3h) And (3-A) of Section 9 Of Banking Companies (Acquisition & Transfer Of Undertakings) Act, 1970/1980 for A Period Of Three Years From The Date Of Notification Of His Appointment Or Until Further Orders Whichever Is Earlier.
8.	Business / Bank Experience / Occupation	Corps of Engineers, Indian Army: 4 years Indian Administrative Service (IAS): 35 years Chief Secretary, GOWB (Retd. 30.11.2001) CEO, National Textile Corp., Eastern Region, Public Sector undertakings, Promotion of Small & Medium Industries, Monitoring of Commodity Markets etc. State Finance & Budget function, Micro Finance, Integrated Rural Development, Union Transport, Project Planning & Finance, Project Opportunity Scan, Industrial Development, Information Technology, Public Sector Undertaking, Engineering, Civil Aviation etc. Global Consultant (Prop) MG & Associates India
9.	Particulars Of Other Directorship (If Any)	Tata Metaliks Ltd. Texmaco Rail & Engg. Ltd. India Carbon Ltd. Calcom Cement India Ltd.



(ग) श्री बिभू प्रसाद कानूनगो

क्र .	ब्यौरा	विस्तृत विवरण
प्र. सं.		1470/114479
1.	पूरा नाम	बिभू प्रसाद कानूनगो
2.	पिता का नाम	श्री महेंद्र नाथ
3.	जन्म तिथि एवं	05.05.1959, 51 वर्ष
	आयु	
4.	वर्तमान पता	आर–100, आरबीआई ऑफिसर फ्लैट,
		गांधी नगर, जयपुर (राजस्थान)
5.	शैक्षिक योग्यता	एम.ए., एल.एल.बी.
6.	निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 30 जुलाई, 2010 सं. एफ. नं.9/2/2007—बीओ—I, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9(3)(सी) के तहत तुरंत प्रभाव से एवं अगले आदेश तक निदेशक नियुक्त।
7.	अनुभव	राजस्थान हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के आंचलिक निदेशक
8.	अन्य निदेशक	शून्य
	पदों का विवरण,	
	(यदि कोई है)	

2.3 बोर्ड बैठकें:

वित्तीय वर्ष 2010—11 के दौरान, बोर्ड की निम्न तिथियों पर कुल 12 बैठके हुईं जोकि राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980 में निर्धारित शर्त 12 की न्यूनतम 6 बैठकों के विरूद्ध है।

23.04.2010	09.06.2010	30.06.2010	30.07.2010	26.08.2010
28.10.2010	23.11.2010	07.12.2010	27.12.2010	21.01.2011
15.02.2011	25.03.2011			

उपर्युक्त निदेशक मंडल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्न है जो उनके कार्यकाल से संबंद्ध है:

[C] Shri Bibhu Prasad Kanungo

S. NO.	PARTICULARS	DETAILS	
1.	Full Name	Bibhu Prasad Kanungo	
2.	Father's Name	Shri Mahendra Nath	
3.	Date of Birth & Age	05.05.1959 ; 51 Years	
4.	Present Address	R-100, RBI Officers Flats, Gandhi Nagar, Jaipur (Rajasthan)	
5.	Educational Qualification	M.A. LLB.	
6.	Nature Of Appointment As Director	Appointed As Director In Terms Of GOI/MOF Letter No F.No.9/2/2007-Bo-I Dated 30th July 2010 Under Clause (C) Of Sub Section 3 Of Section 9 Of Banking Companies (Acquisition & Transfer Of Undertakings) Act, 1970/1980 With Immediate Effect And Until Further Orders.	
7.	Experience	Regional Director RBI For Rajasthan	
8.	Particulars Of Other Directorship (If Any)	Nil	

2.3 BOARD MEETINGS:

During the Financial Year 2010-11, a total of 12 Board Meetings were held on the following dates as against minimum of 6 meetings prescribed under Clause 12 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980

23.04.2010	09.06.2010	30.06.2010	30.07.2010	26.08.2010
28.10.2010	23.11.2010	07.12.2010	27.12. 2010	21.01.2011
15.02.2011	25.03.2011			

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Board Meetings held during their respective tenure are as under:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
श्री जी.एस.वेदी — अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2010 से 30.06.2010	03	03
श्री पी.के.आनन्द – कार्यकारी निदेशक	01.04.2010 से 31.03.2011	12	12
श्री ए. भट्टाचार्य — वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	01.04.2010 से 31.03.2011	12	12
श्री आर. सदानंदम – भा.रि.बैं. नामित निदेशक	01.04.2010 से 30.07.2010	04	04
श्री बी.पी.कानूनगो — भा.रि.बैं. नामित निदेशक	01.08.2010 से 31.03.2011	08	05
श्री संदीप घोष – अतिरिक्त निदेशक	01.04.2010 से 27.07.2010	03	03
श्री ए.के.सुराना – सनदी लेखाकार निदेशक	01.04.2010 से 31.03.2011	12	11
श्री एम.वी.एस. प्रसाद – गैर– अधिकारिक निदेशक	01.04.2010 से 24.01.2011	10	10
श्री कृष्ण मुरारी गंगावत – गैर–अधिकारिक निदेशक	01.04.2010 से 31.03.2011	12	12
श्री हरीचंद बहादुर सिंह – गैर–अधिकारिक निदेशक	01.04.2010 से 08.12.2010	08	07
श्री करनपाल सिंह सेखों – गैर–अधिकारिक निदेशक	05.07.2010 से 31.03.2011	09	06
श्री मनीष गुप्ता गैर—अधिकारिक निदेशक	12.07.2010 से 24.12.2010	05	03

2.4 आचार संहिताः

निदेशक मंडल तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिक अर्थात् निदेशकों एवं निदेशक से एक पद नीचे जिनमें सभी महाप्रबंधक सम्मिलित हैं, हेतु स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्धता करार के खंड 49 की अनुपालना में आचार संहिता को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कर

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Sh G.S. Vedi - CMD	01.04.2010 to 30.06.2010	03	03
Sh P.K. Anand – ED	01.04.2010 to 31.03.2011	12	12
Sh A. Bhattacharya – MOF Nominee Director	01.04.2010 to 31.03.2011	12	12
Sh R. Sadanandam – RBI Nominee Director	01.04.2010 to 30.07.2010	04	04
Sh B.P. Kanungo - RBI Nominee Director	01.08.2010 to 31.03.2011	08	05
Sh Sandip Ghose- Additional Director	01.04.2010 to27.07.2010	03	03
Sh A.K. Surana – CA Director	01.04.2010 to 31.03.2011	12	11
Sh M.V.S. Prasad – Non Official Director	01.04.2010 to 24.01.2011	10	10
Sh Krishan Murari Gangawat – Non-Official Director	01.04.2010 to 31.03.2011	12	12
Sh Harichand Bahadur Singh - Non Official Director	01.04.2010 to 08.12.2010	08	07
Sh Karanpal Singh Sekhon – Non Official Director	05.07.2010 to 31.03.2011	09	06
Sh Manish Gupta Non-Official Director	12.07.2010 to 24.12.2010	05	03

2.4 Code of Conduct:

The Code of Conduct for Board of Directors and key Management Personnel i.e. Directors & one rank below Director, comprising of General Managers, has been approved by the Board of Directors in compliance of Clause 49 of the Listing Agreement दिया गया है। उक्त आचार संहिता का बैंक की वेबसाइट www.psbindia.com पर अवलोकन किया जा सकता है। निदेशक मंडल के सभी सदस्यों एवं महाप्रबंधकों ने आचार संहिता के प्रति सहमति व्यक्त कर दी है।

3.1 वार्षिक सामान्य बैठकः

वर्ष 2010—11 के दौरान, बैंक ने कोई वार्षिक सामान्य बैठक आयोजित नहीं की है।

3.2 असाधारण सामान्य बैठकः

वर्ष 2010–11 के दौरान, बैंक ने कोई असाधारण सामान्य बैठक आयोजित नहीं की है।

4. निदेशकों की समितिः

बैंक के निदेशक मंडल ने कॉरपोरेट गवर्नेर्स तथा जोखिम प्रबंधन प्रणाली पर भारत सरकार के दिशा—निर्देशानुसार कार्यनीति के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर निगरानी रखने के लिए निदेशकों की विभिन्न समितियों का गठन किया है। निदेशक मंडल द्वारा गठित महत्वपूर्ण समितियां निम्न हैं—

क्र. सं.	समिति का नाम
1.	निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति (एमसी)
2.	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)
3.	बड़ी राशि की धोखाधड़ी निगरानी संबंधी समिति
4.	सतर्कता समिति
5.	जोखिम प्रबंधन समिति
6.	ग्राहक सेवा समिति
7.	पारिश्रमिक समिति
8.	शेयरधारकों / निवेशकों की शिकायत निवारण समिति
9.	नामांकन समिति
10.	सूचना प्रौद्योगिकी समिति
11.	कार्यपालकों के प्रोमोशन पर निदेशकों की समिति
12.	अपील / समीक्षा प्राधिकारी पर निदेशकों की समिति

4.1 निदेशक मंडल की प्रबंधन समितिः

बोर्ड की प्रबंधन समिति का गठन वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980 (यथा संशोधित) के खंड – 13 के अनुसरण में किया गया है जो अत्यधिक महत्वपूर्ण कारोबारी मामले तथा अधिक राशि के ऋण प्रस्ताव मंजूर करने, समझौता / बट्टा खाता प्रस्ताव, पूंजीगत एवं राजस्व व्यय की स्वीकृति, परिसर, निवेश, दान आदि पर विचार करती है।

समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (वर्तमान में खाली), कार्यकारी निदेशक और धारा 9(3)(सी) एवं 9(3)(जी) के तहत भारत सरकार द्वारा नामित निदेशकों तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3) की उपधारा

with Stock Exchanges. The said Code of Conduct is posted on Bank's website www.psbindia.com. All the Board Members and General Managers have since affirmed the compliance of the Code.

3.1. Annual General Meeting:

The Bank was not required to hold Annual General Meeting during the year 2010-11.

3.2. Extra Ordinary General Meeting:

The Bank did not hold any Extra Ordinary General Meeting during the year 2010-11.

4. COMMITTEE OF DIRECTORS


The Board of Directors of the Bank has constituted various Committees of Directors to look into different areas of strategic importance in terms of Reserve Bank of India and Government of India guidelines on Corporate Governance and Risk Management. The important Committees of the Board are as under:

S. No	Name of the Committee
1.	Management Committee of the Board (MC)
2.	Audit Committee of Board (ACB)
3.	Committee for Monitoring Large Value Frauds
4.	Vigilance Committee
5.	Risk Management Committee
6.	Customer Service Committee
7.	Remuneration Committee
8.	Shareholders' / Investors' Grievances Committee
9.	Nomination Committee
10.	I T Committee
11.	Committee of Directors on Executives' Promotions
12.	Committee of Directors on Appellate/ Reviewing Authority

4.1. Management Committee of the Board:

In pursuance of Clause 13 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (as amended) read with the amendments made by the Ministry of Finance, Government of India, a Management Committee of the Board has been constituted to consider various business matters of material significance like sanction of high value credit proposals, compromise / write-off proposals, sanction of capital and revenue expenditure, premises, investments, donations etc.

The Committee consists of Chairman and Managing Director (presently vacant), Executive Director and Directors nominated by Government of India under Section 9 (3) (c) and 9 (3) (g) besides three Directors from amongst those appointed under sub section (e) (f)



(ई)(एफ)(एच) व (आई) के अधीन नियुक्त निदेशकों में से तीन निदेशकों का समावेश है।

31 मार्च, 2011 को समिति की संरचना इस प्रकार है-

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री पी.के.आनन्द – कार्यकारी निदेशक
2.	श्री बी.पी.कानूनगो – भा.रि.बैं. नामित निदेशक
3.	श्री ए.के.सुराना – सनदी लेखाकार निदेशक
4.	श्री करनपाल सिंह सेखों – गैर–अधिकारिक
	निदेशक
5.	श्री कृष्ण मुरारी गंगावत – गैर–अधिकारिक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान बोर्ड की प्रबंधन समिति की निम्नांकित तिथियों पर 15 बैठक का आयोजन हुआः

23.04.2010	07.05.2010	09.06.2010	30.06.2010	30.07.2010
10.08.2010	26.08.2010	22.09.2010	28.10.2010	07.12.2010
19.12.2010	21.01.2011	15.02.2011	07.03.2011	26.03.2011

(h) and (i) of section 9(3) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980.

The composition of the Committee as on 31st March 2011 is as under:

SNo	Name of the Director
1.	Sh P.K. Anand – Executive Director
2.	Sh B.P. Kanungo – RBI Nomiinee Director
3.	Sh A.K. Surana – CA Director
4.	Sh Karanpal Singh Sekhon – Non-Official Director
5.	Sh Krishan Murari Gangawat – Non-Official Director


During the Financial Year 2010-11, the Management Committee of the Board met on 15 occasions on the following dates:

23.04.2010	07.05.2010	09.06.2010	30.06.2010	30.07.2010
10.08.2010	26.08.2010	22.09.2010	28.10.2010	07.12.2010
19.12.2010	21.01.2011	15.02.2011	07.03.2011	26.03.2011

निदेशक सदस्यों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण निम्न है

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

held during their respective tenure are as under:					
निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल	बैठकें जिनमें		
Name of the Director	Period	के दौरान	सहभागिता की		
		आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	Meetings attended		
श्री जी.एस.वेदी — अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Sh G.S. Vedi – CMD	01.04.2010 से 30.06.2010	04	04		
श्री पी.के.आनन्द — कार्यकारी निदेशक Sh P.K. Anand – ED	01.04.2010 से 31.03.2011	15	15		
श्री आर. सदानंदम — भा.रि.बैं. नामित निदेशक Sh R. Sadanandam-RBI Nominee	01.04.2010 से 30.07.2010	05	05		
श्री बी.पी.कानूनगो — भा.रि.बैं. नामित निदेशक Sh B.P. Kanungo-RBI Nominee	28.10.2010 से 31.03.2011	07	05		
श्री ए.के.सुराना — सनदी लेखाकार निदेशक Sh A.K. Surana – CA Director	01.04.2010 से 31.03.2011	15	14		
श्री एम.वी.एस. प्रसाद — गैर—अधिकारिक निदेशक Sh M.V.S. Prasad-Non official Director	01.04.2010 社 23.04.2010	01	01		
श्री हरीचंद बहादुर सिंह — गैर—अधिकारिक निदेशक Sh Harichand Bahadur Singh	28.10.2010	04 08	03		
श्री कृष्ण मुरारी गंगावत – गैर-अधिकारिक निदेशक		07	07		
Sh Krishan Murari Gangawat	25.01.2011 से 31.03.2011	03	03		
श्री करनपाल सिंह सेखों – गैर–अधिकारिक निदेशक Sh Karanpal Singh Sekhon	28.10.2010 से 31.03.2011	07	06		



4.2 बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)

बैंक ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मूल सिद्धांतों के अनुरूप और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा—निर्देशों के अनुसरण में, बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति गठित की है। एक गैर कार्यकारी निदेशक जोकि सनदी लेखाकार है, समिति का अध्यक्ष है। 31.03.2011 को समिति की संरचना इस प्रकार हैं:

1.	श्री ए.के. सुराना — सनदी लेखाकार निदेशक (अध्यक्ष)
2.	श्री पी.के.आनन्द – कार्यकारी निदेशक
3.	श्री ए. भट्टाचार्य – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
4.	श्री बी.पी.कानूनगो — भा.रि.बैं. नामित निदेशक
5.	श्री कृष्ण मुरारी गंगावत – गैर–अधिकारिक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान एसीबी में निम्नलिखित निदेशक, उनके समक्ष उल्लिखित तिथि से सदस्य नहीं रहेः

(1) श्री आर. सदानंदम - 30.07.2010

वित्तीय वर्ष 2010—11 के दौरान बोर्ड की एसीबी की 09 बैठके निम्नलिखित तिथियों पर आयोजित की गई

23.04.2010	09.06.2010	30.07.2010	26.08.2010	28.10.2010	07.12.2010
21.01.2011	15.02.2011	25.03.2011			

4.2. Audit Committee of Board (ACB):

The Bank, in consonance with the fundamentals of Corporate Governance and in pursuance of directives of the Reserve Bank of India, has constituted an Audit Committee of the Board. A Non-Executive Director, who is a Chartered Accountant, is the Chairman of the Committee.

The composition of the Committee as on 31st March, 2011 is as under:

1.	Sh A. K. Surana - CA Director (Chairperson)		
2.	Sh P.K. Anand – Executive Director		
3.	Sh A. Bhattacharya – MOF Nominee Director		
4.	Sh B.P. Kanungo – RBI Nominee Director		
5.	Sh Krishan Murari Gangawat – Non Official Director		

The following Directors ceased to be members of ACB during the Financial Year 2010-11 on the dates shown against their respective names:

(i) Shri R. Sadanandam - 30.07.2010


During the Financial Year 2010-11, the Audit Committee of the Board (ACB) met on 09 occasions on the dates given below:

23.04.2010	09.06.2010	30.07.2010	26.08.2010	28.10.2010	07.12.2010
21.01.2011	15.02.2011	25.03.2011			

निदेशक सदस्यों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति विवरण निम्न है:

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

क्र.सं. S. No.	निदेशक का नाम Name of the Director	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकें जिनमें सहभागिता की Meetings attended
1.	श्री ए.के.सुराना – सनदी लेखाकार निदेशक (अध्यक्ष) Sh A.K. Surana CA (Chairperson)	01.04.2010 से 30.03.2011 01.04.2010 to 30.03.2011	9	9
2.	श्री पी.के.आनन्द — कार्यकारी निदेशक Sh P.K. Anand - ED	01.04.2010	9	9
3.	श्री ए. भट्टाचार्य – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक Sh A. Bhattacharya –MOF Director	01.04.2010 से 30.03.2011 01.04.2010 to 30.03.2011	9	8
4.	श्री आर. सदानंदम – भा.रि.बें. नामित निदेशक Sh R. Sadanandam – RBI Director	01.04.2010	3	3
5.	श्री बी.पी.कानूनगो — भा.रि.बैं. नामित निदेशक Sh B.P. Kanungo - RBI Director	01.08.2010	6	5
6.	श्री कृष्ण मुरारी गंगावत— गैर—अधिकारिक निदेशक Sh Krishan Murari Gangawat	01.04.2010	9	9



लेखा परीक्षा समिति का, अन्य बातों के साथ—साथ, प्रमुख कार्य बैंक की वित्तीय सूचना प्रणाली की समीक्षा और आकलन करना है तािक यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरणियां सही, उपयुक्त और विश्वसनीय हैं। यह समिति बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले तिमाही / वार्षिक वित्तीय विवरणियों की प्रबंधन के साथ समीक्षा करती है।

यह लेखा परीक्षा समिति दिशा—िनर्देश देती है तथा बैंक के समग्र लेखा परीक्षा कार्यों की समीक्षा करती है जिसमें संगठन परिचालन तथा आंतरिक लेखा परीक्षा की गुणवत्ता नियंत्रण, कार्य आंतरिक नियंत्रण दोष और बैंक की आंतरिक निरीक्षण व्यवस्था, बैंक की सांविधिक / बाह्य लेखा परीक्षा संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई तथा भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण सम्मिलित है।

समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की संरचना, इसकी स्टाफ संरचना की समीक्षा भी करती है और किसी महत्वपूर्ण खोज के संबंध में आंतरिक लेखा परीक्षकों / निरीक्षकों के साथ विचार—विमर्श तथा उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है। यह बैंक की वित्तीय व जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा भी करती है।

सांविधिक लेखा परीक्षा के संदर्भ में लेखा परीक्षा समिति, वार्षिक / तिमाही वित्तीय खातों एवं रिपोर्टों को अंतिम देने से पूर्व, केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ विचार—विमर्श करती है। यह समिति लांग फार्म ऑडिट रिपोर्ट (LFAR) की विभिन्न मदों पर अनुवर्ती कार्रवाई भी करती है।

4.3 बड़ी राशि के धोखाधड़ी के विषय में समितिः

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पत्र दिनांक 14 जनवरी, 2004 सं.आरबीआई / 2004.5.डीबीएस.एफजीवी(एफ)नं.1004 / 23. 04.01ए / 2003—04 के माध्यम से धोखाधड़ी का पता लगाने, नियामक तथा प्रवर्तन एजेंसियों को उसकी सूचना और धोखाधड़ी के अपराधी पर कृत्य के विरुद्ध कार्रवाई जैसे विभिन्न पहलुओं में विलंब के विषय में सूचित किया था। अतः यह सुझाव दिया गया कि बोर्ड की एक उप समिति गठित की जाए जो कि केवल 1 करोड़ के रूपए और उससे ऊपर की राशि की धोखाधड़ी संबंधी मामलों की निगरानी तथा अनुवर्ती कार्रवाई का कार्य ही करेगी। बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति सामान्यतः धोखाधड़ी के सभी मामलों की निगरानी जारी रखेगी।

समिति के मुख्य कार्यो में अन्य बातों के साथ—साथ 1 करोड़ रूपए और उसके ऊपर की राशि की धोखाधड़ी की निगरानी तथा समीक्षा सम्मिलित है ताकि

- (क)धोखाधड़ी के आपराधिक कृत्य में प्रणालीगत खामियों का पता लगाने और उन पर नियंत्रण करने के उपाय किए जा सकें।
- (ख)धोखाधड़ी के पता लगाने में विलंब के कारणों की पहचान तथा बैंक एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के उच्च प्रबंधकों को उसकी रिपोर्टिंग।

The main functions of Audit Committee inter-alia include assessing and reviewing the financial reporting system of the Bank to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible. It reviews and recommends to the Management, the quarterly / annual financial statements before their submission to the Board.

The Audit Committee provides directions and oversees the operations of total audit functions of the Bank including the organization, operation and quality control of internal audit, internal control weaknesses and inspection within the Bank and follow-up of the suggestions of Statutory/External audit of the Bank and RBI inspections.

The Committee also reviews the adequacy of internal control systems, structure of internal audit department, its staffing pattern and holds discussions with the internal auditors / inspectors on any significant finding and follow-up action thereon. It further reviews the financial and risk management policies of the Bank.


As for Statutory Audit, the Audit Committee interacts with the Statutory Central Auditors before finalization of Quarterly / Year to date / Annual Financial Results and Reports. It also maintains follow up on various issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR).

4.3 Committee for Monitoring of Large Value Frauds:

ReserveBankofIndia, videitsletterNo.RBI/2004.5.DBS. FGV(F)No.1004/23.04.01A/2003-4 dated 14th January, 2004 informed about the delay in various aspects of frauds like detection, reporting to regulatory and enforcement agencies and action against the perpetrators of the frauds. It was therefore, suggested to constitute a Sub-committee of the Board, which would be exclusively dedicated to monitor and follow up of fraud cases of Rs.1.00 crore and above. The Audit committee of the Board will continue to monitor all the cases of frauds in general.

The major functions of the Committee, inter-alia, include monitoring and review of all the frauds of Rs.1.00 crore and above so as to:

- (a) identify the systemic lacunae, if any, that facilitated perpetration of the fraud and put in place measures to plug the same
- (b) identify the reasons for delay in detection, if any, reports to top management of the Bank and RBI



- (ग) सीबीआई / पुलिस जांच—पड़ताल की प्रगति तथा वसूली की स्थिति।
- (घ) सुनिश्चित करना कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में सभी स्तरों पर स्टाफ उत्तरदायित्व का परीक्षण हो और स्टाफ पर कार्रवाई यदि अपेक्षित हो तो अविलंब हो।
- (ड.)धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति के निवारण हेतु की गई उपचारात्मक कार्रवाई की प्रभावोत्पादकता की समीक्षा यथा आंतरिक नियंत्रण को सशक्त करना एवं
- (च) धोखाधड़ी के खिलाफ निवारक उपायों को सषक्त करने हेतु यथावश्यक अन्य उपायों को करना।
- (छ) निदेशक मंडल के पांच सदस्यों की गठित विशेष समिति में (क) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (ख) एसीबी के दो सदस्य (ग) भारतीय. रिज़र्व बैंक के नामित को शामिल नहीं करते हुए, 2 अन्य सदस्यों का समावेश है।

31 मार्च, 2011 को समिति की संरचना निम्न है:

- (i) श्री पी.के.आनन्द
- (ii) श्री ए. भट्टाचार्य
- (iii) श्री ए.के.सुराना
- (iv) श्री कृष्ण मुरारी गंगावत
- (v) श्री करनपाल सिंह सेखों

वित्तीय वर्ष 2010—11 के दौरान समिति की 4 बैठके आयोजित की गई जिनका विवरण निम्न है:

09.06.2010	30.07.2010	28.10.2010	15.02.2011
03.00.2010	00.07.2010	20.10.2010	10.02.2011

निदेशकों की उपस्थिती का विवरण इस प्रकार है :

नाम	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों	बैठकों की संख्या जिनमें सहभागिता
	की संख्या	की
श्री जी.एस.वेदी – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	1	1
श्री पी.के.आनन्द –	3	3
कार्यकारी निदेशक श्री ए. भट्टाचार्य – वित्त	4	3
मंत्रालय नामित निदेशक		
श्री हरीचंद बहादुर सिंह	3	2
श्री ए.के.सुराना – सनदी	4	4
लेखाकार निदेशक श्री एम.वी.एस. प्रसाद	2	2
श्री कृष्ण मुरारी गंगावत	3	3
श्री करनपाल सिंह सेखों	1	1

- (c) monitor progress of CBI/Police investigation and recovery position
- (d) ensure that staff accountability is examined at all levels in all the cases of frauds and staff side action, if required, is completed quickly without loss of time
- (e) review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds, such as strengthening of internal controls and
- (f) put in place other measures as may be considered relevant to strengthen Preventive measures against frauds.
- (g) This Committee is constituted with five members of the Board of Directors consisting of: (a) Chairman and Managing Director (presently vacant) (b) Two members from ACB and (c) Two other members from the Board excluding RBI Nominee.


The composition of the Committee as on 31st March, 2011 is as under:

- (i) Shri P.K. Anand
- (ii) Shri A. Bhattacharya
- (iii) Shri A. K. Surana
- (iv) Shri Krishan Murari Gangawat
- (v) Shri Karanpal Singh Sekhon

The Committee met 4 times during the Financial Year 2010-11 as per the details below:

The details of attendance of directors during their tenure are as under:

Name	Meetings held during their tenure	Meetings Attended
Shri G.S. Vedi – CMD	1	1
Shri P.K. Anand – ED	3	3
Shri A. Bhattacharya – MOF Director	4	3
Shri Harichand Bahadur Singh	3	2
Shri A.K. Surana – CA	4	4
Shri M.V.S. Prasad	3	3
Shri Krishanmurari Gangawat	1	1
Shri Karanpal Singh Sekhon	1	1



भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पत्र दिनांक 16.09.2009 सं. डीबीएस. सीओ.एफआरएमसी. नं. 7/23.04.001/2009—10 द्वारा सूचित किया है कि घोखाधड़ी के मामलों में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रभावी जांच की जाए और इसकी तुरंत सूचना सही प्राधिकारी को दी जाए। भारतीय रिज़र्व बैंक की सलाह पर, बैंक ने प्रधान कार्यालय निरीक्षण विभाग के अंतर्गत् 1 करोड़ रूपए और उससे ऊपर के मामलों का विशेष कार्य करने हेतु केंद्रीय सघन परिचालन इकाई की स्थापना की है।

4.4 सतर्कता समितिः

वित्त मंत्रालय के पत्र दिनांक 24.10.1990 सं. 10/12/90/ विज/सीवीओं की शर्तों के अनुरूप, बैंक ने सतर्कता संबंधी कार्यों की समीक्षा के दृष्टिकोण से, सतर्कता अनुशासन संबंधी मामलों के तुरंत निपटान हेतु प्रभावी निगरानी औजार के रूप में बोर्ड की समिति का निम्न सदस्यों के साथ गठन किया है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (पद खाली है)
कार्यकारी निदेशक – श्री पी.के. आनन्द
वित्त मंत्रालय नामित दृ श्री ए. भट्टाचार्य
भारतीय रिज़र्व बैंक नामित – श्री बी.पी.कानूनगो

वित्तीय वर्ष 2010—11 में समिति की निम्न तिथियों पर 4 बैठके हुई:

09.06.2010 30.07.2010 28.10.2010 15.0		1	1	
09.06.2010 30.07.2010 26.10.2010 15.0	09.06.2010	30.07.2010	28.10.2010	15.02.2011

निदेशक सदस्यों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण निम्न है—

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
श्री जी.एस.वेदी — अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2010 से 30.06.2010	01	01
श्री पी.के.आनन्द — कार्यकारी निदेशक	01.04.2010 से 31.03.2011	04	04
श्री ए. भट्टाचार्य — वित्त मंत्रालय नामित	01.04.2010 से 31.03.2011	04	04
श्री बी.पी.कानूनगो – भा.रि.बैं. नामित निदेशक	01.04.2010 से 31.03.2011	04	04

RBI, vide letter No. DBS. CO. FrMC. No. 7/23.04.001/2009-10 dated 16.09.2009 has advised to initiate necessary action in respect of effective investigation in fraud cases and promptly reporting to appropriate authority. The Bank has set up a Centralized Dedicated Operating Unit under the aegis of HO Inspection Department to undertake distinct functions relating to frauds above Rs. 1.00 crore as advised by RBI.

4.4 Vigilance Committee

With a view to make the review of vigilance work an effective instrument of monitoring the speedy disposal of vigilance disciplinary cases, a vigilance committee of the Board has been setup in the Bank in terms of Ministry of Finance letter No.10/12/90/VIG/CVOs dated 24.10.1990 with following members.


CMD – (Post lying vacant)
ED – Shri P.K. Anand
MOF Nominee – Shri A. Bhattacharya
RBI Nominee – Shri B.P. Kanungo

The Committee met on the following dates during the FY - 2010-11

|--|

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenures are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
CMD – Shri G.S. Vedi	01.04.2010 to 30.06.2010	1	1
ED – Shri P.K. Anand	01.04.2010 to 31.03.2011	4	4
MOF Nominee – Shri A. Bhattcharya	01.04.2010 to 31.03.2011	4	4
RBI Nominee – Shri B.P. Kanungo	01.04.2010 to 31.03.2011	4	4



4.5 जोखिम प्रबंधन समितिः

बैंक ने समस्त जोखिमों की समीक्षा एवं मूल्यांकन करने के लिए बोर्ड स्तर की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है।

समिति मुख्य तीन जोखिम क्रियाओं जैसे ऋण जोखिम, बाजार जोखिम एवं परिचालन जोखिम की समीक्षा करती है और विषय पर समुचित विचार करती है एवं यदि आवश्यक हो तो सही निर्देश जारी करती है।

दिनांक 31 मार्च, 2011 को समिति की संरचना निम्न है:

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक – (पद खाली है)
श्री पी.के. आनन्द – कार्यकारी निदेशक
श्री ए.के.सुराना – सनदी लेखाकार निदेशक
श्री कृष्ण मुरारी गंगावत – गैर–अधिकारिक निदेशक
श्री करनपाल सिंह सेखों – गैर–अधिकारिक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2010–11 में समिति की निम्न तिथियों पर 4 बैठके हुई:

09.06.2010	28.10.2010	07.12.2010	21.01.2011
26.03.2011			

निदेशक सदस्यों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण निम्न है—

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
श्री जी.एस.वेदी — अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2010 से 30.06.2010	01	01
श्री पी.के.आनन्द — कार्यकारी निदेशक	01.04.2010 से 31.03.2011	05	05
श्री आर. सदानंदम — भा.रि.बैं. नामित निदेशक	01.04.2010 से 30.07. 2010	01	01
श्री बी.पी. कानूनगो – भा.रि.बैं. नामित निदेशक	01.08.2010 से 07.12.2010	01	01
श्री एम.वी. एस. प्रसाद – गैर–अधिकारिक निदेशक	01.04.2010 से 24.01. 2011	04	04

4.5. Risk Management Committee:

The Bank has constituted a Board level Risk Management Committee to review and evaluate the overall risks assumed by the Bank.

The Committee reviews three important risk functions viz, Credit Risks, Market Risks and Operational Risks and takes an integrated view of the subject and imparts suitable directions if required.

The composition of the Committree as on 31st March, 2011 is as under:

Chairman & Managing Director (Post lying vacant)
Shri P.K. Anand – Executive Director
Shri A.K. Surana – CA Director
Shri Krishanmurari Gangawat – Non Official Director
Shri Karan pal Singh Sekhon – Non Official Director

The Committee met on the following dates during the FY - 2010-11

09.06.2010	28.10.2010	07.12.2010	21.01.2011
26.03.2011			

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Shri G.S. Vedi	01.04.2010 to 30.06.2010	01	01
Shri P.K. Anand	01.04.2010 to 31.03.2011	05	05
Shri R. Sadanandam- RBI Nominee Director	01.04.2010 to 30.07.2010	01	01
Shri B.P. Kanungo - RBI Nominee Director	01.08.2010 to 07.12.2010	01	01
Shri M.V.S. Prasad – Non Official Director	01.04.2010 to 24.01.2011	04	04

श्री ए.के. सुराना – गैर–अधिकारिक निदेशक	01.04.2010 से 31.03.2011	05	05
श्री कृष्ण मुरारी गंगावत — गैर—अधिकारिक निदेशक	07.12.2010 से 31.03.2011	03	03
श्री करनपाल सिंह सेखों – गैर–अधिकारिक निदेशक	25.01.2011 से 31.03.2011	01	01

बैंक ने एक वास्तविक जोखिम प्रबंधन के ढ़ाचे का गठन किया है जिसमें जोखिम प्रबंधन संगठन ढाँचा, जोखिम सिद्धांत, जोखिम नियंत्रण एवं जोखिम लेखा परीक्षण सम्मिलित हैं जो कि सभी ऋण जोखिम, बाजार जोखिम एवं परिचालन जोखिम आदि को पहचानने, प्रबंधन, निगरानी करने के दृष्टिकोण से है। इसके पीछे मूल लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक के परिचालन में स्थायित्व एवं कार्यक्षमता बनी रहे और बैंक के हितो की सुरक्षा की देखभाल होती रहे।

4.6 ग्राहक सेवा समितिः

(क) बोर्ड की ग्राहक सेवा समितिः

बैंक ने बोर्ड की एक उप समिति का गठन किया है जो कि 'बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति' के नाम से जानी जाती है। 31 मार्च, 2011 को समिति के निम्न सदस्य हैं —

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक — (पद खाली है)
श्री पी.के. आनन्द – कार्यकारी निदेशक
श्री ए.के. सुरना – सनदी लेखाकार निदेशक
श्री कृष्ण मुरारी गंगावत – गैर–अधिकारिक निदेशक

समिति के कार्यों में ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सुझाव तथा नवोन्मेषी उपायों के लिए प्लेटफार्म का सृजन करना तथा सभी संवर्ग के ग्राहकों हेतु संतुष्टि के स्तर में सुधार करना शामिल है जिसमें निम्नलिखित का समावेश है:

- i. ग्राहक सेवा पर शीर्ष सिमिति के रूप में कार्य करती है और सार्वजिनक सेवाओं की प्रक्रिया एवं लेखा परीक्षा कार्यनिष्पादन संबंधी स्थायी सिमिति के कार्यों की देखरेख करना तथा ग्राहक सेवाओं की स्थायी सिमिति की सिफारिशों के अनुपालन को सुनिश्चित करना।
- ii. अधिनिर्णय की तारीख से तीन महीने से अधिक अविध के गुजर जाने पर भी लागू न किए गए शेष अधिनिर्णयों तथा बैंकिंग लोकपाल द्वारा बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में पायी गई किमयों की स्थिति की समीक्षा करना।

Shri A.K.	01.04.2010	05	05
Surana – Non	to		
Official Director	31.03.2011		
Shri Krishan	07.12.2010	03	03
	07.12.2010	03	03
Murari	to		
Gangawat –	31.03.2011		
Non Official			
Director			
Shri Karanpal	25.01.2011	01	01
Singh Sekhon	to		
Non Official	31.03.2011		
Director			

The Bank has set up an appropriate risk management architecture, comprising of Risk Management Organizational Structure, Risk Principles, Risk Processes, Risk Control and Risk Audit, all with a view to ideally identify, manage, monitor and control various categories of risks, viz. Credit Risk, Market Risk and Operational Risk, etc. The underlying objective is to ensure continued stability and efficiency in the operations of the Bank and to look after the safety of the Bank.

4.6 Customer Service Committee:


(a) Customer Service Committee of the Board

The Bank has constituted a sub-committee of Board, known as 'Customer Service Committee of the Board'. The Committee has the following members as on 31st March, 2011:

Chairman & Managing Director – (Post lying vacant)
Shri P.K. Anand – Executive Director
Shri A.K. Surana – CA Director
Shri Krishan Murari Gangawat–Non Official Director

The functions of the Committee include creating a platform for making suggestions and innovative measures for enhancing the quality of customer service and improving the level of satisfaction for all categories of clientele at all times, which inter-alia comprise the following:

- Act as apex Committee on Customer Service and oversees the functioning of the Standing Committee on Customer Service and also compliance with the recommendations of the Committee on Procedure and Performance Audit on Public Service (CPPAPS).
- ii. Review the status of the Awards remaining unimplemented for more than 3 months from the date of Awards and also deficiencies in providing Banking services as observed by the Banking Ombudsman.



iii. ग्राहक सेवा में गुणवत्ता में वृद्धि लाने हेतु नवोन्मेषी उपाय करना और सभी स्तरों पर ग्राहक संतुष्टि में सुधार करना।

वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान समिति की निम्न तिथियों पर बैठके हुई:

09.06.2010	28.10.2010	21.01.2011	26.03.2011

निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा इस प्रकार है:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
श्री जी.एस.वेदी — अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक		02	02
श्री पी.के.आनन्द – कार्यकारी निदेशक		04	04
श्री ए.के.सुराना – गैर– अधिकारिक निदेशक	01.04.2010 से 31.03.2011	04	04
श्री कृष्ण मुरारी गंगावत – गैर– अधिकारिक निदेशक	से 31.03.	04	04

(ख) ग्राहक सेवा संबंधी स्थायी समितिः

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार, बैंक के निदेशकों की गठित उप समिति के अतिरिक्त ग्राहक सेवाओं पर एक स्थायी समिति का गठन किया है जिसमें बैंक के 2 महाप्रबंधक एवं समाज के 3 अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति सदस्यों के रूप में सम्मिलित हैं। बैठक की अध्यक्षता, बैंक के कार्यकारी निदेशक द्वारा की जाती है।

समिति के मुख्य कार्य हैं-

- i. बैंक द्वारा ग्राहक केंद्रित उपायों पर विचार करना
- ii. आंचलिक कार्यालयों से जानकारी प्राप्त कर, उस को बोर्ड की ग्राहक समिति के समक्ष आवश्यक नीति / प्रक्रियात्मक कार्रवाई करने हेतु प्रस्तुत करना जिससे हो रहे परिवर्तनों की सुविधा दी जा सके।

4.7 पारिश्रमिक समितिः

भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 09 मार्च, 2007 संख्या एफ नं. 20/1/2005—बीओ. द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों के लिए कार्यनिष्पादन Mount innovative measures for enhancing the quality of customer service and improving level of customer satisfaction for all categories of clientele

During the Financial Year 2010-11, the Committee met on the following dates:

09.06.2010	28.10.2010	21.01.2011	26.03.2011
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Shri G.S. Vedi - CMD	01.04.2010 to 30.06.2010	02	02
Shri P.K. Anand - ED	01.04.2010 to 31.03.2011	04	04
Shri A.K. Surana – Non Official Director	01.04.2010 to 31.03.2011	04	04
Shri Krishan Murari Gangawat - Non Official Director	01.04.2010 to 31.03.2011	04	04

(b) Standing Committee on Customer Service:


Besides, the Sub Committee of the Board as aforesaid, the Bank has also set up a Standing Committee on Customer Service having two General Managers of the Bank and three other eminent public personalities as members, as per the guidelines of Reserve Bank of India. The Committee is chaired by the Executive Director of the Bank.

Main functions of the committee are:

- To take stock of the customer centric measures taken by the Bank.
- (ii) To get feed back from the Zonal Offices and put up the same Customer Service Committee of the Board for necessary Policy / Procedural action, facilitating change on an ongoing basis.

4.7 Remuneration Committee:

Government of India announced Performance Linked Incentives for Whole Time Directors of Public Sector Banks vide Notification No.F No.20/1/2005-BO.I dated



संबंधित प्रोत्साहन की घोषणा की है। यह प्रोत्साहन विगत वर्ष के दौरान विभिन्न अनुपालना रिपोर्टो पर आधारित लक्ष्यों एवं बंचमार्क के अनुरूप कार्यनिष्पादन मूल्यांकन जिसमें गुणवत्ता एवं मात्रा, दोनो का समावेश है, पर आधारित है। उक्त दिशा—निर्देशों के अनुपालन में वर्ष के दौरान कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन एवं देए/अवार्ड हेतु भुगतान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि के लिए निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया है।

31.03.2011 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

श्री ए. भट्टाचार्य – वित्त मंत्रालय नामित

श्री बी.पी.कानूनगो – भा.रि.बैं. नामित निदेशक

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत – गैर-अधिकारिक निदेशक

श्री करनपाल सिंह सेखों – गैर–अधिकारिक निदेशक

भूतपूर्व समिति की 09 जून, 2010 को केवल एक बैठक हुई जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित थे।

श्री ए. भट्टाचार्य – वित्त मंत्रालय नामित

श्री आर. सदानंदम – भा.रि.बैं. नामित निदेशक

श्री एम.वी.एस. प्रसाद – गैर–अधिकारिक निदेशक

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत – गैर–अधिकारिक निदेशक

समिति ने उक्त अधिसूचना के आधार पर वित्तीय वर्ष 2010—11 में निम्न दिए गए विवरण के अनुसार, निम्नलिखित निदेशकों को प्रोत्साहन राशि के भुगतान करने का निर्णय लियाः

(राशि रूपए में)

큙.	नाम	पदनाम	वित्तीय वर्ष
सं.			2009—10 में
			कार्यनिष्पादन से
			जुड़ी प्रोत्साहन
			राशि
1.	श्री आर.पी.सिंह	अध्यक्ष एवं	3.24.384.00
		प्रबंध निदेशक	
2.	श्री जी.एस.वेदी	अध्यक्ष एवं	7.39.589.00
		प्रबंध	
		निदेशक	
3.	श्री पी.के. आनन्द	कार्यकारी	2.04.795.00
		निदेशक	

^{*} प्रोत्साहन राशि का भुगतान बैंक में उनके कार्यकाल के अनुपात में किया गया।

9th March, 2007. The incentive is based on certain qualitative as well as quantitative parameters fixed for Performance Evaluation Matrix on the basis of the statement of intent on goals and benchmarks based on various compliance reports during the previous financial year. In compliance of the said directives, a Remuneration Committee of the Board was constituted for evaluation of the performance and incentive amount to be awarded / paid during the year.

The composition of the present Committee as on 31st March. 2011 is as under:

Shri A. Bhattacharya, MOF Nominee Director

Shri B.P. Kanungo, RBI Nominee Director

Shri Krishan Murari Gangawat, Non-Official Director

Shri Karanpal Singh Sekhon, Non-Official Director

The previous Committee comprising of the following members met once on 09th June, 2010:

Shri A. Bhattacharya, MOF Nominee Director

Shri R. Sadanandam, RBI Nominee Director

Shri M.V.S. Prasad, Non-Official Director


Shri Krishan Murari Gangawat, Non-Official Director

In terms of the aforesaid notification, the Committee decided to pay incentives during the Financial Year 2010-11 to the following Directors as per details given below:

(Amount in Rupees)

Sr. No	Name	Designation	Performance Linked Incentives for the Financial Year 2009- 10 (Rs.)*
1	Shri R.P. Singh	Chairman & Managing Directror	3,24,384.00
1	Shri G.S. Vedi	Chairman & Managing Directror	7,39,589.00
2	Shri P.K. Anand	Executive Director	2,04,795.00

^{*} Incentive payment made in proportion to his respective tenure in the Bank.



4.8 शेयरधारकों / निवेशकों की शिकायत निवारण समिति

दिनांक 09.06.2010 को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आई.पी.ओ.) को जारी करते समय, बैंक ने शेयरधारकों एवं निवेशकों की शिकायते, यदि कोई है, के निवारण के लिए शेयरधारक / निवेशक शिकायत निवारण समिति का गठन किया है।

31 मार्च, 2011 को समिति की संरचना निम्न प्रकार है:

1.	श्री ए.के.सुराना – सनदी लेखाकार निदेशक (अध्यक्ष)
2.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक — (पद खाली है)
3.	श्री पी.के.आनन्द – कार्यकारी निदेशक – सदस्य
4.	श्री कृष्ण मुरारी गंगावत – गैर–अधिकारिक
	निदेशक — सदस्य

वित्तीय वर्ष 2010—11 को समिति की केवल एक बैठक अर्थात् 21.01.2011 को हुई।

समिति की उक्त बैठक में निदेशकों की उपस्थिति उनके कार्यकाल अनुसार निम्न प्रकार है:

913(11) 1 1 1 1 1 1 1 1			
निदेशक का नाम	अवधि	उनके	बैठकें
		कार्यकाल	जिनमें
		के दौरान	सहभागिता
		आयोजित	की
		बैठकें	
श्री ए.के.सुराना –	09.06.2010	01	01
सनदी लेखाकार	से 31.03.		
निदेशक (अध्यक्ष)	2011		
श्री पी.के.आनन्द	09.06.2010	01	01
– कार्यकारी	से 31.03.		
निदेशक	2011		
श्री कृष्ण मुरारी	09.06.2010	01	01
गंगावत –	से 31.03.		
गैर–अधिकारिक	2011		
निदेशक			

समिति निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए समयबद्ध रूप से निगरानी करती है।

वर्ष के दौरान प्राप्त एवं निवारण की गई शिकायतों / निवेदनों की संख्या का सारांश निम्न प्रकार है:

वर्ष के	वर्ष के	31.03.2011
दौरान	दौरान	को बकाया
प्राप्त	निवारण	
1243	1213	30
	दौरान प्राप्त	दौरान दौरान प्राप्त निवारण

4.8 Shareholders'/Investors' Grievances Committee:

The Shareholders' / Investors' Grievances Committee was constituted on 09.06.2010 by the Bank to redress shareholders and investors complaints, if any.

The composition of the Committee as on 31st March 2011 is as under:

(i)	Shri A.K. Surana CA Director - Chairman
(ii)	Shri Chairman & Managing Director (Post lying vacant)
(iii)	Shri P.K. Anand - Executive Director - Member
(iv)	Shri Krishan Murari Gangawat, Non Official Director-Member

The Committee met only once i.e. on 21.01.2011 during the Financial Year 2010-11.


The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenures are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Shri A.K. Surana - Chairman	09.06.2010 to 31.03.2011	01	01
Shri P.K. Anand - Executive Director	09.06.2010 to 31.03.2011	01	01
Shri Krishan Murari Gangawat	09.06.2010 to 31.03.2011	01	01

The Committee monitors the redressal of investors' complaints in a time bound manner.

The summary of number of requests/complaints received and resolved during the year are as under

Pending	Received	Resolved	Pending
as on	during the	during the	as on
01.04.2010	year	year	31.03.2011
Nil	1243	1213	



वर्ष के अंत में लंबित मामले रिफंड से संबंधित थे तथा एक माह से अधिक लंबित नहीं थे और रिजस्ट्रार द्वारा दिनांक 11.04.2011 तक निपटा दिए गए।

कंपनी सचिव को स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण अनुबंध के खंड 47 (ए) के तहत, बैंक के अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

4.9 नामांकन समिति

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/80 की धारा 9(3)(आई) के प्रावधानों के अंतर्गत् राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में चयन हेतु 'फिट एण्ड प्रोपर' मानदंड निर्धारित किए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा—निर्देशों के अनुरूप नामांकन समिति गठित करना अपेक्षित है जिसमें निदेशक मंडल में से कम से कम तीन निदेशक (सभी स्वतंत्र/गैर कार्यपालक निदेशक) शामिल हो। उक्त दिशा—निर्देशों की अनुपालना में एक 'नामांकन समिति' का गठन किया गया है।

दिनांक 31.03.2011 की स्थिति के अनुरूप समिति की संरचना इस प्रकार है:

श्री ए.के. सुराना—सनदी लेखाकरा श्री श्री करनपाल सिंह सेखों—गैर अधिकारी निदेशक श्री कृष्ण मुरारी गंगावत—गैर अधिकारी निदेशक

आगामी वर्ष में नामांकन समिति की बैठक आहुत की जाएगी ताकि भारतीय रिज़र्व बैंक के 'फिट एण्ड प्रोपर' मानदंड के दिशा—निर्देशों के अनुरूप शेयरधारक निदेशकों का सदस्यों के रूप में चुनाव किया जा सके।

4.10 बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी समितिः

सीबीएस परियोजना को लागू करने में तीव्रता लाने के दृष्टिकोण से, समय से पहले और लाभ के विश्लेषण अनुसार, बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी समिति का निम्न सदस्यों के साथ गठन किया गया है:

श्री पी.के. आनन्द – कार्यकारी निदेशक श्री बी.पी. कानूनगो – भा.रि.बैं. नामित निदेशक

श्री ए.के. सुराना – गैर–अधिकारिक निदेशक

दिनांक 07.03.2011 को समिति की बैठक सीबीएस परियोजना में हुई प्रगति की जानकारी प्राप्त करने हुई जब कि पूर्व समिति की निम्न सदस्यों के साथ दो बैठके, दिनांक 09.06.2010 एवं 15.07.2010 को आयोजित की गई।

श्री ए.के. सुराना – गैर–अधिकारिक निदेशक श्री पी.के. आनन्द – कार्यकारी निदेशक श्री ए. भट्टाचार्य – वित्त मंत्रालय द्वारा नामित निदेशक Pending cases as at the end of the year were pertaining to refund and were not pending for a period exceeding one month and the same stand resolved by 11.04.2011 by the Registrar.

Company Secretary has been designated as the "Compliance Officer" of the Bank under Clause 47 (a) of the Listing Agreement with Stock Exchanges.

4.9 Nomination Committee:

Reserve Bank of India has laid down "Fit and Proper" criteria to be fulfilled by persons to be elected as directors on the Boards of the Nationalized Banks under the provisions of Section 9(3)(i) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/80. In terms of the guidelines issued by Reserve Bank of India, a Nomination Committee is required to be constituted, consisting of a minimum of three directors (all independent/non executive directors) from amongst the Board of Directors. In compliance of the said directives, a "Nomination Committee" has been constituted.

The composition of the Committee as on 31.03.2011 is as under:

Shri A.K. Surana-CA Director

Shri Karanpal Singh Sekhon–Non Official Director

Shri Krishan Murari Gangawat–Non Official Director

The meeting of the Nomination Committee shall be convened in the ensuing year to ascertain Fit and Proper status of Shareholder Directors to be elected as members of the Board per RBI guidelines.

4.10 IT Committee of the Board

With a view to accelerate the roll out of CBS project, at an early date and other benefit analysis, IT Committee of the Board has been constituted with the following members.

ShriP.K. Anand - Executive Director

Shri B.P. Kanungo, RBI Nominee Director


Shri A.K. Surana - Non Official Director

The meeting of the Committee was held on 07.03.2011 to assess acceleration of CBS Projects while previous Committee comprising of undernoted members, met twice i.e. on 09.06.2010 and 15.07.2010.

Shri A.K. Surana- Non Official Director (Chairperson

ShriP.K. Anand - Executive Director

Shri A. Bhattacharya - MOF Nominee Director



4.11 कार्यपालकों के प्रमोशनों पर बोर्ड की समितिः

विष्ठ स्तर पर प्रमोशनों का कार्य देखने के लिए, निदेशकों की सिमित जिसमें कार्यकारी निदेशक (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अनुपस्थित में) और भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशकों की सिमित का गठन किया गया है। सिमित द्वारा सतर्कता अनुशासनात्मक मामलों एवं विभागीय जांचों की सिमीक्षा भी की जाती है।

31 मार्च. 2011 को समिति की संरचना निम्न प्रकार है:

श्री पी.के. आनन्द – कार्यकारी निदेशक श्री ए. भट्टाचार्य – वित्त मंत्रालय नामित श्री बी.पी.कानूनगो – भा.रि.बैं. नामित निदेशक

दिनांक 12.11.2010 को महाप्रबंधकों के पदों हेतु साक्षात्कार के लिए समिति की केवल एक बैठक हुई।

4.12 अपील / समीक्षा प्राधिकारी पर बोर्ड की समितिः

विरष्ट प्रबंधन स्तर पर अनुशासनात्मक मामलों में अपील / समीक्षा के संबंध में अपील / समीक्षा प्राधिकारी पर विचार करने के लिए बोर्ड की समिति का गठन किया गया है जिसके दिनांक 31.03. 2011 को निम्न सदस्य हैं —

- (i) श्री बी.पी.कानूनगो भा.रि.बैं. नामित निदेशक
- (ii) श्री ए.के.सुराना गैर—अधिकारिक निदेशक (सनदी लेखाकार श्रेणी)
- (iii) श्री कृष्ण मुरारी गंगावत गैर—अधिकारिक निदेशक वर्ष के दौरान निम्न सदस्यों की पूर्व समिति की दिनांक 07.12.2010 को एक बैठक हुई।
- (i) श्री बी.पी.कानूनगो भा.रि.बैं. द्वारा नामित निदेशक
- (i) श्री एम.वी.एस. प्रसाद गैर-अधिकारिक निदेशक
- (iii) श्री हरी चंद बहाद्र सिंह गैर-अधिकारिक निदेशक

4.13 शेयर अंतरण समितिः

पांच कार्यपालकों की समिति जिसमें एक मुख्य महाप्रबंधक, दो महाप्रबंधक, एक सहायक महाप्रबंधक हैं एवं एक पखवाड़े में शेयरों का विप्रेषण/अंतरण/प्रेषण का अनुमोदन कंपनी सचिव द्वारा किया जाता है। बोर्ड की होने वाली बैठक में शेयर अंतरण समिति का कार्यवृत बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। दिनांक 31. 03.2011 तक शेयर अंतरण समिति की चार बैठके आयोजित की गई। बैंक यह सुनिश्चित करता है कि शेयरों के प्रस्तुतीकरण की दिनांक से एक महीने के अंदर सभी शेयरों का अंतरण हो जाए।

निदेशकों का पारिश्रमिक:

गैर—कार्यकारी निदेशकों की यात्रा तथा ठहरने पर होने वाले व्यय सहित परिश्रमिक का भुगतान, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (यथा संशोधित) की धारा 17 में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप, समय—समय पर केंद्र सरकार द्वारा

4.11 Committee of the Board on Executives' Promotions:

A Committee of Directors, consisting of Executive Director (in the absence of CMD) and the nominee Directors of Government of India and Reserve Bank of India, has been formed for dealing with the promotions at senior level. This Committee also deals with review of vigilance disciplinary cases and departmental enquiries.

The composition of the Committee as on 31st March 2011 is as under:

- (i) Shri P.K. Anand Executive Director
- (ii) Shri A. Bhattacharya, MOF Nominee Director
- (iii) Shri B.P. Kanungo, RBI Nominee Director

The Committee met once on 12.11.2010 for conducting interview for the post of General Managers.

4.12 Committee of the Board on Appellate / Reviewing Authority:

A committee of the Board on Appellate / Reviewing Authority is constituted to consider appeal / review in respect of Disciplinary cases at senior Management level, with the following members as on 31.03.2011:

- (i) Shri B.P.Kanungo, RBI Nominee Director
- (ii) Shri A. K. Surana, Non-Official Director (CA Category)
- (iii) Shri Krishan Murari Gangawat, Non-Official Director

The previous Committee comprising of the following members met once on 07.12.2010:


- i. Shri B.P.Kanungo, RBI Nominee Director
- i. Shri M.V.S. Prasad, Non-Official Director
- Shri Harichand Bahadur Singh, Non-Official Director

4.13 Share Transfer Committee:

A committee of five officials comprising of one CGM, two GMs, one AGM and the Company Secretary approve the Demat/ transfer/transmission of shares at least once in a fortnight. The minutes of the Share Transfer Committee are placed before the Board in the forthcoming meeting. Four meetings of the Share Transfer Committee were held up to 31.03.2011. The Bank ensures that all the transfer of shares is affected within a period of one month from the date of their lodgement.

5. Remuneration of Directors:

The remuneration includes travelling and halting expenses to Non-Executive Directors which are being paid as stipulated by the Central Government in consultation with Reserve Bank of India from time to



भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से जारी किए गए निर्धारणों के अनुसार किया जा रहा है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशक को पारिश्रमिक का भुगतान वेतन के रूप में भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाता है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशक को भुगतान किए गए पारिश्रमिक कार्य निष्पादन संबंद्ध प्रोत्साहन का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

क) वित्तीय वर्ष 2010—11 के दौरान वेतन एवं एरियर्स का भुगतानः

क्र.	नाम	पदनाम	राशि (रू.)
सं.			
1.	श्री जी.एस.वेदी	अध्यक्ष एवं	3,90.335.00
		प्रबंध निदेशक	
2.	श्री पी.के. आनन्द	कार्यकारी	12,11.502.50
		निदेशक	

ख) वर्ष 2010–11 हेत् दिए गए कार्य निष्पादन संबंद्ध प्रोत्साहनः

क्र.	नाम	पदनाम	कार्य निष्पादन
सं.			संबंद्ध प्रोत्साहन
			राशि (रू.)
1.	श्री आर.पी.सिंह	अध्यक्ष एवं	3,24,384.00
		प्रबंध निदेशक	
2.	श्री जी.एस.वेदी	अध्यक्ष एवं	7,39,589.00
		प्रबंध निदेशक	
3.	श्री पी.के. आनन्द	कार्यकारी	2,04,795.00
		निदेशक	

* प्रोत्साहन राशि का भुगतान बैंक में उनके कार्यकाल की अवधि के अनुपात में किया गया।

वर्ष 2010—11 के दौरान गैर—कार्यकारी निदेशकों को दिया गया बैठक सहभागिता शुल्क निम्नानुसार है (पूर्ण कालिक निदेशकों एवं भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक को किसी प्रकार का बैठक सहभागिता शुल्क देय नहीं है):

क्र.सं.	निदेशक का नाम	भुगतान की गई राशि (रू.)
1.	श्री ए.के.सुराना	1,57,500
2.	श्री हरी चंद बहादुर सिंह	62,500
3.	श्री के.पी.एस. सेखों	47,500
4.	श्री कृष्ण मुरारी गंगावत	1,32,500
5.	श्री एम.वी.एस. प्रसाद	82,500
6.	श्री मनीष गुप्ता	10,000
7.	श्री आर. सदानंदम	50,000
	कुल योग	5,42,500

time in terms of Clause 17 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended).

The Chairman & Managing Director and Executive Director are being paid remuneration by way of salary as per rules framed by the Government of India. The details of remuneration and Performance Linked Incentives paid to Chairman and Managing Director and Executive Director/s is detailed below:

A. Salary including Arrears paid during the Financial Year 2010-11:

Sr. No	Name	Designation	Amount (Rs.)
1	Shri G.S. Vedi	Chairman & Managing Director	3,90,335.00
2	Shri P.K. Anand	Executive Director	12,11,502.50


B. Performance Linked Incentives paid during 2010-11:

Sr. No	Name	Designation	Amount (Rs.)
1	Shri R.P. Singh	Chairman & Managing Director	3,24,384.00
2	Shri G.S. Vedi	Chairman & Managing Director	7,39,589.00
3	Shri P.K. Anand	Executive Director	2,04,795.00

* Incentive payment made in proportion to his respective tenure in the Bank.

The Sitting Fee paid to the Non-Executive Directors during the Year 2010-11 is as under: (No sitting fee is payable to whole time directors and director representing Government. of India):

Sr. No	Name of the Director	Amount Paid in Rs.
1	Sh A.K. Surana	1,57,500
2	Sh Hari Chand Bahadur Singh	62,500
3	Sh K P S Sekhon	47,500
4	Sh Krishan Murari Gangawat	1,32,500
5	Sh M.V.S. Prasad	82,500
6	Sh Manish Gupta	10,000
7	Sh R. Sadanandam	50,000
	TOTAL	5,42,500



6. सामान्य सभा की बैठकेः

दिनांक 28.12.2010 तक, सार्वजनिक निर्गम से पहले, 100% पूंजी भारत सरकार द्वारा धारित थी और विगत् तीन वर्षी में कोई सामान्य सभा की बैठक आयोजित नहीं की गई।

7. प्रकटीकरणः

- (क) बैंकिंग अधिनियम, 1949 की धारा 20, निदेशकों या अन्य किसी संस्था जिसमें निदेशकों की रूचि हो अथवा बैंकिंग कंपनी का निदेशक, उस कंपनी का निदेशक, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटर या उसकी समुचित रूची हो, को ऋण एवं अग्रिम प्रदान करने से बैंक को निषिद्ध करती है। बैंक का ऐसा कोई विशेष संबंधित पार्टी लेन—देन नही है जिनके कारण बैंक के व्यापक हितों से टकराव की संभावना बनती हो।
- (ख) सरकारी कारोबार एवं अन्य मदों से प्राप्त शुल्क, कमीशन, गारंटियों पर कमीशन, साख पत्र, विनिमय, दलाली, अतिदेय बिलों पर ब्याज, क्रैंडिट कार्ड पर कमीशन, लॉकर किराया, मर्चेर्ट बैंकिंग लेन—देन से आय, आयकर रिफंड से अर्जित ब्याज, एवं कम—धन वापसी की गणना वास्तविक प्राप्ति के आधार पर की जाती है।
- (ग) अनुशंगियों, संयुक्त उद्यमों एवं एसोसिएट के शेयरों पर लाभांश की गणना वास्तविक प्राप्ति के आधार पर की जाती है।
- (घ) बैंक पर विगत् तीन वर्षी के दौरान पूंजी बाजार से संबद्ध किसी भी मामले में किसी भी विनियामक प्राधिकारी अर्थात् स्टॉक एक्सचेंज और/अथवा सेबी द्वारा किसी नियम, निर्देशों एवं दिशा—निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए, न तो कोई दंड लगाया गया है और नहीं ही किसी प्रकार की भर्त्सना की गई है।
- (ड.) वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयोग की 'विसल ब्लोअर पॉलिसी' पूर्ण रूप से परिचालित है।
- (च) निदेशकों ने सूचित किया है कि 31 मार्च, 2011 तक निदषकों के मध्य किसी प्रकार का पारस्परिक संबंध नही है।
- (छ) दिनांक 31.03.2011 के तुलन—पत्र की अनुसूची 18 की लेखा नीति में आरबीआई/आईसीएओी के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक की संबंधित पार्टी लेन—देन का प्रकटीकरण किया गया है।

8. अनिवार्य एवं गैर-अनिवार्य आवश्यकताएं:

बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध है, के साथ किए गए सूचीयन करार के संशोधित खंड 49 में यथा उपबंधित सभी लागू अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। गैर—अनिवार्य आवश्यकताओं के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

6. GENERAL BODY MEETINGS:

Prior to the allotment of equity shares on 28.12.2010 by way of Intial Public Offering (IPO), 100% of the capital was held by the Government of India and no General Body Meeting was held in the last three years.

7. DISCLOSURES:

- a) Section 20 of the Banking Regulations Act, 1949, prohibits grants of loans and advances by the Bank to directors or to any firm in which the directors have any interest or to any company of which any of the directors of the Banking Company is a director, manager, employee or guarantor or in which he holds substantial interest. Hence, there are no materially significant related transaction of the Bank with its directors, management, their subsidiaries and / or relatives that would have potential conflict with the interests of the Bank at large.
- b) Income on guarantees and LCs issued, Locker rent, income from merchant banking transactions, money transfer services, dividend on shares, Interest on refund of Income Tax, Commission on credit card, Interest on overdue bills, Processing fee, Govt, business including distribution of pension and income from units of mutual fund products, Income from ATM operations are accounted for on receipt basis.
- Dividend on Shares in Associates is accounted on actual realization basis.
- d) No penalties and strictures have been imposed on the Bank by the Stock Exchange and /or SEBI for non-compliance of any law, guidelines and directives, on any matters related to capital markets, during the last three years.
- e) As on date, the Central Vigilance Commission's Whistle Blower Policy is in place.
- f) Directors have disclosed that they have no relationship between directors inter se as on 31st March 2011.
- g) The Related Party Transactions of the Bank as per RBI / ICAI guidelines are disclosed in the notes on accounts in Schedule 18 of the balance sheet as on 31.03.2011.

8. MANDATORY AND NON-MANDATORY REQUIREMENTS:

The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in Revised Clause 49 of the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges where Bank's shares are listed. The extent of implementation of non-mandatory requirements is as under:

<u>क्र</u> .	गैर—अनिवार्य आवश्यकताएं	कार्यान्वयन की स्थिति
ग्र. सं.	יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי	
1.	अध्यक्ष के कार्यालय का रखरखाव, गैर— कार्यपालक अध्यक्ष कंपनी के खर्च पर करेंगे।	लागू नहीं, क्योंकि अध्यक्ष का पद कार्यपालक का पद है।
2.	निदेशक मंडल एक पारिश्रमिक समिति गठित करेगा जो कार्यकारी निदेशकों के लिए विशिष्ट पारिश्रमिक पैकेज संबंधी कंपनी की नीति तैयार करेगी।	लागू नहीं, कार्यपालक निदेशक, भारत सरकार द्वारा नियत वेतन प्राप्त करते हैं। तथापि, केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यनिष्पादन संबंधित प्रोत्साहन पर विचार करने के लिए एक परिश्रमिक समिति परिचालन में हैं।
3.	अंतिम 6 माह के दौरान, महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्य— निष्पादन की छमाही घोषणा को शेयर धारकों को भेजना।	लागू नहीं, क्योंकि बैंक का आरंभिक सार्वजिनक निर्गम (आई.पी.ओ.) वर्ष की तीसरी तिमाही में आया।
4.	कंपनी को अनक्वालिफाइड वित्तीय विवरणियों की व्यवस्था की ओर जाना चाहिए।	बैंक ने अनक्वालिफाइड वित्तीय विवरणियों की ओर अग्रसर होने हेतु कई कदम उठाए है।
5.	कंपनी निदेशक मंडल के सदस्यों को निदेशक के रूप में जिम्मेदारी वहन करने और उसका सर्वोत्तम ढ़ग से निर्वाहन करने के लिए कंप. नी के व्यवसायिक मॉडल में प्रशिक्षित करने के साथ—साथ, कंपनी के व्यवसायिक मान. दंडों की जोखिम प्रोफाइल के विषय में प्रशिक्षित करे।	निदेशक मंडल द्वारा अपनाए गए व्यवसायिक मॉडल और जोखिम प्रोफाइल के साथ—साथ आचार संहिता की संपूर्ण जानकारी बोर्ड के प्रत्येक सदस्य को संप्रेषित की गई है।
6.	निदेशक मंडल के अन्य सदस्यों द्वारा गैर—कार्यपालक निदेशकों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन और गैर—कार्यपालक निदेशकों के निदेशक पद पर बने रहने या अन्यथा निर्णय लेना।	भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा—निर्देशों के अनुरूप, एक नामांकन समिति का गठन किया गया है एवं चयनित/नामित निदेशकों पर बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(आई) के अधीन फिट एण्ड प्रोपर दिशा—निर्देश लागू होते हैं।

Sr. No	Non-mandatory requirement	Status of Implementation
1.	Non-executive Chairman to maintain Chairman's Office at company's expense.	Not Applicable, since the Chairman's position is Executive.
2.	Board to set-up a Remuneration Committee to formulate company's remuneration policy on specific remuneration package for Executive Directors.	Not applicable, as Executive Directors draw salary as fixed by the Government of India. However a Remuneration Committee is in operation to consider Performance Linked Incentive in terms of guidelines issued by the Central Government.
3.	Half - yearly declaration of financial performance including summary of significant events in last six months to be sent to shareholders.	Not Applicable, as Bank went for IPO in the third quarter of the year.
4.	Company may move towards regime of unqualified financial statements.	The Bank has initiated steps for moving towards achieving unqualified financial statements.
5.	Company may train Board Members in the Business Model of the Company as well as risk profile of the business parameters of the company, the responsibilities as Director and the best way to discharge them.	A complete overview of the Business Model and risk profile along with Code of Conduct adopted by the Board of Directors has been communicated to each member of the Board.
6.	The evaluation of performance of non-executive Directors by other members of the Board and to decide to continue or otherwise of the Directorship of the non-executive Directors.	A Nomination Committee has been constituted in terms of Reserve Bank of India Guidelines and the elected directors under clause 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 are subject to determination of fit & proper status.

7. कंपनी अनैतिक व्यवहार, वास्तविक अथवा संदेहास्पद धोखाधड़ी आदि के संदर्भ में प्रबंधन की चिंताओं के विषय में रिपोर्ट करने के लिए पूर्व संकेत देने वाली (विसल ब्लोअर) नीति बनाए। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता कमीशन की पूर्व संकेत (विसल ब्लोअर) नीति पूर्णतया परिचालित है।

9. संप्रेषण के साधनः

बैंक, विकसित सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार के साधनों के माध्यम से अपने सदस्यों और हितधारकों को उनके हितों से संबद्ध जानकारियों के विषय में सूचित करने की आवश्यकता को समझता है।

बैंक के वित्तीय परिणामों को निदेशक मंडल की बैठक में उनके अनुमोदन के पश्चात, बैठक की समाप्ति पर तत्काल उन स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया जाता है जहां पर बैंक की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं। यह परिणाम दो या अधिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करवाए जाते हैं जिनमें से एक समाचार पत्र ऐसा होता है जिसका प्रसार संपूर्ण भारत में हो और दूसरा समाचार पत्र ऐसा होता है जिसका प्रसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में हो जहां बैंक का प्रधान कार्यालय स्थित है। बैंक छमाही आधार पर अपने शेयरधारकों को परिणामों की प्रति प्रेषित करता है। बैंक अपने वित्तीय परिणामों तथा भावी योजनाओं की घोषणा करने हेतु विश्लेक्षकों की बैठके, संवाददाता सम्मेलन आदि भी आयोजित करता है।

बैंक के तिमाही / इयर टू डेट / वार्षिक परिणामों की प्रति बैंक की वेबसाईट – http://www.psbindia.com पर उपलब्ध है।

10. शेयरधारकों से संबद्ध सूचनाः

बैंक के शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजो में सूचीबद्ध हैं:

- बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड फिरोज जीजीभाई टॉवर्स,
 25वां तल, दलाल स्ट्रीट,
 फोर्ट, मुम्बई 400001
 बीएसई कोड: 533295
- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड "एक्सचेंज प्लाजा" बांद्रा कुरला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुम्बई 400051 एनएसई कोडः पीएसबी

एक्सचेंजो में सूचीबद्ध, सभी प्रतिभूतियों के संबंध में अब तक के के वार्षिक शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

7.	The Company
	to establish the
	Whistle Blower
	Policy for reporting
	management
	concerns about
	unethical behaviors,
	actual or suspected
	fraud, etc.

As on date, the Central Vigilance Commission's Whistle Blower Policy is in place.

9. MEANS OF COMMUNICATION:

The Bank recognises the need for keeping its members and stakeholders informed of the events of their interests through present advanced information technology and means of communication.

The financial results of the Bank are submitted to the stock exchanges, where the securities of the Bank are listed, immediately after the conclusion of the Board Meeting approving the same. The results are also published in minimum two or more newspapers, one circulating in the whole or substantially the whole of India and the other circulating in the state of NCT of Delhi where the Head Office of the Bank is situated.


The Quarterly / Year to Date / Annual Financial Results of the Bank are posted on the Bank's Website – http://www.psbindia.com

10. SHAREHOLDERS' INFORMATION:

The Bank's shares are listed on the following major Stock Exchanges in India:

- Bombay Stock Exchange Ltd., Phiroze Jeejeebhoy Towers
 25th Floor, Dalal Street
 Fort, Mumbai 400 001
 BSE CODE: 533295
- National Stock Exchange of India Ltd. "Exchange Plaza"
 Bandra Kurla Complex
 Bandra,(East)
 Mumbai 400 051
 NSE CODE: PSB

The annual listing fees in respect of all the securities listed with the exchange(s) has been paid till date.



10.1 प्रतिभूतियों का अभौतिकरणः

सेबी की अनिवार्य अभौतिक सूची के अंतर्गत् बैंक के शेयर आते हैं और बैंक ने अपने शेयरों के अभौतीकरण हेतु नेशनल सिक्योरिटी सर्विसेज (इंडिया) लि. (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) के साथ करार किया है। शेयरधारक, एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल के पास अपने शेयरों को अभौतिकीकृत करवा सकते हैं।

31 मार्च, 2011 को बैंक के पास 223056000 इक्वटी शेयर है जिनमें से 223055544 शेयर अभौतिक रूप में धारित हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:

धारिता का स्वरूप	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
भौतिक	456	0.0002
अभौतिक	223055544	98.9998
कुल	223056000	100.0000

10.2 इलेक्ट्रॉनिक शेयर अंतरण प्रणाली तथा निवेशकों की शिकायतों का निवारणः

बैंक सुनिश्चित करता है कि सभी शेयरों का अंतरण संबंधी समस्त कार्य, उनकी प्रस्तुति की तारीख से एक माह के अंदर विधिवत रूप से संपन्न हो जाए। बोर्ड ने शेयरों के अंतरण एवं अन्य संबंधित मामलों की निगरानी एवं समीक्षा करने हेतु शेयरधारक / निवेशक शिकायत समिति एवं शेयर अंतरण सिम. ति का गठन किया है। ये समितियां नियमित अंतराल पर बैठके आयोजित करती हैं और निवेशक –शिकायतों की स्थिति की समीक्षा करती हैं।

बैंक ने मैसर्स लिंक इनटाईम इंडिया प्रा. लि. को अपने रिजस्ट्रार और अंतरण एजेंट के रूप में नियुक्त किया है जिसका कार्य शेयर अंतरण, लाभांश भुगतान, शेयरधारकों के अनुरोध को अभिलेखित करना, निवेशकों की शिकायतों का समाधान के अलावा शेयर / बांड जारी करने संबंधी अन्य गतिविधियों को सुनिश्चित करना है। निवेशक अपने अंतरण विलेख / अनुरोध / शिकायतों को निम्न पते पर रिजस्ट्रार को प्रेषित कर सकता है:

मैसर्स लिंक इनटाईम इंडिया प्रा. लि.

(इकाई: पंजाब एण्ड सिंध बैंक)

ए-40, नारायणा औद्योगिक क्षेत्र, फेज-II,

बत्रा बैंकट के पास.

नई दिल्ली - 110028

दूरभाषः (011) 41410592 से 0594

फैक्सः (011) 41410591

ई मेलः delhi@linkintime.co.in

10.1 Dematerialisation of Securities:

The shares of the Bank are under compulsory demat list of SEBI and the Bank has entered in to Agreements with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for dematerialization of Bank's shares. Shareholders can get their shares dematerialized with either NSDL or CDSL.

As on March 31, 2011 the Bank has 223056000 Number of Equity Shares of which 223055544 Shares are held in dematerialized form, as per the detail given below

Nature of Holding	Number of shares	Percentage
Physical	456	0.0002
Dematerialized	223055544	98.9998
Total	223056000	100.0000

10.2 Electronic Share Transfer System & Redressal of Investors' Grievances

The Bank ensures that all transfers of Shares are duly affected within a period of one month from the date of their lodgement. The Board has constituted Shareholders'/ Investors' Grievances Committee to monitor and review the progress in redressal of general shareholders' and investors' grievances and Shares Transfer Committee to consider transfer of Shares and other related matters. The Committee meets at regular intervals and reviews the status of Investors' Grievances.

The Bank has appointed M/s. Link Intime India Pvt Ltd as its Registrars and Transfer Agent with a mandate to process transfer of Shares, dividend payments, recording of Shareholders' requests, solution of investors' grievances amongst other activities connected with the issue of Shares / Bonds. The Investors may lodge their transfer deeds / requests / complaints with the Registrars at following address:

M/s Link Intime India Pvt Ltd.

(Unit: Punjab & Sind Bank)

A-40 Naraina Indl. Area, Phase-II,


Near Batra Banquets.

New Delhi-110 028.

Phone: (011) 41410592 to 0594

Fax: (011) 41410591

E Mail: delhi@linkintime.co.in



बैंक ने शेयर कक्ष की स्थापना प्रधान कार्यालय, 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली — 110008 में की है, जहां शेयरधारक अपने अंतरण विलेख / अनुरोधों / शिकायतों को समाधान हेतु निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

शेयर कक्ष

प्रथम तल, 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली —110008 दूरभाषः (011) 25782926, 25728930, 25812922

फैक्सः (011) 25781639, 25812922

ई-मेलः complianceofficer@psb.org.in

11. कॉर्पोरेट गवर्नेंस

बैंक ने उन पद्धतियों, परंपराओं एवं संहिताओं को अपनाया है और उनका पालन कर रहा है जो बैंक के हितधारकों एवं जमाकर्ताओं को गुणवत्तापूर्ण कार्पोरेट गवर्नेर्स का आश्वासन प्रदान करता है। बैंक की पारदर्शी स्वामित्व संरचना, सुव्यवस्थित कार्यपालक प्रबंधन संरचना, संतोषजनक जोखिम प्रबंधन पद्धतियां, बोर्ड एवं वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्तियों में पारदर्शिता, विस्तृत एवं परिष्कृत लेखा कार्यविधि जो कि निरीक्षण प्रभाग तथा स्वतंत्र लेखाकर्मों द्वारा अपनाई जाती है, को परिलक्षित करती है।

12. वित्तीय कैलेंडर

वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011	
खातों (एकल) एवं लामांश संबंधी सिफारिशों पर विचार-विमर्श करने हेतु निदेशक मंडल की बैठक	30.04.2011
भारतीय रिज़र्व बैंक को खातों की लेखा परीक्षित विवरणी की प्रस्तुति	10.05.2011
पहले वार्षिक आम बैठक की तिथि	16.06.2011
पहले वार्षिक आम बैठक का समय	11 AM
पहले वार्षिक आम बैठक का स्थान	Air Force
	Auditorium,
	Subroto
	Park
	New Delhi-
	110010
वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण	Upto
	18.05.2011
बहियों को बंद करने की तारीख	02.06.2011
	to
	16.06.2011
प्रॉक्सी फार्म प्राप्त करने की अंतिम तारीख	11.06.2011
	up to 5PM
लाभांश हेतु वारंट प्रेषित करने की संभावित तारीख	29.06.2011
लाभांश भुगतान की तारीख	29.06.2011

The Bank has also established Shares Cell at Head Office, 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008 wherein the shareholders can mail their requests / complaints for resolution at the address given below:

Punjab & Sind Bank

Shares Cell,

21-Rajendra Place, 1st Floor, New Delhi-110 008.

Telephone: (011) 25782926, 25728930, 25812922

Fax: (011) 25781639, 25812922

E-mail: complianceofficer@psb.org.in

(The aforesaid e-mail ID is exclusively designated for investors' complaints pursuant to Clause 47(F) of the listing agreement with Stock Exchanges)

11. Corporate Governance


The Bank has adopted and follows such practices, conventions and codes as would provide its financial stakeholders including the depositors, a high level of assurance on the quality of Corporate Governance. The Bank has transparent ownership structure, well-defined executive management structure, satisfactory risk management practices, transparency in appointment and functioning of the Board and Senior Management and an elaborate audit function, carried out both by its Inspection Department and independent audit firms.

12. Financial Calendar

Financial Year 1st April, 2010 to 31st March, 2011	
Board Meeting for considering of Accounts and recommendation of dividend.	30.04.2011
Submission of audited statement of accounts to RBI.	10.05.2011
Date of the First Annual General Meeting	16.06.2011
Time of the First Annual General Meeting	11 AM
Venue of the First Annual General Meeting	Air Force Auditorium, Subroto Park New Delhi- 110010
Posting of Annual Report	Upto 18.05.2011
Book Closure dates	02.06.2011 to 16.06.2011
Last Date for receipt of Proxy Forms	11.06.2011 up to 5PM
Probable date of dispatch of warrants for Dividend	29.06.2011
Payment date - Dividend	29.06.2011

	13. 31 मार्च, 2011 को शेयरधारिता स्वरूप Shareholding Pattern as on 31st March 2011					
क्र.सं. Sr. No.	विवरण Description	शेयरधारकों की संख्या No. of Share Holders	शेयर Shares	इक्वटी का प्रतिशत % To Equity		
1.	भारत सरकार (प्रवर्तक) Govt. of India (Promoters)	1	183056000	82.07		
2.	म्युचल फंड / यूटीआई Mutual Funds/UTI16	16	1020950	0.46		
3.	वित्तीय संस्थाएं / बैंक Financial Institutions / Banks	26	2392199	1.07		
4.	बीमा कंपनियां Insurance Companies	0	0	0.00		
5.	विदेशी संस्थागत निवेशक Foreign Institutional Investors	26	10482232	4.70		
6.	कॉर्पोरेट निकाय / Bodies Corporate	971	5565672	2.50		
7.	व्यैक्तिक निवासी Resident Individuals	193980	19587458	8.78		
8.	अनिवासी भारतीय Non Resident Indians	1685	739667	0.33		
9.	विदेशी कॉर्पोरेट निकाय Overseas Corporate Bodies	0	0	0		
10.	न्यास / Trusts	19	27355	0.01		
11.	समाशोधन सदस्य Clearing Members	243	184467	0.08		
	कुल / Total	196967	223056000	100.00		

14. 31 मार्च, 2011 को शेयर धारकों का श्रेणी—वार वितरण Distribution of Shareholders - Categorywise as on 31st March 2011					
संवर्ग / Category	मामलों की संख्या No. of Cases	मामलों का प्रतिशत % of Cases	कुल शेयर / Total Shares	राशि (अंकित मूल्य) Amount(Face Value)	राशि का प्रतिशत % of Amount
1-2500	187311	95.10%	10733547	107335470	4.81
2501 — 5000	5420	2.75%	1994340	19943400	0.90
5001 — 10000	2430	1.23%	1814747	18147470	0.81
10001 — 20000	997	0.51%	1368534	13685340	0.61
20001 — 30000	258	0.13%	646517	6465170	0.29
30001 — 40000	119	0.06%	417222	4172220	0.19
40001 — 50000	86	0.04%	406331	4063310	0.18
50001 — 100000	159	0.08%	1179442	11794420	0.53
100001 और अधिक	187	0.10%	204495320	2044953200	91.68
कुल योग	196967	100.00%	223056000	2230560000	100.00



15. 31 मार्च, 2011 को शेयरधारकों का भौगोलिक दृष्टि से (राज्यवार) वितरण Geographical (State Wise) Distribution of Shareholders as at 31st March 2011 शेयरों की संख्या / % क्र.सं. / राज्य / State मामले / Cases शेयर / Shares Sr. No (No. of Shares) 1. आंध्र प्रदेश 7427 1006883 0.451 Andhra Pradesh अरूणाचल प्रदेश 0.000 2. 1 150 Arunachal Pradesh 3. असम / ASSAM 704 62802 0.028 बिहार / BIHAR 0.078 4. 1743 173856 दिल्ली / DELHI 5. 18084 186010883 83.392 6. गुजरात / GUJARAT 38641 2742322 1.229 हरियाणा / HARAYANA 7. 6205 521744 0.234 हिमाचल प्रदेश 8. 366 32494 0.015 HIMACHAL PRADESH 9. जम्म एण्ड कश्मीर 192 26230 0.012 JUMMU & KASHMIR 10. झारखंड / JHARKHAND 1380 123588 0.055 कर्नाटक / KARNATAKA 11 8361 1024437 0.459 केरल / KERALA 12. 1624 257577 0^π115 13. मध्यप्रदेश / MADHYA PRADESH 5128 506558 0.227 महाराष्ट्र / MAHARASHTRA 14. 43321 22917000 10.274 मणिपुर / MANIPUR 16 0.001 15. 1449 मेघालय / MEGHALAYA 16. 0.001 36 3250 17. मिजोरम / MIZORAM 1 128 0.000 18. नागालैंड / NAGALAND 13 662 0.000 उड़ीसा / ORISSA 19. 1028 89598 0.040 पंजाब / PUNJAB 20. 6581 1026931 0.460 राजस्थान / RAJASTHAN 21. 15540 1485930 0.666 तमिलनाडु / TAMIL NADU 22. 8479 1014959 0.455 23. त्रिपुरा / TRIPURA 17 2959 0.001 उत्तर प्रदेश / UTTAR PRADESH 24. 8369 834443 0.374 उत्तराखंड / UTTARAKHAND 25. 957 114199 0.051 26. पश्चिम बंगाल / WEST BENGAL 12748 1781306 0.799 27 अन्य / OTHERS 10005 1293662 0.580 कुल / Total 196967 223056000 100.00

16. स्टॉक एक्सचेंजों में शेयरों के सौदों की मात्रा तथा शेयर कीमत (दिनांक 01.04.2010 से 31.03.2011)	
Share Price, Volume of Shares Traded in Stock Exchanges (From 01.04.2010 to 31.03.2011)	

chare i nee, telame et charec made in clock Exercise (i tem e ne necestro de checier)						
माह / Month	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) / National Stock Exchange of India Limited (NSE)		बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिं. (बीएसई) / Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE)			
	उच्चतम (रू.) / Highest (Rs.)	न्यूनतम(रू.) Low	सौदों की मात्रा (संख्या) Volume Traded (Nos.)	उच्चतम (रू.) Highest (Rs.)	न्यूनतम (रू.) Lowest (Rs.)	सौदों की मात्रा (संख्या) Volume Traded (Nos.)
दिसम्बर, 2010 DEC 2010	146.70	126.20	63697112	149.70	126.20	28685130
जनवरी, 2011 JAN 2011	131.15	104.75	16945227	131.25	105.00	6715622
फरवरी, 2011 FEB 2011	112.00	96.60	5717952	110.90	95.00	1481499
मार्च, 2011 MAR 2011	111.90	98.50	5517931	110.15	98.10	1724821

कॉर्पोरेट गवर्नेंर्स की शर्तों के अनुपालन से संबंधित लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र

पंजाब एण्ड सिंध बैंक के सदस्यों हेतु

हमने पंजाब एण्ड सिंध बैंक के स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा बॉबे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के साथ सूचीबद्ध करने संबंधी करार के खंड 49 में विनिर्दिष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस शर्तों के प्रसंग में बैंक द्वारा 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष हेतु कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी अनुपालन स्थिति की जांच की है।

कॉर्पोरेट गवर्नेर्स संबंधी शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है। हमारी जांच, कॉर्पोरेट गवर्नेर्स संबंधी बाध्यताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही बैंक की वित्तीय विवरणियों के विषय में हमारा अभिमत है। हम अपनी राय तथा सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपरोक्त सूचीबद्ध करार में विनिर्दिष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेर्स संबंधी बाध्यताओं का अनुपालन किया है।

हम घोषणा करते हैं कि शेयरधारकों / निवेशक समिति के अभिलेखों के अनुसार, किसी भी निवेशक की कोई शिकायत एक माह से अधिक अवधि के लिए लंबित नहीं है।

हमारा यह भी अभिकथन है कि उक्त अनुपालन का अभिप्राय बैंक की विषय की सक्षमता के प्रति यह कोई आश्वासन नही है और न ही यह बैंक के कार्यपालकों के संचालन में प्रबंधन की कुशलता एवं प्रभावपूर्णता के विषय में आश्वासन है।

Auditors' Certificate on Compliance of Conditions of Corporate Governance

To: The Members of Punjab & Sind Bank


We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Punjab & Sind Bank, for the year ended on 31st March 2011, as stipulated in Clause-49 of the Listing Agreement of the Bank with Stock Exchanges. i.e. National Stock Exchange of India Limited and Bombay Stock Exchange Limited.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreement.

We state that no Investor grievance(s) is pending for a period exceeding one month against the Bank as per the record maintained by the Shareholders/Investors Committee.

We state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.



2010-11 वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT

कृते बंसल सिन्हा एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार Bansal Sihna & Co. Charted Accountants

(रविंदर खुल्लर) पार्टनर

एम.न. 82928

एफआरएनः 006184एन (Ravinder Khullar)

Partner M. No.82928 FRN: 006184N

कृते अलका एण्ड सुनील सनदी लेखाकार For Alka & Sunil. Chartered Accountants

(सुनील गुप्ता) पार्टनर एम. नं. 084119 एफआरएनः 006739

M. No. 084119 FRN :006739N

(Sunil Gupta)

Partner

कृते बलराम चंद्रा एण्ड एसोसिएटस सनदी लेखाकार

For Balram Chandra & Associates Chartered Accountants

अतुल मेहरोत्रा पार्टनर

एम नं.: 076058 एफआरएन: 0061844 (Atul Mehrotra) Partner M. No. 076058

FRN: 02817C

कृते जी. एस. गोयल एण्ड कंपनी

सनदी लेखाकार For G.S.Goel & Co. Chartered Accountants

(जी.एस. गोयल) पार्टनर एम.न. 014428 एफआरएनः 001415एन

(G. S. Goel) Partner

M. No. 014428 FRN: 001415N कृते भाटिया एण्ड भाटिया सनदी लेखाकार Bhatia & Bhatia Chartered Accountants

(आर. भाटिया) पार्टनर एम नं.: 17572


एम न.: 17572 एफआरएन: 003202 एन

(R. Bhatia)
Partner
M. No. 17572
FRN :003202N

कृते एस.बी.जी. एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार For S.B.G. & Co. Chartered Accountants

(श्री भगवान गुप्ता) पार्टनर एम.न. 089415 एफआरएनः 001818एन (Shri Bhagwan Gupta)

Partner M. No. 089415 FRN: 001818N



निदेशक मंडल पंजाब एण्ड सिंध बैंक नई दिल्ली

महोदय

विषय : धारा 49(I) डी 2010-11 के अधीन घोषण-पत्र

स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध करने संबंधी करार की धारा 49 (I) के अनुसार कार्यकारी निदेशक की ओर से घोषणा घोषित किया जाता है कि बैंक के निदेशक मंडल के सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध करने संबंधी करार के खंड 49(I) डी में विनिर्दिष्ट आचार संहिता के प्रसंग में बैंक द्वारा 31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तदनुसार अनुपालन की पुष्टि कर दी है उक्त आचार संहिता को बैंक की वेबसाइट पर भी दर्शाया गया है।

कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

दिनांक : 30.04.2011 (पी.के. आनन्द) स्थानः नई दिल्ली कार्यकारी निदेशक The Board of Directors Punjab & Sind Bank New Delhi


Dear Sirs,

Re: Declaration under Clause 49(I)(D) 2010-11

It is to declare that all the Board Members and Senior Management Personnel of the Bank have affirmed their compliance of the Code of Conduct for the Financial Year ended on 31st March, 2011 in accordance with clause 49 (I) (D) of the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges. The said Code of conduct has been posted on the Bank's website.

For Punjab & Sind Bank

Dated: 30.04.2011 (P.K.Anand)
Place: New Delhi Executive Director



सी.एफ.ओ. प्रमाणीकरण निदेशक मंडल, पंजाब एण्ड सिंध बैंक नई दिल्ली।

महोदय,

विषय : वर्ष 2010—11 के लिए सी.एफ.ओ. प्रमाणीकरण—समेकित सूचीबद्ध करार की धारा 49 की अनुपालन में, हम एतद् द्वारा प्रमाणित करते हैं कि हमने वर्ष 2010—11 की वितीय विवरणी तथा नकदी प्रवाह विवरणी (समेकित) की संवीक्षा की है तथा हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार:

- इन विवरणियों में कोई विषयगत अयथार्थ अभिकथन नहीं है अथवा कोई विषयगत तथ्य छिपाया नहीं गया है अथवा इनमें कोई भ्रामक अभिकथन शामिल नहीं किया गया है।
- ये अभिकथन / विवरण बैंक के कार्यकलापों का सही एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तथा ये विद्यमान लेखा मानकों, लागू नियमों एवं विनियोग के अनुरूप हैं।
- ख. हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ऐसे कोई संव्यवहार नहीं किए गए जो धोखाधड़ी में लिप्त हो, गैर कानूनी हो अथवा बैंक की आचार संहिता के विरुद्ध हो।
- ग. हम वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंद्ध आंतिरक नियंत्रणों का पूर्ण दायित्व स्वीकार करते हैं। हम यह भी स्वीकार करते हैं कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग की आंतिरक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशाली का मूल्यांकन/आंकलन किया है तथा हमने लेखा परीक्षकों और लेखा समिति को आंतिरक नियंत्रणों के परिचालन एवं स्वरूप से संबंद्ध किमयों यदि कोई है अथवा जो हमारे अभिज्ञान में है एवं हमने इन्हें दूर करने के जो उपाय किए है या प्रस्तावित है, की जानकारी दे दी है।
- घ. हमने लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित से अवगत कराया हैः
 - वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन
 - वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा
 इनका उल्लेखनीय विशिष्टियों के नोट्स / टिप्पणियों में
 कर दिया गया है।
 - iii हमारी जानकारी में आए धोखाधड़ी संबंधी विशिष्ट मामले तथा उनमें प्रबंधन अथवा किसी कर्मचारी की संलिप्तता जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग भी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में अहम भूमिका हो।

कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

CEO/CFO Certification The Board of Directors Punjab & Sind Bank New Delhi

Dear Sirs.

Re: CEO/CFO Certification for the year 2010-11 Pursuant to clause 49 of the Listing Agreements, we hereby certify that:

- (a) We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year ended 31st March 2011 and that to the best of our knowledge and belief:
- these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
- (ii) these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- (b) There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.
- (c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- (d) We have indicated to the auditors and the Audit committee:
- significant changes in internal control over financial reporting during the year;
- (ii) significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
- (iii) instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

Place: New Delhi


Dated: 30.04.2011

For Punjab & Sind Bank

स्थान : नई दिल्ली (पी के आनन्द) दिनांक : 30.04.2011 कार्यकारी निदेशक

(P.K.Anand) Executive Director तुलन-प्रज एवं लाभ-हानि लेखा Balance Sheet & Profit & Loss Account

2010-2011



31 मार्च, 2011 का तुलन प्रज **BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2011**

(000 को छोडकर)

(000's OMMITTED)

31.03.2011 की 31.03.2010 की स्थिति

अनुसूची स्थिति के अनुसार के अनुसार SCHEDULE AS ON 31.03.2011 AS ON 31.03.2010

		रु. ∕ ₹	रु. ∕₹
पूंजी तथा देयताएं / CAPITAL & LIABILITIES			
पूंजी / Capital	1	4230560	3830560
आरक्षित निधि एवं अधिशेष / Reserves & Surplus	2	33803287	22325483
जमाराशियां / Deposits	3	597231938	491550856
उधार / Borrowings	4	28858875	37010514
अन्य देयताएं तथा प्रावधान / Other liabilities & Provisions	5	21376752	11931375
जोड़ / TOTAL		685501412	566648788
आस्तियां / ASSETS			
नगदी और भारतीय रिजर्व बैंक में इतिशेष	6	45798002	37882625
Cash & balances with Reserve Bank of India			
बैंकों में इतिशेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	7	3166703	9670641
Balances with banks & money at call and short notice			
निवेश / Investment	8	186436512	178868385
अग्रिम / Advances	9	426378496	326391078
स्थिर आस्तियां / Fixed Assets	10	8162491	5389069
अन्य आस्तियां / Other Assets	11	15559208	8446990
जोड़ / Total		685501412	566648788
आकस्मिक देयताएं / Contingent Liabilities	12	82364269	58067255
वसूली के लिए बिल/Bills for Collection		9354076	7324394
उल्लेखनीय लेखा नीतियां / Significant Accounting Policies	17		
खातों से संबंधित टिप्पणियां / Notes on Accounts	18		
अनुसूची 1 से 18 खातों का अभिन्न अंग हैं/			
Schedule 1 to 18 form an integral part of the accounts			

पी.के. आनन्द

कार्यकारी निदेशक

निदेशक

ए.भट्टाचार्य बी.पी.कानूनगो करन पाल सिंह सेखों के.एम. गंगावत

मुख्य महा प्रबंधक

पी.एस.घावरी

महाप्रबंधक

जे.एस. कोचर के.एस.सचदेवा एच.पी. सिंह मंजीत सिंह विजय श्रीवास्तव अमरजीत कोचर जी.एस. अरोड़ा

सहायक महाप्रबंधक

अमृत पाल सिंह तेजी नई दिल्ली

दिनांक 30.04.2011

ए.के. सुराना


मुख्य प्रबंधक वी.के. मेहरोत्रा

समतिथि पर हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते बलराम चंद्रा एण्ड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार सनदी लेखाकार एफआरएन 006184 एन (रविन्दर खुल्लर) साझेदार एम. नं. 082928 कृते भाटिया एण्ड भाटिया सनदी लेखाकार एफआरएन 003202एन (आर भाटिया) एम. न. 17572 कृते जी.एस. गोयल एण्ड कं. सनदी लेखाकार एफआरएन ००१४१५एन (गुलाब सिंह गोयल) एम. नं. 014428

कृते बंसल सिन्हा एण्ड कं.

एफआरएन 002817सी (अतुल मेहरोत्रा) साझेदार एम. नं. 076058 कृते अलका एण्ड सुनील सनदी लेखाकार एफआरएन006739एन (सुनील गुप्ता) एम. न. 084119 कृते एस.बी.जी. एण्ड कं. सनदी लेखाकार एफआरएन ००१८१८एन (श्री भगवान गुप्ता) एम. नं. 089415



31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि खाता PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2011

				(००० को छोड़कर)
			((000's OMMITTED)
			31.03.2011 को	31.03.2010 को
			समाप्त वर्ष	समाप्त वर्ष
		अनुसूची	YEAR ENDED	YEAR ENDED
		SCHEDULE	31.03.2011	31.03.2010
			रु. ∕₹	্চ. ∕₹
T.	आय / INCOME		V.,/ \	V./ \
	अर्जित ब्याज / Interest earned	13	49325080	39341762
	अन्य आय / Other income	14	4370855	4118072
	जोड़ / TOTAL		53695935	43459834
II.	व्यय / EXPENDITURE	4-	0070000	0750000
	व्यय किया गया ब्याज / Interest expended	15	33720602	27502339
	परिचालन व्यय / Operating expenses	16	9840363 4873239	7181844 3687634
	प्रावधान और आकस्मिक व्यय / Provisions and contingencies जोड़ / TOTAL		48434204	38371817
III.	लाभ / हानि / PROFIT / LOSS			
	वर्ष के शुद्ध लाभ / हानि / Net Profit/Loss (–) for the period		5261731	5088017
	अग्रानीत लाभ / हानि (–) / Profit/Loss(–) broughtforward		8788515	5970866
	आहरण : / Withdrawal from			
	सामान्य आरक्षितियां / General Reserve		10	332
	जोड़ / TOTAL		14050256	11059215
IV.	विनियोग को अंतरण / APPROPRIATIONS (TRANSFER TO):		1320000	1500000
	सांविधिक आरक्षितं निधियां / Statutory Reserve		146547	502581
	पूंजीआरक्षितिनिधि (निवेश) / CapitalReserve[Investment] सामान्य आरक्षितियां / General Reserve		10510	0
	विशेष आरक्षित निधियां धारा 36(i)(viii) के अंतर्गत /		166789	119071
	Special Reserve u/s 36(1)(viii)			
	प्रस्तावित लाभांश : पीएनसीपीएस / Proposed Dividend:PNCPS		135000	127397
	ईक्वटी / Equity		446112	0
	लाभांश वितरण कर / Dividend Distribution Tax		96516	21651
	शेष को आगे तुलन-पत्र में ले जाया गया /		11728782	8788515
	Balance carried over to Balance Sheet			
	जोड़ / TOTAL		14050256	11059215
	उल्लेखनीयलेखानीतियां / SignificantAccountingPolicies	17		
	खातों से संबंधित टिप्पणियां / Notes on Accounts	18		
	अनुसूची 1 से 18 खातों का अभिन्न अंग हैं/			
	Schedule 1 to 18 form an integral part of the accounts			

P.K.A	anand

Executive Director Director B.P.Kanungo

A.K.Surana Karanpal Singh Sekhon

K.M.Gangawat **Chief General Manager** P.S.Ghawri

General Manager

K.S.Suchdeva

J.S.Kochar H.P.Singh Manjit Singh Vijay Srivastava Amarjit Kochhar G.S.Arora


Asstt.Gen.Manager A.P.S.Teji

A.Bhattacharya

Chief Manager V.K.Mehrotra

New Delhi Date: 30.04.2011

As per our Report of Even Date For Bansal Sinha & Co. For Balram Chandra & Associates Chartered Accountants Chartered Accountants FRN 006184N FRN 002817C (Ravinder Khullar) (Atul Mehrotra) Partner Partner M.No.082928 M.No.076058 For Bhatia & Bhatia For Alka & Sunil Chartered Accountants Chartered Accountants FRN 003202N FRN 006739N (R.Bhatia) (Sunil Gupta) M.No.084119 M.No.17572 For G.S.Goel & Co For S.B.G. & Co. Chartered Accountants Chartered Accountants FRN 001415N FRN 001818N (Gulab Singh Goel) (Shri Bhagwan Gupta) M.No 014428 M.No 089415



(००० को छोड़कर)

(000's OMMITTED)

31.03.2011 की 31.03.2010 की स्थिति

स्थिति के अनुसार के अनुसार AS ON 31.03.2011 AS ON 31.03.2010

			7.00 0.1.0 1.100.20.10
		रु. / ₹	रु. ∕ ₹
अनु	सूची 1 – पूंजी / SCHEDULE 1-CAPITAL		
I.	प्राधिकृत पूंजी / Authorised Capital		
	इक्विटी शेयर पूँजी / Equity Share Capital	7500000	7500000
	प्रत्येक रु. 10 / - के 75,00,00,000 शेयर /	7500000	7500000
	75,00,00,000 shares of Rs. 10/- each		
II.	अधिमान शेयर पूंजी / Preference Share Capital		
	(बेमियादी गैर संचयी) (पी.एन.सी.पी.एस.)		
	(Perpetual Non-cumulative) (PNCPS)	22500000	22500000
	प्रत्येक रु. 10 / - के 225,00,00,000		
	225,00,00,000 shares of Rs.10/- each		
		3000000	3000000
निर्ग	म, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजीः ∕ Issued, Subscribed and Paid-up Capital:		
I.	इक्वटी शेयर पूंजी / Equity Share Capital		
	प्रत्येक रु.10 / – के 22,30,56,000 (पिछले वर्ष 18,30,56,000), [जिसमें केंद्रीय		
	सरकार की धारिता में प्रत्येक रु.10 / – के 18,30,56,000 (पिछले वर्ष		
	18,30,56,000) सम्मिलित हैं]	2230560	1830560
	22,30,56,000 (Previous Year 18,30,56,000) shares of Rs.10/- each		
	[including 18,30,56,000 (Previous Year 18,30,56,000) shares of Rs.10/- each held by Central Government]		
II.	अधिमान शेयर पूंजी / Preference Share Capital		
	(बेमियादी गैर संचयी) (पी.एन.सी.पी.एस.)		
	(बामयादा गर संचया) (पा.एन.सा.पा.एस.) (Perpetual Non-cumulative) (PNCPS)		
	केंद्रीय सरकार की धारिता में प्रत्येक रु.10 / — के 20,00,00,000 शेयर (पिछले	2000000	2000000
	वर्ष 20,00,00,000)		
	20,00,00,000 (Previous Year 20,00,00,000) shares of Rs.10/- each		
	held by Central Government		
	जोड़ / TOTAL [I+II]	4230560	3830560

(००० को छोड़कर)

(000's OMMITTED)

31.03.2011 की 31.03.2010 की स्थिति स्थिति के अनुसार

के अनुसार

AS ON 31.03.2011 AS ON 31.03.2010

रु. / ₹ रु. / ₹

		रु. ∕ ₹	रु. ∕ ₹
अनु	सूची 2 — आरक्षित निधि एवं अधिशेष / SCHEDULE-2 RESERVE & RPLUS		
I.	सांविधिक आरक्षित निधि / Statutory Reserves अथशेष / opening Balance	4959406	3459406
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Addition during the year	1320000	1500000
	उप–योग– I/SUB-TOTAL-I	6279406	4959406
II.	पूंजी आरक्षित निधि / Capital Reserves		4303400
	क. पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि स्थायी आस्तियां /		
	a. Revaluation Reserve (Fixed Assets):		
	अथशेष / Opening Balance	4862384	5048725
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Add: Additions during the year	2803629	NIL
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Less:Deductions during the year	-126318	-186341
	उप-योग- ॥ क / SUB-TOTAL-॥.a	7539695	4862384
	ख. पूंजी आरक्षित निधि (निवेश) / b. Capital Reserve [Investments]		
	अथशेष / Opening Balance	2315997	1813416
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Add: Addition during the year	146547	502581
	उप–योग– ॥ ख / SUB-TOTAL-II.b	2462544	2315997
III.	· · ·		
	अथ शेष / Opening Balance	0	0
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Add: Addition during the year	4308200	0
	सार्वजनिक निर्गम व्यय/Less: Public Issue Expenses	-91810	0
	उप–योग– Ⅲ/SUB-TOTAL-Ⅲ	4216390	0
IV.	राजस्व तथा अन्य आरक्षित निधियां / Revenue & Other Reserves		
	क. सामान्य आरक्षित / a>.General Reserves		
	अथशेष / Opening Balance	1078607	1078939
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Add: Addition during the year	10510	0
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Less:Deduction during the year	-10	-332
	उप−योग− IV क / SUB-TOTAL-IV.a	1089107	1078607
	ख. राजस्व आरक्षित निधि : / b>. Revenue Reserve:		
	अथशेष / Opening Balance	105700	105700
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Add: Addition during the year	0	0
	उप–योग− IV ख / SUB-TOTAL-IV.b	105700	105700
	ग. विशेष आरक्षित धारा 36(i) (v iii) के अंतर्गत :/		
	c>.Special Reserve u/s 36(i)(viii):		
	अथशेष / Opening Balance	214874	95803
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Add: Addition during the year	166789	119071
	उप–योग– Ⅳ ग / SUB-TOTAL-IV.C	381663	214874
V.	लाभ हानि खाते में शेष / Balance in Profit & Loss Account	11728782	8788515
	कुल योग (I to V) / TOTAL [I to V]	33803287	22325483

अनुसूची 3 – जमा राशियां/SCHEDULE 3 – DEPOSITS

मांग जमा / Demand Deposits

(000 को छोडकर) (000)'s OMMITTED) 31.03.2010 की 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार स्थिति के अनुसार AS ON AS ON 31.03.2011 31.03.2010 रु /₹ रु. / ₹ 411169 527408 34236763 31039594 108387688 91513367


21376752

11931375

बैंकों से / From Banks अन्य से / From others II. बचत बैंक जमा राशियां / Savings Bank Deposits III. सावधि जमा / Term Deposits बैंकों से / From Banks i. 60676255 23196926 अन्य से / From others 393520063 345273561 597231938 491550856 जोड़ [I+II+III] / TOTAL [I+II+III] B. भारत में शाखाओं की जमाराशियां / Deposits of branches in India 597231938 491550856 अनुसूची 4 - उधार/SCHEDULE 4 - BORROWINGS भारत में उधार / Borrowings in India भारतीय रिजर्ब बैंक / Reserve Bank of India 0 0 ii. अन्य बैंक / Other Banks 11989257 15989240 1500693 अन्य संस्थान और अभिकरण / Other institutions & agencies 5872274 नवोन्मेष बेमियादी ऋण लिखत (आईपीडीआई) / 1600000 1600000 Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) बेमियादी संचयी अधिमान शेयर (पी.सी.पी.एस.) / 2000000 2000000 Perpetual Cumulative Preference Shares [PCPS] 11100000 11100000 vi. गौण ऋण / Subordinated Debt 668925 449000 भारत से बाहर उधार / Borrowings outside India 37010514 28858875 जोड़ [I+II] / TOTAL [I+II] उपरोक्त जोड़ (I) और (II) में सम्मिलित प्रतिभूत उधार :/ 0 0 Secured borrowings Included in I & II above अनुसूची 5 — अन्य देयताएं और प्रावधान SCHEDULE - 5 OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS 2768970 3590113 देय बिल / Bills Payable अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter-office adjustments [net] 0 1609769 III. प्रोदभृत ब्याज / Interest accrued 3701641 917069 1031077 IV. स्थागित कर देयता / Deferred Tax Liability 575605 V. अन्य (इसमें प्रावधान सम्मिलित हैं) / Others (including provisions) 13875064 5238819

जोड़ / TOTAL

				(००० को छोड़कर)
				(000's
				OMMITTED) 31.03.2010 की
			31.03.2011 की	रा.03.2010 का स्थिति के अनुसार
			स्थिति के अनुसार	AS ON
			AS ON 31.03.2011	31.03.2010
			रु. ∕ ₹	रु. ∕ ₹
~		6 — नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास इतिशेष/		
		DULE 6 – CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I.		ा में नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट सम्मिलित हैं)/	1354137	913143
		sh in hand [including foreign currency notes]		
II.		तीय रिजर्व बैंक में इतिशेष / Balances with Reserve Bank of India	44443865	36969482
	i. ::	चालू खातों में / in Current Account		
	ii.	अन्य खातों में / in Other Account	45709003	0
_		जोड़ [I+II] / TOTAL [I+II]	45798002	37882625
SC	HED	7 — बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन / DULE 7 – BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL RT NOTICE		
I.	भार	त में / In India		
	i.	बैंकों में शेष : / Balance with banks		
		a) चालू खातों में / in Current Accounts	1047993	1091071
		b) अन्य जमा खातों में ∕ in Other Deposit Accounts	0	5616216
	ii.	मांग तथा अल्प सूचना पर / Money at call & Short notice		
		a) बैंकों से / with banks	0	1000000
		b) अन्य संस्थाओं से/with other Institutions	0	0
		उप–योग– I∕SUB-TOTAL-I	1047993	7707287
II.	भार	त के बाहर / OUTSIDE INDIA		
	i.	चालू खातों में ⁄ In Current Accounts	1286585	955217
	ii.	अन्य जमा खातों में / In Other Deposit Accounts	832125	1008137
	iii.	मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य धन / Money at call & Short notice	0	0
		उप−योग− II / SUB-TOTAL-II	2118710	1963354
		जोड़ [I+II] / TOTAL [I+II]	3166703	9670641



(००० को छोड़कर) (000's)OMMITTED)

स्थिति के अनुसार

AS ON 31.03.2011

31.03.2010 की 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.2010

> रु. <u>/ ₹</u> रु. / ₹

			V./ \	V./ \
अनृ	सूची	8 — निवेश / SCHEDULE 8 – INVESTMENTS		
I.	भार	त में निवेश / Investments in India in		
	i.	सरकारी प्रतिभूतियां** / Government Securities	162137522	152700525
	ii.	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other approved securities	593628	1821578
	iii.	शेयर्स / Shares	1116845	1030799
	iv.	डिबेंचर तथा बांड्स / Debentures & Bonds	10984327	13092340
	٧.	सहायक इकाईयां तथा संयुक्त उपक्रम एवं आयोजित संस्थान		
		Subsidiaries, and/or Joint Ventures & Sponsored Institutions	6537	6537
	۷İ.	अन्य / Others:		
		a) वाणिज्यिक पत्र / सीडी / प्रतिभूत रसीदें / आरआईडीएफ		
		Commercial Paper/CD/Securitised Receipts/ RIDF	11373583	9927097
		b) यू.टी.आई. के यूनिट, अन्य म्युचुअल फंड / Units of UTI, other MFs	224070	289509
		उप–योग– I ∕ SUB-TOTAL-I	186436512	178868385
II.	भार	त से बाहर निवेश / Investments outside India	0	0
		कुल योग [I+II] / TOTAL [I+II]	186436512	178868385
कुल	न मूल	되 / Gross Value	187012802	179866642
मूल	य हार	म का प्रावधान (–) / Provision for Depreciation [-]	576290	998257
निव	ाल नि	ावेश ∕ Net Investments	186436512	178868385
**=	नमें उ	5. 1350.56 करोर की भारगरन प्रतिभित्रमां (अंकित मुला रू. 1315.45 करोर) स	मिलित हैं। पिछले वर्ष	ਹਵ ਨ 105634

^{**}इनमें रु. 1350.56 करोड़ की भारग्रस्त प्रतिभृतियां (अंकित मूल्य रु. 1315.45 करोड़) सम्मिलित हैं। पिछले वर्ष यह रु. 1956.34 करोड़ थी (अंकित मूल्य रु. 1980.36 करोड़)

^{**} Includes encumbered securities of Rs.1350.56 crore [Face Value Rs.1315.45 crore] previous year Rs.1956.34 crore [Face Value Rs.1980.36 crore]

अनुसूची श्री अनुसार कि अनुसार AS ON 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.2010 क./₹ क./₹ क./₹ क./₹ क./₹ क./₹ क./₹ क./₹					(००० को छोड़कर)
31.03.2010 की स्थिति के अनुसार स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.2010 का स्थिति के अनुसार अधिविकर्ष और मांग पर प्रतिदेय उधार Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand iii. मीयादी ऋण / Term Loans 304551826 233943614 426378496 326391078 B. i. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभृत (बही ऋण के एवज़ अग्रिम सहित) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debt) ii. बैंक / सरकारी प्रतिभृतियों द्वारा संरक्षित / Covered by Bank/ Government Guarantees iii. गैर जमानती / Unsecured 120678422 89640096 जोड़ / TOTAL 426378496 326391078 C. भारत में अग्रिम / ADVANCES IN INDIA i. प्राथमिकता क्षेत्र / Priority Sector 131410168 106919474 ii. सार्वजिनक क्षेत्र / Public Sector 119607720 81203499 iii. बैंक / Banks 12002199 1061155					(000's
अनुसूची अनुसार के अन					OMMITTED)
स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.2010					31.03.2010 की
AS ON 31.03.2011					स्थिति के अनुसार
उमुसूची 9 — अग्निम/SCHEDULE 9 – ADVANCES A. i. क्रिय किए गए तथा भुनाए गए बिल / Bills purchased & discounted ii. नकदी उघार, अधिविकर्ष और मांग पर प्रतिदेय उघार					
अनुसूची 9 — अग्रिम/SCHEDULE 9 — ADVANCESA. i. क्रय किए गए तथा भुनाए गए बिल / Bills purchased & discounted58920406231908ii. नकदी उघार, अधिविकर्ष और मांग पर प्रतिदेय उधार Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand11593463086215556iii. मीयादी ऋण / Term Loans304551826233943614B. i. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के एवज़ अग्रिम सहित) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debt)278467816222859893iii. बैंक / सरकारी प्रतिभृतियों द्वारा संरक्षित / Covered by Bank/ Government Guarantees2723225813891089iii. गैर जमानती / Unsecured12067842289640096जोड़ / TOTAL426378496326391078C. भारत में अग्रिम / ADVANCES IN INDIA131410168106919474ii. सार्वजिनक क्षेत्र / Priority Sector131410168106919474iii. सार्वजिनक क्षेत्र / Public Sector11960772081203499iii. बैंक / Banks120021991061155				AS ON 31.03.2011	31.03.2010
A. i. क्रय किए गए तथा भुनाए गए बिल / Bills purchased & discounted ii. नकदी उधार, अधिविकर्ष और मांग पर प्रतिदेय उधार Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand iii. भीयादी ऋण / Term Loans B. i. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के एवज अग्रिम सहित) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debt) ii. बँक / सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा संरक्षित / Covered by Bank/ Government Guarantees iii. गैर जमानती / Unsecured TOTAL C. भारत में अग्रिम / ADVANCES IN INDIA i. प्राथमिकता क्षेत्र / Priority Sector iii. बँक / Banks 115934630 86215556 233943614 426378496 326391078 278467816 27232258 13891089 27232258 13891089 27232258 120678422 89640096 326391078 C. भारत में अग्रिम / ADVANCES IN INDIA i. प्राथमिकता क्षेत्र / Priority Sector 119607720 81203499 iii. बँक / Banks				रु. ∕₹	रु. /₹
ii. नकदी उधार, अधिविकर्ष और मांग पर प्रतिदेय उधार Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand iii. मीयादी ऋण / Term Loans	अनु	सूची	9 — अग्रिम ∕ SCHEDULE 9 – ADVANCES		
115934630 86215556 Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand 115934630 86215556 233943614 304551826 233943614 304551826 233943614 326391078 32639107	A.	i.	क्रय किए गए तथा भुनाए गए बिल / Bills purchased & discounted	5892040	6231908
Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand iii. मीयादी ऋण / Term Loans 304551826 233943614		ii.	नकदी उधार, अधिविकर्ष और मांग पर प्रतिदेय उधार	115934630	86215556
जोड़ / TOTAL B. i. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के एवज अग्रिम सहित) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debt) ii. बैंक / सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा संरक्षित / Covered by Bank/ Government Guarantees iii. गैर जमानती / Unsecured जोड़ / TOTAL C. भारत में अग्रिम / ADVANCES IN INDIA i. प्राथमिकता क्षेत्र / Priority Sector iii. सार्वजनिक क्षेत्र / Public Sector iii. बैंक / Banks 326391078 278467816 278467816 27232258 13891089 27232258 120678422 89640096 426378496 326391078 131410168 106919474 106919474 1061155			Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	110001000	00210000
B. i. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के एवज़ अग्रिम सहित) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debt) ii. बैंक / सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा संरक्षित / Covered by Bank/ Government Guarantees iii. गैर जमानती / Unsecured		iii.	मीयादी ऋण / Term Loans	304551826	233943614
Secured by tangible assets (includes advances against Book Debt) ii. बैंक / सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा संरक्षित / Covered by Bank/ Government Guarantees iii. गैर जमानती / Unsecured 120678422 89640096 जोड़ / TOTAL 426378496 326391078 C. भारत में अग्रिम / ADVANCES IN INDIA i. प्राथमिकता क्षेत्र / Priority Sector 131410168 106919474 ii. सार्वजनिक क्षेत्र / Public Sector 119607720 81203499 iii. बैंक / Banks 12002199 1061155			जोड़ / TOTAL	426378496	326391078
Secured by tangible assets (includes advances against Book Debt) ii. बैंक / सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा संरक्षित / Covered by Bank/ Government Guarantees iii. गैर जमानती / Unsecured जोड़ / TOTAL C. भारत में अग्रिम / ADVANCES IN INDIA i. प्राथमिकता क्षेत्र / Priority Sector iii. सार्वजनिक क्षेत्र / Public Sector iii. बैंक / Banks 12002199 13891089 27232258 13891089 426378496 326391078 1206919474 131410168 106919474 1061155	В.	i.	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के एवज़ अग्रिम सहित)	278467816	222850803
Covered by Bank/ Government Guarantees iii. गैर जमानती / Unsecured 120678422 89640096 जोड़ / TOTAL 426378496 326391078 C. भारत में अग्रिम / ADVANCES IN INDIA i. प्राथमिकता क्षेत्र / Priority Sector 131410168 106919474 iii. सार्वजनिक क्षेत्र / Public Sector 119607720 81203499 iii. बैंक / Banks 12002199 1061155			Secured by tangible assets (includes advances against Book Debt)	270407010	222033033
Covered by Bank/ Government Guarantees iii. गैर जमानती / Unsecured 120678422 89640096 जोड़ / TOTAL 426378496 326391078 C. भारत में अग्रिम / ADVANCES IN INDIA i. प्राथमिकता क्षेत्र / Priority Sector 131410168 106919474 iii. सार्वजनिक क्षेत्र / Public Sector 119607720 81203499 iii. बैंक / Banks 12002199 1061155		ii.	बैंक / सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा संरक्षित /	27232258	13891089
जोड़ / TOTAL 426378496 326391078 C. भारत में अग्रिम / ADVANCES IN INDIA i. प्राथमिकता क्षेत्र / Priority Sector 131410168 106919474 ii. सार्वजनिक क्षेत्र / Public Sector 119607720 81203499 iii. बैंक / Banks 12002199 1061155			Covered by Bank/ Government Guarantees	27202200	10001000
C. भारत में अग्रिम / ADVANCES IN INDIAi. प्राथमिकता क्षेत्र / Priority Sector131410168106919474ii. सार्वजनिक क्षेत्र / Public Sector11960772081203499iii. बैंक / Banks120021991061155		iii.	गैर जमानती / Unsecured	120678422	89640096
i. प्राथमिकता क्षेत्र / Priority Sector 131410168 106919474 ii. सार्वजनिक क्षेत्र / Public Sector 119607720 81203499 iii. बैंक / Banks 12002199 1061155			जोड़ / TOTAL	426378496	326391078
ii. सार्वजनिक क्षेत्र / Public Sector 119607720 81203499 iii. बैंक / Banks 12002199 1061155	C.	भार	त में अग्रिम / ADVANCES IN INDIA		
iii. बेंक/Banks 12002199 1061155		i.	प्राथमिकता क्षेत्र / Priority Sector	131410168	106919474
iii. बेंक / Banks 12002199 1061155		ii.	सार्वजनिक क्षेत्र / Public Sector	119607720	81203499
		iii.		12002199	1061155
		iv.	•	163358409	137206950
जोड / TOTAL 426378496 326391078				426378496	326391078

(000 को छोड़कर) (000's)OMMITTED) 31.03.2010 की

AS ON

31.03.2011 की स्थिति के अनुसार


स्थिति के अनुसार AS ON 31.03.2011 31.03.2010

	710 011 01.00.2011	01.00.2010
	रु. /₹	रु. ∕ ₹
अनुसूची 10 — स्थायी आस्तियां / SCHEDULE 10 – FIXED ASSETS		
I. परिसर / Premises		
परिसर का मूल्य (अथ शेष) / Cost [Opening Balance]	277595	277211
पुनर्मूल्यन के दौरान लागत में परिवर्धन / Appreciation in cost on account or revaluation	of 5375233	5375233
उप–योग / SUB–TOTAL	5652828	5652444
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year		
वास्तविक लागत पर / Original Cost	19410	384
पुनर्मूल्यन लागत पर / Revaluation Cost	7666013	0
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year on		
वास्तविक लागत पर / Original Cost	-10972	0
पुनर्मूल्यन लागत पर ⁄ Revaluation Cost	-5375233	0
घटाएं–अद्यतित दिनांक को मूल्यहास / Less Depreciation to date on		
वास्तविक लागत पर / Original Cost	-129494	-131668
पुनर्मूल्यन लागत पर / Revaluation Cost	-126318	-512849
जोड़ I / TOTAL ।	7696234	5008311
II. अन्य स्थायी आस्तियां (इसमें फर्नीचर और जुडनार सम्मिलित हैं)/		
Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures)		
मूल्य (अथ शेष) / Cost [Opening Balance]	1601960	1564068
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	234006	144529
वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-50553	-106637
अद्यतन मूल्यहास / Depreciation to date	-1319156	-1221202
जोड़ I / TOTAL II	466257	380758
कुल जोड़ (I+II) ∕ TOTAL (I+II)	8162491	5389069

			(000 को छोड़कर) (000's
			OMMITTED)
			31.03.2010 की
		31.03.2011 की	स्थिति के अनुसार
		स्थिति के अनुसार	AS ON
		AS ON 31.03.2011	31.03.2010
		रु. /₹	रु. / ₹
अनु	मूची 11 — अन्य आस्तियां / SCHEDULE 11 – OTHER ASSETS		
I.	अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध) / Inter-office adjustments [net]	152540	0
II.	प्रोदभूत ब्याज / Interest accrued	3056760	2946633
III.	अग्रिम रूप से संदत्त / स्रोत पर काटा गया कर	2807211	3420412
	Tax paid in advance/ Tax deducted at source	2007211	3720712
IV.	लेखन सामग्री और स्टाम्प / Stationery & Stamps	22164	26935
V.	दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर बैंककारी आस्तियां	0	0
	Non Banking assets acquired in satisfaction of claims	· ·	Ŭ
VI.	अन्य / Others	9520533	2053010
	जोड़ / TOTAL	15559208	8446990
अनु	मूची 12 – आकस्मिक देयताएं/SCHEDULE 12 – CONTINGENT BILLITIES	•	
I.	बैंक विरुद्ध ऐसे दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है		
	Claims against the bank not acknowledged as debts	109012	72241
II.	अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयता / Liability for partly paid investments	0	0
III.	बकाया वायदा विदेशी विनिमय संविदाओं के लिए देयता		
	Liability on account of outstanding forward exchange contracts	56905354	39075669
IV.	संघटकों की ओर से दी गई प्रतिभूतियां		
	Guarantees given on behalf of Constituents		
	क) भारत में / a>.In India	15669079	10796784
	ख) भारत के बाहर / b>.Outside India	0	0
V.	स्वीकृतियां, पृष्ठांकन तथा अन्य बाध्यताएं	9680824	8122556
	Acceptances, Endorsements and other obligations	9000024	0122330
VI.	अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	0	5
	Other items for which the bank is contingently liable		
	जोड़ / TOTAL	82364269	58067255

			(००० को छोड़कर)
			(000's
		,	OMMITTED)
		31.03.2011 को	31.03.2010 को
		समाप्त वर्ष	समाप्त वर्ष
		YEAR ENDED 31.03.2010	YEAR ENDED 31.03.2010
		হ. ∕₹	रु. /₹
अन्	मूची 13 — अर्जित ब्याज / SCHEDULE 13 – INTEREST EARNED	.,, .	·./ ·
l.	ब्याज / अग्रिमों पर मितिकाटा / बिल / Interest/discount on advances/ bills	36057108	27537039
II.	निवेशों पर आय / Income on investments	12785588	10950757
III.	•		
	Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank	163735	661289
	funds		
IV.	अन्य / Others	318649	192677
	जोड़ ⁄ TOTAL	49325080	39341762
अनुष	मूची 14 − अन्य आय ∕ SCHEDULE 14 −OTHER INCOME		
I.	कमीशन, विनिमय और दलाली / Commission, exchange and brokerage	640613	541262
II.	निवेशों के विक्रय पर लाभ (शुद्ध) / Profit on sale of Investments [net]	751621	1090561
III.	भूमि, भवन तथा आस्तियों के विक्रय पर लाभ (शुद्ध)	1092	788
	Profit on sale of land, buildings and other assets [net]	1002	700
IV.	विनिमय लेन-देन पर लाभ (शुद्ध) / Profit on exchange transactions [net]	460887	376528
V.	विविध आय/Miscellaneous Income	2390324	1922592
VI.	पुनर्मूल्यन आरक्षित खातें से अंतरण / Transfer from Revaluation Reserve Account	126318	186341
	जोड़ / TOTAL	4370855	4118072
अनुष	मूची 15 — अपचित ब्याज/SCHEDULE 15 –INTEREST EXPENDED		
I.	जमाराशियों पर ब्याज / Interest on deposits	31222645	25676923
II.	भारतीय रिजर्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	044405	E40407
	Interest on Reserve Bank of India/inter-bank borrowings	944435	519427
III.	अन्य / Others	1553522	1305989
	जोड़ / TOTAL	33720602	27502339

			, , , , ,
			(००० को छोड़कर)
			(000's
			OMMITTED)
		31.03.2011 को	31.03.2010 को
		समाप्त वर्ष	समाप्त वर्ष
		YEAR ENDED	YEAR ENDED
		31.03.2010	31.03.2010
		रु. ∕₹	रु. / ₹
अनुसूच	गी 16 — परिचालन व्यय/SCHEDULE 16 -OPERATING EXPENSES		
I.	कर्मचारियों को भुगतान और प्रावधान	7550540	E200420
	Payments to and provisions for employees	7558518	5296426
II.	किराया, कर और रोशनी / Rent, taxes and lighting	423412	374908
III.	मुद्रण एवं लेखन सामग्री / Printing and stationery	77993	68432
IV.	विज्ञापन और प्रचार / Advertisement & publicity	37950	5365
V.	बैंक की सम्पत्ति पर मूल्यहास / Depreciation on Bank's property	278454	306841
VI.	निदेशकों का शुल्क, भत्ते और व्यय / Directors'fees, allowances and expenses	3079	2202
VII.	लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (इसमें शाखा लेखा परीक्षकों की फीस और		
	व्यय शामिल हैं)/	68036	58638
	Auditors' fees and expenses (including branch auditors' fee & expenses)	00000	00000
VIII.	विधि प्रभार / Law Charges	97630	78678
IX.	डाक खर्च, तार और टेलीफोन आदि / Postages, Telegrams, Telephones etc.	63908	61151
X.	मरम्मत और अनुरक्षण / Repairs & maintenance	94945	88734
XI.	बीमा / Insurance	490913	369457
XII.	अन्य व्यय / Other expenditure	645525	471012
	जोड़ / TOTAL	9840363	7181844



अनुसूची-17

प्रमुख लेखा नीतियां

1. सामान्य

मूल-भूत आधार

वित्तीय विवरणों को लेखा उपचय आधार पर ऐतिहासिक लागत परंपरा जहां अन्यथा स्पष्ट न किया गया हो एवं सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत निर्धारित सांविधिक आवश्यकताओं, समय—समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों तथा कंपनियों द्वारा अधिसूचित लेखा मानकों (लेखा मापदंडों) नियमों, 2006 भारत में बैंकिंग उद्योग में लागू और वर्तमान कार्यकलापों के आधार पर तैयार एवं प्रस्तुत किया गया हैं।

2. विदेशी मुद्रा लेन-देन

- 21. विदेशी मुद्राओं वाली समस्त मौद्रिक आस्तियों तथा देयताओं का भारतीय रुपये में परिवर्तन तुलन—पत्र की दिनांक को लागू विनिमय दरों पर किया गया है, जिन्हें भारतीय विदेशी विनिमय व्यापारी संघ) फैड़ाई (द्वारा अधिसूचित किया गया था। इसके लाभ—हानि की गणना लाभ—हानि खाते में की गई है।
- 2.2 बकाया विदेशी मुद्रा सौदे को सौदे की तिथि को प्रचलित विनिमय दर के अनुसार किया गया है। ऐसे सौदों में लाभ या हानि की संगणना फैड़ाई के द्वारा दी गई दरों पर तथा फैड़ाई के दिशा—निर्देशों तथा ए.एस. 11 के पैरा 38 के प्रावधानों के अनुसार की गई है।
- 2.3 विदेशी विनिमय लेन—देन से संबंधित आय एवं व्यय मदों को कारोबार के दिन लागू विनिमय दरों पर परिवर्तित किया गया है।
- 2.4 स्वीकृति, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्वों पर आकिस्मक देयताएं, विदेशी मुद्रा गारंटी एवं साख पत्र का मूल्यांकन फैड़ाई द्व ारा वार्षिक संवरण की दिनांक को जारी दरों पर किया गया है जबिक समाहरण के लिए बिलों को प्रस्तुतिकरण के समय आनुमानिक दरों पर लेखाबद्ध किया गया है।

3. निवेश

- 3.1 निवेश से संबंधित वर्गीकरण तथा मूल्यांकन को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकशील मानदंडों के अनुरूप किया गया है जोिक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों / दिशा—निर्देशों के अनुरूप है।
- 3.2 समस्त निवेश संविभाग को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है जैसे 'परिपक्वता तक रखना' 'बिक्री के लिए उपलब्ध' तथा 'व्यापार हेतु रखना' जोिक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा—निर्देशों के अनुरूप है। इन तीनों वर्गों के अंतर्गत निवेशों का प्रकटीकरण निम्नांकित छः वर्गीकरणों के अनुरूप किया गया है:

SCHEDULE-17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. GENERAL BASIS OF PREPARATION

The financial statements have been prepared and presented under historical cost convention on accrual basis of accounting unless otherwise stated and comply with Generally accepted accounting principles, statutory requirements prescribed under Banking Regulation Act, 1949, circulars and guidelines issued by Reserve Bank of India from time to time and notified accounting standards by companies (Accounting Standards) Rules, 2006 to the extent applicable and current practices in Banking Industry in India.

2. Foreign Exchange Transactions

- 2.1 All the Monetary assets and liabilities in foreign currencies are translated in Indian rupees at the exchange rates prevailing at the Balance Sheet date as notified by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI). The resultant gain / loss is accounted for in the Profit & Loss account.
- 2.2 The outstanding foreign exchange contracts are stated at the prevailing exchange rate on the date of commitment. Profit or loss on such contracts is accounted for as per rates advised by FEDAI and in accordance with FEDAI guidelines and provisions of para 38 of AS-11.
- 2.3 Items of Income and expenditure relating to foreign exchange transactions are recorded at exchange rates prevailing on the date of the transactions.
- 2.4 Contingent liabilities on account of acceptances, endorsements and other obligations including guarantees & letter of credits in foreign currencies are valued as per rates published by FEDAI except Bills for Collection which are accounted for at the notional rates at the time of lodgment.

3. Investments

- 3.1 Classification and valuation of investments are made in accordance with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India read with clarifications / directions given by RBI.
- 3.2 The entire investment portfolio is classified into three categories, viz, Held to Maturity, Available for Sale and Held for Trading in line with the guidelines / directions of Reserve Bank of India. Disclosure of the investments under the three categories mentioned above is made under six classifications viz.,

- i. सरकारी प्रतिभूतियां
- ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
- iii. शेयर्स; अंश
- iv. डिबेंचर्स
- v. सहायक ईकाइयां संयुक्त उपक्रम तथा
- vi. अन्य


3.3 वर्गीकरण का आधार

- i. ऐसे निवेश जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखने का इरादा रखता हो को "परिपक्वता तक रखना" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- ii. ऐसे निवेश जिन्हें खरीदने की तारीख से 90 दिनों के भीतर सैद्धांतिक रूप से पुनः विक्रय के लिए रखा हो "व्यापार के लिए रखने" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- iii. ऐसे निवेश जो उक्त दोनों श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं होते 'विक्रय के लिए उपलब्ध' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- iv. निवेशों को खरीदते समय उक्त तीनों श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। एक वर्ग से दूसरे वर्ग में प्रतिभूतियों का अंतरण सामान्यतः बोर्ड के अनुमोदन से वर्ष में एक बार किया जाता है। अंतरण की तिथि को अधिग्रहण लागत से कम मूल्य/बहीमूल्य/बाजार मूल्य पर अंतरित किया गया है तथा इस प्रकार के अंतरण पर मूल्य हास पर पूर्णयता प्रावधान किया गया है और प्रतिभूतियों के अंकित मूल्यों में तदानुसार परिवर्तन किया गया है।
- 3.4 प्रतिभूतियां जिन्हें 'पिरपक्वता तक रखना है' का अधिग्रहण लागत मूल्य पर लिया गया है। यदि लागत मूल्य अंकित मूल्य से अधिक है तो प्रीमियम स्वतः पिरपक्वता की शेष अवधि के भीतर पिरशोधनीय है। ऐसे पिरशोधन को अनुसूची—13 मद ॥ में "निवेशों पर आय" शीर्ष के अंतर्गत दर्शया गया है। जहां लागत मूल्य प्रतिदान मूल्य से कम है, वहां अंतर वसूली योग्य न होने के कारण इस आय को नहीं लिया गया है। सहायक ईकाइयां तथा संयुक्त उपक्रम के निवेश के मूल्य में अस्थायी तौर पर आई कमी के लिए प्रत्येक निवेश हेतु अलग.अलग लिया गया है।
- 3.5 'बिक्री हेतु उपलब्ध' खाते के अंतर्गत प्रतिभूतियों का मूल्यांकन स्क्रिप—वार किया गया है तथा हास / वृद्धि को श्रेणी—वार पृथक किया गया है। शुद्ध वृद्धि को शामिल नहीं किया गया है जबिक प्रत्येक श्रेणी में शुद्ध हास का प्रावधान किया गया है।
- 3.6 'व्यापार हेतु रखी गई प्रतिभूतियों का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया गया है एवं प्रत्येक वर्ग में शुद्ध मूल्यहास को लगाया गया है तथा शुद्ध वृद्धि, यदि कोई हो, को शामिल नहीं किया गया है।

- i. Government Securities
- ii. Other approved securities
- iii. Shares
- iv. Debentures
- v. Subsidiaries / Joint Ventures and
- vi. Others

3.3 Basis of Classification:

- Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as Held to Maturity.
- ii. Investments that are held principally for resale within 90 Days from the date of purchase are classified as Held for Trading.
- Investments which are not classified in the above two categories, are classified as Available for Sale.
- iv. An investment is classified under the above three categories at the time of its purchase. Shifting of securities from one category to another is done with the approval of the Board normally once in a year. Shifting is effected at the lower of acquisition cost / book value / market value on the date of transfer and the depreciation, if any, on such shifting is fully provided for and the book value of securities is changed accordingly.
- 3.4 Securities under 'Held to Maturity' are stated at acquisition costs unless such costs are higher than the face value, in which case the premium is amortized over the remaining period of maturity. Such amortization is shown under "Income on Investments—Schedule 13 item II. In case, the cost is less than the redemption value, the difference being the unrealized gain, is ignored. Any diminution in value of investments in subsidiaries and joint venture, other than temporary in nature, is provided for each investment individually
- 3.5 Securities under 'Available for sale' are valued scrip wise and depreciation/ appreciation is segregated category wise. While net appreciation is ignored, net depreciation under each category is provided for.
- 3.6 Securities under 'Held for Trading' are valued at market price and the net depreciation under each category is provided for and the net appreciation, if any, is ignored.



- 3.7 निवेशों की लागत वर्ग के अनुरूप भारित औसतन लागत विधि पर आधारित है।
- 3.8 'बिक्री हेतु उपलब्ध' एवं 'व्यापार हेतु रखी गई प्रतिभूतियां' श्रेणी के अन्तर्गत प्रतिभूतियों के निवेश मूल्य को 'बाजार दर'' पर निर्धारण हेतु स्टाक एक्सचेंजों पर दिए गए भाव / दरों के अनुरूप भारतीय रिज़र्व बैंक की मूल्य सूची, प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पी.डी.ए.आई) की फिक्सड इन्कम मनी मार्किट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ संयुक्त रूप से निर्धारित किए गए मूल्यों के अनुरूप किया गया है।


अवर्गीकृत निवेशों के संबंध में निम्न प्रक्रिया अपनाई गई है :

- क. भारत सरकार की प्रतिभूतियां : फिम्डा / पीडीएआई द्वारा दी गई दरों पर।
- ख. राज्य सरकार ऋण, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां अधिमान शेयरों, ऋण पत्रों तथा पी.एस.यू. बाण्डस : फिम्डा / पीडीएआई द्वारा दी गई दरों के अनुरूप परिपक्वता पर लाभ के आधार पर जोकि पीडीएआई / फिम्डा एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किए गए हैं।
- ग. इक्विटी शेयर्स: नवीनतम तुलन-पत्र पर आधारित ब्रेक-अप मूल्य के आधार पर जोिक मूल्यांकन की तिथि पर एक वर्ष से पुरानी नहीं है । ऐसे प्रकरणों में जहां पर नवीनतम तुलन.पत्र उपलब्ध नहीं है, शेयरों का मूल्य 1/ – रूपये प्रति कम्पनी माना गया है।
- घ. म्युचुअल फंड यूनिटस : पुनःक्रय मूल्य पर या शुद्ध आस्ति मुल्य पर।
- ड. ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण पत्र, पुनः पूंजीगत बांड, सहायक संयुक्त उपक्रम तथा प्रायोजित संस्थान—शुद्ध लागत पर।
- 3.9 निवेशों के अधिग्रहण मूल्य का निर्धारण
- अभिदान के समय प्राप्त प्रोत्साहन को प्रतिभूतियों की लागत से घटाया गया है।
- ख. प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर व्यय की गई दलाली/ कमीशन/स्टांप ड्यूटी को राजस्व व्यय में लिया गया है।
- ग. निवेशों के अधिग्रहण पर दिए खंडित अवधि के प्रदत्त ब्याज को, यदि कोई हो, लाभ.हानि खाते के नामे डाला गया है। प्रतिभूतियों की बिक्री पर प्राप्त खंडित अवधि के ब्याज को ब्याज आय माना गया है।
- 3.10 निवेशों की बिक्री से लाभ / हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है। फिर भी, "परिपक्वता तक रखना" श्रेणी में निवेशों की बिक्री से आय पर लाभ की स्थिति में इसके समतुल्य लाभ राशि को आरक्षित पूंजी में विनियोजित किया गया है।
- 3.11 गैर निष्पादित निवेश : गैर निष्पादित प्रतिभूतियों के संबंध में, आय की पहचान नहीं की गई है तथा ऐसी प्रतिभूतियों के मूल्य में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा—निर्देशानुसार मूल्यहास के लिए उपयुक्त प्रावधान किये गये हैं।

- 3.7 Cost of investment is based on the weighted average cost method category wise.
- 3.8 The 'market value' for the purpose of valuation of investments included in the 'Available for Sale' and 'Held for Trading' categories is the market price of the scrip as available from the trades/ quotes on the stock exchanges, price list of RBI, prices declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with the Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA).

In respect of unquoted securities, the procedure adopted is as below:

- Government of India Securities: At rates put out by FIMMDA/PDAI
- b. State Government Loans, Other approved Securities, Preference Shares, Debentures and PSU Bonds: On yield to maturity (YTM) basis at the rate prescribed by FIMMDA/ PDAI with such mark ups as laid down by RBI or FIMMDA/PDAI
- c. Equity Shares: At break-up value based on the latest Balance Sheet, which are not older than one year on the date of valuation. In cases where latest Balance Sheets are not available, the shares are valued at Re.1 per company
- d. Mutual Fund Units: At re-purchase price or Net Assets Value
- Treasury Bills, Commercial Papers, Certificate of Deposits, Recapitalization Bonds, Subsidiaries, Joint Ventures and Sponsored Institutions: At carrying cost.
- 3.9 In determining acquisition cost of investments:
- Incentive received on subscription is deducted from the cost of securities;
- Brokerage/commission/ stamp duty paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expenditure;
- c. Broken period interest, if any, paid on acquisition of investment is debited to profit & loss account. Broken period interest received on sale of securities is recognized as Interest Income.
- 3.10 Profit/ Loss on sale of investments is taken to profit and loss account. However, in case of profit on sale of investments in 'Held to Maturity' category, an equivalent amount of profit is appropriated to Capital Reserve.
- 3.11 Non Performing Investments: In respect of Non-Performing Securities, income is not recognized and appropriate provision is made for depreciation in the value of such securities as per Reserve Bank of India quidelines.



4 अग्रिम

4.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अग्रिमों का वर्गीकरण निष्पादक तथा गैर-निष्पादक आस्तियों में किया गया है। फिर भी, बैंक ने निम्नानुसार अवमानक और संदिग्ध श्रेणियों के लिए उच्चतर प्रावधान किए हैं।

आस्तियों की श्रेणी	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रावधानन नियम	दिनांक 31.12.2010 तक बैंक द्वारा पालन किए गए प्रावधानन नियम	दिनांक 31.03.2011 को समाप्त तिमाही हेतु संशोधित प्रावधानन नियम
अवमानक	10% (जहाँ बकाया राशि से प्रतिभूति का मृल्य 10% अधिक है) 20% (जहाँ प्रतिभूति का मृल्य बकाया राशि का 10% तक है)	35% प्रतिभूति मूल्य से काई संबंध नही	20% प्रतिभूति मूल्य से कोई संबंध नही
संदिग्ध-।	जमानती ऋण पर 20% गैर-जमानती ऋण पर 100%	जमानती ऋण पर 65% गैर—जमानती ऋण पर 100% (दिनांक 31.03.2007 से प्रभावी)	जमानती ऋण पर 30% गैर—जमानती ऋण पर 100%
संदिग्ध-II	जमानती ऋण पर 30% गैर-जमानती ऋण पर 100%	100% प्रतिभूति मूल्य से कोई संबंध नही (दिनांक 31.03.2007 से प्रभावी)	जमानती ऋण पर 50% गैर—जमानती ऋण पर 100:
संदिग्ध-III	100% प्रतिभूति मूल्य से कोई संबंध नही	100% प्रतिभूति मूल्य से कोई संबंध नही	100% प्रतिभूति मूल्य से कोई संबंध नही

संशोधित प्रावधानान नियमों का नई चूकों पर भावी प्रभाव होगा (अर्थात् दिनांक 01.01.2011 या इसके बाद जो खाते एनपीए श्रेणी में जाएंगे) और वर्तमान एनपीए की स्थिति खराब होगी। तथापि, वर्तमान एनपीए खातों में पहले से किए गए प्रावधानों को कम/प्रत्यावर्तित नहीं किया जाएगा।

- 4.2 अग्रिमों को गैर.मान्यता शुद्ध ब्याज पर वर्णित किया गया है तथा अनुपयोज्य अग्रिमों पर प्रावधान / तकनीकी बहे खाते के आधार पर किया गया है। डी.आई.सी.जी.सी. / ई.सी.जी. सी. से प्राप्त दावों को उनके समायोजन / तकनीकी रूप से बहे खाते डालने तक इस प्रकार के अग्रिमों में से कम नहीं किया गया है। जबकि एनपीए खातों में आंशिक वसूली को अग्रिमों में से घटाया गया है।
- 4.3 मानक अग्रिमों पर प्रावधान किया गया है तथा उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा.निर्देशों के अनुसार "अन्य दायित्वों तथा प्रावधान" शीर्ष के अंतर्गत रखा गया है।


4. Advances

4.1 Advances are classified into "Performing" and "Non-performing" assets and provisions are made as per the prudential norms prescribed by the Reserve Bank of India. However, the Bank has made higher provisions for Sub-standard and Doubtful categories as follows:

Category of Asset	Provisioning Norms as prescribed by RBI	Provisioning Norms followed by the Bank up to 31.12.2010	Revised Provisioning norms for the quarter ending 31.03.2011 onwards
Sub- Standard	10% (where value of security is greater than 10% of the amount outstanding) 20% (where value of security is up to 10% of the amount outstanding)	35% irrespective of value of security (w.e.f. 31.03.2008)	20% irrespective of value of security
Doubtful-I	20% on Secured 100% on Unsecured	65% on Secured 100% on Unsecured (w.e.f. 31.03.2007)	30% on Secured 100% on Unsecured
Doubtful-II	30% on Secured 100% on Unsecured	100% irrespective of value of security (w.e.f. 31.03.2007)	50% on Secured 100% on Unsecured
Doubtful- III	100% irrespective of value of security	100% irrespective of value of security	100% irrespective of value of security

The revised provisioning norms will have prospective effect on the fresh slippage (i.e. Accounts which slip into NPA category on or after 01.01.2011) and further deterioration in the existing NPA's. However, the provisions already made in any existing NPA account will not be reduced/ reversed.

- 4.2 Provisions for Restructured/ Rescheduled Advances are made as per RBI guidelines.
- 4.3 Advances are stated net of de-recognized interest and provisions/ technical write off made in respect of non-performing advances. Claims received from DICGC, CGTMSE, and ECGC are not reduced from such advances till adjusted/ technically written-off whereas part recovery in all NPA Accounts is reduced from advances.
- 4.4 Provisions on standard advances are made and are included under 'Other Liabilities and Provisions' as per RBI guidelines.



अस्थायी प्रावधान

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप, बैंक के पास अग्निमों एवं निवेशों हेतु अस्थायी प्रावधानों को अलग से बनाने और उपयोग के लिए एक अनुमोदित नीति है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर, बनाए जाने वाले अस्थायी प्रावधानों का आंकलन किया जाएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से, अस्थायी प्रावधानों का उपयोग विशेष परिस्थितियों में आकरिमकताओं हेत् किया जाएगा।

6. अचल आस्तियां

- 6.1 परिसर तथा अन्य अचल आस्तियों को परंपरागत लागत पूनर्मूल्यन खातों में लिया गया है। परिसर जिनमें भूमि तथा ऊपरी भाग में अन्तर किया जाना सम्भव नहीं था, ऊपरी भाग के मूल्य में वृद्धि को शामिल किया गया है।
- 6.2 स्थाई पट्टे पर लिये गए परिसरों को पूर्ण स्वामित्व वाला परिसर माना गया है।

7. अचल आस्तियों पर मूल्यहास:

- 7.1 मूल्यह्रास निम्नानुसार लगाया गया है :
- 7.1.1 कंप्यूटर पर सीधी कटौती प्रणाली के अनुसार 33.33 प्रतिशत परिवर्धन पर पूरे वर्ष का मूल्यहास लगाया गया है चाहे भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशार्निदेशों अनुसार परिवर्धन की जो भी तिथि हो।
- 7.1.2 आयकर अधिनियम 1961 द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार अन्य अचल आस्तियों पर मूल्यहास घटती कीमत पद्धित पर लगाया गया है। 30 सितम्बर से पूर्व होने वाले परिवर्धन पर पूरे वर्ष का मूल्यहास लगाया गया है तथा इसके पश्चात होने वाले परिवर्धन पर आधे वर्ष का मूल्यहास लगाया गया है।
- 7.1.3 जहां कहीं भवन के ऊपरी भाग से शेष भूमि का मूल्य पृथक करना संभव नहीं था, वहां परिसरों का मूल्य सिमश्र मूल्य पर लिया गया है।
- 7.2 वर्ष के दौरान बेची गई/निपटाई गई आस्तियों पर कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- 7.3 आस्तियों में होने वाले पुनर्मूल्यन के मूल्यहास के बराबर की राशि को पुनर्मूल्यन संचयी खाते से लाभ हानि खाते में अंतरित कर दिया गया है।

राजस्व मान्यता :

- 8.1 जहां अन्यथा वर्णित न हो, आय और खर्चो को उपचय आधार पर लिया गया है।
- 8.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुपालन में अनुपयोज्य आस्तियों पर होने वाली आय का मूल्यांकन वसूली आधार पर किया गया है।
- 8.3 अनुपयोज्य खातों में आंशिक वसूली से पहले मूल राशि तथा उसके पश्चात ब्याज को समायोजित किया गया है।
- 8.4 गारंटियों तथा ज़ारी साख.पत्रों से आय, लाकर किराया, मर्चेर्ट बैंकिंग, लेन.देन से आय, मुद्रा अंतरण सेवा, अंशों पर लाभांश, आयकर की वापसी पर ब्याज, क्रेडिट कार्ड

5 Floating Provisions

In accordance with the RBI guidelines, the bank has an approved policy for creation and utilization of floating provisions separately for advances and investments. The quantum of floating provisions to be created would be assessed, at, the end of each financial year. The floating provisions would be utilized only for contingencies under extra ordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India.

6. Fixed Assets


- 6.1 Premises and other Fixed Assets are stated at historical cost/revalued amount. In respect of premises, where segregation is not possible between land and superstructure, are considered in the value of superstructure.
- 6.2 Premises taken on perpetual lease are considered as freehold premises and are not amortized.

7. Depreciation on Fixed Assets

- 7.1 Depreciation is provided for on -
- 7.1.1Computers at 33.33%, on straight-line method; additions are depreciated for the full year irrespective of the date of addition as per RBI guidelines.
- 7.1.2 Other Fixed assets on written down value method at the rates prescribed by the Income Tax Act 1961; additions effected before 30th September are depreciated for full year and additions effected thereafter are depreciated for half year.
- 7.1.3 Cost of premises is taken composite, wherever it is not possible to segregate the cost of land from the cost of the superstructure.
- 7.2 No depreciation is provided on assets sold/ disposed of during the year.
- 7.3 Amount equivalent to depreciation attributable to revalued portion of the assets is transferred from Revaluation Reserve Account to the Profit & Loss Account.

8. Revenue Recognition

- 8.1 Income and expenditure are accounted for on accrual basis unless otherwise stated.
- 8.2 Income on non-performing assets is recognized on realization basis in accordance with the prudential norms prescribed by Reserve Bank of India.
- 8.3 Partial recovery in non-performing assets is appropriated first towards principal and thereafter towards interest.
- 8.4 Income on guarantees and letters of credit issued, Locker rent, income from merchant banking transactions, money transfer services, dividend on shares, Interest on refund of income tax,



कमीशन, अतिदेय बिलों पर ब्याज, प्रौसेसिंग फीस, सरकारी लेन.देन जिसमें पैंशन के संवितरण तथा म्यूचुअल फण्ड उत्पाद के यूनिटों की आय शामिल है, की संगणना को प्राप्ति आधार पर लिया गया है।

- 8.5 ऋण खातों के पूर्ण रूप से समायोजित होने के समय खातों के समाधान पर दी गई छूट को खातों में लिया गया है।
- 8.6 अतिदेय सावधि जमा राशियों पर ब्याज की गणना बचत बैंक जमा खाते पर लागू ब्याज दर पर की गई है।
- 8.7 पट्टा करार के नवीकरण पर वृद्धिशील पट्टा किराए के संबंध में देयता की गणना पट्टे के नवीकरण के समय की गई है।
- 8.8 टीयर.II पूंजी में उन्नयन के कारण बाँड ज़ारी करने संबंधी व्ययों को आस्थगित राजस्व व्यय माना गया है जिन्हें पांच वर्ष की अवधि में बट्टे खाते डाला जाना है।
- 8.9 शेयर निर्गम व्ययों को शेयर प्रीमियम खाते से समायोजित किया गया है।

9. कर्मचारी सेवा निवृत्ति लाभ :

- 9.1 ग्रेच्युटी फंड, पैंशन फंड तथा अवकाश नकदीकरण फंड में वार्षिक अंशदान का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है।
- 9.2 बीमांकिक पद्धतियों के आधार पर पैंशन फंड तथा बीमारी की छुट्टी से संबंधित संक्रमणकालीन दायित्व को पुनरीक्षित लेखा.मानक (15 ए.एस.) के अनुसार वर्ष 2007.08 से आरंभ कर 5 वर्षों की अवधि में समाप्त किया जाना है जबिक भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र संख्या डी.बी.ओ.डी.बी.पी. संख्या 271/21.01.002/2005—06 दिनांक 23.08.05 द्वारा इसे 10 वर्षों से शेष 7 वर्षों में संमाप्त किया जाना अनुमोदित है।
- 9.3 वर्तमान कर्मचारियों जिन्होंने पहले पेंशन की स्वीकृति नहीं दी थी, हेतु पेंशन विकल्प के पुनः खोलने पर अतिरिक्त देयता तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र दिनांक 9 फरवरी, 2011 सं. डीबीओडी नं.बीपी.बीसी.80/21.04. 018/2010—11 की शर्तों के अनुसार, 'ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 का भुगतान' में संशोधन, ग्रेच्युटी की सीमा रू. 10 लाख, बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार पांच वर्ष की अवधि जो कि वित्तीय वर्ष 2010—11 से आरंभ होगी, परिशोधित कर दी है। अग्रेसित गैर—परिशोधित व्यय में निकाले गए/सेवानिवृत कार्मिकों की कोई राशि सम्मिलित नहीं है।
- 9.4 दिनांक 01.04.2010 या उसके बाद सम्मिलित कर्मचारियों को न्यू पेंशन योजना में कवर किया गया है।

10. आय पर कर

- 10.1 चालू आय कर को लागू कर—दरों तथा विधिक निर्णयों / परामर्श हेतु दी जाने वाली राशि के आधार पर आंका गया है।
- 10.2 एएस.22—आस्थिगित—कर अनुसार इस अविध की आय गणना तथा कर योग्य आय के बीच में समय अंतर के कारण कर. परिकलन पर पड़े प्रभाव को शामिल किया गया है तथा आस्थिगित कर.आस्तियों के संबंध में इसका मूल्यांकन यथोचित प्रतिफल को ध्यान में रख कर किया गया है।

- commission on credit card, interest on overdue bills, processing fee, Government business including distribution of pension and income from units of mutual fund products. Income from ATM operations are accounted for on receipt basis.
- 8.5 Rebate on compromised accounts is accounted for at the time of full and final adjustment of the account.
- 8.6 Interest on overdue Term Deposits is provided at the rate of interest applicable to Savings Bank Deposits.
- 8.7 Liability in respect of incremental lease rent on renewal of lease agreement is accounted for at the time of renewal of the lease.
- 8.8 Bond Issue Expenses incurred in connection with raising Tier-II Capital are treated as Deferred Revenue Expenditure to be written off over a period of five years.
- 8.9 Share Issue Expenses are adjusted against the Share Premium Account

9. Staff Retirement Benefits

- 9.1 Annual contribution to Gratuity Fund, Pension Fund and Leave Encashment Fund are provided for on the basis of an actuarial valuation.
- 9.2 Transitional liability relating to Pension Fund and Sick Leave determined as per actuarial valuation is written off over a period of five years commencing from 2007-08 in terms of Revised Accounting Standard 15 (AS-15) as against remaining seven years out of ten years as approved by Reserve Bank of India vide its letter no. DBOD.BP.No. 271/21.01.002/2005-06 dated 23.08.2005.
- 9.3 The additional liability on account of re-opening of pension option for existing employees who had not opted for pension earlier as well as amendment in the 'Payment of Gratuity Act, 1972' enhancing the gratuity limit to Rs.10 lacs as per Actuarial Valuation is amortized over a period of five years commencing from the FY 2010-11 in terms of RBI Circular DBOD No.BP.BC.80/ 21.04.018/2010-11 dated February 9, 2011. The unamortized expenditure carried forward does not include any amount relating to separated/ retired employees.
- 9.4 The Employees joining on or after 01.04.2010 are being covered under the New Pension Scheme.

10. Taxes on Income

- 10.1 Current Income Tax is measured at the amount expected to be paid considering the applicable tax rates and favorable judicial pronouncement/ legal opinions.
- 10.2 In accordance with AS-22 Deferred Tax comprising of tax effect of timing differences between taxable and accounting income for the period, is recognized keeping in view the consideration of prudence in respect of Deferred Tax Assets/Liabilities.

अनुसूची— 18

लेखों संबंधी टिप्पणियां

1. बहियों के शेष मिलान और उनका समायोजन

- 1.1 कुछेक शाखाओं में सहायक बही खाता शेषों के साथ नियंत्रक खातों के शेष मिलान / समायोजन की प्रक्रिया चल रही है।
- 1.2 खातों के विभिन्न शीर्षों में बकाया प्रविष्टियों के डेबिट—क्रेडिट का आरंभिक मिलान जिसे अंतर कार्यालय समायोजन में शामिल करके इस कार्य (जिसमें बकाया प्रविष्टियां शामिल हैं) को 28.02.2011 तक किया गया है और इसका समायोजन कार्य चल रहा है।
- 1.3 बैंकों, नोस्ट्रों, ड्राफ्टों/देय टीटी, देय/भुगतान किए गए डिविडेंट वारंट, प्राप्य/देय डेबिट नोट, आरटीजीएस (उचंत) इत्यादि के साथ खातों का समायोजन का कार्य चल रहा है।प्रबंधन की राय में, लाभ–हानि खाते व तुलन–पत्र पर उक्त पैरा 1.1 से 1.3 का प्रभाव यदि कोई है तो नगण्य होगा जिससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- 1.4 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा—िनर्देशों के अनुरूप 30—9—2010 की अविध तक तथा 31—3—2011 को बकाया अंतर शाखा के खातों की नामे तथा जमा प्रविष्टियों को अलग अलग करने का कार्य बैंक द्वारा किया गया है जिसके परिणामस्वरुप कुछ शीर्षों में कुल डेबिट या अन्य शीर्षों में कुल जमा शेष है। छः महीनों से अधिक की अविध की निवल नामे प्रविष्टियों के संबंध में प्रावधान किए गए हैं।
- 1.5 असमायोजित नोस्ट्रो खातों की कुल निवल जमा को दिनांक 31 मार्च 1996 की स्थिति के अनुरुप रु. 3.22 करोड़ (पिछले वर्ष रु.3.20 करोड़) को अवरूद्ध नोस्ट्रो विविध देनदार खातों में अंतरित कर दिया गया है जिसमें से रु.1.77 करोड़ को 14-11-1989 की अविध से पहले के बही मूल्य पर लिया गया है। 01 अप्रैल 1996 के पश्चात की अविध के लिए 3 वर्षों से अधिक हेतु बकाया रु.2.89 करोड़ की राशि (पूर्व वर्ष रु. 2.63 करोड़) को असमायोजित प्रविष्टियों से अलग कर उन्हें अदावी जमा (नोस्ट्रो) खाते में रखा गया है।

संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन

- 2.1 रु. 3.88 करोड की वास्तविक लागत की छः संपत्तियों के संबंध में विधिक औपचारिकताएं अभी पूरी होनी शेष हैं। (पिछले वर्ष 7 संपत्तियां 4.09 करोड की थीं।)
- 2.2 वर्ष के दौरान, बैंक ने दिनांक 31.03.2011 को अपने परिसरों का पुनर्मूल्यांकन रू. 29.29 करोड़ (रू. 15.73 करोड़ के मूल्य ह्रासित मूल्य) की लागत के विरूद्ध रू. 782.33 करोड़ का मूल्यांकन बाहरी अहर्ता प्राप्त मूल्यांकनकर्ता के द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर किया है। तदानुसार, स्थायी आस्तियों से रू. 766.60 करोड़ की वृद्धिशील राशि को डेबिट कर, पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों में क्रैडिट किया है।


SCHEDULE 18

NOTES ON ACCOUNTS

- 1 Balancing of Books and Reconciliation.
- 1.1 In certain Branches, the balancing / reconciliation of control accounts with subsidiary ledgers is in progress.
- 1.2 Initial matching of debit and credit outstanding entries in various heads of accounts included in Inter Office Adjustments(including old outstanding entries) has been done up to 28.02.2011 and reconciliation is in progress.
- 1.3 Reconciliation of accounts with banks, NOSTRO, Drafts / TT payable, Dividend Warrants paid / payable, Debit Note Receivable/ Payable, NEFT/RTGS (Suspense) etc. is in progress. Provisions have been made as per RBI norms. In the opinion of the management, the impact of the above para 1.1 to 1.3, if any, on the Profit & Loss Account and Balance Sheet though not quantifiable, will not be material.
- 1.4 In terms of Reserve Bank of India guidelines, segregation of Debit and Credit entries in Inter Branch Accounts pertaining to the period up to 30.09.2010 and remaining outstanding as on 31.03.2011 has been done which has resulted in either net debit in some heads or net credit in other heads. Provision is made in respect of Net Debit entries outstanding for the period exceeding six months.
- 1.5 Aggregate net credit position in respect of unreconciled NOSTRO Accounts relating to the period up to 31st March 1996 amounting to Rs 3.22 crore (previous year Rs 3.20 crore) has been transferred to Blocked Nostro Sundry Creditors Account out of which Rs.1.77 crore for period prior to 14.11.1989 is being carried at old book value. Un-reconciled credit entries for the period after 1st April 1996 remaining outstanding for more than 3 years amounting to Rs 2.89 crore (previous year Rs. 2.63 crore) have been segregated and kept in Blocked Unclaimed Nostro New Account.

2. Revaluation of properties

- 2.1 Legal formalities are yet to be completed in respect of five Bank's properties having original cost of Rs.3.88 crore (Previous year 6 properties costing Rs.4.09 crore).
- 2.2 During the year, Bank has revalued its premises on 31.03.2011 at Rs. 782.33 crore against cost of Rs. 29.29 crore (WDV of Rs. 15.73 crore) on the basis of valuation made by an independent qualified external valuer. Consequently, an incremental amount of Rs. 766.60 crore has been debited to Fixed Assets and correspondingly credited to



दिनांक 31.03.2008 को पुनर्मूल्यांकन के आधार पर (वर्तमान बकाया राशि रू. 537.52 करोड़) हुई वृद्धि को वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित कर दिया गया है।

3. पूंजी

वर्तमान वर्ष के दौरान, बैंक रू.10/— प्रति शेयर के 4 करोड़ इक्वटी शेयरों जिसमें गैर—संस्थागत एवं क्यूआईबी निविदाकर्ताओं को रू. 120/— प्रति शेयर और फुटकर व्यक्तिगत निविदाकर्ताओं तथा पात्र कर्मचारियों को रू.114/— प्रति शेयर के मूल्य पर प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव लाया है। तदानुसार, बैंक की इक्वटी शेयर पूंजी में रू. 40 करोड़ से रू. 223.05 करोड़ की वृद्धि हुई और शेयर प्रीमियम में रू. 430.82 करोड़ जमा हुए हैं। बैंक की लेखा नीति के अनुसार, रू. 9.18 करोड़ के सार्वजनिक निर्गम व्यय को प्राप्त शेयर प्रीमियम में समायोजित किया गया है।

(रु करोडों में)

	मदें	2010.11	2009.10
(i)	सी आर ए आर (%)(बेसिल–1)	11.94%	11.74%
(ii)	सी आर ए आर— टियर1 पूंजी (%) (बेसिल—1)	7.70%	6.89%
(iii)	सी आर ए आर–टियर II पूंजी(%) (बेसिल–1)	4.24%	4.85%
(iv)	सी आर ए आर (%) (बेसिल–II)	12.94%	13.10%
(v)	सी आर ए आर–टियर । पूंजी (%) (बेसिल-II)	8.35%	7.68%
(vi)	सी आर ए आर–टियर–II पूंजी (%) (बेसिल II)	4.59%	5.42%
(vii)	भारत सरकार की शेयरधारिता की प्रतिशतता	82.07%	100%
(viii)	आईपीडीआई के निर्गम से प्राप्त राशि	160.00	160.00
(ix)	अपर टीयर ॥ लिखित से प्राप्त राशि	शून्य	शून्य
(x)	टियर—II की पूंजी के अंतर्गत वार्णित गौण ऋण राशि	1110.00	1110.00
(xi)	इनमें से टियर—II के लिए पात्र राशि	1049.00	1066.00

४. निवेश

4.1 निवेशों का मूल्य

(रु करोडों में)

		मदें	2010.11	2009.10
(1)	(i)	निवेशों का सकल मूल्य		
		(क) भारत में	18701.28	17986.66
		(ख) भारत से बाहर	शून्य	शून्य
	(ii)	मूल्यहास हेतु प्रावधान (एनपीए प्रावधान सहित)		
		(क) भारत में	57.62	99.82

Revaluation Reserve. The appreciation on account of Revaluation carried out on 31.03.2008 (present outstanding amounting to Rs. 537.52 crore) has been reversed during the year.

3. Capital

During the current Year, Bank has come out with an Initial Public Offering of 4 crore Equity Shares of Rs.10 /- each at a price of Rs.120/- per share for Non-Institutional & QIB bidders & Rs.114/-per share for retail individual bidders & eligible employees. Accordingly, the Equity Share Capital of the Bank has increased by Rs.40 crore to Rs.223.05 crore and Share Premium has been credited by Rs.430.82 crore. The Public Issue expenses of Rs.9.18 crore have been adjusted against the Share Premium received in accordance with the Accounting Policy of the Bank.

(Rupees. in crore)


		• •	
	Items	2010-11	2009-10
(i)	CRAR (%) (Basel-I)	11.94%	11.74%
(ii)	CRAR - Tier I capital (%) (Basel-I)	7.70%	6.89%
(iii)	CRAR - Tier II capital (%) (Basel-I)	4.24%	4.85%
(iv)	CRAR (%) (Basel-II)	12.94%	13.10%
(v)	CRAR - Tier I capital (%) (Basel-II)	8.35%	7.68%
(vi)	CRAR - Tier II capital (%) (Basel-II)	4.59%	5.42%
(vii)	Percentage of the shareholding of the Government of India	82.07%	100%
(viii)	Amount raised by issue of IPDI	160.00	160.00
(ix)	Amount raised by issue of Upper Tier II Instruments	Nil	Nil
(x)	Amount of subordinated debt raised as Tier II capital	1110.00	1110.00
(xi)	Out of which eligible for Tier II	1049.00	1066.00

4. Investments

4.1 Value of Investments

(Rupees. in crore)

			Items	2010-11	2009-10
(1)	(i)	Gro	ss Value of Investments		
		(a)	In India	18701.28	17986.66
		(b)	Outside India	Nil	Nil
	(ii)	Dep	visions for preciation (including vision for NPA)		
		(a)	In India	57.62	99.82



		(ख) भारत से बाहर	शून्य	शून्य
	(iii)	निवेशों का शुद्व मूल्य		
		(क) भारत में	18643.66	17886.84
		(ख) भारत से बाहर	शून्य	शून्य
(2)		शों में मूल्यहास के प्रावधानों में		
	ਬਟ-	-बढ (एन पी ए के प्रावधानों		
	सहि	त)		
	(i)	अथ शेष	99.82	29.00
	(ii)	जमा : वर्ष के दौरान किए	34.49	74.21
		गए प्रावधान		
	(iii)	घटा : वर्ष के दौरान अधिक	76.69	3.39
		किए प्रावधानों को बहे खाते		
		डालना / पुनरांकन		
	(iv)	शेष	57.62	99.82

- 4.2 पुनः खरीद / पुनः प्रतिवर्तित लेनदेन
- 4.2.1 पुनः खरीद / पुनः प्रतिवर्तित लेनदेन प्रविष्टियां (सरकारी प्रतिभूतियाँ)

		[]	T	
		(b) Outside India	Nil	Nil
	(iii)	Net Value of Investments		
		(a) In India	18643.66	17886.84
		(b) Outside India	Nil	Nil
(2)	hel on			
	(i)	Opening balance	99.82	29.00
	(ii)	Add: Provisions made during the year	34.49	74.21
	(iii)	Less: Write-off/ write-back of excess provisions during the year		3.39
	(iv)	Closing balance	57.62	99.82

- 4.2 Repo / Reverse Repo Transactions
- 4.2.1 Repo / Reverse Repo Transactions (Government Securities)

(रु करोडों में) / (Rupees in crore)

विवरण / Particulars	न्यूनतम बकाया Minimum Outstanding	अधिकतम बकाया Maximum Outstanding	दैनिक औसत बकाया Daily Average Outstanding	अथ शेष 31.03.2011 Balance as on 31.03.2011
पुनः खरीद के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां / Securities sold under Repos	500.00	1300.00	688.51	शून्य / Nil
पुनः प्रतिवर्तित के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां / Securities purchased under Reverse Repos	300.00	1100.00	500.00	शून्य / Nil

4.2.2 पुनः खरीद / पुनः प्रतिवर्तित लेनदेन प्रविष्टियां (कंपनी ऋण प्रतिभूतियां)

4.2.2 Repo / Reverse Repo Transactions (Corporate Debt Securities)

(रु करोडों में) / (Rupees in crore)


विवरण / Particulars	न्यूनतम बकाया Minimum Outstanding	अधिकतम बकाया Maximum Outstanding	दैनिक औसत बकाया Daily Average Outstanding	अथ शेष 31.03.2011 Balance as on 31.03.2011
पुनः खरीद के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां / Securities sold under Repos	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
पुनः प्रतिवर्तित के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां / Securities purchased under Reverse Repos	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil

4.3 एस.जी.एल. ट्रांसफर फार्म वापसी का विवरण तथा भारतीय रिज़र्व बैंक को चुकता की गई पेनाल्टी की कुल राशि

	2010-11
निधि या प्रतिभूतियों की आवश्यकता के कारण एस.	शून्य
जी.एल. ट्रांसफर फार्म वापसी की संख्या	
भारतीय रिज़र्व बैंक को चुकता की गई पेनाल्टी की राशि	शून्य

4.3 Detail of bouncing of SGL Transfer Forms and QuantumofPenaltypaidtoReserveBankofIndia:

	2010-11
Number of instances when the SGL transfer form bounced for want of either funds or the securities.	
Penalty paid to RBI on account of bouncing of SGL transfer form	NIL



4.4 गैर—सांविधिक तरलता अनुपात वाली निवेश सूची : 31.03.2011 को जारीकर्ता संगठन की स्थिति :

4.4 Non-SLR Investments Portfolio: Issuer Composition as on 31.03.2011

(रु करोडों में) / (Rupees in crore)

	,					
संख्या / No	जारी कर्ता / Issuer	राशि / Amount	निजी स्थापन की सीमा Extent of Private Placement	निवेश ग्रेड से नीचे प्रतिभूतिकरण की सीमा Extent of 'Below Investment	अमूल्यांकित प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Un-rated'	असूचीगत प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unlisted'
				Grade' Securities	Securities	Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i.	सार्वजनिक उपक्रम / PSUs	356.93	323.55	शून्य / NIL	15.00	15.00
ii.	वित्तीय संस्थान / Fls	775.27	720.27	शून्य / NIL	शून्य / NIL	50.59
iii.	बैंक / Banks	786.06	127.03	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
iv	निजी कं. / Private Corporate	461.47	418.58	शून्य / NIL	1.03	1.03
V.	सहायक / संयुक्त उपक्रम / Subsidiaries/ Joint Ventures	0.65	0.65	शून्य / NIL	लागू नहीं / N.A.	लागू नहीं / N.A.
vi.	अन्य / Others	24.87	0.13	शून्य / NIL	लागू नहीं / N.A.	लागू नहीं / N.A.
vii.	मूल्यह्नास के लिए रखे प्रावधान (एनपीए सहित)/ Provision held towards depreciation (including NPA)	34.71				
	कुल / Total	2370.54	1590.21	शून्य / NIL	16.03	66.62

4.5 अनुपयोज्य और गैर—सांविधिक तरलता अनुपात निवेशों में उतार चढाव

(रु करोडों में)

विवरण	2010-11	2009-10
अथ शेष	25.03	25.03
वर्ष के दौरान परिवर्धन	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान कटौतियां	शून्य	शून्य
इति शेष	25.03	25.03
कुल प्रावधान	25.03	25.03

4.6 व्युत्पत्तियां

वर्ष 2010—11 के दौरान बैंक ने प्रतिरक्षा या व्यापारिक उद्देश्य से कोई भी नया व्युपत्ति लेनदेन (वायदा दर समझौता/ब्याज दर अदला—बदली/विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पत्तियां) नहीं किया है। तदानुसार भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा—निर्देशों के अनुसार व्युत्पत्ति लेनदेन के संबंध में गुणात्मक व मात्रात्मक प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है।


4.5 Movement of Non Performing Non SLR Investments

(Rupees in crore)

		-
Particulars	2010-11	2009-10
Opening balance	25.03	25.03
Additions during the year	Nil	Nil
Reductions during the year	Nil	Nil
Closing balance	25.03	25.03
Total Provisions held	25.03	25.03

4.6 Derivatives

Bank has not entered into any derivative transactions (Forward Rate Agreement/ Interest Rate Swap/ Exchange Traded Interest Rate Derivatives) during the year 2010-11. Accordingly, qualitative and quantitative disclosures under RBI guidelines with respect to derivative transactions are not required.



4.7 वर्ष के दौरान पुनःसंरचित / पुनःअनुसूचित / पुनःपराक्रमित निवेश

(रु करोडों में)

विवरण	2010-11	2009-10
मानक आस्तियां जिनकी पुनसंरचना होनी है	शून्य	शून्य
अवमानक आस्तियां जिनकी पुनसंरचना होनी है	शून्य	शून्य
अशोध्य आस्तियां जिनकी पुनसंरचना होनी है	शून्य	शून्य
कुल आस्तियों की राशि जिनकी पुनसंरचना होनी है	शून्य	शून्य

- 4.8 वर्ष के दौरान बैंक ने रु.1326.71 करोड़ (अंकित मूल्य) को 'बिक्री हेतु उपलब्ध' शीर्ष से 'पिरपक्वता तक रखने' तथा बैंक के पास पहले से किए गए प्रावधानों में रु. 71.67 करोड़ के मूल्यहास का प्रावधान करने के पश्चात, रु. 365.00 करोड़ (अंकित मूल्य) 'व्यापार हेतु रखने' से 'बिक्री हेतु उपलब्ध' के शीर्ष में अंतरित किया है।
- 4.9 वर्ष के दौरान बिक्रियों का मूल्य और एचटीएम प्रवर्ग को / से प्रतिभूतियों का अंतरण, वर्ष के आरंभ में एचटीएम प्रवर्ग में रखे हुए निवेशों के वही मूल्य से 5% से अधिक नहीं है।

5. आस्ति गुणवत्ता

5.1 अनुपयोज्य आस्तियां

(रु करोडों में)

	मदें	2010-11	2009-10
(i)	शुद्व अग्रिमों में शुद्व एन पी ए (%)	0.56	0.36
(ii)	प्रावधानन समावेश अनुपात (पीसीआर) (%)	81.82	89.62
(iii)	सकल एन पी ए में घट–बढ़		
	(क) अथ शेष	206.15	161.04
	(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	383.45	208.05
	(ग) वर्ष के दौरान कमी	165.32	162.94
	(घ) इति शेष	424.28	206.15
(iv)			
` ′	निवल एन पी ए में घट-बढ़		
	निवल एन पी ए में घट—बढ़ (क) अथ शेष	116.63	78.03
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	116.63 248.49	78.03 142.11
	(क) अथ शेष		

4.7 Restructured / Rescheduled / Renegotiated-Investments during the year

(Rupees in crore)

Particulars		2010-11	2009-10
Standard assets subjected restructuring etc.	to	Nil	Nil
Sub-standard assets subjected restructuring etc.	to	Nil	Nil
Doubtful assets subjected restructuring etc.	to	Nil	Nil
Total amount of assets subjected restructuring etc.	to	Nil	Nil


- 4.8 During the year, the Bank shifted securities worth Rs. 1326.71 crore (face value) from "Available for Sale" to "Held till Maturity" and Rs. 365.00 crore (face value) from "Held Till Maturity" to "Available for Sale" after providing depreciation of Rs. 71.67 crore to the provisions already held by the Bank.
- 4.9 The value of sales from HTM category during the year does not exceed 5% of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year.

5. Asset Quality

5.1. Non-Performing Assets

(Rupees.in crore)

		Items	2010-11	2009- 10
(i)	Net	NPAs to Net Advances (%)	0.56	0.36
(ii)	l	visioning Coverage Ratio R) (%)	81.82	89.62
(iii)	Mov	rement of Gross NPAs		
	(a)	Opening Balance	206.15	161.04
	(b)	Additions during the year	383.45	208.05
	(c)	Reductions during the year	165.32	162.94
	(d)	Closing balance	424.28	206.15
(iv)	Mov	rement of Net NPAs		
	(a)	Opening Balance	116.63	78.03
	(b)	Additions during the year	248.49	142.11
	(c)	Reductions during the year	127.18	103.51
	(d)	Closing balance	237.94	116.63



(v)	एन पी ए प्रावधानों में घट—बढ़ (मानक आस्तियों पर प्रावधान को छोडकर)		
	(क) अथ शेष	86.20	78.95
	(ख) जमाः वर्ष के दौरान प्रावधान	179.54	116.15
	(ग) घटाः अधिक किए प्रावधानों को बट्टे खाते डालना / पूर्नाकन	83.00	108.90
	(घ) इति शेष	182.74	86.20

5.2	डी.आई.सी.जी.सी. / सी.जी.टी.एम.एस.ई. / ई.सी.जी.सी. के
	पात्र दावे, दाखिल तथा पुनः दाखिल दावे जो वैध / वसूली
	योग्य है, को अग्रिमों हेतु प्रावधान के लिए प्रतिभूति के आधार
	पर विचारणीय माना गया है।

5.3 पुनः संरचित किए गए खातों का विवरण


(v)	Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)						
	(a)	Opening Balance	86.20	78.95			
	(b)	Add: provisions made during the year	179.54	116.15			
	(c)	Less: write off, write back of excess provisions	83.00	108.90			
	(d)	Closing balance	182.74	86.20			

5.2 DICGC / CGTMSE/ ECGC claim eligible, lodged and re-lodged have been considered as security for provisioning on advances on the basis that such claims are valid / realizable.

5.3 Details of Accounts Restructured

(रु करोडों में) / (Rs. in crore)

	मदें / Item			के अंतर्गत r CDR		/SME	Oth	되/ ers
			2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
(i)	पुनः संरचित, पुनः अनुसूचित, पुनः पराक्रमित किए गए		3	2	273	513	627	1582
	मानक अग्रिम Standard advances	बकाया राशि Amount Outstanding	82.19	28.44	264.46	61.52	890.52	542.53
	restructured, rescheduled, renegotiated	परित्याग (उचित मूल्य में हास) Sacrifice (diminution in the fair value)	4.15	3.42	2.57	1.39	5.31	8.12
(ii)	पुनः संरचित, पुनः अनुसूचित, पुनः पराक्रमित किए गए	उधारियों की संख्या No. of Borrowers	0	0	0	56	0	96
	अवमानक अग्रिम Sub-standard advances	बकाया राशि Amount Outstanding	0.00	0.00	0.00	1.91	0.00	1.19
	restructured, rescheduled, renegotiated	परित्याग (उचित मूल्य में हास) Sacrifice (diminution in the fair value)	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.02
(iii)	पुनः संरचित, पुनः अनुसूचित, पुनः पराक्रमित किए गए	उधारियों की संख्या No. of Borrowers	0	0	0	45	0	23
	अग्रिम Doubtful advances restructured, rescheduled,	बकाया राशि Amount Outstanding	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.28
	renegotiated	परित्याग (उचित मूल्य में हास) Sacrifice (diminution in the fair value)	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
(iv)	पुनः संरचित, पुनः अनुसूचित, पुनः पराक्रमित किए गए	उधारियों की संख्या No. of Borrowers	3	2	273	614	627	1701
	अग्रिम Total Advances re- structured, rescheduled renegotiated (i)+(ii)+(iii)	बकाया राशि Amount Outstanding	82.19	28.44	264.46	63.69	890.52	544
		परित्याग (उचित मूल्य में ह्वास) Sacrifice (diminution in the fair value)	4.15	3.42	2.57	1.43	5.31	8.15



5.4 आस्ति पुरसंरचना हेतु प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनियों को बेची गई वित्तीय संपत्तियों का विवरण

(रु. करोड़ में)

	मदें	2010-11	2009-10
(i)	खातों की संख्या	शून्य	3
(ii)	एस सी / आर सी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (शुद्ध प्रावधान)	शून्य	शून्य
(iii)	कुल प्रतिफल	शून्य	22.00
(iv)	पहले के वर्षों में खातों के हस्तांतरण से वसूला गया अतिरिक्त प्रतिफल	शून्य	0.95
(v)	शुद्ध बही मूल्य के ऊपर कुल लाम / हानि	शून्य	22.00

^{*} कुल प्रतिफल राशि में रु. शून्य करोड़ नकदी तथा रु. शून्य करोड़ की प्रतिभृति रसीदें शामिल हैं।

5.5 खरीदे / बेचे गए गैर निष्पादित वित्तीय आस्तियों के विवरण :

क) खरीदे गए गैर निष्पादित वित्तीय आस्तियों के विवरण :

(रु. करोड़ में)

		विवरण	2010-11	2009-10
1.	क)	वर्ष के दौरान खरीदे गए खाते	शून्य	शून्य
	ख)	कुल बकाया	शून्य	शून्य
2.	क)	इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्गठित खाते	शून्य	शून्य
	ख)	कुल बकाया	शून्य	शून्य

ख) बेचे गए गैर निष्पादित वित्तीय आस्तियों के विवरण :

(रु. करोड़ में)

	विवरण	2010-11	2009-10
1.	बेचे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
2.	कुल बकाया	शून्य	शून्य
3.	प्राप्त कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य

5.6 मानक आस्तियों पर प्रावधान

(रु. करोड़ में)

मदें	2010-11	2009-10
मानक आस्तियों पर प्रावधान	176.73	127.43

5.4 Details of Financial Assets sold to Securitization /Reconstruction Companies for Asset Reconstruction

(Rupees in crore)

	Item	2010-11	2009-10
(i)	Number of Accounts	Nil	3
(ii)	Aggregate Value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	Nil	Nil
(iii)	Aggregate consideration	Nil	22.00
(iv)	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	Nil	0.95
(v)	Aggregate gain/ loss over net book value	Nil	22.00

- (*) Aggregate consideration includes cash Rs.NIL crore and Security Receipts Rs.NIL ____I
- 5.5 Details of non-performing financial assets purchased / sold:
- A. Details of non-performing financial assets purchased:

(Rupees in crore)

		Particulars	2010-11	2009-10
1.	(a)	No. of accounts purchased during the year	Nil	Nil
	(b)	Aggregate outstanding	Nil	Nil
2.	(a)	Of these, number of accounts restructured during the year	Nil	Nil
	(b)	Aggregate outstanding	Nil	Nil

${\bf B.\ Details\ of\ non-performing\ financial\ assets\ sold:}$


(Rupees in crore)

	Particulars	2010-11	2009-10
1.	No. of accounts sold	Nil	Nil
2.	Aggregate outstanding	Nil	Nil
3.	Aggregate consideration received	Nil	Nil

5.6 Provisions on Standard Assets

(Rupees in crore)

	Item		2010-11	2009-10
Provisions Assets	towards	Standard	176.73	127.43



5.7 भारत सरकार ने "छोटे एवं सीमांत कृषकों" हेतु ऋण में छूट तथा "अन्य कृषकों" के लिए ऋण सहायता जिन्होंने प्रत्यक्ष कृषि ऋण लिए हैं, कृषि ऋण छूट तथा ऋण सहायता योजना—2008 को अधिसूचित किया है। कृषि ऋण छूट योजना के संबंध में अंतिम दावों की राशि रु.47.72 करोड़ और बैंक के केंन्द्रीय सांविधिक लेखाकारों के सत्यापन के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक को कृषि ऋण सहायता योजना के अंतर्गत दिनांक 31.12. 2009 तक रु.14.13 करोड़ का दावा दायर कर दिया है। उक्त दावें बैंक को प्राप्त हो गए है।

दिनांक 01.01.2010 से 30.06.2010 तक कृषि ऋण सहायता योजना के अंतर्गत निपटान हुए खातों की रु. 2.33 करोड़ के दावों की राशि का भारतीय रिज़र्व बैंक से, केन्द्रीय सांविधिक लेखाकारों के सत्यापन के बाद, दावा दायर कर दिया है।

6 कारोबार अनुपात

	मदें	2010-11	2009-10
(i)	औसत कार्यशील निधियों का		
	ब्याज आय में प्रतिशत	8.40%	8.13%
(ii)	औसत कार्यशील निधियों का गैर		
	ब्याज आय में प्रतिशत	0.74%	0.85%
(iii)	औसत कार्यशील निधियों का		
	परिचालन लाभ में प्रतिशत	1.73%	1.81%
(iv)	आस्तियों से आय	0.90%	1.05%
(v)	प्रति कर्मचारी (रुपये करोड़ों में)		
	कारोबार (जमाराशियां+अग्रिम)	11.90	9.63
(vi)	प्रति कर्मचारी लाभ		
	(रुपये करोड़ों में)	0.06	0.06

आस्ति देयता प्रबंधन 31.03.2011 को आस्तियों और देयताओं का परिपक्वता स्वरूप

5.7 The Government of India has Notified Agricultural Debt Waiver and Debt Relief Scheme – 2008 for grant of Debt Waiver to "Small & Marginal Farmers" and Debt Relief to "Other farmers" who have availed direct Agricultural loans. Final claims in respect of Agriculture Debt Waiver scheme amounting to Rs.47.72 Crores and the claims amounting to Rs.14.13 Crores in respect of accounts settled under Agricultural Debt Relief Scheme till 31.12.2009 have been lodged with Reserve Bank of India after due verification by the Central Statutory Auditors of the Bank. The said claim have been received by the Bank.

The claims amounting to Rs. 2.33 crore in respect of accounts settled under Agriculture Debt Relief Scheme during the period from 1.1.2010 to 30.6.2010 has been lodged with Reserve Bank of India after due verification by the Central Statutory Auditors of the Bank.

6 Business Ratios

	Items	2010-11	2009-10
(i)	Interest Income as a		
	percentage to average working funds	8.40%	8.13%
(ii)	Non-Interest Income as		
	a percentage to average working funds	0.74%	0.85%
(iii)	Operating Profit as a		
	percentage to average working funds	1.73%	1.81%
(iv)	Return on Assets	0.90%	1.05%
(v)	Business [Deposits plus Advances] per employee		
	(Rs. in crore)	11.90	9.63
(vi)	Profit per employee (Rs. in		
	crore)	0.06	0.06

7. Asset Liability Management Maturity Pattern of Assets and Liabilities as on 31.03.2011:

परिपक्वता स्वरूप (समयावधि) Maturity Pattern	जमाराशियां Deposits	ऋण तथा अग्रिम	निवेश Investments	उधार Borrowings		ी मुद्रा Currency
(Time Buckets)		Loans & Advances			देयताएं Liabilities	आस्तियां Assets
1 दिन ∕ 1 day	501.64	754.99	0.00	0.00	59.02	164.73
2-7 दिन / 2 - 7 days	2127.03	1781.64	0.00	1198.93	3.39	93.73
8—14 दिन / 8 – 14 days	2185.59	2466.43	81.63	0.00	6.66	20.24

कुल / Total	59723.19	42637.84	18643.66	2885.89	411.40	753.06
5 वर्ष से अधिक / Over 5 years	6255.03	5865.91	13026.75	1385.00	0.00	0.00
Over 3 years & up to 5 years						
3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक!	3191.81	4630.83	2355.46	40.00	7.06	0.00
Over 1 year & up to 3 years						
1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक/	9673.74	9810.40	986.50	150.07	64.06	0.00
Over 6 months & up to 1 year						
6 माह से अधिक 1 वर्ष तक/	16886.58	2587.12	201.14	0.00	123.40	0.00
Over 3 months & up to 6 months						
3 माह से अधिक 6 माह तक/	8232.89	2676.83	73.36	66.89	107.99	290.24
29 days to 3 months						
29 दिन से 3 माह तक/	8041.09	7803.90	1707.45	45.00	25.65	110.00
15-28 दिन / 15 - 28 days	2627.79	4259.79	211.37	0.00	14.17	56.12

- 8. ऋण जोखिम
- 8.1 वास्तविक संपदा क्षेत्र को ऋण जोखिम


- 8. Exposures:
- 8.1 Exposure to Real Estate Sector

		श्रेणी / Category	31.03.2011	31.03.2010
1)	प्रत्य	त्र ऋण ∕ Direct Exposure		
	(a)	रिहायशी बंधक / Residential Mortgages		
	i.	ऐसी संपत्तियां जिन पर उधारी का कब्जा है या किराये पर दी हुई हैं, को दिया गया ऋण बंधक द्वारा पूर्णतः सुरक्षित है। जिनमें से : Lending fully secured by mortgages of residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented out of Which:	1580.38	1319.39
	ii.	व्यक्तिगत आवास ऋण जो कि प्राथमिक क्षेत्र अग्रिम में सम्मिलित करने योग्य हैं। Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances	1292.27	1059.97
	(b)	व्यावसायिक वास्तविक संपदा / Commercial Real Estate		
		व्यावसायिक वास्तविक संपदा पर बंधक द्वारा सुरक्षित ऋण (कार्यालय, भवन, बहुआयामी व्यापारिक परिसर, बहु परिवार आवासीय भवन, व्यावसायिक परिसर जहाँ बहुत से किरायेदार रहते हों, औद्योगिक संस्थान या मालगोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास तथा निर्माण आदि) ऐसी ऋण सीमाओं में गैर—निधि आधारित (एन.एफ.बी.) के ऋण भी शामिल है। Lending secured by mortgages of commercial real estates (office buildings, retail space, multipurpose commercial premises, multi family residential buildings, multi tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc) Exposure would also include non fund based (NFB) limits;	2067.74	1978.93
	(c)	बंधक प्रतिभूतियों में विनियोग (एम.बी.एस.) और अन्य जमानती ऋण Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures	शून्य / Nil	शून्य / Nil
		a. रिहायशी / Residential	शून्य / Nil	शून्य / Nil
		b. व्यावसायिक-वास्तविक संपदा / Commercial Real Estate	शून्य / Nil	शून्य / Nil
2)	गैर— Indi Hou	यक्ष ऋण [राष्ट्रीय आवास (एन.एच.बी.) और आवास वित्त बैंक (एच.एफ.सी.) को निधि एवं निधि आधारित ऋण] rect Exposure [Fund based and Non-fund based exposures on National sing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)]	2811.67	2372.33
वास्त	विक	संपदा क्षेत्र में कुल ऋण भागेदारी / Total Exposure to Real Estate Sector	6459.79	5670.65

8.2 पूंजी बाजार में ऋण भागीदारिता

8.2 Exposure to Capital Market

मदें / Items	2010-11	2009-10
1. इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्ड, परिवर्तनीय ऋण पत्रों तथा इक्विटी उन्मुख म्युचुअल के यूनिटों में निवेश जिनका पूर्ण रूप से कम्पनी ऋणों में विनियोग नहीं किया गया। Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	114.21	113.63
2. सामान्य अशों (आई.पी.ओ. / ई.एस.ओ.पी.एस.) परिवर्तनीय बांडए परिवर्तनीय ऋणपत्रों तथा इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों में विनियोग के लिए अशों / बाण्डों / ऋण पत्रों या अन्य प्रतिभूतियों के एवज़ में एकल स्वामियों को दिए गएअग्रिम Advances against shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	0.13	शून्य / Nil
3. किसी अन्य उद्देश्य हेतु दिया गया अग्रिम जहां अशों या परिवर्तनीय अंशों या परिवर्तनीय ऋण पत्रों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है। Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	0.01	0.01
4. अंशों की संपार्श्विक प्रतिभूति या परिवर्तनीय बाण्डों या परिवर्तनीय ऋण पत्रों या इक्विटी उन्मुख स्युचुअल फण्डों द्वारा प्रत्याभूत अन्य उद्देश्यों हेतु दिए गए अग्रिम अर्थात जहां पर अशों / परिवर्तनीय बाण्डों / परिवर्तनीय ऋण पत्रों / इक्विटी उन्मुख स्यूचुअल फण्डों पर दिए गए अग्रिमों को प्राथमिक प्रतिभूति द्वारा पूर्ण रूप से प्रत्याभूत नहीं किया गया Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	शून्य / Nil	शून्य / Nil
5. स्टाक ब्रोकरों को जमानती व गैर.जमानती अग्रिम तथा स्टाक ब्रोकरों और मार्किट मेकर्स द्वारा जारी गारंटियां Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers	29.27	9.27
6. नई कम्पनियों की इक्विटी हेतु फण्डस एकत्रित करने के लिए तथा प्रवर्तकों के अंशदान को पूरा करने के लिए जो अंशों / बाण्डों / ऋण पत्रों या अन्य प्रतिभूतियां या निर्बंध आधार पर कंपनियों के संस्वीकृत ऋण Loans sanctioned to corporates against the security of shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	शून्य / Nil	शून्य / Nil
7. प्रत्याशित इक्विटी उपलब्धता / निर्गमों पर कम्पनियों को पूरक ऋण Bridge loans to companies against expected equity flows/ issues;	शून्य / Nil	शून्य / Nil
8. प्राथमिक अंशों या परिवर्तनीय बाण्डों या परिवर्तनीय ऋण पत्रों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फण्डों के संबंध में बैंकों द्वारा किए हामीदारी वायदे Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	शून्य / Nil	शून्य / Nil
9. मार्जिन सौदों हेतु स्टाक ब्रोकरों को दिया गया वित्त Financing to stockbrokers for margin trading;	शून्य / Nil	शून्य / Nil
10. पूंजी निधियों पर ऋण जोखिम (पंजीकृत तथा अपंजीकृत) All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	1.50	0.88
पूंजी बाजार में कुल ऋण भागीदारी / Total Exposure to Capital Market	145.12	123.79



8.3 देशवार ऋण जोखिम

देशांतर आधार पर बैंक द्वारा विदेशी विनिमय लेनदेन के संबंध में दिए गए निवल ऋण जो प्रत्येक देश से संबंधित हैं, बैंक की कुल आस्तियों के 1% के अंदर हैं । अतः भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार किसी प्रकार के प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

8.4 वर्ष के दौरान बैंक द्वारा बढ़ाई गई एकल उधारी सीमा (एस जी एल) समूह उधारी सीमा (जी.बी.एल.) के विवरण वर्ष 2010—11 के दौरान बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एकल उधारी / समूह उधारी हेतु निर्धारित विवेकपूर्ण ऋण सीमा को पार नहीं किया है सिवाय निम्न मामलों के जिनपर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

8.3 Risk Category wise Country Exposure

The net country-wise funded exposure of the Bank in respect of Foreign Exchange Transactions in respect of each country is within 1% of the total assets of the Bank. Hence, no provision is required as per RBI guidelines.

8.4 Details of Single Borrower Limit (SGL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank

During the year 2010-11, the Bank has not exceeded the prudential exposure limits set by RBI to single borrower/ group borrower, except in the following case, which has been approved by the Board:

(रु. करोड़ में) / (Rupees in crore)

क्र. सं. S. No.	उधारियों के नाम Name of the Borrower	वर्ष के दौरान अधिकतम ऋण सीमा Maximum Limit during the year	दिनांक के अनुसार ऋण जोखिम (%) Exposure (%) as on	31.03.11 को ऋण सीमा / देयताएं Limit / Liability as on 31.03.11	ऋण जोखिम(%) Exposure (%)
1.	एफ.सी.आई. / FCI	685.00	17.56% 19.04.2010	431.21	11.05%
2.	एल.आई.सी. हाऊसिंग फाईनेंश लि. / LIC Housing Finance Ltd.	775.83	19.89% 10.08.2010	731.50	18.75%
3.	पॉवर फाईनेंश कॉर्पोरेशन लि. / Power Finance Corp. Ltd.	966.04	24.77% 26.08.2010	900.00	23.07%
4.	रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन Rural Electrification Corp.	768.15	19.69% 26.08.2010	435.00	11.15%
5.	टाटा समूह Tata Group	1878.06	42.96% 04.02.2011	1444.48	33.04%

8.5 अमूर्त संपार्श्विक प्रतिभूतियों पर प्रतिभूती-रहित अग्रिम

8.5 Unsecured Advances against Intangible Collaterals

विवरण / Particulars	As on 31.03.2011	As on 31.03.2010
अमूर्त प्रतिभूतियों हेतु कुल अग्रिम जैसे अधिकारों, प्राधिकार, लाईसेंसों आदि, पर ऋण भार Total Advances against intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority etc.		शून्य / Nil
अमूर्त प्रतिभूतियों की कुल अनुमानित मूल्य जैसे अधिकारों, प्राधिकार, लाईसेंसों पर ऋण भार Estimated Value of intangible collateral such as charge over the rights, licenses, authority etc.	139.06	शून्य / Nil

9.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जुर्माने का प्रकटीकरण

	2010-11	2009-10
वर्ष के दौरान बैक पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाया जुर्माना	शून्य	शून्य
प्रतिकूल तथ्यों के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए निर्देश या प्रतिकूल टिप्पणियां	शून्य	शून्य

9.2 बैंकाश्योरेंश व्यापार के संबंध प्राप्त शुल्क / पारिश्रमिक का प्रकटीकरण

(रु. करोड़ में)

		2010-11	2009-10
क.	आजीवन बीमा व्यापार से प्राप्त	16.06	17.23
	शुल्क / पारिश्रमिक		
ख.	साधारण बीमा व्यापार से प्राप्त	1.95	2.38
	शुल्क / पारिश्रमिक		
ग.	यू.टी.आई.म्यूचुअल फंड व्यापार	शून्य	0.095

10 मानक लेखांकन अनुसार प्रकटीकरण (एएस)

10.1 लाभ.हानि खाते में पूर्व अविध की कोई मदें शामिल नहीं है जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा—निर्देशों के अनुसार एएस.5 में बताया जाना होए सिवाय उनके जिन्हें टिप्पणियों में कहीं और दर्शाया गया है।

10.2 लेखा प्रणाली मानक 15-कर्मचारी लाभ

- 10.2.1 पेंशन, ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण तथा अन्य दीर्घावधि लाभ हेतु प्रावधानों को आई.सी.ए.आई द्वारा जारी संशोधित लेखा मानक (ए.एस.—15) के आधार पर किया गया है । पेंशन निधियों तथा रूग्णावकाश के संबंध में संक्रमण कालीन दायित्व के पांचवे हिस्से के रूप में अन्य दीर्घ अविध वाले कर्मचारी लाभ को रू. 86.63 करोड़ जोकि वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि खाते को चार्ज कर, किया गया है। शेष न पहचाने गए बीमांकिक दायित्व के रू. 86.63 करोड़ को मार्च, 2012 में चार्ज किया जाएगा।
- 10.2.2 "वर्ष के दौरान, बैंक ने उन कर्मचारियों हेतु जिन्होंने पहले पेशन योजना की स्वीकृति नहीं दी थी, पेंशन का विकल्प पुनः खोला है। जिसके कारण, 3821 कर्मचारियों ने पेंशन का विकल्प चुना है और बैंक पर अतिरिक्त देएता रू. 811. 79 करोड़ की बनी है जिसकी गणना बीमांकिक द्वारा की गई है। आगे, वर्ष के दौरान, बैंक के कर्मचारियों को दी जाने वाली ग्रेच्यूटी की सीमा को "ग्रेच्यूटी एक्ट, 1972 का भुगतान" में संशोधन के कारण रू. 3.50 लाख से बढ़ाकर रू. 10 लाख कर दिया गया है। इन संशोधनों के परिणाम स्वरूप, बैंक की ग्रेच्यूटी की देएता में रू. 139.81 करोड़ की वृद्धि हुई है।

9.1 Disclosure of Penalties imposed by Reserve Bank of India

	2010-11	2009-10
A. Penalty imposed by RBI on Bank	Nil	Nil
B. Strictures or Directions by RBI on the basis of adverse findings	Nil	Nil

9.2 Disclosure of Fees/ Remuneration Received in respect of Bancassurance Business

(Rs. In crore)

	2010-11	2009-10
A. Fee/ Remuneration from Life Insurance Business	16.06	17.23
B. Fee/ Remuneration from General Insurance Business	1.95	2.38
C. UTI Mutual Fund Business	NIL	0.095

10 Disclosure as per Accounting Standard (AS)

10.1 There are no material prior period items included in Profit & Loss Account required to be disclosed as per AS-5 read with RBI guidelines except those disclosed elsewhere in the notes.

10.2 Accounting Standard 15-Employees Benefit

- 10.2.1 Provisions for pension, gratuity, leave encashment and other long term benefits have been made in accordance with the Revised Accounting Standard (AS–15) issued by the ICAI. A sum of Rs. 86.63 crore representing one fifth of transitional liability on account of other long term employee benefits i.e. Pension Fund and accumulated compensating sick leave has been charged to Profit & Loss A/c during the year. The balance unrecognized liability amounting to Rs. 86.63 crore will be charged off by 31st March, 2012.
- 10.2.2 "During the year, the Bank reopened the pension option for such of its employees who had not opted for the pension scheme earlier. As a result of exercise of which by 3821 number of employees has opted the same and the bank has incurred an additional liability of Rs. 811.78 crore as calculated by the Actuary. Further, during the year, the limit of gratuity payable to the employees of the banks was also enhanced to Rs. 10.00 lacs from Rs. 3.5 lacs pursuant to the amendment to the Payment of Gratuity Act, 1972. As a result of the such amendment gratuity liability of the Bank has increased by Rs. 139.81 crore.

लेखा मानको (एएस) 15, की शर्तों के अनुसार, कर्मचारी लाभ, रू. 951.59 करोड़ की कुल राशि (अर्थात् रू. 811. 78+ रू. 139.81) को लाभ एवं हानि खाते के नामे किया जाना है। यद्यपि, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों हेत् पैंशन विकल्प पुनः खोलने और ग्रेच्युटी की सीमाओं में वृद्धि-प्रमुख नियामक उपचार पर भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र दिनांक 9 फरवरी, 2011 सं. डीबीओडी नं.बीपी.बीसी.80 /21.04.018/2010-11 जारी किया है। उक्त परिपत्र के अनुसार, बैंक को रू. 951.59 करोड़ की राशि का 5 वर्ष में समायोजन करेगा । तदानुसार, रू.–190.32 करोड़ (रू. 951.59 करोड़ का पांचवा हिस्सा) को लाभ एवं हानि खाते को पैंशन विकल्प प्नः खोलने और ग्रेच्यूटी एक्ट, 1972 में संशोधन पर अतिरिक्त देएता पर उक्त आरबीआई के परिपत्र अनुरूप चार्ज किया गया है तथा शेष रू 761.27 करोड़ की राशि (रू. 951.59 करोड़-रू. 190.32 करोड़) को अस्थगित कर दिया है जो अगले चार वर्षों में परिशोधित किया जाएगा। उक्त राशि में निकाले गए / सेवानिवृत कार्मिकों की कोई राशि सम्मिलित नही है। यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसा परिपत्र जारी नही किया गया होता तो एएस 15 एवं एएस 26 को लागू करने की अनिवार्यताओं के अनुसार, बैंक का लाभ रू. 761.27 करोड़ से कम हो गया होता।

- 10.2.3 दिनांक 01.04.2010 या उसके बाद सम्मिलित कर्मचारियों को न्यू पेंशन योजना में कवर किया गया है।
- 10.2.4 लाभ हानि खाते तथा तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त नियोजनोत्तर लाभों की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है:

10.2.5 बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

In terms of the requirements of the Accounting Standard (AS) 15, Employee Benefits, the full amount of Rs. 951.59 crore (ie. Rs.811.78 + Rs. 139.81) is required to be charged to the Profit and Loss Account. However, the Reserve Bank of India has issued a circular no. DBOD.BP.BC.80/21.04.018/2010-11 dated 9th February 2011 on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits - Prudential Regulatory Treatment. In accordance with the provisions of the said Circular, the Bank would amortize the amount of Rs. 951.59 crore over a period of five years. Accordingly, Rs. 190.32 crore (representing one-fifth of Rs. 951.59 crore) has been charged to the Profit and Loss Account on account of additional liability for re-opening of pension option and amendment of the Gratuity Act, 1972. In terms of the requirements of the aforesaid RBI circular and the unamortized balance amounting to Rs. 761.27 crore (Rs. 951.59 crore - Rs. 190.32 crore) has been deferred which will be amortized over the period of next four years. The aforesaid amount does not include any amount relating to separated/ retired employees. Had such a circular not been issued by the RBI, the profit of the bank would have been lower by Rs. 761.27 crore pursuant to application of the requirements of AS 15 & AS 26"

- 10.2.3 The Employees joining on or after 01.04.2010, are being covered under the New Pension Scheme.
- 10.2.4 The summarized position of post employment benefits are recognized in the Profit & Loss A/c and Balance Sheet as under:

10.2.5 Changes in the present value of the obligation

विवरण / Particulars	पैंशन (निधिक) Pension (Funded)		ग्रैच्युटी (निधिक) Gratuity (Funded)		छुट्टी नकदीकरण (निधिक) Leave Encashment (funded)	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
निर्धारित लाभ बाध्यता का 1 अप्रैल को मूल्य/ Present Value of defined benefit obligation as at 1st April	1125.59	1080.27	283.55	298.02	142.41	148.19
ब्याज लागत / Interest cost	88.51	86.53	21.64	23.76	11.06	11.86
वर्तमान सेवा लागत / Current service cost	261.19	24.29	68.28	12.27	19.17	19.58
घटाएं : प्रदत्त लाभ / Less: Benefits paid	(105.53)	(62.88)	(42.43)	(20.09)	(16.61)	(8.92)
बाध्यता पर बीमांकिक हानि / (लाभ) / Actuarial loss/ (gain) on obligations	980.47	(2.62)	122.96	(30.41)	24.46	(28.30)
निर्धारित लाभ बाध्यता का 31 मार्च को मूल्य / Present value of defined Benefit obligation at 31st March	2350.23	1125.59	454.00	283.55	180.49	142.41

10.2.6 योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

10.2.6 Changes in the Present Value of Plan Assets


(रु. करोड़ में) / (Rupees in crore)

विवरण / Particulars	पैंशन (निधिक) Pension (Funded)		ग्रैच्युटी (निधिक) Gratuity (Funded)		छुट्टी नकदीकरण (निधिक) Leave Encashment (funded)	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
योजनागत आस्तियों का 1 अप्रैल को मूल्य/ Fair value of Plan Assets as at 1st April	936.83	808.66	315.85	292.59	163.66	145.60
योजनागत आस्तियों से अपेक्षित प्रतिलाभ / Expected return of Plan Assets	97.88	69.10	25.80	24.10	12.90	12.49
नियोक्ता अंशदान / Employer contribution	535.03	120.60	18.34	19.05	1.90	11.65
घटाएं प्रदत्त लाभ / Less: Benefit paid	(105.53)	(62.88)	(42.43)	(20.09)	(16.61)	(8.92)
बीमांकिक हानि / (लाभ) / Actuarial (loss)/ gain	(7.37)	1.35	0.74	0.20	1.53	2.84
योजनागत आस्तियों का 31 मार्च को उचित मूल्य/ Fair value of Plan Assets as at 31st March	1456.84	936.83	317.56	315.85	163.38	163.66
योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ / Actual return on Plan Assets	90.51	70.45	25.80	24.30	14.43	15.33

10.2.7 शुद्ध बीमांकिक हानि (लाभ)

10.2.7 Net Actuarial Loss/ (Gain)

(v. rug vy (ruspess in siele)							
विवरण / Particulars	पैंशन (निधिक) Pension (Funded)		ग्रैच्युटी Gratuity		छुट्टी नकदीकरण (निधिक) Leave Encashment (funded)		
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	
मूल्यांकिक हानि / (लाभ) देयताएं(ए) / Actuarial loss/(gain) on Obligation. (A)	980.47	(2.62)	122.96	(30.41)	24.66	(28.30)	
प्लान आस्तियों पर (बी) मूल्यांकिक हानि / (लाभ) / Actuarial loss/(gain) on Plan Assets. (B)	7.37	(1.35)	(0.74)	(0.20)	(1.53)	(2.84)	
शुद्ध मूल्यांकिक हानि / (लाभ) / Net Actuarial loss/(gain)	987.84	(3.97)	122.22	(30.61)	22.93	(31.14)	
अवधि के दौरान पहचान की गई हानि / (लाभ) / Actuarial loss/(gain) recognized in the period	987.84	(3.97)	122.22	(30.61)	22.93	(31.14)	
वर्ष के अंत में बिना पहचान वाली मूल्यांकिक हानि/(लाभ)/ Unrecognized actuarial loss/(Gain) at the end of the year	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	



10.2.8 तुलनपत्र में पहचानी गई राशि

10.2.8 Amount recognized in the Balance Sheet

(रु. करोड़ में) / (Rupees in crore)

विवरण / Particulars	पैंशन (निधिक) Pension (Funded)		ग्रैच्युटी (निधिक) Gratuity (Funded)		छुट्टी नकदीकरण (निधिक Leave Encashment (funded)	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
31 मार्च को परिभाषित लाभ देयता का वर्तमान मूल्य Present value of defined benefit obligation as at 31st March	2350.23	1125.59	454.00	283.55	180.49	142.41
घटाएं : 31 मार्च को प्लान आस्तियों का उचित मूल्य Less: Fair value of Plan Assets as at 31st March	1456.84	936.83	317.56	315.85	163.38	163.66
तुलन पत्र में पहचान की गई गैर निधि शुद्ध आस्ति / देयता Unfunded net Asset / (Liability) Recognized in the balance sheet	(893.39)	(188.76)	(136.44)	32.30	(17.11)	21.25

10.2.9 लाभ तथा हानि खाते में व्ययों की पहचान

10.2.9 Expenses recognized in the Profit & Loss Account

(रु. करोड़ में) / (Rupees in crore)

विवरण / Particulars	पैंशन (निधिक) Pension (Funded)		, , , ,		छुट्टी नकदीकरण (निधिक) Leave Encashment (funded)	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
चालू सेवा लागत / Current service cost	261.19	24.29	68.28	12.27	19.17	19.58
ब्याज लागत / Interest cost	88.51	86.53	21.64	23.76	11.06	11.86
प्लान आस्तियों पर अनुमानित रिटर्न / Expected return on plan assets	(97.88)	(69.10)	(25.06)	(24.10)	(12.90)	(12.49)
वर्ष के दौरान शुद्ध मूल्यांकित (लाभ) हानि / Net Actuarial (gain)/ loss recognized during the year	987.84	(3.97)	122.22	(30.61)	22.93	(31.14)
शुद्ध लाभ व्यय / Net benefit expense	1239.66	37.75	187.08	(18.68)	40.26	(12.19)

10.2.10 तुलनपत्र में पहचानी गई देयताओं में घट-बढ़

10.2.10 Movements in the liability recognized in the Balance Sheet

विवरण / Particulars	पैंशन (निधिक) Pension (Funded)		ग्रैच्युटी (निधिक) Gratuity (Funded)		छुट्टी नकदीकरण (निधिक) Leave Encashment (funded)	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
प्रारंभिक शुद्ध देयता / Opening net Liability/(Asset)	188.76	271.61	(32.30)	5.43	(21.25)	2.59

शुद्ध लाभ व्यय / Net benefit expense	1239.66	37.75	187.08	(18.68)	40.26	(12.19)
घटाएं-दिया गया अंशदान / Less: Contribution paid	535.03	120.60	18.34	19.05	1.90	11.65
Closing liability/(Asset)	893.39	188.76	136.44	(32.30)	17.11	(21.25)

10.2.11 न्यास द्वारा रखे जाने वाला निवेश प्रतिशत (भारित औसत में प्रदर्शित)

10.2.11 Investment percentage maintained by the trust

(in %)


विवरण / Particulars		पैंशन (निधिक) Pension (Funded)		ग्रैच्युटी (निधिक) Gratuity (Funded)		छुट्टी नकदीकरण (निधिक) Leave Encashment (funded)	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	
केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियां / Central Government Securities	24.48	34.00	31.01	33.07	शून्य / Nil	शून्य / Nil	
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां / State Government Securities	30.54	18.44	22.15	16.62	शून्य / Nil	शून्य / Nil	
उच्च स्तरीय कोरपोरेट बॉडस / High quality corporate bonds	40.07	41.90	37.43	40.95	शून्य / Nil	शून्य / Nil	
विशेष जमा योजनाएं / Special Deposit Scheme	3.10	4.81	8.64	8.85	शून्य / Nil	शून्य / Nil	
अन्य निवेश / Other investments	1.81	0.85	0.77	0.51	100	100	

10.2.12 तुलनपत्र की तिथि को मूल बीमांकिक मूल्यांकन (भारित औसत में प्रदर्शित)

10.2.12 Principal Actuarial assumption at the Balance Sheet date (expressed as weighted average)

(in %)

विवरण / Particulars	पैंशन (निधिक) Pension (Funded)		•	(निधिक) (Funded)	छुट्टी नकदीकरण (निधिक) Leave Encashment (funded)		
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	
बहा दर / Discount rate	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	8.25	
प्लान आस्तियों पर अनुमानित लाभ दर / Expected rate of return on plan assets	8.50	8.50	8.25	8.50	8.25	8.50	
वेतन में वृद्धि की दर / Rate of escalation in salary	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
अनुशय दर / Attrition rate	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	
प्रयोग में लाई गई प्रणाली / Method used	पीयूसी / PUC	पीयूसी / PUC	पीयूसी / PUC	पीयूसी / PUC	पीयूसी / PUC	पीयूसी / PUC	



10.2.13 बीमांकिक मूल्यांकन का आधार

10.2.13 Basis of Actuarial Assumption considered

विवरण / Particulars	मूल्यांकन का आधार / Basis of assumption
बट्टा दर Discount rate	देयता के अनुमानित आधार पर सरकारी बांडों की शर्तों के अनुरूप तुलन पत्र की तिथि पर बाजार के अनुरूप लाभ के संदर्भ में बहा दर का निर्धारण किया गया है। Discount rate has been determined by reference to market yield on the balance sheet date on Government Bonds of term consistent with estimated term of the obligation.
प्लान आस्तियों पर अनुमानित दर Expected rate of return on plan assets	संबंधित देयता की पूर्ण अवधि हेतु अवधि के प्रारंभ के समय पर प्लान आस्तियों पर अनुमानित लाभ बाज़ार अनुमानों पर आधारित है। The expected return on Plan assets is based on market expectation, at the beginning of the period, for returns over the entire life of the related obligation.
वेतन में वृद्धि की दर Rate of escalation in salary	बीमांकिक मूल्यांकन में भविष्य में वेतन वृद्धि को ध्यान में रखा गया तथा मुद्रा प्रसार, वरिष्ठता, प्रोन्नित तथा अन्य संबंधित घटकों पर विचार किया गया है। The estimates of future salary increases considered in actuarial valuation take account of inflation, seniority, promotion, and other relevant factor, such as supply and demand in employee market.
अनुशय दर Attrition rate	अनुशय दर का निर्धारण पूर्व तथा अनुमानित भविष्य के अनुभव के अनुसार निर्धारित किया गया है तथा मृत्यु को छोड़कर इसमें समस्त प्रकार के आहरण सम्मिलित हैं लेकिन इनमें अपंगता कारक भी शामिल है।। Attrition rate has been determined by reference to past and expected future experience and includes all type of withdrawals other than death but including those due to disability.

10.2.14 अन्य दीर्घ अवधि वाले कर्मचारी लाभ (गैर निधि)

10.2.14 Other long term employee benefit (Unfunded)

विवरण / Particulars	एलटीसी / एलएफसी नकदीकरण*/ LTC/LFC Encashment*	सिल्वर जुबली बोनस / Silver jubilee Bonus	रूग्ण अवकाश / Sick leave Including Casual leave	मेडिकल लाभ Medical Benefits *	सेवा निवृत्ति उपहार Retirement Gifts
देयता का वर्तमान मूल्य / Present Value of Obligation	8.70	0.26	23.04	0.46	0.73
पारगमन देयता / Transitional Liability	शून्य / Nil	शून्य / Nil	9.92	शून्य / Nil	शून्य / Nil
वर्ष के दौरान पहचानी गई पारगमन देयता / Transitional Liability recognized during the year	शून्य / Nil	शून्य / Nil	4.96	शून्य / Nil	शून्य / Nil
पहचान न की गई पारगमन देयता / Unrecognized transitional liability	शून्य / Nil	शून्य / Nil	4.96	शून्य / Nil	शून्य / Nil
तुलनपत्र में पहचानी गई देयता / Liability recognized in the Balance Sheet	0.28	शून्य / Nil	4.96	शून्य / Nil	शून्य / Nil


^{*} प्रबंधन द्वारा मूल्यांकित

^{*} As assessed by the management

10.3 लेखामानक.17.खण्ड रिपोर्टिंग भाग कः व्यापार खंड

10.3 Accounting Standard 17 – Segment Reporting Part A: Business Segment:

व्यावसायिक खण्ड Business Segment	Trea	कोष sury	थोक Corp Who Bar	ोरेट / बैंकिंग orate/ lesale iking	Retail E	ं बैंकिग Banking	प्रच Other E Opera	अन्य बैंकिंग प्रचालन Other Banking Operations		कुल Total	
विवरण / Particulars	31.03.11 (लेखा परीक्षित) 31.03.11 (Audited)	31.03.10 (लेखा परीक्षित) 31.03.10 (Audited)									
राजस्व / Revenue	135372	120414	310182	229255	89604	83798	1801	1132	536959	434599	
परिणाम / Result	16351	16467	101119	73565	29211	26890	1801	1132	148482	118054	
गैर.आबंटित व्यय / Unallocated expneses									47132	30297	
परिचालन लाभ / Operating Profit									101350	87757	
प्रावधान व आकस्मिक देयताएं / Provisions & Contingencies									24386	21110	
आयकर / Income Tax									24347	15766	
विशेष लाभ / हानि / Extra Ordinary Profit/ Loss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
शुद्ध लाभ / Net Profit									52617	50881	
अन्य सूचना / Other	Informatio	n:									
खण्ड संपत्तियां / Segment Assets	1894602	1815291	3766604	2795128	1088084	1021691	0	0	6749290	5632110	
गैर–आबंटित संपत्तियां / Unallocated Assets									105724	34378	
कुल संपत्तियां / Total Assets									6855014	5666488	
खण्ड देयताएं / Segment Liabilities	1814620	1735024	3607594	2671535	1042149	976514	0	0	6464363	5383073	
गैर—आबंटित देयताएं / Unallocated Liabilities									10311	21854	
कुल देयताएं Total Liabilities									6474674	5404927	



नोटः मानक ए.एस.—17 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा.निर्देशों के अनुरूप खण्ड रिपोर्टिंग के उद्देश्य से बैंक के व्यवसाय को चार खण्डों में वर्गीकृत किया गया है जोकि अद्ध राजकोष परिचालन बद्ध कारपोरेटध्थोक बैंकिंग सीद्ध फुटकर बैंकिंग डीद्ध अन्य बैंकिंग परिचालन हैं।

कारपोरेटध्थोक तथा फुटकर बैंकिंग खण्ड के संबंध में खण्डीय राजस्वए परिणामए आस्ति तथा देयताओं को इन खण्डों में दिए गए ऋणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।

जहाँ खण्डों से संबंधित आस्ति तथा देयताएंए आबंटित की गई हो तथा जहाँ पर ये प्रत्यक्षतः उनसे संबंधित न होए उनका आबंटन यथा अनुपात खण्ड राजस्व के आधार पर किया गया है।

भाग खः भौगोलिक खण्ड

बैंक की विदेश में कोई भी शाखा नहीं है इसलिए भौगोलिक खण्ड की जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है।

10.4 लेखा मानक.18. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण मुख्य प्रबंधन अधिकारी

(i) श्री जी.एस. वेदी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	(30.06.2010 तक)
(ii)श्री पी.के.आनन्द	कार्यकारी निदेशक

क) प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों को दिया गया पारिश्रमिक

(रु. लाखों में)

नाम एवं पदनाम	2010-11
श्री आर.पी.सिंह, भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	3.24
श्री जी.एस. वेदी, भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	8.68
श्री जी.एस. वेदी, भूतपूर्व कार्यकारी निदेशक	2.61
श्री पी.के.आनन्द, कार्यकारी निदेशक	14.16

ख) प्रमुख प्रबंधन अधिकारियों एवं उनके संबंधियों को दिए गए ऋणः

विवरण	दिनांक 31.03.2011	दिनांक 31.03.2010
बकाया ऋण	शून्य	शून्य

10.5 प्रति शेयर आय (एएस-20)

विवरण	2010-11
इक्वटी शेयर धारकों हेतु कर के बाद कुल लाभ	510.43
(रू. करोड़ों में)	
इक्वटी शेयरों की भारित औसत संख्या (करोड़ों में)	19.34
आधार एवं कम की गई प्रति शेयर आय (रू.)	26.40
प्रति शेयर अंकित मूल्य (रू.)	10

Note: For the purpose of segment reporting in terms of AS-17 of ICAI and as prescribed in RBI guidelines, the business of the Bank has been classified into four segments i.e. a) Treasury Operations, b) Corporate/ Wholesale Banking, c) Retail Banking and d) Other Banking Operations.

Segmental Revenue, Results, Assets & Liabilities in respect of Corporate / Wholesale and Retail Banking segment have been bifurcated on the basis of exposure to these segments.

Assets & Liabilities wherever directly related to segments have been accordingly allocated to segments and wherever not directly related have been allocated on the basis of pro-rata segment revenue.

Part B: Geographical Segment:

Since the Bank does not have any Overseas branch, reporting under Geographic Segment is not applicable.

10.4 Accounting Standards 18 - Related Party Disclosures

Key Managerial Personnel:

	Chairman (up to 30.0			Director		
Mr. P.K Anand	Executive Director					

a) Remuneration Paid to Key management personnel:

(Rs. in lacs)


Name and Designation	2010-11
Mr. R.P. Singh, Ex-Chairman & Managing	3.24
Director	
Mr. G.S. Vedi, Ex-Chairman & Managing	8.68
Director	
Mr. G.S. Vedi, Ex-Executive Director	2.61
Mr. P.K Anand, Executive Director	14.16

b) Loans granted to Key Managerial Personnel & their relatives:

Particulars	As on 31.03.2011	As on 31.03.2010
Loans outstanding	NIL	NIL

10.5 Earning Per Share (AS-20)

PARTICULARS	2010-11
Net Profit After tax available for equity	510.43
Shareholders (Rs. in Crore)	
Weighted Average Number of Equity	19.34
Shares in crore	
Basic and Diluted Earning per Share (Rs.)	26.40
Nominal Value per Share (Rs.)	10



10.6 लेखा मानक 22 - आय पर करों हेतु लेखांकन

- 10.6.1 बैंक ने आयकर लेखा.जोखा में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक—22ए 'आय पर करों का लेखांकन' का अनुपालन किया है।
- 10.6.2 आस्थिगित कर अस्तियों / देयताओं के मुख्य घटक निम्नानुसार है:

10.6. Accounting Standard 22 – Accounting for Taxes on Income

- 10.6.1 The Bank has accounted for Income Tax in compliance with Accounting Standard-22 'Accounting for taxes on Income' issued by ICAI.
- 10.6.2 Major components of deferred tax assets/ liabilities are as under:

(रु. करोड़ में) / (Rupees in crore)

विषय / Head		अस्थगित कर आस्तियां		अस्थगित कर दायित्व	
		Deferred Tax Assets		Deferred Tax Liabilities	
		31.03.2011	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2010
1	अचल आस्तियों पर मूल्यहास	Nil	Nil	2.05	2.69
	Depreciation on Fixed Assets	INII	INII INII	2.03	2.09
2	ब्याज प्रद्भुत लेकिन प्रतिभूतियों पर देय नहीं Interest accrued but not due on securities	Nil	Nil	101.06	88.86
3					
	वेतन पुनरीक्षण के लिए प्रावधान Provision for wage revision	Nil	33.99	Nil	Nil
	कूल / Total	Nil	33.99	103.11	91.55

विशेष आरक्षिति पर धारा 36(i)(viii) के अंतर्गत् बनाई और अनुरक्षित की गई आस्थिगित कर देयता पर प्रबंधन के विशेष आरक्षिति से आहरित न करने के अटल निर्णय के दृष्टिकोण से विचार करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

- 10.6.3 विधिक विशेषज्ञों की राय के आधार पर लेखा आय तथा प्रतिभूतियों के मूल्य पर आय कर की गणना के स्थायी अंतर को बैंक ने विचार में लिया है तथा तदानुसार रूपए 204.25 करोड़ (पूर्व वर्ष के रू 171.59 करोड़) की राशि की आस्थिगत कर देयता के निर्माण को आवश्यक नहीं माना गया है।
- 10.6.4 विधिक विशेषज्ञों की राय तथा अनुकूल न्यायिक अधिघोषणाओं को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा धारित आयकर, आस्थगित कर तथा अनुषंगी लाभ के प्रावधान पर्याप्त पाए गए हैं।
- 10.6.5 अपील प्राधिकारियों के निर्णय, न्यायिक प्रणाली तथा कर विशेषज्ञों की राय के अनुसार विवादित आयकरए ब्याज कर की कुल राशि रूपए 130.76 करोड़ (पूर्व वर्ष में रू.177.22 करोड़) की मांग का प्रावधान नहीं किया गया है।

10.7 लेखा मानक 28-आस्तियों के अनर्जक होने संबंधी लेखांकन


ए.एस—28 में परिभाषित बैंक द्वारा धारित स्थिर आस्तियों को "निगमित आस्तियों माना गया है न कि" नकदी निर्मित इकाइयां। प्रबंधन की राय के अनुसार. 31.03.2011 तक समग्र राशि में स्थिर अनर्जक आस्तियां कोई नहीं है। अन्य आस्तियों के अनर्जक होने की स्थिति में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विशेष नियमों के तहत प्रावधान कर दिए गए हैं।

The Deferred Tax Liability of Rs. 12.68 crore (previous year Rs.7.30 crore) on account of Special Reserve created and maintained u/s 36 (1) (viii) has not been considered necessary in view of the management's irrevocable decisions not to withdraw from the Special Reserve.

- 10.6.3 Based on the opinion of tax expert, the bank has considered the difference between accounting income and computation of taxable income on valuation of securities as permanent difference and accordingly, deferred tax liability of Rs. 204.25 crore (Previous Year Rs. 171.59 crore) has not been considered necessary.
- 10.6.4 Provision for Income Tax, Deferred Tax and Fringe Benefit Tax held by the Bank is considered adequate taking into account the opinion of legal experts and favorable judicial pronouncements.
- 10.6.5 No provision has been considered necessary in respect of disputed demands of Income Tax, Fringe Benefit Tax and Interest Tax aggregating to Rs. 130.76 crore (Previous year Rs 177.22 crore) in view of decisions of appellate authorities / judicial pronouncements / opinions of legal experts.

10.7 Accounting Standard 28-Impairment of Assets

Fixed Assets possessed by Bank are treated as 'Corporate Assets' and not 'Cash Generating Units' as defined by AS-28. In the opinion of the Management, there is no impairment of the 'Fixed Assets' of material amount as of 31.03.2011, requiring recognition in terms of AS-28 issued by the ICAI. The impairment of Other assets have been provided for as per Prudential Norms prescribed by the Reserve Bank of India.



10.8 लेखामानक—29 ए.एस. 29 का अनुपालन—प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों का प्रावधान

ए.एस.—29 के अनुसार भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी प्रावधानों में आकिस्मक देयताओं और आकिस्मक आस्तियों हेतु बैंक ने इनके लिए कोई प्रावधान नही किया है —

- (क) पूर्व घटनाओं द्वारा उत्पन्न कोई संभाव्य देयता जिसका घटना या न घटना भविष्य में होने वाली किसी अनिश्चित घटना पर निर्भर है, पूर्णतः बैंक के नियंत्रण में नहीं है। और
- (ख) पिछली घटनाओं से उत्पन्न कोई वर्तमान देयता जिसको पहचाना नहीं गया है क्योंकि
- यह संभव नहीं है कि संसाधनों के बिहर्गमन से आर्थिक लाभ के दायित्वों का निपटान किया जा सके या
- देयता राशि का विश्वसनीय अनुमान आंका नहीं जा सका है।
 ऐसी देयताओं को आकस्मिक देयताओं के रुप में रिकार्ड
 किया गया है। इनका आंकलन निरंतर किया जाता है
 और देयताओं के केवल वह भाग जिनमें आर्थिक लाभ का
 परिलक्षण होता है का प्रावधान किया गया है सिवाय विशेष
 परिस्थितियों में जहां विश्वसनीय अनुमानों की पहचान नहीं
 हो सकी।

वित्तीय विवरणियों में आकस्मिक आस्तियों की पहचान नहीं की गई है क्योंकि इससे उस आय की पहचान हो सकती है जो कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती थी।

11.1 अतिरिक्त प्रकटीकरण

(रू. करोडों में)

लाभ हानि खाते के व्यय शीर्ष के अंतर्गत प्रावधान और आकस्मिक व्ययों का ब्यौरा	2010-11	2009-10
गैर—निष्पादित अग्रिमों हेतु प्रावधान	159.96	91.92
गैर-निष्पादित निवेशों हेंतु प्रावधान	0.00	0.00
निवेशों में मूल्यह्नास हेतु प्रावधान	29.47	110.80
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	49.30	5.74
आय–कर हेतु प्रावधान	243.47	159.94
आस्थगित कर हेतु प्रावधान	0.00	-0.70
अनुषंगी लाभ कर प्रावधान	0.00	0.00
एमएटी क्रेडिट पात्रता	0.00	-1.74
अन्य	5.13	2.80
कुल	487.33	368.76

10.8 Accounting Standard 29-Provisions, Contingent Liability and Contingent Assets

As per AS-29–Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognizes no provision for -

- a) Any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank, or
- Any present obligation from the past events but is not recognized because
- It is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or
- A reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.


Such obligations are recorded as contingent liabilities. These are assessed continually and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

Contingent Assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realized.

11.1 Additional disclosures:

(Rupees in crore)

Break up of 'Provisions & Contingencies' shown under the head Expenditure in Profit & Loss Account	2010-11	2009-10
Provision for Non Performing Advances	159.96	91.92
Provision for Non Performing Investments	0.00	0.00
Provision for Depreciation in the value of Investments	29.47	110.80
Provision for Standard Asset	49.30	5.74
Provision for Income Tax	243.47	159.94
Provision for Deferred Tax	0.00	-0.70
Provision for Fringe Benefit Tax	0.00	0.00
MAT Credit Entitlement	0.00	-1.74
Others	5.13	2.80
Total	487.33	368.76



11.2 अस्थाई प्रावधानों में घट-बढ़

(रू. करोड़ों में)

	2010-11	2009-10
अथ शेष	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान परिवर्धन	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान आहरण से गिरावट	शून्य	शून्य
इति शेष	शून्य	शून्य

1.3 आरक्षित निधि से आहरण

पुरानी प्रविष्टियों के दावेदारों को भुगतान करने के लिए सामान्य आरक्षित निधि खाते से रु. 0.10 लाख (पिछले वर्ष रू. 3.32 लाख) की राशि का आहरण किया गया।

11.4 ग्राहक शिकायतें

		2010-11	2009-10
क)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों	18	12
	की संख्या		
ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की	490	555
	संख्या		
ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई	493	549
,	शिकायतों की संख्या		
ਬ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों	15	18
,	की संख्या		

11.5 बैंकिंग लोकपाल निर्णीत मामले

		2010-11	2009-10
क)	वर्ष के आरंभ में गैर–क्रियान्वित निर्णयों की संख्या	01	01
ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा निर्णीत मामलों की संख्या	12	19
ग)	वर्ष के दौरान क्रियान्वित निर्णयों की संख्या	12	19
ਬ)	वर्ष के अंत में लंबित गैर-क्रियान्वित निर्णयों की संख्या	01	01

11.6 जमाओं, अग्रिमों, जोखिमों एवं एन.पी.ए. का केंद्रीकरण

11.6.1 जमाओं का केंद्रीकरण

(रू. करोड़ों में)

	31.03.2011	31.03.2010
सबसे बड़े 20 जमाकर्ताओं की	21607.94	11,411.45
कुल जमा		
बैंक की कुल जमा में सबसे बड़े 20 जमाकर्ताओं की जमा	36.18%	23.21%
का प्रतिशत		

11.2 Movement of Floating Provisions

(Rupees. in crore)

	2010-11	2009-10
Opening Balance	Nil	Nil
Additions during the year	Nil	Nil
Draw down during the year	Nil	Nil
Closing Balance	Nil	Nil

11.3 Draw down from Reserve

A sum of Rs.0.10 lacs (previous year Rs. 3.32 lacs) has been drawn from the General Reserve on account of payment to the claimant of old entries.

11.4 Customer's Complaints:

		2010-11	2009-10
a)	No. of Complaints pending at the beginning of the year	18	12
b)	No. of Complaints received during the year	490	555
c)	No. of Complaints redressed during the year	493	549
d)	No. of Complaints pending at the end of the year	15	18

11.5 Awards Passed by the Banking Ombudsman:

		2010-11	2009-10
a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	01	01
b)	No. of Awards passed by Banking Ombudsman during the year	12	19
c)	No. of Awards implemented during the year	12	19
d)	No. of unimplemented Awards pending at the end of the year	01	01

11.6 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

11.6.1 Concentration of Deposits

(Rupees. In crore)

	31.03.2011	31.03.2010
Total Deposits of twenty largest depositors	21607.94	11,411.45
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits		23.21%

11.6.2 अग्रिमों का केंद्रीकरण

(रू. करोड़ों में)

	31.03.2011	31.03.2010
सबसे बड़े 20 ऋणियों ग्राहकों	10400.26	8155.91
को कुल अग्रिम		
बैंक के कुल अग्रिम में सबसे	22.56%	24.91%
बड़े 20 ऋणियों / ग्राहकों को		
अग्रिम का प्रतिशत		

11.6.3 जोखिमों का केंद्रीकरण

(रू. करोड़ों में)

	31.03.2011	31.03.2010
सबसे बड़े 20 ऋणियों / ग्राहकों	10581.58	8392.85
पर कुल जोखिम		
बैंक के ऋणियों / ग्राहकों पर	21.82%	24.84%
कुल जोखिम में सबसे बड़े		
20 ऋणियों / ग्राहकों पर कुल		
जोखिम का प्रतिशत		

11.6.4 एन.पी.ए. का केंद्रीकरण

(रू. करोड़ों में)

	31.03.2011	31.03.2010
सबसे बड़े चार एन.पी.ए. खातों	90.30	59.08
पर कुल जोखिम		

11.7 क्षेत्रवार एन.पी.ए.

(रू. करोड़ों में)

क्र.	क्षेत्र उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में		कुल अग्रिम में
सं.		एन.पी.ए.	
		का प्रतिशत	
		31.03.2011	31.03.2010
1.	कृषि एवं संबंधित गतिविधियां	1.09%	0.73%
2.	उद्योग (सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम एवं बड़े)	0.85%	1.69%
3.	सेवा क्षेत्र	0.94%	0.57%
4.	व्यक्तिगत् ऋण	1.63%	1.04%

11.6.2 Concentration of Advances

(Rupees. in crore)

	31.03.2011	31.03.2010
Total Advances to twenty largest borrowers	10400.26	8155.91
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances	22.56%	24.91%

11.6.3 Concentration of Exposures

(Rupees. in crore)

	31.03.2011	31.03.2010
Total Exposure to twenty	10581.58	8392.85
largest borrowers/		
customers		
Percentage of Exposure to	21.82%	24.84%
twenty largest borrowers/		
customers to Total		
Exposure of the bank on		
borrowers/ customers		

11.6.4 Concentration of NPAs

(Rupees. in crore)

	31.03.2011	31.03.2010
Total Exposure to top four NPA Accounts	90.30	59.08

11.7 Sector-wise NPAs

(Rupees. in crore)

S. No.	Sector	Percentage of NPAs to Total Advances in that sector as on	
		31.03.2011	31.03.2010
1.	Agricultural & allied activities	1.09%	0.73%
2.	Industry (Micro & Small, Medium and Large)	0.85%	1.69%
3.	Services	0.94%	0.57%
4.	Personal Loans	1.63%	1.04%

11.8 एन.पी.ए. में उतार-चढ़ाव

(रू. करोड़ों में)

विवरण	31.03.2011	31.03.2010
1 अप्रैल को सकल एन.पी.ए.	206.15	161.04
(अथ शेष)		
वर्ष के दौरान परिवर्धन (नए	383.45	208.05
एन.पी.ए.)		
उप–योग (क)	589.60	369.09
घटा : (i) कोटि उन्नयन	49.21	33.87
(ii) वसूलियां (कोटि उन्नयन	114.90	128.78
खातों से की गई वसूली के		
अतिरिक्त)		
(iii) बट्टे खातें में डालना	1.21	0.29
उप–योग (ख)	165.32	162.94
31 मार्च को सकल एन.पी.ए.	424.28	206.15
(इति शेष) (क—ख)		

11.9 विदेशी आस्तियां, एन.पी.ए. एवं राजस्व

(रू. करोड़ों में)

		. ,
विवरण	31.03.2011	31.03.2010
कुल आस्तियां	211.87	196.60
कुल एन.पी.ए.	0.19	0.19
कुल राजस्व	0.76	1.26

11.10 तुलन-पत्र से इतर प्रायोजित एस.पी.वी.

(रू. करोड़ों में)

प्रायोजित एस.पी.वी. का नाम			
घरेलू		विदेश	
31.03.2011	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2010
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

11.8 Movement of NPAs

(Rupees. in crore)

Particulars	31.03.2011	31.03.2010
Gross NPAs as on 1st April	206.15	161.04
(Opening Balance)		
Additions (Fresh NPAs)	383.45	208.05
during the year		
Sub-total (A)	589.60	369.09
Less: (i) Up-gradations	49.21	33.87
(ii) Recoveries (excluding	114.90	128.78
recoveries made from up-		
graded accounts)		
(iii) Write-offs	1.21	0.29
Sub-total (B)	165.32	162.94
Gross NPAs as on 31st	424.28	206.15
March (closing balance)		
(A-B)		

11.9 Overseas Assets, NPAs and Revenue


(Rupees. in crore)

Particulars	31.03.2011	31.03.2010
Total Assets	211.87	196.60
Total NPAs	0.19	0.19
Total Revenue	0.76	1.26

11.10 Off-Balance Sheet SPVs sponsored

(Rupees. in crore)

Name of the SPV sponsored			
Domestic		Overseas	
31.03.2011	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2010
Nil	Nil	Nil	Nil




- 12. Change in Accounting Policy Provision for NPAs Bank has revised the policy for provisioning on NPAs as under:
- 12 लेखा नीति में पिरवर्तन एनपीए हेतु प्रावधान बैंक ने एनपीए हेतु प्रावधानन नीति में निम्न पिरवर्तन किया है:

आस्तियों की श्रेणी Category of Asset	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्घारित प्रावधानन नियम Provisioning Norms as prescribed by RBI	दिनांक 31.12.2010 तक बैंक द्वारा पालन किए गए प्रावधानन नियम Provisioning Norms followed by the Bank up to 31.12.2010	दिनांक 31.03.2011 को समाप्त तिमाही हेतु संशोधित प्रावधानन नियम Revised Provisioning norms for the quarter ending 31.03.2011	
			onwards	
अवमानक / Sub-Standard	10% (जहाँ बकाया राशि से प्रतिभूति का मूल्य 10% अधिक है) 20% (जहाँ प्रतिभूति का मूल्य बकाया राशि का 10: तक है) 10% (where value of security is greater	35% प्रतिभूति मूल्य से कोई संबंध नही 35% irrespective of value of security (w.e.f. 31.03.2008)	संबंध नही	
	than 10% of the amount outstanding) 20% (where value of security is up to 10% of the amount outstanding)			
संदिग्ध-।	जमानती ऋण पर 20%	जमानती ऋण पर 65%	जमानती ऋण पर 30%	
Doubtful-I	गैर-जमानती ऋण पर 100% 20% on Secured 100% on Unsecured	गैर—जमानती ऋण पर 100% (दिनांक 31.03.2007 से प्रभावी) 65% on Secured 100% on Unsecured (w.e.f. 31.03.2007)	गैर-जमानती ऋण पर 100% 30% on Secured 100% on Unsecured	
संदिग्ध-II Doubtful-II	जमानती ऋण पर 30% गैर-जमानती ऋण पर 100% 30% on Secured	100% प्रतिभूति मूल्य से कोई संबंध नही	गैर-जमानती ऋण पर 100%	
	100% on Unsecured	(दिनांक 31.03.2007 से प्रभावी) 100% irrespective of value of security (w.e.f. 31.03.2007)	50% on Secured 100% on Unsecured	
संदिग्ध-III Doubtful-III	100% प्रतिभूति मूल्य से कोई संबंध नही 100% irrespective of value of security	संबंध नही	100% प्रतिभूति मूल्य से कोई संबंध नही 100% irrespective of value of security	

संशोधित प्रावधानान नियमों का नई चूकों पर भावी प्रभाव होगा (अर्थात् दिनांक 01.01.2011 या इसके बाद जो खाते एनपीए श्रेणी में जाएंगे) और वर्तमान एनपीए की स्थिति खराब होगी। तथापि, वर्तमान एनपीए खातों में पहले से किए गए प्रावधानों को कम / प्रत्यावर्तित नहीं किया जाएगा। अनर्जक आस्तियों का प्रावधान 29.90 करोड़ से अधिक संभव था यदि बैंक द्वारा पूर्व नियम को लागू किया गया होता।

13. जहां सूचना उपलब्ध नहीं थी, को छोडकर और जहां आवश्यक था पिछले वर्ष के आंकडों को पुनः व्यवस्थित / पुनः वर्गीकृत किया गया है। The revised provisioning norms will have prospective effect on the fresh slippage (i.e. Accounts which slip into NPA category on or after 01.01.2011) and further deterioration in the existing NPA's. However, the provisions already made in any existing NPA account will not be reduced/ reversed. The provision for Non Performing Assets would have been higher by Rs.29.90 crores,had the previous norms followed by the bank would have been applied.


 The figures of the previous year have been regrouped / re-arranged wherever necessary except where information was not available.



31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के अनुसार नकदी प्रवाह विवरणी Cash Flow Statement for the year ended 31st March, 2011

(000' को छोड़कर) (000's omitted)

	(००० का छाङ्	हर) (000's omitted)
(क) परिचालन गतिविधियों के अंतर्गत नकदी प्रवाह A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES	31.03.2011	31.03.2010
लाभ—हानि खाते के अनुसार निवल लाभ / हानि Net Profit/ (Loss) as per Profit & Loss Account	5261731	5088017
समायोजन हेतु / Adjustments for:		
प्रावधान और आकस्मिक व्यय/Provisions & Contingencies	4873239	3687634
मूल्यहास (निवल) / Depreciation (Net)	152136	120500
आस्तियों की बिक्री पर लाभ / Profit on sale of assets	-1092	-788
बांड, पीसीपीएस तथा आईपीआई पर ब्याज Interest on Bonds, PCPS and IPDI	1432960	1262701
कार्यशील पूंजी में परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ Operating Profit before working capital changes	11718974	10158064
समायोजन हेतु / Adjustments for:		
निक्षेपों में वृद्धि / (कमी) / Increase / (Decrease) in Deposit	105681082	144794309
उधारों में वृद्धि / (कमी) / Increase / (Decrease) in Borrowings	-8151639	-2804246
अन्य देयताओं में वृद्धि / (कमी) / Increase / (Decrease) in Other Liabilities	8913303	2437579
निवेशों में (वृद्धि) / कमी (Increase) / Decrease in Investments	-7862814	-53702070
अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी (Increase) / Decrease in Advances	-101599171	-81160038
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी (Increase) / Decrease in Other Assets	-9546943	-2775478
परिचालन गतिविधियों (क) से नकद प्रवाह Cash Flow from Operating Activities (A)	-847208	16948120
(ख) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
स्थिर आस्तियों में वृद्धि / Increase in Fixed Assets	-248247	-138280
आस्तियों की बिक्री पर लाभ / Profit on sale of assets	1092	788
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ख) Cash Flow from Investing Activities (B)	-247155	-137492
(ग) वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
इक्वटी शेयरों को जारी करना (आईपीओ) (अंकित मूल्य) Issue of Equity Shares (IPO) (Face Value)	400000	0



उस पर प्राप्त शेयर प्रीमियम/Share Premium received thereon	4308200	0
सार्वजनिक निर्गम व्यय/Public Issue Expenses	-91810	0
गौण बांड जारी करना / Issue of Subordinated Bonds	0	3750000
गौण बांड का मोचन / Redemption of Subordinated Bonds	0	0
बांड, पीसीपीएस एण्ड आईपीडीआई पर ब्याज Interest on Bonds, PCPS and IPDI	-1432960	-1262701
ईक्वटी एवं पीएनसीपीएस पर लाभांश Dividend on Equity & PNCPS	-581112	-127397
लाभांश आबंटन कर Dividend Distribution Tax	-96516	-21651
(ग) वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह Cash Flow from Financing Activities (C)	2505802	2338251
परिचालन गतिविधियों से नकदी / Cash from Operating Activities	-847208	16948120
निवेश गतिविधियों से नकदी / Cash from Investing Activities	-247155	-137492
वित्तीय गतिविधियों से नकदी / Cash from Financing Activities	2505802	2338251
नकदी व नकदी समतुल्य में वृद्धि Increase in Cash & Cash Equivalents	1411439	19148879
वर्ष के प्रारम्भ में नकदी व नकदी समतुल्य Cash and Cash equivalents at the beginning of the Half year	47553266	28404387
वर्ष के अंत में नकदी व नकदी समतुल्य Cash and Cash equivalents at the end of the Half year	48964705	47553266

नोटः माइनस के सभी आंकड़े "ऋण प्रवाह" को दर्शाते है Note: All figures in minus represents "Cash Outflow"

P.K. ANAND EXECUTIVE DIRECTOR

पी.के. आनन्द कार्यकारी निदेशक G.S. ARORA GENERAL MANAGER

> जी.एस अरोरा महाप्रबंधक

A.P.S. TEJI ASST. GEN. MANAGER

> ए.पी.एस. तेजी सहायक महाप्रबंधक

V.K. MEHROTRA CHIEF MANAGER

> वी.के. मेहरोत्रा मुख्य प्रबंधक



As per our Report of even date समतिथि पर हमारी रिपोर्ट के अनुसार

FOR BANSAL SINHA & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN 006184N

कृते बंसल सिन्हा एण्ड कं सनदी लेखाकार एफआरएन 006184एन

RAVINDER KHULLAR PARTNER M.No.082928 रविन्दर खुल्लर साझेदार एम.नं. 082928

FOR BHATIA & BHATIA
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN 003202N
कृते भाटिया एण्ड भाटिया
सनदी लेखाकार
एफआरएन 003202एन

[R.BHATIA] M.No.17572 आर भाटिया एमनं. 17572

FOR G.S.GOEL & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS FRN 001415N कृते जी.एस. गोयल सनदी लेखाकार एफआरएन 001415एन

> GULAB SINGH GOEL M.No. 014428 गुलाब सिंह गोयल एम.नं. 014428

DATE: 30 APRIL, 2011 PLACE: NEW DELHI दिनांक 30 अप्रैल, 2011 स्थानः नई दिल्ली FOR BALRAM CHANDRA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN 002817C

कृते बलराम चंद्रा एण्ड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार एफआरएन 002817सी


> ATUL MEHROTRA PARTNER M.No.076058 अतुल मेहरोत्रा साझेदार एम.नं. 076058

FOR ALKA & SUNIL
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN 006739N
कृते अलका एण्ड सुनील
सनदी लेखाकार
एफआरएन 006739एन

[SUNIL GUPTA] M.No.**084119** सुनील गुप्ता एम.नं. **08411**9

FOR S.B.G. & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN 001818N
कृते एस.बी.जी एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 001818एन

SHRI BHAGWAN GUPTA M.No. 089415 श्री भगवान गुप्ता एम.नं. 089415




लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट/AUDITORS'REPORT

सेवा में, महामहिम राष्ट्रपति महोदय, नई दिल्ली

- हमने पंजाब एण्ड सिंध बैंक के 31 मार्च 2011 के संलग्न तुलन-पत्र तथा इस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए बैंक के लाभ-हानि खाते तथा नकदी प्रवाह विवरणी सहित लेखों से संबंधित टिप्पणियों का लेखा परीक्षण किया है जिसमें केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों को आबंटित कार्य के अंतर्गत हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 20 शाखाओं, आंचलिक कार्यालयों तथा केंद्रीय कार्यालय के विभागों की विवरणियां. अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा परीक्षित 771 शाखाओं तथा हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई 174 अपरीक्षित शाखाओं की विवरणियों को भी शामिल किया गया है। इन अपरीक्षित शाखाओं में अग्रिमों का प्रतिशत 0.87 प्रतिशत, जमा राशियों का 5.56 प्रतिशत. अग्रिमों पर ब्याज आय का 0.95 प्रतिशत तथा जमा राशियों पर दिए ब्याज ब्ययों का 4.99 प्रतिशत हिस्सा बनता है। हमारे द्वारा तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मानदंडों के अनुसार किया है। इन वित्तीय विवरणियों के लिए बैंक प्रबंधन उत्तरदायी है। हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणियों पर राय देना हमारा उत्तरदायित्व है।
- 2. हमने अपना लेखा परीक्षण भारतवर्ष में सामान्यतः प्रचलित लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों के अनुरुप यह वांछनीय है कि हम लेखा परीक्षण हेतु इस प्रकार योजना बनाएं एवं इसे पूर्ण करें तािक यह विश्वास हो सके कि वित्तीय विवरणियों में कोई भी कमी नहीं है। लेखा परीक्षण में प्रयोगात्मक आधार पर जांच की गई है कि वित्तीय विवरणियों में दी गई तथा राशियों संबंधी साक्ष्य, सूचनाएं सही हैं। लेखा परीक्षण में प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों का मूल्यांकन तथा प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए महत्वपूर्ण अनुमान एवं वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण शामिल रहता है। हमें विश्वास है कि हमारा लेखा परीक्षण हमारे पक्ष के लिए एक उपयुक्त आधार है।
- तुलन पत्र और लाभ हानि खाते, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की तृतीय अनुसूची में दिए फार्म क्रमशः 'क' तथा 'ख' में तैयार किए गए हैं।
- 4. उपरोक्त पिरच्छेदों में लेखा परीक्षा के आधार पर तथा बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 तथा उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन तथा लेखा नीतियों एवं लेखा संबंधी टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए और सशर्तः—
- क) नोट संख्या 1.1, 1.2 और 1.3 आय, व्यय, आस्तियों और देयताओं के विभिन्न खातों की बकाया मदों के शेषों / निकासी

To, The President of India, New Delhi

- We have audited the attached Balance Sheet of Punjab & Sind Bank as at March 31, 2011 the Profit & Loss Account and the Cash Flow Statement of the Bank for the year ended on that date annexed thereto in which are incorporated the returns of 20 branches, Zonal Offices and Central Office Departments audited by us as part of allocation of work among the Statutory Central Auditors, 771 branches audited by other auditors and 174 returns in respect of unaudited branches not visited by us. These unaudited branches account for 0.87 per cent of the advances, 5.56 per cent of deposits, 0.95 per cent of interest income on advances and 4.99 percent of interest expenses on deposits. The branches audited by us and those by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India. These financial statements are the responsibility of the Bank's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit
- 2. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free of material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
- The Balance Sheet and Profit & Loss Account have been drawn up in forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.
- 4. Subject to the limitations of the audit indicated in above paras and as required by the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertaking) Act, 1980 and the limitation of the disclosure required therein, and subject to:-
- a) Note No. 1.1, 1.2 and 1.3 regarding adjustments required on account of non reconciliation



पहचान / समायोजित न होने के कारण इसके प्रभाव की आवश्यकता को निर्धारित नहीं किया जा सका है।

- ख) नोट संख्या 10.6.5 अपीलों में लंबित विवादित कर—देयताओं के संबंध में है जिसके प्रभाव को निर्धारित नहीं किया जा सका है।
- ग) नोट सं. 10.6.2 जो कि रु. 21.68 करोड़ की अस्थिगित कर देयताएं (डीटीएल) जिसमें (विगत् वर्ष तक के रु. 7.30 करोड़) धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत बनाई तथा सुरक्षित रखी गई विशेष आरक्षितियां तथा प्रबंधन द्वारा उसको आह. रित न करने के निर्णय के अनुसार एवं नोट सं. 10.6.3 जो कि रु. 204.25 जिसमें विगत् वर्ष के रु.171.59 करोड़ की अस्थिगित कर देयता (डीटीएल) सम्मिलित है, लेखा विहयों के अनुसार समय में अंतर के कारण निवेश के मूल्य में उतार चढ़ाव एवं आयकर अभिकलन पर विचार करते हुए कि अंतर स्थायी होगा।
- घ) बैंक की पूंजी पर्याप्तता तथा अन्य अनुपात जिन्हें बैंक द्वारा लेखों में सूचित किया गया है, खातों पर टिप्पणियां, लेखा नीतियों और उक्त परिच्छेद क से ग पर हमारी टिप्पणियों के अनुसार किए गए समायोजनों के अनुरूप है।
- ङ) हमारे अभिमत के अतिरिक्त, निम्न की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है :--


वित्तीय विवरणी का नोट 10.2.2, जो सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प के पुनः खोलने एवं ग्रेच्युटी की सीमा में वृद्धि — प्रमुख नियामक उपचार पर, बैंक की पेंशन एवं ग्रेच्युटी देयता जोकि रु. 761.27 करोड़ है, कर्मचारियों हेतु लाभ पर भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र दिनांक 9 फरवरी, 2011 सं. डीबीओडी नं. बीपी.बीसी.80 /21.04.018 / 2010—11 के अनुसार लेखा मानकों (एएस) 15 के प्रावधानों के अनुपालन में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को छूट है।

- 5. हम यह सूचित करते हैं कि -
- क) हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों तथा हमें दिखाई गई बैंक की बहियों के आधार पर तथा उपरोक्त परिच्छेद 4 में दी गई हमारी टिप्पणियों के अधीन है –
 - (i) प्रमुख लेखा नीतियों तथा उन पर हमारी टिप्पणियों सहित पठनीय तुलन पत्र एक पूर्ण एवं विशुद्ध तुलन पत्र है जिसमें आवश्यक विवरण निहित है तथा इसे उचित ढंग से तैयार किया गया है जिसमें बैंक के 31 मार्च 2011 के मामलों का उचित उल्लेख है।
 - (ii) लाभ हानि खाता एवं प्रमुख लेखा नीतियों तथा हमारी टिप्पणियों सहित पठनीय 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष

- of balances and clearance/ identification of outstanding items in respect of various accounts of income, expenditure, assets and liabilities, the impact of which is not ascertainable.
- Note No.10.6.5 regarding disputed tax liabilities pending in appeals, the effect of which is not ascertainable.
- c) Note No. 10.6.2 regarding non creation of Deferred Tax Liability of Rs 12.68 crores (Previous year Rs. 7.30 crores) in respect of Special Reserve created and maintained under section 36(1)(viii) on the basis of management's decision not to withdraw the same and Note No. 10.6.3 in respect of non creation of Deferred Tax Liability of Rs.204.25 crores including Rs.171.59 crores upto previous year, in respect of timing differences on account of variation in the value of investment as per books of accounts and for income tax computation considering the difference to be permanent.
- d) Capital Adequacy as per Basel-I and Basel-II and other ratios disclosed in the Accounts by the Bank are subject to adjustments arising out of the Notes on Accounts, Accounting Policies and our remarks in para a to c above.
- e) Without qualifying our opinion, attention is invited to –

Note 10.2.2 to the financial statements, which describes deferment of pension and gratuity liability of the bank to the extent of Rs.761.27 crores pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India to the public sector banks from application of the provisions of Accounting Standard (AS) 15, Employee Benefits vide its circular no. DBOD. BP.BC/80/21.04.018/2010-11 dated 09/02/2011 on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits –Prudential Regulatory Treatment.

- 5. We further report that:-
- (a) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and as shown by the books of the Bank and subject to our comments in Para 4 above:
 - (i) The Balance Sheet read together with the Significant Accounting Policies and Notes on Accounts thereon is a full and fair Balance Sheet containing the necessary particulars, and is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the affairs of the Bank as at March 31, 2011.
 - (ii) The Profit & Loss Account, read together with the Significant Accounting Policies and Notes



के लिए वास्तविक लाभ शेष को दर्शाता है।

- (iii) नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2011 तक के वास्तविक नकदी प्रवाह को दर्शाता है।
- ख) जो सचनाएं और स्पष्टीकरण हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षण हेत् आवश्यक थे, सभी सूचनाएं हमने प्राप्त की हैं और हमने इन्हें संतोषजनक पाया है।
- बैंक के ऐसे सभी लेनदेन जो हमारी जानकारी में आए हैं. बैंक के अधिकारों के अंतर्गत थे।
- घ) बैंक के कार्यालयों शाखाओं से प्राप्त विवरणियों को सामान्यतः लेखा परीक्षण कार्य हेत् उपयुक्त पाया गया है। केवल कुछ ही शाखाओं के मामले में, जिनके ब्यौरे पर्याप्त नहीं थे, उनके संदर्भ में आंचलिक कार्यालयों, प्रधान कार्यालय से प्राप्त सूचनाओं पर विश्वास किया गया है।

कृते बलराम चंद्रा एण्ड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार एफआरएन 002817 सी कृते बंसल सिन्हा एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार एफआरएन 006184एन

(अतुल मेहरोत्रा) साझेदार एम. नं. 076058

साझेदार एन. नं. 082928

(रविंदर खुल्लर)

कृते भाटिया एण्ड भाटिया सनदी लेखाकार एफआरएन 003202एन

कृते अलका एण्ड सुनील सनदी लेखाकार एफआरएन 006739एन

(आर भाटिया) एन. न. 17572

(सुनील गुप्ता) एम. नं. 084119

कृते जी.एस. गोयल एण्ड कं. सनदी लेखाकार एफआरएन 001415एन (जी.एस. गोयल) साझेदार एम. नं. 014428

कृते एस.बी.जी एण्ड कं. सनदी लेखाकार एफआरएन ००१८१८एन (श्री भगवान गुप्ता) साझेदार एम.नं. 089415

दिनांक: 30 अप्रैल, 2011 स्थान : नई दिल्ली

on Accounts thereon reflects a true balance of profit for the year ended on March 31, 2011.

- (iii) The Cash Flow Statement gives a true and fair view of the Cash flow for the year ended March 31, 2011.
- (b) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit and have found them to be satisfactory.
- (c) The transactions of the Bank which have come to our notice have been within the powers of the Bank.
- (d) The returns of the accounts received from the offices and branches of the Bank have generally been found adequate for the purpose of our audit except that in the case of some branches where particulars were inadequate, the information available at the Zones / Head Office has been relied upon.

For BALRAM CHANDRA & For BANSAL SINHA & **ASSOCIATES Chartered Accountants** FRN. 002817C

COChartered Accountants FRN-006184N

[ATUL MEHROTRA] Partner M. No. 076058

[RAVINDER KHULLAR] Partner M. No. 082928

For BHATIA & BHATIA **Chartered Accountants** FRN. 003202N


For ALKA & SUNIL **Chartered Accountants** FRN. 006739N

[R. BHATIA] Partner M. No. 017572 [SUNIL GUPTA] Partner M. No. 084119

For G S GOEL & Co **Chartered Accountants** FRN. 001415N [GSGOEL] Partner M.No.014428

For S.B.G. & Co. **Chartered Accountants** FRN.001818N [SHRI BHAGWAN **GUPTA**] Partner M. No. 089415

Dated: 30th April, 2011 Place: New Delhi



नामांकन फार्म

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / कार्यकारी निदेशक पंजाब एण्ड सिंध बैंक प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली महोदय,

निदेशकों का चुनाव

	जाब एण्ड सिंध बैंक का एक शेयर धारक दिनांक 13 मई, 2011 दिन शुक्रवार
	शेयर पूंजी रखता हूं (अर्थात) श्री / श्रीमृती
पुत्र / पुत्री / पत्नी	निवासी
के नामांकन हेतु चुनाव में भाग लेना चाहता हूं जो कि	पंजाब एण्ड सिंध बैंक के निदेशक के चुनाव के लिए बैंक के शेयर धारक के
रूप में प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जो कि बैंकिंग कंपनी (एक्यसिएशन एवं ट्रांसफर आफ अंडरटेंकिंग) नियम, 1980 के सेक्शन 1(3) में
उपलब्धता के अनुसार बैंक के शेयर धारकों की प्रथम व	गर्षिक बैठक का आयोजन दिनांक 16.06.2011 को किया जा रहा है।
हस्ताक्षर	
नाम	
शेयर्स की सं.	
रजि. पन्ना नं. (यदि अभौतिक नहीं है)	
डीपीआई डी नं. एवं ग्राहक आई डी. नं.	
(यदि अभौतिक है)	
स्थानः	
दिनांक:	

नोट्सः


- किसी कॉर्पोरेट निकाय के नामांकन के मामलें में, नामांकन फार्म के साथ निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपी जोकि बैठक के अध्यक्ष द्वारा उक्त बैठक में हस्ताक्षरित है जिसमें इसको पारित किया गया, संलग्न की जानी चाहिए।
- उम्मीदवार को नामित करने वाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर, बैंक के शेयर अंतरण ऐजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर से मेल करने चाहिए।
- यदि उपरोक्त मदों को खाली छोड़ दिया जाता है या संबंधित विवरण सही नही पाया जाता है तो नामांकन रद्द कर दिया जाएगा।

NOMINATION FORM

То	
The Chairman & Managing Director/ Executive	: Director,
Punjab & Sind Bank	
Head office: New Delhi.	
D 01	
Dear Sir,	OTION OF DIDEOTORS
	CTION OF DIRECTORS
With reference to your notice dated 10.05.201	1 l,a
shareholder of Punjab & Sind Bank holding	equity shares of Rs.10/-
	Specified date for participating in the Election do hereby nominate son/daughter/wife of
residing at	for being elected as a
	the Shareholders of the Bank as provided in Section 9(3) (i) of The
	of Undertakings)Act, 1980 at the 1st Annual General Meeting of the
Shareholders of the Bank to be held on 16.06.	2011:
0: .	
Signature	
Name	
Number of shares	
Regd. Folio No. (If not dematerialized)	
DP ID No. & Client ID No.	
(If dematerialized)	
Place	
Date	


Notes:

- * In case of nomination by a Body Corporate, the nomination form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the Meeting at which it was passed.
- * Signature of the Shareholders nominating the candidate should match with the specimen signature available with the share transfer agent of the Bank.
- * If any of the coloumns above is left Blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.



घोषणा का प्रारूप (उम्मीदवार द्वारा)

में		पुत्र / पुत्री / पत्नी	यह घोषणा करता हूं कि–
1.	में एक शेयर धारक हूं धारक हूं (अर्थात्) चुनाव के लिए दी गई		यर के शुक्रवार दिनांक 13 मई 2011 को शेयर पूंजी इना इं।
2.	में जिन व्यावहारिक अनुभव की विशेष अर्थव्यवस्था (5) वित्त (6) विधि (7) लघु र भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिमत है बैंक र प्रतिनिधित्व नियम के सेक्शन 9 की उप	जानकारी रखता हूं (1) कृषि एवं उद्योग,के लिए उपयोगी होगा) और मैं ज	ं ग्रामीण अर्थव्यवस्था (2) बैंकिंग (3) सहभागिता (4) (विशेष जानकारी और व्यवहारिक अनुभव जो कि माकर्ता या कृषक, कामगार और कारीगर के हितों का रे साक्ष्य के रू में मैं संबंधित प्रमाण—पत्र यहां प्रस्तुत
3.	कर रहा हूं मैं नामांकन	को स्त्रीकार करता हं भीर	
3. 4.	में पंजाब एण्ड सिंध बैंक के निदेशक के	C/	।
5.	बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 में	दिए गए प्रावधान के अतंर्गत मैं बैंव 1980, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन ए	क के निदेशक के लिए अयोग्य नहीं हूं, बैंकिंग कंपनी, वं विविध प्रावधान) योजना 1980 यथा संशोधित और
6.		न्टेट बैंक ऑफ इण्डिया नियसम 19	ोय कृत बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया विधि सम्मत 55, या अन्य किसी सहायक बैंक यथा स्टेट बैंक ऑफ तहत किसी बैंक का कार्मिक हूं।
7.	निदेशकों के चुनाव के लिए दिए गए दि	नांक 10 मई 2011 के नोटिस में	दिए गए तथ्यों की पुष्टि करता हूं।
8.	में घोषित करता हूं कि मैं आकरिमक त घोषणा पर अनुवर्ती कार्रवाई हो सके जो		शीघ्र होगा जानकारी दूंगा, यदि कोई है, जिससे इस बंधित हो।
नाग	—————————————————————————————————————		
पंज	ी. पन्ना नं.		
(र्या	दि अभौतिक नहीं है)		
डीप	पी आईडी नं. एवं ग्राहक आईडी नं		
(र्या	दि अभौतिक है)		
स्थ	ानः		
दिन	नांकः		
हर	ताक्षर		
रजि या र्	मधीश / मजिस्ट्रेट / रजिस्ट्रार / सब स्ट्रार के मुहर सहित हस्ताक्षर किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी या रिज़र्व ब एण्ड सिंध बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैं	•	स्ताक्षर
जो	लागू न हो उसे काट दें		उपर्युक्त घोषणा मेरे समक्ष हस्ताक्षर की गई है
			मुहर सहित हस्ताक्षर एवं तिथि




-**2010-11** वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT

FORMAT OF DECLARATION (BY CANDIDATE)

l,	son / daughter /wife of Shri
a resident of	hereby confirm that:
A) I am a Shareholder holding Specified date for participating in the E	equity shares of the Bank as on Friday, the 13th May, 2011 (i.e.), the lection.
operation [iv] economics [v] finance knowledge of and practical experience Bank] and I represent the interest of the Section 9 of the Act and as an evidence	e of which in the opinion of Reserve Bank of India would be useful to the depositors or farmers, workers and artisans, in terms of Sub-section 3A of the thereof I submit herewith the relevant testimonial and
C) I accept the nominations numbering	
D) I am willing to contest the election for	
The Banking Companies (Acquisition &	ector of the Bank under the provisions of The Banking Regulation Act 1949, Transfer of Undertakings) Act 1980, Nationalised Banks (Management and 0 as amended and Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations
under Sub-Section (1) of Section 3 of Section 3 of the State Bank of India (su	
,	the contents of the notice dated 10th May 2011 for election of directors.
	formed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent
my election as a director of the Bank.	the information provided hereto and to execute the deed of covenants upon
Thy election as a director of the bank.	
Name	
Regd. Folio No.	
[If not dematerialized]	
DP ID No. & Client ID No. [If dematerialized]	
Place	
Date	
Signature	
Signature with seal of the Judge, Magis	
Registrar/ Sub-Registrar of Assurances	
any other Gazetted Officer or an Office	
of the Reserve Bank of India, Punjab & or any Nationalised Bank.	Sind Bank Signature with seal& Date.

* Delete whichever is not applicable.



पंजाब एण्ड सिंध बैंक

Punjab & Sind Bank

इक्वटी शेयरों पर लाभांश के भुगतान हेतु नेशनल इलैक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विसिज़ (एनईसीएस) द्वारा ई—क्रेडिट अधिदेश / बैंक खाते के ब्यौरे के फार्म

> डीमेट रूप में धारित शेयरों के शेयरधारकों हेतु

प्रिय शेयरधारक,

शेयरधारकों को प्रदान की जाने वाली सेवा में निरंतर सुधार लाने हेतु हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने डिपॉजिटरी सहभागी को अपने बैंक खाते का अद्यतित ब्यौरा निम्न प्रारूप में दें।

> भवदीय कंपनी सचिव

1.	डिपॉजिटरी का नाम	
2.	डीपीआईडी / सीएल आईडी	
3.	निवेशक (ओं) का नाम	
4.	निवेशक का पता	
	संपर्क नंबर	
	ई-मेल आईडी	
5.	बैंक खाते का ब्यौरा	
क	बैंक का नाम	
ख	शाखा का नाम	
	पता	
	दूरभाष नंबर	
ग.	बैंक एवं शाखा का 9 अंको का कोड जैसा कि बैंक द्वारा जारी किए गए माईकर चैक पर अंकित है।	
घ.	खाते का प्रकार (बचत/चालू/नकदी/उधार/अन्य (उल्लेख करें)	
ड.	खाता संख्या (जैसा चैक बुक पर लिखा है)	

महत्वपूर्ण : कृपया अपने बैंक द्वारा जारी किए गए निरस्त खाली चैक या चैक की छायीप्रति उक्त ब्यौरे की पुष्टि हेतु संलग्न करें। मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि उपरोक्त दिया गया ब्यौरा पूर्ण एवं सही है।

दिनांक स्थान

लाभार्थी(यों) के हस्ताक्षर

Punjab & Sind Bank

E-CREDIT MANDATE THROUGH NATIONAL CELARING SERVICES (NECS)/BANK ACCOUNT DETAIL FORM FOR PAYMENT OF DIVIDEND ON THE EQUITY SHARES

For Shareholders Holding Shares in Demat Form

Dear Shareholder,

In our continuous endeavour to improve services to shareholders, we request you to provide the details to your Depository Participant on the following format

Yours faithfully,

Company Secretary

1.	Name of Depository	
2.	DP ID/ CL ID	
3.	Investor's Name	
4.	Address of the Investor	
	Contact No.	
	E- Mail ID	
5.	Particulars of Bank Account	
A.	Name of the Bank	
В.	Name of Branch	
	Address	
	Telephone No.	
C.	9 Digit Code No. of the Bank and Branch as appearing on the MICR Cheque Issued by the Bank.	
D.	Type of Account (Savings/ Current/ Cash Credit/ Others (Specify)	
E.	Account No. (As appearing in the Cheque Book)	

IMP: Please attach a blank cancelled cheque or photocopy of a cheque issued by your bank for verification of the above particulars.

I hereby declare that the details given above are complete and correct

Date:	
Place:	Signature of the Beneficial Owner(s)

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्र. का 21 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली 110008


उपस्थिति पर्ची

(प्रथम सामान्य बैक) : 10.06.2011

(कृपया उपस्थिति पर्ची को पूर्ण रूप से भर दें एवं बैठक हॉल के प्रवेशद्वार पर उसे सौंप दे)

दिनांक :	समय :
स्थान :	
शेयरधारक / प्रॉक्सी के हस्ताक्षर	
पंजीकृत फोलियो	डीपीआईडी एवं ग्राहक आईडी*
(यदि अभैतिकरण नहीं दिया गया)	(यदि भौतिकरण किया गया)
शेयर धारक का नाम	
शेयरों की संख्या	






Punjab & Sind Bank

(A Government of India Undertaking) HO: 21 – RAJENDRA PLACE, NEW DELHI -110008 ATTENDANCE SLIP

{FIRST ANNUAL GENERAL MEETING}: 16.06.2011

[Please fill in the Attendance slip and hand it over at the entrance of the meeting hall]

Date :	Time:
Place:	
Signature of Shareholder / Proxy /	
Authorised Representative	
Regd. Folio*	DPID & Client ID*
[if not dematerialized]	[if dematerialized]
Name of the Shareholder	
Number of Shares	




पंजाब एण्ड सिंध बैंक,

(भारत सरकार का उपक्रम) प्र.का. 21 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली—110008 फार्म 'बी' प्राक्सी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षर किया जाए)

	(allente dia la sur c		
मैं / हम	राज्य	के जिला	
का / की / के निवासी	पंजाब एण्ड सि	घ बैंक के शेयरधारक होने के नाते एतद्	द्वारा
राज्य	के	जिला के निवासी श्री /	श्रीमती
	को अथवा उनके उपस्थित न हो सक	ने पर राज्य के जिला	
के निवासी श्री/श्रीमती		को वीरवार, दिनांक 16	जून 2011 को प्रातः
10 बजे पंजाब एण्ड सिंध बैंक	की साधारण आम बैठक में जोकि शेयर	र ऐयर फोर्स आडिटोरियम, सुब्रोतो पार्क, र	नई दिल्ली—110010
में आयोजित होगी तथा इसके उ	भ्रधिस्थगन होने की स्थिति में मेरी/हम	गरी ओर से मेरे / हमारे लिए मत देने के	लिए प्राक्सी नियुक्त
करता हूं / करते हैं।			
माह	के	दिन 2011 को हस्ताक्षरित	
पंजिकृत फोलिया न./ ग्राहक व	n आई.डी.न.		
-			कृप्या रसीदी
शेयरों की संख्या			कृप्या रसीदी टिकट लगाएं
पालगी के दुस्ताथर प्रथम / एकल	। शेयर धारक के हस्ताक्षर		
71 7 4 4(11			



PUNJAB & SIND BANK

(A Government of India Undertaking)
HO: 21 – RAJENDRA PLACE, NEW DELHI -110008
{FIRST ANNUAL GENERAL MEETING}: 16.06.2011

FORM 'B' FORM OF PROXY

[To be filled and signed by the S	Shareholder]			
I/We				Resident
of		in the district of	in the State of	ofbeing
a shareholder /shareholders of resident of	the Punjab & Sindor failing in the district our proxy to vote Punjab & Sind Ba	d Bank, hereby appoin n the district of him/her, Shri/Smt ct of e for me/us and on my ank to be held on Thurs	nt Shri/Smtin y / our behalf at the First sday the 16th June, 2011	in the State. resident of the State of Annual General
Signed this day of	2011			
Regd. Folio No./Client ID:				
No. of Shares				
 Signature of Proxy	Signat	ure of the first named /	·· / sole shareholder	Please affix Revenue Stamp
Name & Address:				

प्राक्सी फार्म हस्ताक्षर करने संबंधी अनुदेश

- कोई भी प्राक्सी प्रलेख वैध नहीं होगा जब तक किः
 - क व्यक्ति शेयर धारक के मामले में, यह उसके द्वारा या उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित होगा तथा जिसे लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत किया जाएगा।
 - ख. संयुक्त शेयर धारक के मामले में यह रजिस्टर में प्रथम शेयर धारक द्वारा या उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित होगा तथा जिसे लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत किया जाएगा।
 - ग. निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए या अटर्नी विधिवत् लिखित रूप में होनी चाहिए।
- प्राक्सी प्रलेख शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षिरित होगा जोिक किसी कारण से अपना नाम नहीं लिख पाता है, यदि उस पर इसका चिन्ह है तथा न्यायधीश, मिजस्ट्रेट, आश्वासन रिजस्ट्रार या उप रिजस्ट्रार या सरकारी राजपत्र अधिकारी या पंजाब एण्ड सिंध बैंक के अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित है।
- 3. प्राक्सी के साथ
 - क. अटर्नी अधिकार या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है तो) जिसके अंतर्गत हस्ताक्षर किए गए हैं या
 - ख. नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित अटर्नी अधिकारी की प्रति पंजाब एण्ड सिंघ बैंक, प्रधान कार्यालय शेयर कक्ष, प्रथम तल, 21 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली — 11008 को वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् शनिवार 11 जून 2011 को कार्य समय समाप्त होने से पूर्व या उस तिथि को प्रस्तुत करनी होगी।
- 4. यदि संबंधित अटर्नी अधिकार पंजाब एण्ड सिंध बैंक में या शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास पहले से रजिस्ट्रेड है तो अटर्नी अधिकार का रजिस्ट्रेशन संख्या तथा उसकी तिथि का उल्लेख किया जाए।
- 5. यदि प्राक्सी प्रलेख फार्म "ठ पर नहीं है तथा विधिवत स्टाम्प नहीं है तो वह वैध नहीं माना जाएगा।
- 6. बैंक में जमा प्राक्सी प्रलेख अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगा।
- 7. यदि प्राक्सी प्रलेख विकल्पि के रूप में दो व्यक्तियों के पक्ष में जारी किया जाता है तो एक से अधिक फार्म पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 8. जिस शेयरधारक ने प्राक्सी प्रलेख निष्पादित किया है उसक वार्षिक सामान्य बैठक में वोट देने का अधिकार नहीं होगा जिससे वह प्रलेख संबंधित है।
- 9. पंजाब एण्ड सिंध बैंक के किसी कार्मिक या अधिकारी को प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्राक्सी नियुक्त करने का

-**2010-11** वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- No instrument of proxy shall be valid unless,
- a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
- b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
- c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Punjab & Sind Bank.
- 3. The proxy together with
- a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
- b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited with Punjab & Sind Bank, Head Office Shares Cell, 1st Floor, 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008 not less than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of Saturday, the 11th day of June, 2011.
- 4. In case the relevant Power of Attorney is already registered with Punjab & Sind Bank or Share Transfer Agent, the registration Number of Power of Attorney and the date of such registration may be mentioned.
- 5. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form 'B' and duly stamped.
- 6. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- 7. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- 8. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
- 9. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Punjab & Sind Bank.


बैंक का नाम :

निदेशक द्वारा घोषणा एवं वचन

I.	निदेशक का व्यक्तिगत ब्यौरा		
	क	पूरा नाम	
	ख	जन्म तिथि	
	ग	शैक्षिक योग्यता	
	ध	संबंधित पृष्टभूमि तथा अनुभव	
	ड.	स्थाई पता	
	च	वर्तमान पता	
	ਬ	ई-मेल पता / टेलिफोन नंबर	
	ज	आयकर अधिनियम के अंतर्गत पैन न. तथा आयकर सर्कल का नाम व पता	
	झ	संबंधित जानकारी एवं अनुभव (बैंककारी कंपनी उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण की धारा ९ 3—ए) अधिनियम 1970, 1980	
	ण	बैंक के निदेशक पद से संबंधित कोई जानकारी निदेशक के रिश्तों संबंधी जानकारी	
II.	क	बैंक के संबंधित रिश्तेदारों की सूची (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 6 तथा अनुसूची 1 ए देखें)	
	ख	संस्थाओं की सूची यदि कोई है तो जिसमें उसका हित हो (देखे खण्ड 299 (3) तथा धारा 300	
	ग	संस्थाओं की सूची यदि कोई है तो जिसमें उसका पर्याप्त हित हो (बैंकिंग वियमन अधिनियम 1949 की धारा 5 के अंतर्गत दी गई के अनुसार)	
	ड.	बैंक का नाम जिसके बोर्ड में वह सदस्य हैं (उस कार्यालय की अवधि का पूरा ब्यौरा दें)	
	च.	उनके द्वारा तथा / अथवा उपयुक्त II (बी) तथा (सी) में सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा उपयोग की गई फण्ड तथा नॉन फण्ड सुविधाएं यदि कोई है तो	
	ਬ	ऐसे मामले जहां निदेशक अथवा उपयुक्त II (बी) तथा (सी) में सूचीबद्ध संस्थाएं चूक. कर्ता हैं या बैंक से अथवा किसी अन्य बैंक से ऋण सुविधाओं में मामले में चूककर्ता रही है	
III.		व्यावसायिक उपलिब्धयों से संबंधित	
IV		निदेशक के विरूद्ध कार्यवाही	
	क	यदि कोई निदेशक व्यावसायिक संस्था / निकाय का सदस्य है तथा उसके विरूद्ध यदि कोई मामला लंबित है अथवा प्रारम्भ हुआ है या पूर्व में दोषी ठहराया गया हो या किसी व्यवसाय में किसी समय उन्हें प्रवेश करने की अनुमित नहीं मिली हो तो उसकी अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण दें।	
	ख	अभियोग का विवरण निदेशक तथा उपरोक्त मद ॥ (ख) (ग) में सूचीबद्ध संस्थाओं के विरुद्ध आर्थिक विधि एवं विनियमनों को भंग करने का कोई मामला लंबित है अथवा प्रारम्भ हुआ है या पूर्व दोषी ठहराया गया हो।	

	ग	अपराधिक मामलों का ब्यौरा यदि कोई मामला निदेशक के विरूद्ध लंबित है अथवा प्रारम्भ हुआ है या पूर्व में दोषी ठहराया गया है।
	घ	क्या निदेशक कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274 के अंतर्गत अयोग्य घोषित किया गया है।
	ड	क्या निदेशक या उपरोक्त मद II (ख) तथा (ग) का को. ई निकाय किसी सरकारी विभाग अथवा एजेंसी की जांच के घेरे में है
	च	क्या निदेशक को किसी भी समय सीमाशुल्क द्वारा विधायी अपेक्षाओं/आयकर/ विदेशी विनिमय/अन्य राजस्व प्राधिकरण के नियमों विनियमनां को भंग करने का दोषी पाया गया है।
	ਬ	क्या निदेशक को किसी भी समय सेबीआईआरडीए, डीसीए को कोई प्रतिकूल नोटिस प्राप्त हुआ है।
V		उपरोक्त मद संख्या । से III के संबंध में कोई अन्य स्पष्टीकरण / सूचना तथा अन्य कोई संबंधित सूचना जो इसे उपयुक्त पाने में सहायक हो।
		वचन
		मैं पुष्टि करता हूं कि उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी के अनुसार पूर्ण एवं सही है। मैं वचन देता हूं कि अपनी नियुक्ति के बाद मैं उपरोक्त प्रस्तुत की गई सूचना से संबंधित किसी भी परिवर्तन को समय रहते बैंक को सूचित करता रहूंगा। मैं यह भी वचन देता हूं कि मैं बैंक के समस्त निदेशकों द्वारा निष्पादित जाने वाले अनुबंध विलेख को निष्पादित करूंगा स्थानः
		दिनांक निदेशक के हस्ताक्षर
VI	बैंक	की नामांकन समिति की टिप्पणी
		स्थानः हस्ताक्षर
		दिनांक:

	Name of Bank : PUNJAB & SIND BANK				
		(with enclosures as appropriate as on)			
I.	Per	sonal details of director			
	a.	Full name			
	b.	Date of Birth			
	C.	Educational Qualifications			
	d.	Relevant Background and Experience			
	e.	Permanent Address			
	f.	Present Address			
	g.	E-mail Address / Telephone Number			
	h.	Permanent Account Number under the Income Tax Act and name and address of Income Tax Circle			
	i.	Relevant knowledge and experience (Refer Section 9(3-A) of the Banking Companies (Acquisetion & Transfer of Undertaking) Act, 1970/1980			
	j	Any other information relevant to Directorship of the Bank			
II		Relevant Relationships of director			
	а	List of Relatives if any who are connected with the Bank (Refer Section 6 and Schedule 1A of the Companies Act, 1956)			
	b	List of entities if any in which he/she is considered as being interested (Refer Section 299(3)(a) and Section 300 of the			
	С				
	Regulation Act, 1949 proposed and existing d Name of Bank in which he/she is or has been a member of the board (giving details of period during which such office was held)				
	e Fund and non-fund facilities, if any, presently availed of by him/her and/or by entities listed in II (b) and (c) above from the bank				
	f Cases, if any, where the director or entities listed in II (b) and (c) above are in default or have been in default in the past in respect of credit facilities obtained from the bank or any other bank.				
Ш	II Records of professional achievements				
	a Professional achievements relevant				
IV		Proceedings, if any, against the director			
	a If the director is a member of a professional association/ body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him/her or whether he/she has been banned from entry of at any profession/occupation at any time.				
	b	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the director and/or against any of the entities listed in II (b) and (c) above for violation of economic laws and regulations			



	С	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the director			
	d	Whether the director attracts any of the disqualifications envisaged under Section 274 of the Company's Act 1956?			
	е	Has the director or any of the entities at II (b) and (c) above been subject to any investigation at the instance of Government department or agency?			
	f	Has the director at any time been found guilty of violation of rules/regulations/ legislative requirements by customs/ excise /income tax/foreign exchange / other revenue authorities, if so give particulars			
	g	Whether the director at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, IRDA, DCA.			
V.		Any other explanation / information in regard to items I to III and Other information considered relevant for judging fit and proper			
		Undertaking			
		I confirm that the above information is to the best of my knowledge and belied undertake to keep the bank fully informed, as soon as possible, of all ever subsequent to my appointment which are relevant to the information provided all to execute the deed of covenant required to be executed by all directors of the	ents which take place bove. I also undertake		
		Place : Signatureof director			
		Date :			
VI.		Remarks of Nomination Committee of the Bank			
		Place :Signature			
		Date :			